# वार्षिक रिपोर्ट
# Annual REPORT
## 2017-18

## राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सर्विसिज़ इंक

रा.सू.वि. के. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अर्न्तगत भारत सरकार का उपक्रम

## NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

A Government of India Enterprise under NIC Ministry of Electronics and Information Technology

# नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक, नई दिल्ली

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक (निकसी) की स्थापना 1995 में राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन (भूतपूर्व धारा 25 कंपनी) कंपनी, की धारा–8 के रुप में की गई, जो मंत्रालयों, विभागों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों के संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सकल आई टी सोल्यूशन प्रदान करती है ।

**दूरदृष्टि :**

''भारत की प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व स्थिति को प्राप्त करना तथा अन्य विकासशील देशों को प्रभावी रुप से योगदान देकर सामाजिक–आर्थिक विकास में तेजी लाना ।''

**मिशन :**

सामाजिकदृआर्थिक विकास पर ध्यान केनद्रित करने के साथ–साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ग्राहकों के लिए सेवाओं की प्राप्ति तथा व्यापार के समाधान को शामिल करते हुए पारदर्शी मूल्य आधारित सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को एंड टू एंड सोल्यूशन की सुविधा प्रदान करना तथा उसे संवर्धित करना ।

**उद्देश्य :**

सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर संचार नेटवर्क, सूचना–विज्ञान आदि का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, भारत सरकार द्वारा विकसित सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, अवसंरचना एवं सुविज्ञता तथा कम्प्यूटर संचार नेटवर्क, निकनेट व संबद्ध अवसंरचना व सेवाओं को लाभदायक बनाते हुए भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रोन्नत करना ।

राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र की राजस्व उपार्जन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, अवसंरचना एवं सुविज्ञता के निरन्तर विकास को प्रोन्नत करना ।

राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र तथा निकनेट द्वारा विकसित मूल अवसंरचना व सेवाओं पर मूल्य संवर्धित कम्प्यूटर और कम्प्यूटर संचार सेवाओं को विकसित एवं संवर्धित करना।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक अपने उद्देश्यों के अनुसार मंत्रालयों, विभागों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों के संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में निम्नलिखित उत्पाद व सेवाएं प्रदान कर रही है –

- हार्डवेयर
- सिस्टम सॉफ्टवेयर
- अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर
- सॉफ्टवेयर विकास
- इंट्रा–नेटवर्किंग
- व्यापक क्षेत्र की नेटवर्किंग
- वीडियो कांफ्रेंसिंग
- कस्टमाईज्ड सॉफ्टवेयर
- आई टी प्रशिक्षण
- आई टी परामर्श सेवाएं
- आई टी कार्यान्वयन संबंधी सहायता
- डेटा/सदस्यता सेवाएं

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में संलग्न है।**

## निकसी:

पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में संलग्न है।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक: ई–शासन में प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु सहक्रिया का विनिर्माण।

भारत के दूरस्थ भागों में प्रौद्योगिकी लाभों के समावेशन हेतु निकसी सरकार, उद्योग एवं शिक्षा जगत में लोगों के नेटवर्क स्थापित करती है।

जिससे सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को कार्यगत किया जा सके।

# NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC., NEW DELHI

National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) was set up in 1995 as a section 8 Company (erstwhile Section 25 Company) under National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to provide total IT solutions to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, State Governments, UTs and P S Us.

**Vision**

"Achieve leadership position in the technology enablement of India and other developing countries thereby contributing effectively to accelerate socio-economic growth".

**Mission**

"To promote and provide transparent value added Information and Communication Technology on end to end solutions including procurement services and business solutions to customers at competitive prices with a focus on socio-economic development".

**Objectives**

To provide the economic, scientific, technological social and cultural development of India by promoting the utilization of Information Technology. Computer-Communication Networks, Informatics etc. by a spinoff of the services, technologies, infrastructure and expertise developed by the National Informatics Centre of the Government of India including its computer-communication network, NICNET and associated infrastructure and services.

To promote further development of services, technologies, infrastructure and expertise supplementing that developed by NIC, in directions which will increase the revenue earning capacity of NIC.

To develop and promote value added computer and computer-communications services over the basic infrastructure and services developed by NIC including NICNET.

In furtherance of these objectives, NICSI has been providing following Products & Services to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, State Governments, UTs and P S Us etc.:

- Hardware
- Systems Software
- Application Software
- Software Development
- Intra-Networking
- Wide Area Networking
- Video-conferencing
- Customized Software
- I.T. Training
- I.T. Consultancy
- I.T. Implementation Support
- Data/Membership Services

**NIC Services Inc. is truly a Total ICT solutions Company in the Service of the Nation.**

**NICSI:**

**Is truly a total ICT Solutions Company in the Service of the Nation.**

**Creating Synergy for Technology Diffusion in e-governance.**

**Networks people in Government, Industry & academia to permeate the technology benefits to the remotest part of India.**

**Harnessing Information & Communication Technologies.**

# वार्षिक रिपोर्ट
# ANNUAL REPORT
# 2017-18

## नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक
## नई दिल्ली
## National Informatics Centre Services Inc.
## New Delhi

# विषय सूची


निदेशक मंडल ..... 07

23वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना ..... 09

निदेशकों की रिपोर्ट ..... 12

31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र ..... 46

आय व व्यय लेखा ..... 48

नकदी प्रवाह विवरण ..... 50

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉ तथा टिप्पणियॉ ..... 53

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट ..... 96

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ..... 106


# CONTENTS


Board of Directors ..... 109

Notice for 23rd Annual General Meeting ..... 111

Directors' Report ..... 114

Balance Sheet as at 31st March, 2018 ..... 148

Income and Expenditure Account ..... 150

Cash Flow Statement ..... 152

Significant Accounting Policies & Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2018 ..... 155

Auditor's Report ..... 195

Comments of the Comptroller and Auditor General of India ..... 204

# निदेशक मण्डल
## (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | : | श्री संजय गोयल<br>संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| निदेशक | : | सुश्री अनुराधा मित्रा<br>अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| | : | श्री संजय कुमार राकेश<br>संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| | : | डॉ. बी. के. मूर्ति<br>वैज्ञानिक–जी, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| | : | डॉ. नीना पाहूजा<br>महानिदेशक, अर्नेट इंडिया |
| | : | श्री संजय सिंह गहलौत<br>उप महानिदेशक, एनआईसी |
| | : | श्री दीपक चंद्र मिश्रा<br>उप महानिदेशक, एनआईसी |
| | : | डॉ. रंजना नागपाल<br>उप महानिदेशक, एनआईसी |
| | : | श्री विष्णु चन्द्र<br>उपमहानिदेशक, एनआईसी व वित्तीय सलाहकार/सनदी लेखाकार, निकसी |
| | : | श्री पी. वी. भट्ट<br>वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, कर्नाटक |
| | : | सुश्री शालिनी मथरानी<br>वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र |
| | : | श्री मनोज कुमार मिश्रा<br>प्रबंध निदेशक, निकसी |
| कम्पनी सचिव | : | डॉ. गिरीश कुमार |
| लेखापरीक्षक | : | गोयल गर्ग एण्ड कम्पनी,<br>सनदी लेखाकार, 18 भू–तल, नेशनल पार्क,<br>लाजपत नगर–IV, नयी दिल्ली–24 |
| पंजीकृत कार्यालय | : | हॉल नं0 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर,<br>15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 |
| बैंकर्स – नई दिल्ली | : | कॉर्पोरेशन बैंक और बैंक ऑफ इडियाँ, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,<br>लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003<br>कार्पोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,<br>भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, एवं आई सी आई सी आई बैंक लिमि टेड, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली. |

# निदेशक मण्डल
## (30.09.2018 की स्थिति के अनुसार)

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | : | श्री पंकज कुमार<br>अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| निदेशक | : | सुश्री अनुराधा मित्रा<br>अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| | : | श्री संजय कुमार राकेश,<br>संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| | | डॉ॰ बी.के. मूर्ति<br>वैज्ञानिक–जी, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| : | | डॉ. नीना पाहूजा<br>महानिदेशक, अर्नेट इंडिया |
| | : | श्री दीपक चंद्र मिश्रा<br>उप महानिदेशक, एनआईसी |
| | : | डॉ. रंजना नागपाल<br>उप महानिदेशक, एनआईसी |
| | : | श्री नागेश शास्त्री<br>उप महानिदेशक, एनआईसी |
| | : | श्री विष्णु चन्द्र<br>उपमहानिदेशक एनआईसी व वित्तीय सलाहकार/सनदी लेखाकार, निकसी |
| | : | श्री पी. वी. भट्ट<br>उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, कर्नाटक |
| | : | सुश्री शालिनी मथरानी<br>उपमहानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र |
| | : | श्री मनोज कुमार मिश्रा<br>प्रबंध निदेशक, निकसी |
| कम्पनी सचिव | : | डॉ. गिरीश कुमार |
| लेखापरीक्षक | : | गोयल गर्ग एण्ड कम्पनी,<br>सनदी लेखाकार, 18 भू–तल, नेशनल पार्क,<br>लाजपत नगर–IV, नयी दिल्ली–24 |
| पंजीकृत कार्यालय | : | हॉल नं0 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर,<br>15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 |
| बैंकर्स – नई दिल्ली | : | कॉर्पोरेशन बैंक और बैंक ऑफ इडियाँ, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,<br>लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003<br>कार्पोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,<br>भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, एवं आई सी आई सी आई बैंक लिमि टेड, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली. |

# २३वीं वार्षिक आम बैठक

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक (निकसी) के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य–व्यापार संपन्न करने के लिए इसकी 23 वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को अपराह्न 4.30 बजे कांफ्रेंस कक्ष सं0 4009, चतुर्थ तल, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी निकेतन, 6 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में आयोजित की जायेगीः

**सामान्य कार्यव्यापारः**

1. दिनांक 31.3.2018 की स्थिति अनुसार लेखा–परीक्षित तुलनपत्र तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की आय व व्यय लेखा और उसके संबंध में निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महा लेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त करना, विचार करना और उनका अनुपालन करना।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखा–परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखा– परीक्षकों के पारिश्रमिक का नियतन करना ।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक**

ह0/–

**(डॉ. गिरीश कुमार)**

कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12.09.2018

**टिप्पणी :**

1. मत देने वाला सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने तथा मत देने के लिए परोक्षी नियुक्त करने का पात्र है ।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पूर्व कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25) के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी का सदस्य होने के नाते कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह ऐसी किसी कंपनी का सदस्य न हो ।
3. इसे प्रभावी होने के लिए परोक्षियों के प्रपत्र बैठक शुरु होने से कम–से–कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में विधिवत रुप से भरे जाने चाहिए तथा कार्यालय में जमा हो जाने चाहिए ।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सविर्सिज इंक**

ह0/–

**(डॉ. गिरीश कुमार)**

कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12.09.2018

**निकसी–सीएस/23वीं एजीएम/300** **तारीख 18.09.2018**

# सूचना

सूचना दी जाती है कि नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक (निकसी) की 23 वीं वार्षिक आम बैठक कांफ्रेंस कक्ष सं0 4009, चतुर्थ तल, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी निकेतन, 6 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में दिनांक 18 सितम्बर, 2018, की बजाय अब बुधवार दिनांक 26 सितम्बर, 2018 को अपराह्न 12.30 बजे आयोजित की जाएगी। सभी शेयरधारकों और निदेशकों से अनुरोध है कि वे कृपया समय में बदलाव पर ध्यान दें तथा बैठक में अपनी सुविधानुसार उपस्थित हों।

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक**
ह0/–
**(डा. गिरीश कुमार)**
कंपनी सचिव

**निकसी–सीएस/23वीं एजीएम/300** **तारीख** 11.12.2018

# सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक (निकसी) की स्थगित की गई 23 वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पततिवार दिनांक 27, दिसम्बर 2018 को दोपहर 12:30बजे कांफ्रेंस कक्ष सं0 4009, चतुर्थ तल, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी निकेतन, 6 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में आयोजित की जायेगीः

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक (निकसी)के लिए**
ह0/–

**(डा. गिरीश कुमार)**
कंपनी सचिव

प्रतिलिपि
अध्यक्ष,निकसी
निकसी के सभी शेयरधारक
बोर्ड के सभी सदस्य

# निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशकगण दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा विवरण तथा कम्पनी के कार्य–व्यापार व प्रचालन कार्यों से संबंधित 23 वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं ।

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूर्व वर्ष 2016–2017 की तुलना में संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए हैं :

## (क) वित्तीय विशेषताएं

**(रुपये करोड़ों में)**

| क्रम सं. | विवरण | 2017 - 2018 | 2016 - 2017 |
|---|---|---|---|
| **(क)** | **प्राप्तियॉ** | | |
| 1. | स्टॉक व बिक्रियॉ | 384.76 | 514.19 |
| 2. | सेवायें व सहायता | 873.52 | 726.50 |
| 3. | ऑपरेटिग मार्जिन* | 0.07 | 0.72 |
| 4. | ब्याज/अन्य आय<br>कम करें: अनुदान सहायता और एन के एन परियोजनाओं पर प्रदत्त ब्याज 7.77 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 4.99 करोड़ रुपये) | 78.08 | 85.66 |
| | **योग (क)** | **1336.43** | **1327.07** |
| **(ख)** | **भुगतान** | | |
| 1. | बेचे गये माल की लागत | 395.71 | 486.69 |
| 2. | सेवायें व सहायता | 767.20 | 638.22 |
| 3. | कर्मचारियों के पारिश्रमिक व लाभ | 8.29 | 9.94 |
| 4. | अन्य व्यय | 74.37 | 64.82 |
| 5. | मूल्यह्रास | 40.21 | 16.71 |
| | **योग (ख)** | **1285.78** | **1216.38** |
| | **कुल अधिशेष (क)–(ख)** | **50.65** | **110.69** |
| 6. | कम करें: परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अशक्तता | ---- | 1.51 |
| 7. | कम करें: अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की अशक्तता | ----- | 2.16 |
| 8. | कर हेतु प्रावधान | 19.61 | 42.61 |
| 9. | निवल अधिशेष | **31.04** | **64.41** |
| 10. | अंतिम वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार अधिशेष व आरक्षिति | **605.78** | **541.37** |
| | **कुल आरक्षिति और अधिशेष (9+10)** | **636.82** | **605.78** |

* उपर्युक्त आय स्टॉक और बिक्रियों के अतिरिक्त हार्डवेयर मदों की आपूर्ति से परियोजनाओं पर ऑपरेटिग मार्जिन (जिसे पूर्व में प्रशासनिक प्रभार के रुप में जाना जाता है) लगाकर आई है। निकसी के ऑपरेटिंग मार्जिन परियोजना के मूल्य पर निर्भर करते हुए दिनांक – 15.01.2015 से 5% अथवा 7% हैं।

## (1) परिचालन सीमांत राशि

निदेशक मंडल ने दिनांक 29.09.2017 को आयोजित अपनी 103वीं बैठक में सभी प्रकार की परियोजनाओं/सेवाओं के लिए अर्थात् हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/जनशक्ति आदि के लिए निकसी की परिचालन सीमांत राशि की दरों में (जिसे पूर्व में "प्रशासनिक प्रभारों" के रूप में जाना जाता है) संशोधन निम्नानुसार अनुमोदित किया है।

| परियोजना मूल्य | परियोजना मूल्य का % |
|---|---|
| 50 करोड़ रूपये तक | 7%<br>(परियोजना को कार्यान्वित करते समय यदि परियोजना का मूल्य 50 करोड़ रूपये से कम हो जाता है अथवा उसके समकक्ष है तो निकसी 7% की दर से संभावी प्रभाव के अनुसार परिचालन सीमांत राशि को वसूल करेगी।) |
| 50 करोड़ से ऊपर | 5%<br>(परियोजना को कार्यान्वित करते समय यदि परियोजना का मूल्य 50 करोड़ रूपये से अधिक हो जाता है तो निकसी 50 करोड़ रूपये से अधिक के मूल्य पर केवल 5% की दर से संभावी प्रभाव के अनुसार परिचालन सीमांत राशि को वसूल करेगी।) |

उपर्युक्त दरें तत्काल प्रभावी होती हैं तथापि सभी वर्तमान समझौता ज्ञापन/करार, 31.10.2017 तक जारी किये गये प्रोफार्मा बीजक (पीआईएस) को परिचालन सीमांत राशि की वर्तमान स्लैब दरों के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

दिनांक 1.11.2017 का कार्यालय आदेश निकसी के दिनांक 15.01.2015 के कार्यालय आदेश संख्या 129/05–06/निकसी–सीएस को अधिक्रमित करता है।

## (2) लाभांशः

यह कम्पनी एतद्द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) है और कम्पनी को उसके सदस्यों को किसी लाभांश का भुगतान करना निषेध है।

## (3) आरक्षिती हेतु स्थानांतरण

कंपनी ने आरक्षिती हेतु कोई राशि स्थानांतरित नहीं की है।

## (4) डी पी ई द्वारा ग्रेडिंग

### (i) मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया

- डीपीई प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ प्रत्येक वर्ष समझौता ज्ञापन करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करता है।
- डीपीई ने समझौता ज्ञापन पर आंतरिक अनुसचिवीय समिति (आई एम सी) की स्थापना की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैः

| | | |
|---|---|---|
| 1 | सचिव, डीपीई | अध्यक्ष |
| 2 | संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर के हो। | सदस्य |
| 3 | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर के हो । | सदस्य |
| 4 | अपर सचिव, नीति आयोग अथवा उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर के हो। | सदस्य |
| 5 | सचिव डीपीई किसी अधिकारी का चयन करेंगे, जो आवश्यक समझे जाने वाले मामले में वित्त विशेषज्ञ हो। | |
| 6 | संयुक्त सचिव/सलाहकार (समझौता ज्ञापन) डीपीई, समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेंगे। | |

- मसौदा समझौता ज्ञापन वित्तीय और गैर वित्तीय मानदंडों को मिलाकर निकसी द्वारा अपने बोर्ड को अनुमोदन के लिए एमईआईटीवाई के माध्यम से डीपीई को अग्रेषित करने से पहले प्रस्तुत किया जाता है।
- आईएमसी इसकी सीमाओं पर बातचीत करती है तथा बैठकों में समझौता ज्ञापन में उल्लिखित लक्ष्य निर्धारित करती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, एनआईसी तथा निकसी के पदाधिकारी उपस्थित होते हैं।
- समझौता ज्ञापन में निकसी तथा एमईआईटीवाई के बीच हस्ताक्षर किये जाते हैं।
- वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात, विधिवत् रुप से बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखा–परीक्षित लेखा निर्धारित प्रोफार्मा में विवरण सहित डीपीई को प्रस्तुत किये जाते हैं।
- उपर्युक्त के आधार पर डीपीई समझौता ज्ञापन में उल्लिखित लक्ष्य के मद्दे निकसी के वास्तविक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करता है और ग्रेडिंग की घोषणा करता है।

### (ii) डी पी ई द्वारा निकसी की ग्रेडिंग

| वित्तीय वर्ष | लेखा परीक्षित आंकड़ो के आधार पर समझौता ज्ञापन स्कोर |
|---|---|
| 2016 – 17 | उत्कृष्ट |
| 2015 – 16 | उत्कृष्ट |
| 2014 – 15 | उत्कृष्ट |
| 2013 – 14 | बहुत अच्छा |
| 2012 – 13 | बहुत अच्छा |
| **2011 – 12** | **बहुत अच्छा** |

### (iii) वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लक्ष्यों के मद्दे वार्षिक निष्पादन

- दुर्गम राज्यों जैसे पूर्वोत्तर, जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में परियोजनाओं की संख्या (संख्या) (10 अंक) : 226
- नये उत्पादों और सेवाओं का परिचय (संख्या) (10 अंक) : 18
- पूर्व वर्ष (%) में केंद्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र की सरकारों/संगठनों से ई–शासन परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत (%) : (4 अंक) : (1080)
- टाइम ओवर रन (%) के बिना (10 करोड़ अथवा इससे अधिक रूपये) के ग्राहक आदेशों को पूर्ण करना (10

अंक) : 100%

- परिचालन (सकल) (दिनों की संख्या) (5 अंक) से राजस्व के कुल दिनों के रूप में (निवल) प्राप्ति योग्य व्यापार : 83
- डीपीई (तारीख) (5 अंक) को प्रति सहित सभी के संबंध में पूर्ण किये गये प्रशासनिक मंत्रालय को सीपीएसई की अनुसूची प्रदान करने के लिए अनुप्रयोग : बोर्ड ने दिनांक 22.12.2017 को आयोजित अपनी बैठक में इन मदों को स्थगित करने का निर्णय लिया।
- एसीआर/एपीएआर (कार्यकारियों की संख्या का प्रतिशत) को लिखने के संबंध में निर्धारित समय रेखा का अनुपालन करते हुए सभी कार्यकारियों के संबंध में (ई0 और इससे ऊपर के) एसीआर/एपीएआर को ऑनलाइन प्रस्तुत करना : 100
- (वरिष्ठ कार्यकारियों की संख्या का प्रतिशत) (एजीएम और उससे ऊपर के अधिकारी) वरिष्ठ कार्यकारियों के लिए तिमाही सतर्कता निकासी की अद्यतन रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करना : 100
- उत्कृष्ट केंद्र अर्थात् आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई आदि (कार्यकारियों की संख्या) में कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करके दक्ष प्रबंधन और कैरियर प्रगति प्रदान करना।
- निकसी ने लागू सीमा तक वित्तीय वर्ष 2017–18 के समझौता ज्ञापन की मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 14.2 और 14.3 में यथा उल्लिखित अतिरिक्त पात्रता कसौटी का अनुपालन किया है।

## (5) वित्तीय वर्ष 2017–18 में चल रही मुख्य परियोजनाँ

### राष्ट्रीय जानकारी नेटवर्क (एनकेएन परियोजना)

वर्ष 2009–10 में शुरू की गयी एनकेएन परियोजना को लगभग 5990/– करोड़ रूपये की लागत से दस वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) द्वारा अनुमोदित किया गया है। एन आई सी इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है जबकि निकसी सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सहायता प्रदान कर रही है तथा उसकी प्राप्ति में मदद भी दे रही है। यह परियोजना उच्च गति वाले डाटा संचार नेटवर्क की स्थापना करेगी, जो उच्चतर अधिगम और अनुसंधान संस्थानों को परस्पर जोड़ेगी ताकि उनके बीच जानकारी, संसाधन को स्थापित करने और उसके सृजन, अर्जन करने में सुविधा प्राप्त हो। यह राज्यों/संघ शासित राज्य क्षेत्रों में केंद्र स्थापित करने, एनआईसी जिला केंद्रों को संस्थान संबंधी कनेक्टिविटी से जोड़कर सहयोगी अनुसंधान, देशव्यापी क्लासरूम की सुविधा भी प्रदान करेगी।

### ''के.वी.शाला दर्पण'' केन्द्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

डिजिटल इंडिया विज़न के अधीन निकसी ने लगभग 1200 केंद्रीय विद्यालयों की पीएएन इण्डिया में इस परियोजना में गतिविधियों को जारी रखा, जिसका उद्देश्य प्रशासन तथा उनके शासन की कुशलता बनाकर अधिगम गुणवत्ता में सुधार लाना, पणधारियों अर्थात विद्यार्थियों, उनके माता–पिता, अध्यापकों और स्कूलों के साथ स्कूल के शिक्षा विभाग की सेवा प्रदायगी में सुधार लाना और निर्णय लेने में सहायक बेहतर गुणवत्ता डाटा प्रदान करने के लिए उचित समय पर अधिगम सुविधा उपलब्ध कराना है।

### शास्त्री पार्क में निकसी डाटा केन्द्र (एन डी सी)

शास्त्री पार्क, दिल्ली में निकसी डाटा केंद्र (एनडीसी) सरकारी विभागों और उनके संगठनों को आपदा प्रबंधन सुविधा सहित अन्य सेवाएं भी प्रदान कर रहा है जिसमें अत्याधुनिक टायर–III सुविधा भी उपलब्ध है। वर्ष के दौरान सहज रूप से व सफलतापूर्वक इन गतिविधियों को कार्यान्वित करना जारी रखा।

### लक्ष्मी नगर में डाटा केन्द्र

निकसी का लक्ष्मी नगर में अपना डाटा केंद्र है। यह अपने डाटा का रखरखाव करते हुए विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संगठनों को सेवायें प्रदान कर रहा है।

### निकसी विकास केन्द्र

डीएमआरसी आईटी पार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली में दूसरे तल पर विकास केंद्र स्थित है, जिसमें लगभग 400 वर्कस्टेशन है ,जिसका उद्देश्य प्रयोक्ताओं को परियोजना को सहज और संतोषजनक रूप से कार्यान्वित करने से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना है।

## (6) I. एमईआईटीवाई से अन्य परियोजनायें

वर्ष के दौरान ,एमईआईटीवाई से विभिन्न परियोजनाओं के अधीन निकसी ने निम्नलिखित गतिविधियों को जारी रखा :

| परियोजना का नाम | परियोजना संक्षेप में |
|---|---|
| आधार समर्थित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) | दिल्ली में भारत सरकार के कार्यालयों के लिए आधार समर्थित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) |
| सामान्य न्यूनतम फ्रेमवर्क का विकास (सीएमएफ) | सरकारी वेबसाइट के लिए सामान्य न्यूनतम फ्रेमवर्क का विकास (सीएमएफ) |
| निकनेट का सुरक्षा संवर्धन | परियोजनाएं शुरू करना–निकनेट का सुरक्षा संवर्धन |
| सुरक्षा मूल्यांकन अनुसंधान और अन्वेषणात्मक परीक्षण केंद्र स्थापित करना। | अनुदान सहायता के लिए सुरक्षा मूल्यांकन अनुसंधान और अन्वेषणात्मक परीक्षण केंद्र स्थापित करना–नामक परियोजना शुरू करना। |
| साइबर सुरक्षा उत्पाद आश्वासन की सुविधा का प्रचार करना। | अनुदान सहायता के लिए फेज–I हेतु साइबर सुरक्षा उत्पाद आश्वासन की सुविधा का प्रचार करना–नामक परियोजना शुरू करना। |
| भारत में ई–शासन को कार्यान्वित करने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन वेबसाइट | निकसी के माध्यम से भारत (फेज–III) एसटीक्यूसी में ई–शासन को कार्यान्वित करने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन वेबसाइट |

## II. अन्य मुख्य परियोजनाएं

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग और एनआईसी और निकसी | एनआईसी–डीआरडी आईटी अवसंरचना/जनशक्ति प्रस्ताव। |
| 2. | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एनआईसी और निकसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। | एकीकृत आरसीएच रजिस्टर का अनुप्रयोग |
| 3. | परिवहन विभाग, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह सरकार, एनआईसी और निकसी | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सभी मोटर वाहन विभागों कार्यालयों में सारथी सॉफ्टवेयर पर स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए सेवाएं प्रदान करना। |
| 4. | एनआईसी और निकसी के साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर | राजस्थान राज्य में सभी प्रमुख कृषि सहकारी सोसायटियों में सहकारिता कोर बैंकिंग समाधान (सीसीबीएस) को कार्यान्वित करने के लिए। |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | एलएनजेएन राष्ट्रीय अपराधिक और न्यायिक विज्ञान संस्थान, गृह मंत्रालय और एनआईसी और निकसी | न्यायिक अभिरूचि और क्षमता परीक्षण (एफएसीटी) के लिए पंजीकरण प्रणाली को होस्ट करने और उसको विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन। |
| 6. | वास्तुकला परिषद्, एनआईसी और निकसी | राष्ट्रीय वास्तुकला में अभिरूचि परीक्षा (एनएटीए) 2017 के लिए पंजीकरण प्रणाली को होस्ट करने और उसको विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन। |
| 7. | महा इंस्पेक्टर, पंजीकरण और स्टैम्प विभाग, राजस्थान सरकार, एनआईसी और निकसी | पंजीकरण और स्टैम्प विभाग के उप पंजीयक कार्यालय, राजस्थान सरकार में स्टैम्प परियोजना के पंजीकरण कार्य का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए। |
| 8. | अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (एम्स) और एनआईसी और निकसी | अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का रखरखाव और तकनीकी सहायता। |
| 9. | वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार, जम्मू, जिसे इसके पश्चात् (एफडी–जीओजेके) के रूप में देखा गया है और एनआईसी और निकसी | एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) को कार्यान्वित करना। |
| 10. | एनआईसी और निकसी के साथ सिक्किम (एसडीए) सिक्किम सरकार में ई जिला एमएमपी के राष्ट्रव्यापी नामावली के कार्य के लिए करार की शर्तें | सिक्किम, त्रिपुरा, गुजरात, केरल, चंडीगढ़, मेघालय, झारखंड, तमिलनाडु सरकार में ई जिला एमएमपी का राष्ट्रव्यापी नामावली का कार्य। |
| 11. | मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनआईसी और निकसी | परीक्षाओं के लिए पंजीकरण प्रणाली को ऑनलाइन करने के कार्य को विकसित और होस्ट करने हेतु |

## (7) वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु विशेषताएं

| | | **अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018** | **अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017** |
|---|---|---|---|
| (क) प्राप्त की गई नई परियोजनाओं का खंड–वार ब्यौरा | हार्डवेयर मदें | 126 | 670 |
| | सॉफ्टवेयर मदें | 13 | 108 |
| | जनशक्ति | 1547 | 1710 |
| | वेब/सॉफ्टवेयर विकास | 119 | 162 |
| | प्रशिक्षण | NIL | NIL |
| | नेटवर्क | 111 | 382 |
| | सामान्य परियोजनायें | 545 | 382 |
| | अन्य मदें | 423 | 550 |
| | **योग** | **2884** | **3964** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ख) खंडवार जारी किये गये कार्य आदेश | | **अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018** | **अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017** |
| | हार्डवेयर मदें | 1457 | 2209 |
| | सॉफ्टवेयर मदें | 132 | 205 |
| | जनशक्ति | 8107 | 5354 |
| | नेटवर्क व विविध | 1158 | 1802 |
| | **योग** | 10854 | 9570 |
| (ग) जारी किये गये प्रोफार्मा इनवॉयस | **जारी किये गये पी आई की संख्या** | **अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018** | **अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017** |
| | हार्डवेयर | 1002 | 4268 |
| | सॉफ्टवेयर | 31 | 690 |
| | जनशक्ति | 7299 | 7123 |
| | नेटवर्क | 703 | 2451 |
| | विविध | 2035 | 2796 |
| | **योग** | **11070** | **17328** |
| | | **अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018** | **अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017** |
| (घ) प्लवमान निविदाएं | खुली निविदाओं की संख्या | 12 | 26 |
| | सीमित निविदाओं की संख्या | 01 | 08 |
| | महत्वपूर्ण गठबंधनों की संख्या | - | 25 |
| | **योग** | **13** | **59** |

### (8) जनशक्ति :

भारत के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित जनशक्ति संरचना (प्रोफाइल) के अनुसार, निकसी में जनशक्ति की तैनाती एनआईसी से पूरी तरह से उनके पदों सहित अस्थायी आवर्तन करते हुए प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी।

निकसी के कुल स्टाफ की संख्या 31–3–2018 की स्थिति के अनुसार 28 थी।

### (9) कर्मचारियों का ब्यौरा

कम्पनी का कोई भी कर्मचारी कम्पनी नियम, 2014 (नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक) के नियम 5(2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

## (10) निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक (निकसी) धारा 8 कम्पनी है (पूर्व में कम्पनी धारा 25)। निकसी का उद्देश्य आई सी टी सोल्यूशनों/प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है और उसका लाभ, यदि कोई है, को लागू करना या अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने में अन्य आय दर्शाना और अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश का भुगतान करने के लिए निषेद्ध है।

बोर्ड ने अपनी दिनांक 26 दिसम्बर 2016 को आयोजित 99वीं बैठक में सीएसआर कमेटी को गठित किया जिसमें निकसी के निम्नलिखित सदस्य शामिल हैंः

| क्र.सं. | नाम व पदनाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री आर के सुधांशु, भारतीय प्रशासनिक सेवा, संयुक्त सचिव एमईआईटीवाई | अध्यक्ष |
| 2. | श्री एस एस गहलोत, उपमहानिदेशक, एन आई सी | सदस्य |
| 3. | श्री डी सी मिश्रा, उपमहानिदेशक, एन आई सी | सदस्य |
| 4. | डॉ.(श्रीमती) रंजना नागपाल, प्रबंध निदेशक निकसी और उपमहानिदेशक, एन आई सी | सदस्य |

सी एस आर समिति की संदर्भ शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगेः

- बोर्ड की सीएसआर नीति बनाने के लिए सिफारिश करना और उसे निर्मित करना, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निकसी द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाया जायेगा।
- कंपनी द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली व्यय राशि की समीक्षा करना और उसकी सिफारिश करना।
- कंपनी की सीएसआर नीति की समय–समय पर निगरानी करना।
- निदेशक मंडल का अनुमोदन लेने के पश्चात कोई अन्य मामला जोकि सी एस आर समिति उपयुक्त समझे अथवा निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर निदेशित किया जाये।

सीएसआर कमेटी की बैठक के लिए कोरम में उसकी कुल संख्या का एक तिहाई होगा(एक तिहाई के आंशिक भाग को पूर्णांकित करके एक माना जाएगा) अथवा दो सदस्य होंगे, जो भी ज्यादा हो।

निकसी के कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

बोर्ड ने दिनांक 8 सितंबर 2017 को आयोजित अपनी 102वीं बैठक में सीएसआर समिति को पुनः गठित किया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं।

| क्र.सं. | नाम व पदनाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव एमईआईटीवाई | अध्यक्ष |
| 2. | श्री संजय सिंह गहलौत, उपमहानिदेशक, एन आई सी | सदस्य |
| 3. | श्री डी सी मिश्रा, उपमहानिदेशक, एन आई सी | सदस्य |
| 4. | डॉ.(श्रीमती) रंजना नागपाल, उपमहानिदेशक, एन आई सी | सदस्य |

बोर्ड ने दिनांक 22 दिसंबर 2017 को आयोजित अपनी 104वीं बैठक में अवगत कराया कि सीएसआर समिति ने दिनांक 04.12.2017 को आयोजित अपनी पहली बैठक में यह सिफारिश की कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सीएसआर

गतिविधियों पर और निकसी की सीएसआर नीतियों पर 1.98 करोड़ रूपये का व्यय किया जाये। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए विस्तृत सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निकसी की सीएस आर नीति तथा सीएसआर गतिविधियों पर 1.98 करोड रू. की व्यय राशि के लिए अनुमोदन दिया।

बोर्ड ने दिनांक 26.03.2018 को आयोजित अपनी 105वीं बैठक में अवगत कराया कि सीएसआर समिति ने दिनांक 23.03.2018 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार किया जिसमें से प्रस्ताव 1 और 2 हर पहलू से पूरे नहीं है, तथापि सीएसआर समिति ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की और सिफारिश की कि निकसी वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सीएसआर गतिविधियों के भाग के रूप में "स्वच्छ भारत कोष" के लिए 48.50 लाख रूपये की राशि का अंशदान करेगी।

बोर्ड ने विचार विमर्शों के पश्चात् और उपर्युक्त पर विस्तार से चर्चा करने के बाद निम्नलिखित सुझाव दिये –

**प्रस्ताव 1 और 2 :** चूंकि प्रस्ताव 1 और 2 हर दृष्टि से पूरे नहीं थे इसलिए यह सलाह दी गई कि आगामी बोर्ड की बैठक में सीएसआर समिति के माध्यम से हर दृष्टि से उपयुक्त पूरे प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाये।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने चर्चा और विचार विमर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित को अनुमोदित किया।

**प्रस्ताव 3 :**

निकसी वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सीएसआर गतिविधियों के भाग के रूप में "स्वच्छ भारत कोष" के लिए 48.50 लाख रूपये का अंशदान करेगी।

निकसी की सीएसआर नीति के अनुसार, "किसी विशेष वर्ष की कोई इस्तेमाल न की गई सीएसआर आवंटन निधि को अगले वित्तीय वर्ष में आगे ले जाया जायेगा।"

## (11) निगमित शासन

निगमित शासन एक नैतिक दृष्टि से संचालित व्यापार प्रकिया है जोकि संगठन के ब्रांड और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसे नैतिक व्यावसायिक निर्णय लेकर और मूल्यों के लिए एक निश्चित प्रतिबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाता है। निकसी में, यह जरुरी है कि हमारी कम्पनी के मामले निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रबंधित हों। यह हमारे पणधारियों का विश्वास बनाये रखने और लाभ के लिए महत्वपूर्ण है।

### (i) वित्तीय वर्ष 2017–18 में संयोजित बोर्ड की बैठकों और वार्षिक सामान्य बैठकों की संख्या

| क्र.सं0 | वित्तीय वर्ष 2017–18 | तारीख | स्थान |
|---|---|---|---|
| 1. | 101वीं | 22.06.2017 | इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 |
| 2. | असाधारण सामान्य बैठक | 09.08.2017 | राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र, ए– ब्लॉक सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 |
| 3. | 102वीं | 08.09.2017 | इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | 103वीं | 29.09.2017 | इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 |
| 5. | 22वीं वार्षिक सामान्य बैठक | 29.09.2017 | इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 |
| 6. | स्थगित 22वीं वार्षिक सामान्य बैठक | 30.11.2017 | इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 |
| 7. | 104वीं | 22.12.2017 | इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 |
| 8. | असाधारण सामान्य बैठक | 28.02.2018 | राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र, ए– ब्लॉक सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 |
| 9. | 105वीं | 26.03.2018 | इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 |

## 12. लेखा–परीक्षा समिति

कंपनी सम्पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण, उससे यह अपेक्षा नहीं की गयी कि वह कंपनी ( बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियों) नियमावली 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अधीन लेखा – परीक्षा समिति गठित करे। तथापि, निदेशक मंडल ने दिनांक 26 दिसंबर 2016 को आयोजित अपनी 99वीं बैठक में बेहतर शासन पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी कि लेखा – परीक्षा समिति गठित की जाये, जिसमें निम्निलिखित सदस्य शामिल होंगे :

1. श्री आर के सुधांशु, भारतीय प्रशासनिक सेवा, संयुक्त सचिव एमईआईटीवाई — अध्यक्ष
2. श्री एस एस गहलोत, उपमहानिदेशक, एन आई सी — सदस्य
3. श्री विष्णु चन्द्र, उपमहानिदेशक और अपर वित्तीय सलाहकार, एनआईसी और वित्तीय सलाहकार, निकसी — सदस्य

लेखा परीक्षा समिति निकसी के वित्तीय और लेखा परीक्षा मामलों की समीक्षा करने के लिए यह सुनिश्चित करती है कि निकसी निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुसरण करती है; और

निकसी के कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

इसके पश्चात्, बोर्ड ने दिनांक 29 सितम्बर 2017 को आयोजित अपनी 103वीं बैठक में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के संबंध में लेखा समिति को पुनः गठित किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं जो निकसी के वित्तीय और लेखा परीक्षा मामलों की समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निकसी निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन करती हैः

1. सुश्री अनुराधा मित्रा, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, एमईआईटीवाई – अध्यक्ष
2. श्री संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव, एमईआईटीवाई – सदस्य
3. श्री संजय सिंह गहलौत, उपमहानिदेशक, एनआईसी – सदस्य
4. श्री विष्णु चन्द्रा, उपमहानिदेशक और अपर वित्तीय सलाहकार, एनआईसी – सदस्य

निकसी के कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

### (13) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी को कंपनीज (निदेशकों की नियुक्ति तथा अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 4 तथा धारा 149 (4) के अधीन स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कोई घोषणा प्राप्त नहीं की गयी ।

### (14) निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति जिसमें धारा 178 की उप धारा (3) के अंतर्गत निदेशक की स्वतंत्रता सकारात्मक गुण, अर्हता निर्धारण हेतु मानदंड सहित अन्य मामले शामिल है

कंपनी को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट कंपनी होने के नाते कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 178 (5) के अंतर्गत पणधारी रिलेशनशिप समिति तथा कंपनीज (बोर्ड की बैठकें तथा इसकी शक्तियों) की नियमावली 2014 के नियम 6 तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) के अंतर्गत नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

### (15) फार्म एम जी टी – 9 में वार्षिक रिटर्न का हवाला

कंपनीज (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसरण में फार्म एम जी टी 9 अर्थात वार्षिक रिटर्न का हवाला अनुबंध में प्रस्तुत किया जाता है ।

### (16) सामग्री परिवर्तन तथा बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख तथा वित्त वर्ष के अंत के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली प्रतिबद्धताएं

कोई भी सामग्री परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हो, नहीं हैं, जो रिपोर्ट की तारीख तथा वित्तीय विवरणों से संबंधित कंपनी के वित्त वर्ष के अंत के बीच में हुई हो, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हो ।

### (17) व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है ।

### (18) भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के लिए वार्षिक लेखा

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक लेखाओं को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया है। इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 11 सितम्बर 2017 को एक प्रमाणपत्र मैसर्स के एम जी एस एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, बेसमेंट, 18 नेशनल पार्क, लाजपत नगर– IV, नई दिल्ली–110024 से प्राप्त भी किया गया है।

### (19) ऊर्जा, तकनीकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का संरक्षण

ऊर्जा व तकनीकी अवशोषण के संरक्षण पर सूचना शून्य है । वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उपार्जन शून्य था तथा कंपनी का बाहय (वनजहव) खर्च 31.23 लाख रुपये (प्रोदभूत आधार पर) था ।

## (20) कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को किसी भी ऋण/दी गयी गारंटी/किये गये निवेश के लिए कोई भी अग्रिम राशि नहीं दी गयी है ।

## (21) पार्टी से संबंधित लेनदेन

### कंपनीज (लेखा) नियमावली, 2014 के फार्म एओसी–2 में धारा 188 की उपधारा (I) में सभी संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध अथवा व्यवस्था के विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के लेन–देन अव्यवहारिक आधार पर थे तथा व्यापार के सामान्य अवधि में हुए थे ।

कंपनीज (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के नियम तथा अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ज) के अनुपालन में :

1. अनुबंध अथवा प्रबंधन अथवा लेन–देन के विवरण जो अव्यवहारिक आधार पर नहीं थे : शून्य
2. सामग्री अनुबंध अथवा प्रबंधन अथवा लेन–देन के विवरण, जो अव्यवहारिक आधार पर थे : शून्य

## (22) भविष्य में कंपनी के परिचालन तथा चालू संबंधित स्थिति को प्रभावित करने वाले विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण सामग्री के आदेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भविष्य में कंपनी के परिचालन तथा चालू संबंधित स्थिति को प्रभावित करने वाले विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा पारित ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री के कोई आदेश नहीं हैं ।

## (23) सहायक कंपनी

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है ।

## (24) लेखा परीक्षक

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की लेखा–परीक्षा करने के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स गोयल गर्ग एंड कम्पनी, सनदी लेखाकार, 18 भू–तल, राष्ट्रीय पार्क, लाजपत नगर – IV नई दिल्ली – 110024 की नियुक्ति की गयी।

## (25) निदेशकों के उत्तरदायित्व से संबंधित विवरण :

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3)(ग) के अधीन अपेक्षा के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल ने एतद्वारा निम्नलिखित का उल्लेख किया है :

क) कि वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय, सामग्री रवानगी से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण देते हुए लागू लेखा विधि मानकों का अनुसरण किया गया था।

ख) कि निदेशकों ने ऐसे लेखा नीतियों का चयन किया था और उनको अनवरत रूप से लागू करते हुए और अधिनिर्णय देते हुए प्राक्कलन प्रस्तुत किया जो उपयुक्त और विवेकपूर्ण था, जिससे कि उस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ तथा हानि तथा वित्तीय वर्ष की समापति पर कम्पनी की कार्य स्थिति के बारे में सही और उचित विचार प्रस्तुत किए जा सकें।

ग) कि कम्पनी की परिसंपततियों की सुरक्षा करने तथा धोखेबाजी को रोकने व उसका पता लगाने तथा अन्य अनियमितताओं को दूर करने तथा उससे बचाव करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखा–विधि रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित व पर्याप्त ध्यान दिया था।

घ) कि निदेशकों ने एक कार्यरत संस्था के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया।

ङ) निदेशकों द्वारा कंपनी द्वारा अनुपालन किये जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया गया था तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

च) निदेशकों द्वारा सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियॉ तैयार की गयीं थीं तथा ऐसी प्रणालियॉ पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

## (26) आभार–पूर्ति

बोर्ड ने केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा कम्पनी को सहयोग, सहायता व मार्गदर्शन देने के लिए आभार व्यक्त किया है। निदेशक भी भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक तथा लेखापरीक्षकों द्वारा उनका महत्वपूर्ण सहयोग देने के लिए उनके आभारी हैं। बोर्ड ने सदस्यों, बैकरों तथा ग्राहकों को उनके सतत सहयोग देने के लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। बोर्ड ने भी कम्पनी के सभी स्टाफ व कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के लिए हार्दिक धन्यवाद भी व्यक्त किया है।

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के**
**निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से**

**ह0/–**
**अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 सितम्बर, 2018

## फार्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न के उद्धरण
31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन)
नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

### I. पंजीकरण और अन्य विवरण

| | | |
|---|---|---|
| i) | सीआईएन | यू74899डीएल1995एनपीएल072045 |
| ii) | पंजीकरण की तारीख | 29.08.1995 |
| iii) | कंपनी का नाम | नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकोर्पोरेटिड |
| iv) | कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी | राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन प्राइवेट लिमिटेड धारा 8 (भूतपूर्व धारा 25) कंपनी |
| v) | पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण | हॉल सं. 2 और 3, 6वां तल, एनबीसीसी टावर, 15,<br>भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066<br>फोन : 91–11–26105054, 26105193<br>फैक्स : 91–11–26105212 |
| vi) | क्या कंपनी सूचीबद्ध है – हां/नहीं | नहीं |
| vii) | रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता और संपर्क विवरण | शून्य |

### II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

सभी व्यवसाय संबंधी गतिविधियों जिनमें कंपनी की कुल बिक्री की 10% अथवा उससे अधिक राशि का अंशदान लगा हो, बताया जायेगा। :

| क्र.सं. | मुख्य उत्पाद/सेवाओं के नाम और विवरण | उत्पाद/सेवाओं के एन आई सी कोड | कंपनी के कुल बिक्री का % |
|---|---|---|---|
| 1 | आईसीटी सॉल्यूशन – हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर | | 30.52 |
| 2 | जनशक्ति, नेटवर्क और अन्य | | 69.48 |

### III. होल्डिंग, सहायक और संबद्ध कंपनियों के विवरण

| क्र.सं. | कंपनी का नाम व पता | सीआईएन/जीएलएन | होल्डिंग/सहायक/संबद्ध | धारित शेयर का प्रतिशत | लागू धारा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शून्य | | | | |

## IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

### (i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की संख्या | | | | वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के दौरान % में परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीमेट | प्रत्यक्ष | योग | कुल शेयर का % | डीमेट | प्रत्यक्ष | योग | कुल शेयर का % | |
| **क. प्रवर्तक** | | | | | | | | | |
| (1) भारतीय | | | | | | | | | |
| (क)संबद्ध व्यक्ति/एचयूएफ | | | | | | | | | |
| **(ख)केंद्रीय सरकार** | शून्य | 200000 | 200000 | 100 | शून्य | 200000 | 200000 | 100 | शून्य |
| (ग)राज्य सरकार (सरकारें) | | | | | | | | | |
| (घ)निकाय निगम | | | | | | | | | |
| (ड़)बैंक/वित्तीय संस्थान | | | | | | | | | |
| (च)कोई अन्य | | | | | | | | | |
| **उप–योग (ए) (1)** | | | | | | | | | |
| (2)विदेश | | | | | | | | | |
| (क)एनआरआई–संबद्ध व्यक्ति | | | | | | | | | |
| (ख)अन्य संबद्ध व्यक्ति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ग)निकाय निगम | | | | | | | | | |
| (घ)बैंक/वित्तीय संस्थान | | | | | | | | | |
| (ड़)कोई अन्य | | | | | | | | | |
| **उप–योग (ए) (2)** | | | | | | | | | |
| **प्रवर्तकों की कुल शेयर होल्डिंग (ए) = (ए)(1)+(ए)(2)** | शून्य | 200000 | 200000 | 100 | शून्य | 200000 | 200000 | 100 | शून्य |
| **ख. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग** | लागू नहीं | | | | | | | | |
| **1. संस्थान** | | | | | | | | | |
| क) म्यूचुअल फंड | | | | | | | | | |
| ख) बैंक/वित्तीय संस्थान | | | | | | | | | |
| ग) केंद्रीय सरकार | | | | | | | | | |
| घ) राज्य सरकार (सरकारें) | | | | | | | | | |
| ड़) उद्यम पूंजी निधि | | | | | | | | | |
| च) बीमा कंपनियां | | | | | | | | | |
| छ) एफआईआई | | | | | | | | | |
| ज)विदेशी उद्यम पूंजी निधि | | | | | | | | | |
| झ) अन्य (विशेष रूप से उल्लेख करें) | | | | | | | | | |
| **उप–योग (बी)(1)** | लागू नहीं | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. गैर–संस्थान**<br>क) निकाय निगम<br>i) भारतीय<br>ii) विदेशी<br>ख) संबद्ध व्यक्ति<br>i) संबद्ध शेयर होल्डर जिसके पास 1 लाख रुपये तक की नाममात्र शेयर पूंजी है।<br>ii) संबद्ध शेयर होल्डर जिसके पास 1 लाख से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी है।<br>ग) अन्य (विशेष रूप से उल्लेख करें)<br>**उप–योग (बी) (2)** | लागू नहीं | | | | | | | | |
| **कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)** | लागू नहीं | | | | | | | | |
| **सी) जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर** | लागू नहीं | | | | | | | | |
| **सकल योग (ए+बी+सी)** | शून्य | 200000 | 200000 | 100 | शून्य | 200000 | 200000 | 100 | शून्य |

## (ii) प्रवर्तकों की शेयर होल्डिंग

| क्र.सं. | शेयर होल्डर का नाम | वर्ष के शुरू में शेयर होल्डिंग | | | वर्ष की समाप्ति पर शेयर होल्डिंग | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों का ऋणभार/ बंधक शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों का ऋणभार/ बंधक शेयरों का % | वर्ष के दौरान धारित शेयर होल्डिंग में परिवर्तन का % |
| 1 | एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति | 200000 | 100 | शून्य | 200000 | 100 | शून्य | शून्य |
| | **योग** | **200000** | **100** | **शून्य** | **200000** | **100** | **शून्य** | **शून्य** |

## (iii) प्रवर्तकों की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें, यदि कोई परिवर्तन है)

| क्र.सं. | | वर्ष के शुरू में शेयरहोल्डिंग | | वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 2 | वर्ष के शुरू में | कोई परिवर्तन नहीं | | | |
| 3 | वर्ष के दौरान धारित प्रवर्तक शेयर होल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी, तथा वृद्धि और कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि) का उल्लेख करें। | | | | |
| 4 | वर्ष की समाप्ति पर | | | | |

**(iv) सबसे ऊपर के दस शेयर होल्डरों (निदेशक, प्रवर्तक और जीडीआर और एडीआर के होल्डरों के अलावा) के शेयर होल्डिंग पैटर्नः**

| क्र.सं. | | वर्ष के शुरू में शेयरहोल्डिंग | | वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **सबसे ऊपर के दस शेयरधारकों के प्रत्येक के लिए** | **शेयरों की संख्या** | **कंपनी के कुल शेयरों का %** | **शेयरों की संख्या** | **कंपनी के कुल शेयरों का %** |
| | वर्ष के शुरू में | लागू नहीं | | | |
| | वर्ष के दौरान धारित शेयर होल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि और कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) का उल्लेख करें। | | | | |
| | वर्ष की समाप्ति पर (अथवा अलग होने की तारीख को, यदि वर्ष के दौरान अलग किया गया है) | | | | |

**(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर होल्डिंगः**

| क्र.सं. | | वर्ष के शुरू में शेयरहोल्डिंग | | वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग | |
|---|---|---|---|---|---|
| | केएमपी और प्रत्येक निदेशकों के के लिए | **शेयरों की संख्या** | **कंपनी के कुल शेयरों का %** | **शेयरों की संख्या** | **कंपनी के कुल शेयरों का %** |
| | वर्ष के शुरू में | शून्य | | | |
| | वर्ष के दौरान धारित शेयर होल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि और कमी के कारणों (अर्थात आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) का उल्लेख करें। | | | | |
| | वर्ष की समाप्ति पर | | | | |

**V. कंपनी का ऋणभार जिसमें बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परंतु जो भुगतान हेतु देय नहीं है, शामिल है।**

| | **प्रतिभूत ऋण जिसमें जमा राशि शामिल नहीं है** | **अप्रतिभूत ऋण** | **जमा राशि** | **कुल ऋणभार** |
|---|---|---|---|---|
| **एएसक्यू वित्तीय वर्ष के शुरू में ऋण भार**<br>i) मूल राशि<br>ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज<br>iii) प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज | लागू नहीं | | | |
| **योग (i+ii+iii)** | | | | |
| **वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभार में परिवर्तन**<br>- - आवर्धन<br>- - कटौती | | | | |
| **निवल परिवर्तन** | | | | |
| **वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणभार**<br>i) मूल राशि<br>ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज<br>iii) प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज | | | | |
| **योग (i+ii+iii)** | | | | |

## VI. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

### क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम | कुल राशि |
|---|---|---|---|
| | | **(i) श्री मनोज कुमार मिश्रा 01.04.2017 से 31.03.2018 और (ii) श्री मनोज कुमार मिश्रा (15.02.2017 से 31.03.2017 )** | **(i) 34.74 लाख रूपये प्रति वर्ष (ii) 3.97 लाख रुपये पूर्व वर्ष** |
| 1 | **सकल वेतन** (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ | निकसी को भारत सरकार द्वारा रा.सू.वि. केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से प्राइवेट लिमिटेड धारा 25 कंपनी (अब धारा 8 कंपनी) के रूप में संवर्धित किया गया है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 59 (1) के अनुसार प्रबंध निदेशक को भारत के राष्ट्रपति की ओर से एनआईसी के उपयुक्त अधिकारी की तैनाती करके महानिदेशक एनआईसी के द्वारा नियुक्त किया जायेगा। कंपनी के श्री मनोज कुमार मिश्रा प्रबंध निदेशक को (01–04–2017 से 31–03–2018) तक वित्तिय वर्ष 2017–18 के लिए दिए जाने वाला प्रबंधिकीय पारिश्रमिक केवल 34.74 लाख रू (पूर्व वर्ष 3.97 लाख रू) था | |
| 2 | स्टॉक विकल्प | लागू नहीं | |
| 3 | स्वीट इक्विटी | | |
| 4 | कमीशन – लाभ के % के अनुसार – अन्य, विशेष रूप से उल्लेख करें। | | |
| 5 | अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें कुल (ए) अधिनियम के अनुसार कुल सीमा | | |
| | योग (ए) | | |
| | अधिनियम के अनुसार कुल सीमा | | |

### ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

| क्र.सं. | परिश्रमिक का विवरण | निदेशकों का नाम | | कुल राशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ------- | ------- | ------- | ------- |
| | 3. स्वतंत्र निदेशक • • बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क ....कमीशन ....अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें। | लागू नहीं | | | |
| | **योग (1)** | | | | |
| | 4. अन्य गैर कार्यकारी निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क • • कमीशन • • अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें। | | | | |
| | **योग (2)** | | | | |
| | **योग (B)=(1+2)** | | | | |
| | **कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक** | | | | |
| | **अधिनियम के अनुसार सम्पूर्ण कुल सीमा** | | | | |

## ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

| क्र.सं. | परिश्रमिक का विवरण | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सीईओ | कंपनी सचिव | सीएफओ | योग |
| 1 | सकल वेतन<br>(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वेतन<br>(ख)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में परिलब्धियों का मूल्य<br>(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ | कंपनी के कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए दिये जाने वाले पारिश्रमिक 9,17,000/– रू. है। | | लागू नहीं | 9,17,000/–रू. |
| 2 | स्टॉक विकल्प | लागू नहीं | | | |
| 3 | स्वीट इक्विटी | | | | |
| 4 | कमीशन<br>– लाभ के % के अनुसार<br>– अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें। | | | | |
| 5 | अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें। | | | | |
| | **योग** | | | | **9,17,000/–रू.** |

## VII. जुर्माना/दंड/अपराध करना

| प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | जुर्माना/दंड/लगाये गये शुल्क के विवरण | प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट] | दायर की गई अपील, यदि कोई है। (विवरण दें) |
|---|---|---|---|---|---|
| जुर्माना | शून्य | | | | |
| दंड | | | | | |
| अपराध | | | | | |
| **ख. चूक करने वाले अन्य अधिकारी** | | | | | |
| जुर्माना | शून्य | | | | |
| दंड | | | | | |
| अपराध | | | | | |

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के**
**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

**ह0/–**
**अध्यक्ष**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक : 26 सितंबर, 2018**

# नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विर्सिज इंकोरपोरेटिड (निकसी)

## वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

### वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निकसी के लेखाओं पर मैसर्स गोयल गर्ग एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों से प्राप्त

### दिनांक 26–09–2018 की सांविधिक लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में दी गई मदों के उत्तर

| | लेखा परीक्षा अवलोकन | निकसी के उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | अनुदान सहायता के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 47 और 53 देखें। | |
| | (क) एन के एन परियोजनाओं के अलेखा परीक्षित लेखाओं को कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है । | मैसर्स गोयल गर्ग एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए जी आई ए परियोजनाओं के खातों की लेखा परीक्षा करने के लिए निकसी द्वारा कार्य दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में निकसी के साथ 17 जी आई ए परियोजनाओं में से, 16 जी आई ए परियोजनाओं की लेखा परीक्षा का कार्य पूरा हो गया है। फर्म एन के एन परियोजनाओं की लेखा परीक्षा भी शुरू करेगी, जो 2010–11 और उसके आगे के वर्षो तक देय है। |
| | (ख) चालू वर्ष के दौरान, गारंटीकर्त्ता संस्थान द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तो के अनुसार अनुदान सहायता परियोजनाओं की इस्तेमाल न की गयी निधियों पर उपार्जित वास्तविक ब्याज राशि के बदले प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये सावधी जमां खाते (पूर्व वर्ष बचत बैंक खाता) पर ब्याज दर के अनुसार वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज आय में से अनुदान सहायता परियोजनाओं पर आने वाली 777.72 लाख रुपये की राशि (पूर्व वर्ष 499.10लाख रुपये) को कम किया गया है। पूर्व वर्षों पर उसके प्रभाव को कार्यान्वित नहीं किया गया है और उसकी राशि का पता नहीं है। पूर्व वर्षो पर उस के प्रभाव को कार्यान्वित नही किया गया है और उसकी राशि का पता नही है।<br><br>पूर्व वर्ष की ब्याज भुगतान राशि पर उसके प्रभाव की गणना नहीं की गई है। | निकसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 28–03–2017 को आयोजित अपनी 100 वीं बैठक में "वास्तविक आधार" पर अनुदान सहायता परियोजनाओं पर प्राप्त ब्याज राशि की वापसी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। तदनुसार चालू वर्ष के दौरान निकसी ने वर्ष के दौरान समय–समय पर सावधि जमा राशियों पर लागू बैकं द्वारा सूचित की गई ब्याज दरों के अनुसार जी आई ए परियोजनाओं पर ब्याज प्रदान किया है। पूर्व वर्षो के लिए ब्याज के अंतर राशि को वापिस लेने के लिए कार्रवाई चल रही है । |
| | (ग) वित्तीय वर्ष 2014–15 तक, कंपनी ने अनुदान सहायता परियोजनाओं में प्रदान किये गये बिक्री कर पर विचार किये बिना अनुदान सहायता परियोजनाओं की खर्च न की गई राशि पर ब्याज का भुगतान किया। वित्तीय वर्ष 2015–16 से कंपनी ने अपनी गणना की पद्धति में परिवर्तन किया है और ब्याज की गणना करते समय अनुदान सहायता परियोजनाओं में भुगतान किये गये बिक्री कर पर विचार किया है।<br><br>पूर्व वर्ष की ब्याज भुगतान राशि पर उसके प्रभाव की गणना नहीं कि गई है | वित्तीय वर्ष 2015–16 और उसके आगे से, अग्रिम राशियों पर प्रदत्त सेवा कर को निवल इस्तेमाल न की गई राशि पर प्रदत्त व्यय और ब्याज (अर्थात प्राप्त अग्रिम राशि में से प्रदत्त सेवा कर घटाकर) के रूप में माना गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक निकसी ने ब्याज की गणना करतें समय प्राप्त अग्रिम राशि में से प्रदत्त सेवा कर की राशि की कटौती नहीं की, इसलिए प्रयोक्ताओं/ग्राहकों को बिल प्रस्तुत करते समय प्रदत्त सेवा कर का समायोजन किया गया ।<br><br>इस प्रकार निकसी ने गारंटीकर्ता विभागों को वित्तीय वर्ष 2014–15 तक ब्याज राशि के संबंध में कुछ अधिक राशि की वापसी की है। ब्याज |

| | | |
|---|---|---|
| | वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पूर्ववर्ती पैरा के संदर्भ में मामले के संपूर्ण प्रभाव का पता नहीं है और वह अनिश्चित है। | राशि की गणना को परिशोधित करने के लिए कार्रवाई चल रही है और निकसी द्वारा उपर्युकत (ख) के अनुसार प्रदत्त की जाने वाली अतिरिक्त ब्याज राशि में से समायोजन किया जायेगा। तथापि इन अधिकांश जी आई ए परियोजनाओं को पहले ही पूरा किया गया है और उनके खातों को बन्द कर दिया गया है । |
| 2. | परिचालन सीमांत राशि की पहचान करने के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 46 और 49 देखें। | |
| | (i) एमईआईटीवाई और निकसी के बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी अपनी आंतरिक परियोजना के संबंध में प्राप्ति पर एनआईसी से कोई परिचालन सीमांत राशि वसूल नहीं कर रही है। | यह सचिव, एम ई आई टी वाई की दिनांक 26–05–2014 को एन आई सी और निकसी के बीच स्पष्टता भूमिका के संबंध में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय और उसके संबंध में एन आई सी द्वारा दिनांक 18–06–2014 की संख्या जी – 30012/02/2014/आई एफ एस द्वारा जारी परिपत्र के संदर्भ में है। तत्पश्चात इसे निकसी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 25–07–2014 को आयोजित उनकी 87 वीं बैठक में परिशोधित भी किया गया। |
| | (ii) कंपनी परियोजना की लागत पर ध्यान दिये बिना डिजीटल हस्ताक्षर परियोजना पर 5% की दर से एकरुप परिचालन सीमांत राशि ले रही है। | वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 49 के अनुसार वर्ष के दौरान इसकी पहचान की गई है। तथापि इसके संबंध में निकसी द्वारा विक्रेताओं की नामिकाबद्धता को सितम्बर 2017 तक ही प्रस्तुत किया गया और तत्पश्चात ऐसी किसी परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है । |
| | (iii) परिचालन से प्राप्त राजस्व राशि में एनकेएन परियोजनाओँ पर खर्च किये गये व्यय के प्रशासनिक प्रभारों के रूप में पहचान की गई 1% की दर से आय शामिल है। इस पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का अनुमोदन मिलने पर कार्रवाई की जायेगी।<br><br>विवरण और प्रलेखन न होने के कारण, वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पूर्ववर्ती पैरा में दिये गये मामले का संपूर्ण प्रभाव का पता नहीं है और वह अनिश्चित है। | एन के एन उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 19–07–2011 को आयोजित अपनी 11वीं बैठक में निकसी को 1% की दर से प्रशासनिक प्रभारों की सैद्धांतिक स्वीकृति भी इस दृष्टि से प्रदान की कि एन आई सी एतद्वारा सीसीआई द्वारा संपूर्ण अनुमोदन के भीतर आई एफ डी, एम ई आई टी वाई द्वारा इस संबंध में जांच किये जाने वाले प्रस्तावो को भेजेगा। एन आई सी ने तदनुसार आई एफ डी, एम ई आई टी वाई को परीक्षा और सहमति हेतु प्रस्ताव भेजे हैं। अभी यह प्रक्रिया चल रही है। प्रस्ताव पर आगे अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। तथापि निकसी के निदेशक मंडल ने 24–09–2010 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में परियोजनाओं के संबंध में 1% की दर से प्रशासनिक प्रभारों का वसूल करने के लिए अनुमोदन दिया और निकसी तदनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 से इस कार्य को कर रही है । |
| 3. | "पंचायतों की परिसम्पत्ति मापन" के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की परियोजना के बारे में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 62 देखें जिसकी कुल लागत 3238.99/–लाख रू. है। प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार निकसी की परिचालन सीमांत राशि 100.00 लाख रू. नियत की गई है। तथापि निकसी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन सीमांत राशि की दर के अनुसार वर्ष के दौरान परियोजना हेतु खर्च की गई व्यय राशि की 7% की दर पर अपनी आय प्रस्तुत की है। एमईआईटीवाई से फीडबैक प्राप्त नहीं हुये हैं । | निकसी ने दिनांक 10.09.2015 के पत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस मामले को प्रस्तुत किया जिससे कि प्रशासनिक अनुमोदन की सीमा तक उसमें संशोधन किया जा सके कि निकसी अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार इस परियोजना में 7% की दर से अपनी परिचालन सीमांत राशि वसूल करेगी। इस संबंध में निकसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 28.07.2016 और 27–07–2017 को अनुस्मारक भी जारी किया गया है। तथापि इस मामलों में फीडबैक प्राप्त होने है। इसी बीच में, एम ई आई टी वाई में इस परियोजना के लिए परियोजना समीक्षा और स्टिरिंग ग्रुप (पी आर एस जी) ने अपनी दिनांक 20–09–2017 को आयोजित बैठक में यह सिफारिश की कि एम ई आई टी वाई की तरफ से इन परियोजनाओं को पूर्व बंद कर दिया जाये क्योंकि उसका स्वामित्व लेने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भविष्य में उसके कार्यान्वयन कार्य की सहमति दी गई । उपर्युक्त परिस्थितियों में निकसीं |

| | | |
|---|---|---|
| | | एम ई आई टी वाई से इस परियोजना के संबंध में दिनांक 29–03–2015 की संख्या 3(64)/2014–ई जी – 11 के द्वारा वास्तव में ली गई 7% राशि के बदले में प्रशासनिक अनुमोदन में दिये गये प्रावधानों के अनुसार परियोजना में केवल आनुपातिक परिचालन सीमांत राशि को ही कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में लगी हुई है वित्तीय वर्ष 2018–19 में निकसी द्वारा एम ई आई टी वाई को अधिक राशि की वापसी की जायेगी। |
| 4. | हमारे विचार में परियोजना प्रबंधन, बुक कीपिंग, बीजक, प्रापति, भंडार, वस्तु–सूची, अचल संपततियों का प्रत्यक्ष सत्यापन और कंपनी की निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में आंतरिक लेखा–परीक्षा प्रणालियों/आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया उसके प्रचालन संबंधी कार्यों के आकार व प्रकृति के अनुरुप नहीं है । | निकसी के पास शक्तियों का प्रत्यायोजन और निदेशक मंडल से समय–समय पर प्राप्त निदेशों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है। निकसी की सभी गतिविधियों को उसके अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के भीतर पूरा भी किया गया है ।<br><br>इसके अलावा, निकसी निविदा प्रक्रिया के ज़रिये समय–समय पर आंतरिक लेखा–परीक्षक के रूप में सीए फर्म को नामिकाबद्ध कर रही है। सीए फर्म नामिकाबद्ध पत्र में दिये गये "कार्यक्षेत्र" के अनुसार तिमाही आधार पर निकसी के लेखाओं की लेखा परीक्षा भी नियमित रूप से आयोजित कर रही है और रिर्पोटें जारी कर रही है। माल भंडार वस्तुसूची, अचल परिसंपत्तियों, बुक कीपिंग आदि की खरीद के संबंध में उपयुक्त लेखा पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है तथापि इस रिपोर्ट में कमियों पर विशेष रूप से रोशनी नही डाली गई है और यह केवल सामान्य टिप्पणियां है। |
| 5. | भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39 देखें। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशि के लिए ग्राहकों से प्राप्त अनुदान सहायता राशि और व्यापार देय राशि, व्यापार प्रापति योग्य राशि, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि, बयाना जमा राशि, प्रतिभूति जमा राशि और पूर्तिकारों को दी जाने वाली अग्रिम राशि के संबंध में शेष पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। पुष्टियॉ न मिलने के कारण, हम शेष राशि की यथार्थता और उसकी समायोजन क्षमता तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है। | निकसी समय समय पर वर्ष के दौरान तथा प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर प्राप्ति योंग्य व्यापार तथा देय व्यापार के सबंध में सभी प्रयोक्ताओं को शेष पुष्टि पत्र जारी करती है । यह एक नियमित विशेषता है कि निकसी के प्रयोक्ता/ग्राहक सभी सरकारी मंत्रालय/विभाग/संगठनों के हैं, जिन्हें ऐसे पत्र जारी किए गए हैं परन्तु उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। निकसी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ऐसे पत्र भी जारी किए हैं परन्तु अभी भी वही स्थिति बनी हुई है । अन्य अघ्यक्षों के लिए ऐसे पत्रों को जारी करने के लिए भविष्य में कार्रवाई भी की जायेगी। |
| 6. | भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 9 और संख्या 2 (xvii) के संबंध में लेखा नीति देखें। तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों हेतु दीर्घावधि व्यापार प्रापति योग्य राशि के मद्दे 301.43 लाख रुपये की राशि (पूर्व वर्ष 303.28 लाख रुपये) की राशि का प्रावधान किया गया है । शेष पुष्टियॉ और उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण, हम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव, यदि कोई है, और ऐसे प्रावधान की यथार्थता पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है। | इस नीति के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा "अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के संबंध में" प्रावधान किये गये है। निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20.03.2013 को आयोजित अपनी 81 वी बैठक में इस नीति को अनुमोदित किया गया है। इस रिपोर्ट में ऐसे प्रावधानों की पर्याप्तता को निर्दिष्ट नहीं किया गया है और यह और यह एकमात्र सामान्य टिप्पणियाँ है । |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 57 देखें। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में चालू और गैर चालू के अंतर्गत परिसंपततियों और देयताओं का वर्गीकरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गयी ऐसे द्विविभाजन हेतु उचित आधार उपलब्ध न होने के कारण हम ऐसे प्रकटीकरण की यथार्थता पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम हैं। | चालू और गैर चालू के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गीकरण तदनरूपी पीओ में विचारित अनुबंधनात्मक निबंधन व शर्तों तथा सहायक दस्तावेजों के आधार पर किया गया है। और वह भारतीय लेखांकन मानक तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लागू मानदंडों के पूरी तरह सें अनुरूप है। |
| 8. | भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 14 देखें । तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार वसूलनीय कर राशि में वित्तीय वर्ष 1996–97 से 2013–14 के संबंध में 117.70 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 117.70 लाख रूपये) तथा वित्तीय वर्ष 2000–2001 के लिए कार्य संविदा पर स्रोत पर कटौती किये गये कर के 2.34 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 2.34 लाख रूपये) शामिल है। उपर्युक्त वसूलनीय क्षमता के बारे में पर्याप्त दस्तावेज़ न होने तथा उचित कारण का पता न होने के कारण, हम इन शेष राशियों की यथार्थता और मौजूदगी तथा वित्तीय विवरणी पर उसके परिणामात्मकता संबंधी प्रभाव, यदि कोई है पर कोई टिप्पण ी करने में असक्षम है। | कार्य संविदाओं के मामलों पर दीर्घ अवधि बकाया बिक्री कर मामलों/स्त्रोत पर कटौती किये गये कर को बिक्री कर/वैट विवरणियों के साथ पूरी तरह से समायोजित किया गया है। निकसी ने संबंधित कर प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से कार्रवाई की है। तथापि इस मामले में कर प्राधिकारियों को अभी अंतिम निर्णय लेना है। निकसी इसके आगे संबंधित कर प्राधिकारियों के साथ इस मामले पर कार्रवाई करेगी और यदि आगे इसकी वापसी नहीं की जाती है तो निकसी इसको बट्टे खाते में डालने के लिए इस पर विचार करने हेतु निदेशक मंडल को इस मामले को भेजेगी । |
| 9. | भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 64 देखें। 11,129.73 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 6036.78 लाख रूपये) की चालू कर परिसम्पतियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2014–15 तक स्त्रोत पर कटौती की गयी कर राशि/अग्रिम कर वसूली की कुछ शेष राशियां शामिल हैं। उपर्युक्त की वसूली करने के संबंध में आय कर विभाग से उचित फीडबैक न मिलने के कारण हम इन शेष राशियों की शुद्धता और मौजूदगी तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, यदि कोई है, पर पड़ने वाले परिणामात्मक प्रभाव पर, यदि कोई है, टिप्पणी करने में असमर्थ हैं । | 11,129.73 लाख रुपये की चालू कर परिसंपत्तियों जिसमें स्त्रोत पर कटौती किए गये कर / अग्रिम कर के साथ विधिवत तथा पूरी तरह से सहायक तदनरूपी रिकॉर्ड संलग्न किये गये है। अर्थात् आय की परिकलना तथा आयकर विवरणियों , प्रयोक्ताओं द्वारा कटौती किए गए टीडीएस और वित्तीय विवरण संलग्न है। निकसी इसकी शीघ्र वापसी करने के लिए संबंधित कर प्राधिकारियों के साथ सतत् रूप से कार्रवाई रही है। तथापि 11129,73 लाख रू. की राशि में से 2281.00 लाख रू. की राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 से संबंधित है और वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक की चालू अवधि के लिए 88.48.73 लाख रूपये की राशि संबंधित है । |
| 10. | भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 52 देखें। कंपनी द्वारा वर्ष 2007–2008 से 2015–2016 तक की अवधि के दौरान प्रदत्त/प्रदान की गई परियोजना प्रोत्साहन राशि एमईआईटीवाई/ एन आई सी के अनुमोदन के बिना 301.64 लाख रुपये है। मामले पर अनुमोदन/उसे अंतिम रूप देने तक हम कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है । | मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए यह भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की 2015 की रिपोर्ट संख्या 55 में पैरा संख्या 56 (1) से संबंधित है कि निकसी ने 2007–2008 से 2013–14 तक की अवधि के लिए एन आई सी से प्रतिनियुक्ति पर होने वाले अपने अधिकारियों को 211.00 लाख रूपये की परियोजना प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जिसे सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) के मार्गदर्शी सिद्धांतों में शामिल नहीं किया गया और यह स्वीकार्य नही था ।<br><br>इस मामले पर निकसी में आंतरिक रूप से विचार किया गया और नवंबर 2014 में निकसी द्वारा एन आई सी को निदेशक मंडल के अनुमोदन से इस मामले को उसकी सेवा नियमावली मे परिशोधन के संबंध में भेजा गया। परिशोधन करने से संबंधित मामले एन आई सी/एमईआईटीवाई के पास तब तक विचाराधीन रहेगा और निकसी सतत् रूप से उस पर कार्रवाई कर रही है। |

| | | |
|---|---|---|
| | | उपर्युक्त लेखा अवलोकन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए निकसी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 ओर उसके आगे से परियोजना प्रोत्साहन के संबंध में अपने कर्मचारियों को किसी राशि का भुगतान नही किया है। तथापि वित्तीय वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिए निकसी ने परियोजना प्रोत्साहन के संबंध में क्रमशः 44.84 लाख रू. और 45.80 लाख रूपये का लेखाओं में प्रावधान किया। निकसी की सेवा नियमावली में परिशोधन करने के संबंध में अभी तक सरकारी अनुमोदन न मिलने के कारण वित्तीय वर्ष 2016–17 और उस के आगे से इससे संबंधित लेखाओं में अभी तक कोई प्रावधान नही किया गया है। |
| 11. | भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 54 देखें। कंपनी द्वारा दिनांक 1.7.2007 से 31.3. 2018 तक की अवधि के लिए परिवहन और गृह किराया भत्ता की भुगतान राशि, एमआईईटीवाई के अनुमोदन/ परिशोधन के बिना, प्रदान की गई/प्रदान की जा रही है। मामले पर अनुमोदन मिलने/उसको अंतिम रुप देने तक, हम कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है । | यह मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के 2015 की रिपोर्ट संख्या 55 में पैरा संख्या 5.6 (ii) ओर (iii) से संबंधित है कि निकसी ने जनवरी, 2011 से मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए परिवहन भत्ता (48.87 लाख रू.) का भुगतान किया और केंद्रीय सरकार की दरों से परे मार्च 2010 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए मकान किराया भत्ता (16.58 लाख रूपये) का भुगतान किया है जो कि स्वीकार्य नही है।<br><br>इस मामले पर निकसी में आंतरिक रूप से विचार किया गया और निदेशक मंडल के अनुमोदन से नवंबर 2014 को निकसी द्वारा एन आई सी में उसकी सेवा नियमावली में परिशोधन करने के संबंध में इस मामले को भेजा गया। परिशोधन करने से संबंधित मामले एन आई सी/एम ई आई टी वाई के पास तब तक विचाराधीन रहेगा और निकसी सतत् रूप से उस पर कार्रवाई कर रही है।<br><br>उपर्युक्त लेखा टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए निकसी के निदेशक मंडल ने 29.09.2017 को अपनी 103 वीं बैठक में यह विचार किया और अनुमोदित किया कि निकसी के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता और मकान किराया भत्ता का भुगतान सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार किया जायेगा और इसलिए निकसी जुलाई 2017 और इसके आगे से केंद्रीय सरकार की दरों के अनुसार इन भत्तों का भुगतान कर रही है। |
| 12. | अप्रचलित परिसंपत्तियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 65 देखें। कंपनी द्वारा आयोजित की गई अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान कुछ परिसंपत्तियों की अप्रचलित/कार्य न करने के रूप में पहचान की गई है। उसके प्रभाव को भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में यह नहीं बताया गया है। दस्तावेज तथा विवरण प्राप्त न होने के कारण वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले परिणामात्मक प्रभाव व पता नही है और वह अनिश्चित है। | निकसी मुख्यालय और उसकी यूनिटों में 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार संबंधित समिति द्वारा अप्रैल 2018 और उसके आगे से परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापनं किया गया है। अप्रचलित/अनुपयोज्य मदों के रूप में इसमें पहचान की गई मदों के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इनका निपटान करने के लए कार्रवाई चल रही है और यह कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूरी की जायेगी। |
| 13. | लाइसेंस शुल्क तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों की गणना करने की पद्धति और डीओटी द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस शुल्क के बारे में 65445.02 लाख रुपये की तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों के संबंध में 32383.09 लाख रुपये की मांग के संबंध में टिप्पणी सं. 45 देखें। कंपनी ने वर्ष के दौरान पिछली पद्धति के अनुसार | दिनांक 29.02.2016 के अपने अंतरिम अधिनिर्णय में भारत के माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार यह निर्णय लियाः<br><br>"भारत संघ अपनी समझ के अनुसार मांग उठाना जारी रखेगा। तथापि, इस न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय के प्रतिकूल होने तक उसको लागू नहीं किया जायेगा।" |

| | | |
|---|---|---|
| | डीओटी को लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभारों के लिए भुगतान किया है/ भुगतान प्रदान किया है, क्योंकि भारत के माननीय सुप्रीम न्यायालय में यह मामला लंबित है। परिणामस्वरूप, भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है और वह अनिश्चित है। | उक्त अधिनिर्णय के अनुसार, डीओटी ने अपने दिनांक 10.05.2016 के अर्ध शासकीय पत्र के द्वारा निकसी को यह सूचित किया है कि समय–समय पर जारी किये गये विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांतों/निरीक्षण ों/स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबद्ध लाइसेंस करार की निबंधन व शर्तों के अनुसार निर्धारण किया जाता रहेगा जैसा कि अगले आदेश होने तक किया जा रहा है।<br><br>तदनुसार, निकसी दिनांक 20.11.2009 के करार के अनुसार तथा उससे संबंधित स्पष्टीकरण अनुसार डीओटी के लाइसेंस शुल्क तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों की गणना कर रही है और उसे प्रेषित कर रही है।<br><br>उपर्युक्त के अलावा, निकसी ने वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक की अवधि के लिए स्पैक्ट्रम प्रभारों के संबंध में 323.83 करोड़ रुपये तथा बकाया लाइसेंस फीस के संबंध में लगभग 654.45/– करोड़ रुपये की राशि जमा करने के लिए प्रधान मुख्य नियंत्रक लेखा कार्यालय, दूर संचार विभाग दोनों से दिनांक 09.02.2017 को दो पत्र प्राप्त किये।<br><br>निकसी ने इस मामले पर एमईआईटीवाई के साथ कारवाई शुरू की जिसके आधार पर सचिव एमईआईटीवाई ने दिनांक 14.03.2017 के अर्धशासकीय पत्र के द्वारा सचिव, दूर संचार विभाग को विवरणों की सूचना दी जिससे यह अनुरोध किया गया कि उक्त मांग को परिशोधित किया जाये। सचिव एमईआईटीवाई ने दिनांक 18.09.2017 के अर्ध शासकीय पत्र के द्वारा सचिव, दूरसंचार विभाग के साथ इस मामले पर पुनः कारवाई की है। तथापि, इस मामले में आगे फीडबैक प्राप्त होने हैं।<br><br>इस बीच, निकसी ने दिनांक 31.03.2017 को डीओटी को उक्त लाइसेंस दिया और तत्पश्चात् निकसी की तरफ से इस परियोजना में कोई गतिविधि कार्यान्वित नहीं की गई। |
| 14. | अन्य वित्तीय देयताओं की टिप्पणी संख्या 19 देखें जिसमें 921.36 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 1396.41/– लाख रुपये) बयाना जमा राशि की देयता शामिल है। पर्याप्त और उचित दस्तावेज/ साक्ष्य न मिलने के कारण हम इस राशि की शुद्धता और पूर्णतया पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है । भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले उसके परिणामात्मक प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है और वह अनिश्चित है। | 921.36 लाख रूपये की बयाना जमा राशि के संबंध में वित्तीय देयताएँ निविदा/बोली दस्तावेजों के अनुसार है और यह संबंधित ई एम डी की तदनरूपी बैंकिंग प्राप्तियों के अनुसार है तथापि संबंधित दस्तावेजों से इस स्थिति की जांच की जा रही है क्यों कि इसमें दी गई विभिन्न राशियाँ 1996–97 से और उसके आगे की अवधि से संबंधित है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में सभी दीर्घावधि बकाया राशियों का निपटान किया गया है और यदि 3 वर्षो से अधिक कोई राशि बिना जुडे रह गई है तो उसे कंपनी की आय में लिया जायेगा। |
| 15. | अन्य वित्तीय देयताओं की टिप्पणी संख्या 17 और 19 देखें जिसमें 40.45 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 51.46/– लाख रुपये) देय प्रतिभूति जमा और 921.36 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 1396.41 लाख रूपये) की देय बयाना जमा राशि शामिल है जिसे वित्तीय देयताओं को प्रस्तुत करने के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 2(vii) तथा (viii) के अनुसार उचित मूल्य पर तथा प्रस्तुत लागत पर आँका नहीं गया है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसका परिणामात्मक प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है और वह अनिश्चित है। | वित्तीय देयताएँ जिसमें 40.45 लाख रूपये की देय प्रतिभूति जमा राशि शामिल की गई है और 921.36 लाख रूपये की ई एम डी का उचित मूल्य पर आंकलन किया गया है। क्योंकि किसी लेन–देन के न होने की स्थिति में लागत भारतीय लेखा मानक व अपेक्षाओं के अनुसार राशि को आगे ले जाने के समकक्ष होती है। |

| | | |
|---|---|---|
| 16. | टिप्पणी संख्या 61 का संदर्भ देखें जो कि लेखा पुस्तकों का रखरखाव करने और उसको तैयार करने के लिए 1 जुलाई 2017 से ई आर पी सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित करने से संबंधित है। ई आर पी सॉप्टवेयर को किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा कोई वैधीकरण किये बिना कार्यन्वित किया गया है। पहले तीन माह के लिए ई आर पी प्रणाली में रखरखाव की गई समांतर लेखा प्रणाली टेली लेखा सॉफ्टवेयर के पूरी तरह से अनुरूप नहीं है। वैधीकरण दस्तावेज और विवरण न होने के कारण वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर पडने वाले उसके परिणामात्मक प्रभाव का पता नही है और यह अनिश्चित है । | निकसी ने दिनांक 22.03.2018 को मैसर्स रोल्टा इंडिया लिमिटेड को कार्य आदेश दिया। जिससे कि वह निकसी मे ई आर पी अनुप्रयोगों का रखरखाव, उसकी प्राप्ति, प्रस्तुतीकरण और उसे कार्यान्वित कर सकें । उसको प्रस्तुत करते समय फर्म ने 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार परीक्षण शेष राशि को प्रवासित किया और 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार कुछ बकाया लेन–देन राशि को टेली से ई आर पी में प्रवासित किया ।<br><br>निकसी मे उसके प्राप्ति योग्य राशि को स्वीकार किया। तत्पश्चात् निकसी ने परीक्षण आधार पर ई आर पी को अपनाया और उसकी समांतर प्रतिक्रिया एक से भी अधिक वर्षो तक चल रही थी। क्योंकि इसने संतोष जनक रूप से कार्य किया है निकसी के लेखाओं पर सहमति मिलने के पश्चात्, इसके दिनांक 30.06.2017 से टेली पैकेज पर लेखा कार्य प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद कर दिया और दिनांक 01.07.2017 से नई विकसित की गई ई आर पी को पूरी तरह से अपनाया। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लेखाओं को प्रारंभ में तीन माह के लिए निकसी द्वारा टेली पैकेज में तैयार किया गया है और उसके पश्चात् इसे नये विकसित किये गये ई आर पी में स्थानांतरित किया गया और दिनांक 01.07.2017 से पूरी तरह से केवल ई आर पी में है । निकसी के लेखाओं का रखरखाव करने वाली सीए फर्म द्वारा इसे दिनांक 11.09.2018 के प्रमाणपत्र के द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। इसके साथ ही, निकसी के ई आर पी के अधीन बहुत मॉडलवार वैधीकरण का कार्य किया गया और इनमें से कुछ का नीचे उल्लेख किया गया है।<br><br>ई आर पी ओरेकल विश्वव्यापी रूप से स्वीकृत सॉफ्टवेयर है ।<br><br>प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया के दौरान, निकसी के प्रबंधन ने ई आर पी में विविध वैधीकरण/जाँच को शामिल किया। इन वैधीकरण में से कुछ वैधीकरण की सूची नीचे दी गई है।<br><br>एपी मॉडयूल का वैधीकरण<br><br>(1) किसी बीजक का प्रावधान किये बिना, ई आर पी ऐसे बीजक का भुगतान करने की अनुमति नही देता है।<br><br>(2) ई आर पी से प्राप्त प्रत्येक भुगतान संबंधित परियोजना की संख्या से संबंधित है, जहां से ऐसे भुगतान को तदनरूपी आय के बिल में डेबिट किया जाता है।<br><br>(3) यदि परियोजना के पास डेबिट शेष/नकारात्मक शेष राशि उपलब्ध होती है तो ई आर पी संबंधित परियोजनाओं से भुगतान करने के लिए रोक लगाती है।<br><br>(4) ई आर पी प्रबंधन से उपयुक्त अनुमोदन लिये बिना दिनांकित भुगतान को पुनः लेने की अनुमति नही देता है। |

| | | |
|---|---|---|
| | | ए आर मॉड्यूल का वैधीकरण<br>(1) प्रयोक्ताओं से प्राप्त सभी निधियों को सीधे ही संबंधित परियोजनाओं में क्रेडिट किया जाता है, जिन्हें परियोजना खोलने वाले प्रभाग द्वारा खोला जाता है और ई आर पी द्वारा आवंटित परियोजना संख्या एकमात्र अलग होती है।<br>(2) ई आर पी सदृश परियोजना के अधीन उस अवधि के लिए डुप्लीकेट बिलिंग करने की अनुमति नहीं देता है।<br>(3) यदि पी ओ / कार्य आदेश, परियोजना संख्या और बिलिंग अवधि एक सी होती है, तब ई आर पी ऐसी आय के बिलों की प्रविष्टि करने के लिए रोक लगाता है।<br>जी एल मॉड्यूल का वैधीकरण<br>(1) यदि परियोजना के पास डेबिट शेष / नकारात्मक शेष राशि उपलब्ध होती तो तब निधि के अंतरण को परियोजना खोलने वाले पृष्ठ पर जाने की न तो अनुमति दी जाती है और न ही उसे जीएल मॉड्यूल पर काम करने की अनुमति मिलती है।<br>तथापि, कंपनी बाहरी स्वतंत्र एजेंसियों से उसे वैधीकृत कराने पर समीक्षा करेगी। |
| 17. | कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखा–विधि मानक) नियमावली 2015 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित भारतीय लेखा विधि मानक (भारतीय लेखांकन मानक) का अनुपालन नहीं किया है – | |
| | (i) कंपनी ने भारतीय लेखा मानक–10 रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटित होने वाली घटनाओं और आकस्मिकताओं" की अपेक्षाओं के प्रकटीकरण का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने कुछ परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए तीसरे दल की ओर से सेवा तथा सामग्री प्राप्त की है। हमें दी गयी सूचना के अनुसार, ऐसी व्यय और अर्जन राशि से संबंधित सूचना कई बार समापति तारीख के पश्चात् प्राप्त होती है और भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में उसकी पहचान नहीं की जाती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 66, देखें। जो कि पूर्व अवधि के व्यय / आय के संबंध में है, कंपनी ने पूर्व अवधि के रूप में केवल त्रुटि और चूक को लिया है। | निकसी, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पश्चात् और उस के आधार पर विक्रेताओं से बिल प्राप्त कर रही है। इसलिए 31 मार्च के पश्चात् प्राप्त होने वाले बिलों के लिए खाते में तब तक प्रविष्टियां की जाती हैं जब तक कि उस वर्ष के वित्तीय विवरण बंद न कर दिये जायें । वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय कंपनी ने लागू भारतीय लेखा मानक के सभी प्रावधानों तथा अपेक्षाओं को विधिवत संकलित किया है। इसके अलावा कंपनी ने भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में पूर्व अवधि के रूप में केवल त्रुटि और चूक को ही लिया है तथापि वर्ष के दौरान कोई पूर्ण अवधि नहीं है । |
| | (ii) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पण ी संख्या 2(viii) देखें, कंपनी की नीति के अनुसार बीजक तैयार करते समय माल की बिक्री पर राजस्व की पहचान की जा रही है, जबकि माल की स्वीकृति पर जोखिम और प्रतिफल ग्राहकों को अंतरित किये जाते हैं। यह भारतीय लेखा मानक–18 ''राजस्व की पहचान'' का अनुपालन न करने के कारण हुआ है। | निकसी की नीति के अनुसार निकसी माल की बिक्री के संबंध में बीजक तैयार करते समय राजस्व राशि की पहचान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करते समय और राजस्व मान्यता के आधार पर भारतीय लेखा मानक 18 दवारा वर्णित संकल्पना का मिलान करने के अनुसार कंपनी ने लागू भारतीय लेखा प्रणाली के सभी प्रावधानों और अपेक्षाओं को विधिवत संकलित किया है। |

| | | |
|---|---|---|
| | **उपयुक्त राय**<br>हमारे विचार में और हमारी बेहतर सूचना के अनुसार तथा उपयुक्त पैराग्राफ ''उपयुक्त विचार हेतु आधार'' में वर्णित मामलों के संभव प्रभाव को छोड़कर, हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति के बारे में और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसकी अधिशेष राशि (जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है)तथा उसकी नकदी प्रवाह राशि के बारे में भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और उपर्युक्त विचार प्रदान करते हैं । | |
| | **अन्य मामले**<br>हमारे विचारों में कोई बदलाव किये बिना हम इस तथ्य पर बल देते हैं कि – | |
| | (क) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पण ी संख्या 55 देखें, कंपनी ने कुछ परियोजनाओं की स्थिति में प्रयोक्ता विभागों से प्राप्त की गयी अग्रिम राशियों में से अतिरिक्त व्यय राशि खर्च की है उसने निकसी को 40% अथवा जी एफ आर के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम राशि जारी करने पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 9 देखें। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 28,835.15/–लाख रुपये (पूर्व वर्ष 28,130.13/–लाख रुपये) की व्यापार प्राप्ति योग्य राशि कंपनी द्वारा वहन की गई ऐसी आधिक्य परियोजना व्यय राशि के कारण है। | सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में परियोजना की कुल लागत के 40% तक अथवा इसी प्रकार की अग्रिम राशि जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि निकसी को परियोजना की कुल लागत के लिए नामिकाबद्ध विक्रेताओं को कार्य आदेश जारी करने होंगे। आदेश दिये जाने के बाद, विक्रेता भुगतान हेतु निकसी को बिल प्रस्तुत करेंगे और उसके आधार पर निकसी विक्रेता के बिल के अनुरूप प्रयोक्ता को बिल/आय बिल प्रस्तुत करेगी और उसके बाद शेष भुगतान जारी करने के लिए प्रयोक्ता संगठन को कहेगी। प्रयोक्ता विभागों/संगठनों से शेष निधि प्राप्त होने में विलंब होने के कारण, परियोजनाओं में लगने वाली शेष राशि नकारात्मक है इसलिए निकसी को नामिकाबद्धता/कार्य आदेशों की निबंधन व शर्तों के अनुसार विक्रेताओं को भुगतान जारी करने अथवा लेखाओं में उसका प्रावधान करना होगा। |
| | (ख) कंपनी अलग परियोजनाओं के लिए प्राप्त की गई राशि हेतु अलग से किसी बैंक खाता का रखरखाव नहीं कर रही है। इस प्रकार कंपनी लेखा सॉफ्टवेयर में प्रत्येक परियोजना हेतु अलग से परियोजना लेखा का रखरखाव कर रही है । | निकसी प्रत्येक वर्ष बहुत सी नई परियोजनाएँ प्राप्त करती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, निकसी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र से कार्यान्वयन हेतु 2884 नई परियोजनायें प्राप्त की हैं।प्रत्येक परियोजनाओं के लिए न तो अलग से बैंक खाता रखने की जरूरत है और न ही यह व्यवहार्य है।<br>तथापि निकसी ने टेली में प्रत्येक परियोजना के लिए अलग से लेखा खाता बनाया और उसका ई आर पी में भी रखरखाव किया जा रहा है। निकसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 28.03.2017 को आयोजित अपनी 100वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि सहायता प्राप्त परियोजनाओं में प्रत्येक अनुदान के लिए अलग से बैंक खाता खोला जाये और तदनुसार इस समय प्रत्येक जी आई ए परियोजना का अलग से बैंक खाता उपलब्ध है। |
| | (ग) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 40 देखें: भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के संबंध में 931.50 लाख रुपये का वाहन/हक विलेख एतद्द्वारा निष्पादन/पंजीकरण हेतु लंबित है । | निकसी ने शहरी विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन भूमि तथा विकास कार्यालय तथा एनबीसीसी के साथ इस मामले पर समय–समय पर कार्रवाई करना शुरू किया है। परंतु विलेख का अभी पंजीकरण किया जाना है। निकसी शीघ्र ही पंजीकृत विलेख प्राप्त करने के लिए संबद्ध प्राधिकारियों के साथ इस मामले में आगे कार्रवाई करेगी। |
| | (घ) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 56 देखें। कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अधीन पंजीकरण हेतु 13.6.2013 को ''आयकर आयुक्त'' के पास आवेदन प्रस्तुत किया, तथापि ''आयकर आयुक्त'' द्वारा उस आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। | कंपनी ने अभी "अपील" करने के लिए आयकर विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया है। विभाग से फीडबैक प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। |

| | | |
|---|---|---|
| | सीआईटी आदेश के मद्दे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के पास कंपनी की अपील पर उसके पक्ष में निर्णय लिया गया है। अभी अपील आयकर विभाग के पास लंबित है। | |
| | (ड) ई आर पी प्रणाली द्वारा सृजित स्टॉक सार का लेखा पुस्तकों से मिलान नहीं हो रहा है। | ई आर पी प्रणाली में रखरखाव की गई लेखा पुस्तक वित्तीय विवरणों के अनुरूप है। कुछ अतिरिक्त रिपोर्टों को एम आई एस उद्देश्य से एकमात्र अतिरिक्त संदर्भ के रूप में ई आर पी में डिजाइन किया गया है। |
| | **अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट** | |
| | 1. कम्पनी को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन परिचालित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है इसलिए इस अधिनियम की धारा 143 (II) की शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनियाँ (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है। | |
| | 2. इस अधिनियम की धारा 143(3) के द्वारा जैसा कि अपेक्षित है हम रिपोर्ट करते है, कि :<br>(क) हमने अपनी बेहतर जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे है और प्राप्त किये हैं जोकि उपर्युक्त अर्हता प्राप्त विचार के उपर्युक्त पैराग्राफ के आधार पर यथा उल्लिखित को छोड़कर हमारी लेखा परीक्षा के उदेश्य से आवश्यक थे।<br>(ख) हमारे विचार में, कानून द्वारा यथा अपेक्षित उपयुक्त लेखा पुस्तकों को कंपनी द्वारा रखा जायेगा, जहां तक यह इन बहियों की हमारी परीक्षा से दिखाई देता है।<br>(ग) तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा और नकदी प्रवाह विवरण तथा इस रिपोर्ट से संबंधित इक्विटी में परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तक के अनुरूप है।<br>(घ) हमारे विचार में अर्हता प्राप्त विचार के आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर, पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण इस अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप है।<br>(ड़) उपर्युक्त विचार में ऊपर दिये गये अर्हता प्राप्त विचार के आधार के अधीन उप पैरा 6 में वर्णित आंतरिक नियंत्रण का कम्पनी की कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।<br>(च) चूंकि यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है इसलिए निदेशक की अयोग्यता के संबंध में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जी एस आर – 463 (ई) की शर्तों के अनुसार कम्पनी पर लागू नहीं होती है ।<br>(छ) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की पर्याप्तता ऐसे नियंत्रणों की परिचालन संबंधी प्रभावशीलता के संबंध में "अनुबंध क " में हमारी अलग से दी गयी रिपोर्ट को देखें। हमारी रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की पर्याप्तता और परिचालन संबंधी प्रभावशीलता के बारे में अर्हता प्राप्त विचार प्रस्तुत किये गये।<br>(ज) कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार में और हमको दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी बेहतर सूचना के अनुसारः<br>(i) कम्पनी ने (भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 31 देखें) अपनी भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में दर्शायी गयी अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित वादों के प्रभाव के बारे मे बताया है ।<br>(ii) कम्पनी ने किसी दीर्घावधि संविदाओं को प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें गौण संविदायें शामिल है जिसके लिए किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्व देखी गई हानियाँ भी शामिल थी ।<br>(iii) किसी भी प्रकार की ऐसी राशियाँ नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित करना अपेक्षित था । | |
| | 3. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों से संबंधित हमारी अलग से दी गयी रिपोर्ट अनुबंध बी में संलग्न है । | |

# नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के वित्तीय विवरणों पर सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

**कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट**

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

कंपनी का प्रबंधन भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने से संबंधित लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आतंरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण रखने के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रखरखाव करने और उसकी स्थापना करने का जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में उसके कार्य व्यापार को प्रभावी रूप से चलाने तथा उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया का डिजाइन, कार्यान्वयन करना तथा उसका रखरखाव करना शामिल है तथा इसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, उसकी परिसंपत्तियों का बचाव करना, धोखा–धड़ी तथा त्रुटियों को रोकना तथा उनका पता लगाना और लेखा रिकार्डों की यथार्थता तथा उनकी पूर्णता प्रस्तुत करना तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल है।

**लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारी**

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार प्रस्तुत करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी की गई लेखा–परीक्षा से संबंधित मानकों तथा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन टिप्पणी) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से संबंधित मार्गदर्शन टिप्पणियों के अनुसार अपनी लेखा–परीक्षा आयोजित की और भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा करने के लिए दोनों पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा करने के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित किये जाने के लिए डीम्ड माना जायेगा। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणियों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं उनकी योजना बनाते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा–परीक्षा करते हैं और उसको प्रमाणित तथा उसका रखरखाव किया जाता है मानो कि ऐसे नियंत्रणों को सभी पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किया गया हो।

हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की यथार्थता से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने तथा उनको प्रभावी रूप से लागू करने की पद्धतियों को प्रस्तुत करना भी शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना और समग्र कमजोरी होने के जोखिम को निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण रखने के प्रभावशीलता को शीघ्रता लागू करना, उसका परीक्षण करना, उसके डिजाइन का मूल्यांकन करना शामिल है। लेखा–परीक्षक के अधिनिर्णय पर निर्भर करते हुए चुनी गई पद्धतियों में वित्तीय विवरणों के गलत वक्तव्य, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अर्हता प्राप्त करने के विचार का आधार उपलब्ध करवाने हेतु उपयुक्त है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतया स्वीकृत लेखा–सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों से वित्तीय विवरण तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया में उसकी नीतियां तथा पद्धतियां शामिल है। (1) रिकार्डों का रखरखाव करना, कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना तथा उसके लेन–देनों के उचित विवरण प्रदान करना, यथार्थ रूप से तथा स्पष्ट रूप से उनको प्रतिबिम्बित करना; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना जिससे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक लेन–देनों को रिकार्ड किया जा सके और कि कंपनी की प्राप्ति और व्यय राशियों को कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार प्रस्तुत भी किया जा रहा है। और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रबंधन करने अथवा उसके अप्राधिकृत अर्जन करने तथा उसका इस्तेमाल करने के संबंध में समय पर उसका पता लगाने अथवा उसकी रोकथाम करने के संबंध में उचित आश्वासन देना जिसका भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर भरसक प्रभाव पड़ सकता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाओं के कारण तथा नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अथवा उसको प्रस्तुत करने की संभावनाओं के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से गलत वक्तव्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उनका पता नहीं चलता है इसके साथ ही भावी अवधि के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय प्रक्रिया का कोई मूल्यांकन किया जा सकता है, बशर्ते कि कोई जोखिम न हो, कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया परिस्थित वश कोई बदलाव आने के कारण अथवा नीतियां अथवा पद्धतियों का अनुपालन होने के कारण, अपर्याप्त हो सकती है।

**अर्हता प्राप्त विचार**

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियों की पहचान की गई है।

| | |
|---|---|
| (क) कंपनी के पास विक्रेताओं की शेष राशियों का मिलान करने / पुष्टि करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी जिसके कारण कंपनी की देय व्यापार राशियों में गलत वक्तव्य प्रस्तुत होने की संभावना पैदा हो गई। | निकसी का लेखा विभाग प्रयोक्ता विभागों/संगठनों को शेष पुष्टि पत्र भेजता है जिसमें शेष राशियों की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है। इनका पत्राचार और निजी चर्चा के माध्यम से संबंद्ध परियोजना समन्यवक द्वारा अनुसरण भी किया जाता है। यह कहना गलत है कि इसके परिणामस्वरूप गलत वक्तव्य प्रस्तुत हो सकते हैं। |
| (ख) कंपनी के पास फिक्स्ड डिपॉज़िट (सावधि जमा राशि) में आधिक्य राशि के निवेश पर एक उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। इसके परिण ाामस्वरूप संभावतया ब्याज से आय प्राप्त नहीं हो पाई। | निकसी लगातार अपनी आवश्यकताओं अर्थात् अपनी अधिशेष राशि का स्टॉक रखती है और आंतरिक मंजूरी लेने के बाद फिक्स्ड डिपॉज़िट (एफडी) में ही उस राशि को निवेश करती हैं। यह एफडी इस प्रकार से तैयार की जाती है कि इसको अवधि से पहले नहीं तुड़वाया जा सकता, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की सावधि जमा राशि का प्रभावी रूप से रखरखाव हो सका है। इसके अलावा, एफ डी का तत्काल आधार पर पुनः नवीनीकरण करवा लिया जाता है जिससे कंपनी को कोई |

| | |
|---|---|
| | नुकसान नहीं हो। सभी बनवाई गई/नवीकृत की गई/भुनाई गई/परिपक्व हुई एफडी का उपयुक्त रिकार्ड सीएस ब्रांच तथा लेखा शाखा दोनों में रखा जाता है ताकि सावधि जमा राशियों के संबंध में रिकॉर्ड में कोई विसंगति न रहे तथा बैंक के आंकड़ों के साथ इसका मिलान किया जा सके। इसलिए यह कहना गलत है कि संभावतया इसके परिणामस्वरूप ब्याज से प्राप्त आय की हानि हुई। |
| (ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान संविदा की नीतियों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार और वैधीकरण करने के पश्चात ईआरपी प्रणाली को कार्यान्वित नहीं किया है। | अवलोकन संख्या 16 के उत्तर में इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है। निकसी ने टेली सिस्टम और नए ईआरपी पर इसके साथ–साथ एक से भी अधिक वर्षों के लिए समानांतर रन पर कार्य किया। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार टैली प्रणाली और ईआरपी प्रणाली से परीक्षण शेष राशि तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता बनाने के बाद, निकसी द्वारा खातों का मिलान किया गया। यह देखा गया था कि या तो सभी रिपोर्टों को टैली से तैयार किया गया है या ईआरपी से मिलान किया गया था।<br><br>निकसी खातों ने अपनी सहमति दी है कि टैली प्रणाली को पूरी तरह से बंद कर दिया जायेगा और 01.07.2017 से सभी संबंधित गतिविधियों के लिए ईआरपी प्रणाली का एकमात्र इस्तेमाल किया जायेगा। इसके अलावा, 01–04–2017 से 30–06–2017 तक 3 माह के समानांतर रन भी वहां कार्यान्वित किए गए और रिपोर्ट टैली और ईआरपी दोनों में पूरी तरह मेल खा रही थीं। इस प्रकार, यह कहना सही नहीं है कि कंपनी ने संविदा की नीतियों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ईआरपी प्रणाली को कार्यान्वित नहीं किया है। जिसके कारण, कंपनी के वित्तीय विवरणों में गलत विवरण तथा लेखा शेष राशियों में अंतर आने की संभावना हो गई। |

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के संबंध में 'महत्वपूर्ण कमजोरी' एक ऐसी कमी है अथवा कमियों का एक ऐसा संयोजन है जैसे कि वहां एक उचित संभावना बनी रहती है कि कंपनी के वार्षिक वित्त विवरणों के गलत वक्तव्यों को समय पर रोका अथवा उनका पता नहीं लगाया जायेगा।

हमारे विचार में नियंत्रण कसौटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरियों के प्रभाव/संभव प्रभाव को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुसार रखरखाव किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से चल रही थी। भारत के सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की

लेखा–परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण रखने के महत्वपूर्ण संघटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण रखने के आधार पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली परिचालित थी।

हमने कंपनी के 31.03.2018 के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा करते हुए लागू लेखा–परीक्षा जांच की सीमा और उसकी प्रकृति व समय का निर्धारण करते हुए ऊपर बताई गई तथा पहचान की गई महत्वपूर्ण कमियों पर विचार किया है और इन कमियों का कंपनी के वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

# नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के वित्तीय विवरणों पर सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'बी'

**कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143/5 के अधीन भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रिपोर्ट**

1. **क्या कम्पनी के पास क्रमशः फ्री होल्ड और लीज्ड होल्ड के लिए स्पष्ट हक/ लीज्ड विलेख उपलब्ध है, यदि नहीं, तो कृपया उस फ्री होल्ड और लीज्ड होल्ड भूमि का क्षेत्र बतायें, जिसके लिए हक / लीज्ड विलेख उपलब्ध नहीं है ।**

   हमें दी गयी सूचना के अनुसार कम्पनी के स्वामित्व में सभी परिसंपतियों की हक विलेख को लेखा परीक्षित विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 में उल्लेखित को छोड़कर पंजीकृत किया गया है ।

2. **कृपया बतायें कि क्या छोड़ने / बट्टे खाते में डालने/ ऋण / लोन / ब्याज आदि का कोई मामला है, यदि हाँ तो, उसका कारण बतायें और उसमें शामिल राशि भी बतायें ।**

   हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार , वर्ष के दौरान छोड़े गये / बट्टे खाते में डाले गये ऋण/ लोन / ब्याज आदि का कोई मामला नहीं है ।

3. **क्या तीसरी पार्टियों के पास रखी गयी वस्तु सूचियों के लिए उचित रिकार्ड बनाये गये है और सरकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार / अनुदान (अनुदानों) के रूप में परिसंपतियाँ प्राप्त की गयी ?**

   हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी से संबंधित कोई भी वस्तु सूचियाँ तीसरी पार्टियों के पास नहीं पड़ी हुई है और सरकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों से कोई भी उपहार / अनुदान (अनुदानों) के रूप में हमें दी गयी सूचना के अनुसार कोई भी परिसंपति प्राप्त नहीं की गयी है । तथापि, अनुदान सहायता के अधीन प्रयोक्ताओं के लिए प्राप्त की गयी परिसंपतियाँ संबंधित प्रयोक्ता विभागों से संबंधित है, न कि कम्पनी से।

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इंक के**
**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

**तारीख : 26 सितम्बर, 2018** **अध्यक्ष**

**स्थान : नई दिल्ली**

# नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

## कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 8 के अधीन भारत सरकार का निगमित उदगम

### 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

₹ लाखो में

| क्रम सं. | विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| | **सम्पत्तियां** | | | |
| 1 | **गैर चालू परिसम्पत्तियां** | | | |
| | संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | 3 | 5,741.46 | 4,633.46 |
| | पूंजीगत कार्य प्रगति | | - | - |
| | अन्य अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां | 4 | 3,693.68 | 3,098.57 |
| | वित्तीय परिसम्पत्तियां | | | |
| | (क)ऋण | 5 | 686.16 | 618.35 |
| | (ख) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां | 6 | 322.62 | 320.35 |
| | आस्थगित कर संपत्तियां (निवल) | 7 | - | - |
| | अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां | 8 | 2,539.99 | 2,282.70 |
| 2 | **चालू परिसम्पत्तियां** | | | |
| | वित्तीय परिसम्पत्तियां | | | |
| | (क)व्यापार प्राप्तियां | 9 | 28,835.15 | 28,130.13 |
| | (ख)नकदी व नकदी के समकक्ष राशियां | 10 | 13,295.05 | 20,470.42 |
| | (ग) उपर्युक्त (ख) के अलावा बैंक शेष राशि | 11 | 141,727.53 | 120,372.46 |
| | (घ)अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां | 12 | 3,923.41 | 4,201.14 |
| | चालू कर परिसम्पत्तियां(निवल) | 13 | 11,164.64 | 6,036.78 |
| | अन्य चालू परिसम्पत्तियां | 14 | 27,947.12 | 27,183.74 |
| | कुल परिसम्पत्तियां | | **239,876.81** | **217,348.10** |
| | **इक्विटी और देयताएं** | | | |
| | **इक्विटी** | | | |
| | इक्विटी शेयर पूंजी | 15 | 200.00 | 200.00 |
| | अन्य इक्विटी | 16 | 63,682.41 | 60,578.15 |
| | **देयताएं** | | | |

| क्रम सं. | विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| | **गैर चालू देयताएं** | | | |
| | वित्तीय देयताएं | | | |
| | (क) अन्य वित्तीय देयताएं | 17 | 40.45 | 51.46 |
| | प्रावधान | | | |
| | आस्थगित कर देयताएं (निवल) | 7 | 145.62 | 507.31 |
| | **चालू देयताएं** | | | |
| | वित्तीय देयताएं | | | |
| | (क) व्यापार देय राशियाँ | 18 | 46,784.32 | 47,782.97 |
| | (ख) अन्य वित्तीय देयताएं | 19 | 1,728.85 | 2,485.00 |
| | अन्य चालू देयताएं | 20 | 127,220.64 | 105,668.69 |
| | प्रावधान | 21 | 74.52 | 74.52 |
| | **कुल ईक्विटी और देयताएं** | | **239,876.81** | **217,348.10** |
| | महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 2 | | |

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार
**कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000397एन

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के**
**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**
सीआईएन : यू 74899डीएल1995एनपीएल072045

ह0/–
**अजय रस्तोगी**
भागीदार
सदस्यता सं. 084897

ह0/–
**मनोज कुमार मिश्रा**
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07652553

ह0/–
**पंकज कुमार**
अध्यक्ष
डीआईएनः 08176055

ह0/–
**डॉ. गिरीश कुमार**
कंपनी सचिव
एफसीएसः 6468

ह0/–
**दीपक सक्सेना**
वित्तीय सलाहकार
व सनदी लेखकार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26–09–2018

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26–09–2018

# नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

## कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 8 के अधीन
## भारत सरकार का निगमित उदगम
### 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा

₹ लाखो में

| क्रम सं. | विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| I | परिचालन से राजस्व | 22 | 125,836.36 | 124,141.06 |
| II | अन्य आय | 23 | 7,806.36 | 8,566.34 |
| III | **कुल आय (i)+(ii)** | | **133,642.72** | **132,707.40** |
| IV | **व्यय** | | | |
| | व्यापार में स्टॉक की खरीद | 24 | 39,571.03 | 48,669.21 |
| | सेवा सहायता व्यय | | 76,779.95 | 63,821.94 |
| | कर्मचारी के हितों से संबंधित व्यय | 25 | 828.84 | 993.84 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधित व्यय | 3 | 4,020.75 | 1,671.56 |
| | अन्य व्यय | 26 | 7,377.05 | 6,482.05 |
| | **कुल व्यय (iv)** | | **128,577.62** | **121,638.60** |
| V | कर और असाधारण मदों से पहले लाभ (हानि) (iii-iv) | | 5,065.10 | 11,068.80 |
| VI | **असाधारण मदें** | | | |
| | संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का नुकसान | 3 | - | 151.15 |
| | अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपतियों का नुकसान | 4 | - | 215.65 |
| VII | कर (V–VI) से पहले लाभ/(हानि) | | 5,065.10 | 10,702.00 |
| VIII | कर व्यय | | **1,960.83** | **4,260.95** |
| | (1) चालू कर | | 2,268.01 | 3,410.69 |

| क्रम सं. | विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| | (2) आस्थगित कर | | (361.69) | 542.35 |
| | (3) पूर्व वर्ष के लिए समायोजित कर / (रिटन बैक) | | 54.51 | 307.91 |
| **IX** | चालू परिचालन से वर्ष के लिए लाभ / (हानि)(VII–VIII) | | **3,104.27** | **6,441.05** |
| **X** | **आय प्रति इक्विटी शेयर (चालू परिचालन के लिए):** | | | |
| | (1) मूल | 27 | 1,552.13 | 3,220.52 |
| | (2) कम उपार्जन | 27 | 1,552.13 | 3,220.52 |

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार
**कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000397एन

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के**
**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**
सीआईएन : यू 74899डीएल1995एनपीएल072045

ह0 / –
**अजय रस्तोगी**
भागीदार
सदस्यता सं. 084897

ह0 / –
**मनोज कुमार मिश्रा**
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07652553

ह0 / –
**पंकज कुमार**
अध्यक्ष
डीआईएनः 08176055

ह0 / –
**डॉ. गिरीश कुमार**
कंपनी सचिव
एफसीएसः 6468

ह0 / –
**दीपक सक्सेना**
वित्तीय सलाहकार
व सनदी लेखकार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26–09–2018

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26–09–2018

# नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

## कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 8 के अधीन
## भारत सरकार का निगमित उदगम

### 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| **कराधान से पहले तथा असाधारण मदों के लिए अधिशेष/(घाटा)** | 5,065.10 | 11,068.80 |
| सेवा कर पर ब्याज | - | - |
| कर से पूर्व अधिशेष/(घाटा) | 5,065.10 | 11,068.80 |
| समायोजन के लिए | | |
| अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास | 4,020.75 | 1,671.56 |
| अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि) | 3.06 | (0.09) |
| ब्याज व्यय | 777.72 | 502.10 |
| घटाएं | | |
| ब्याज आय | 8,285.61 | 8,827.97 |
| **कार्यगत पूंजी में परिवर्तनों से पहले परिचालन अधिशेष/(घाटा)** | **1,581.02** | **4,414.39** |
| समायोजन के लिए: | | |
| माल सूचियों में वृद्धि/(कमी) | - | - |
| व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि/(कमी) | (705.02) | (9,355.88) |
| ऋण व अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियों में वृद्धि/(कमी) | (5,940.70) | (13,741.75) |
| व्यापार देय और अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) | 19,786.19 | 37,986.89 |
| प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) | - | - |
| **परिचालनों से सृजित नकदी** | **14,721.49** | **19,303.66** |
| प्रदत्त आयकर | (2,268.01) | (3,410.69) |
| पूर्व वर्षों के लिए आयकर | (54.51) | (307.91) |
| **परिचालन गतिविधियों (क) से निवल नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह)** | **12,398.97** | **15,585.05** |
| निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह | | |
| अचल परिसंपत्तियों की खरीद | (5,728.25) | (7,528.31) |
| अचल परिसंपत्तियों की बिक्री | 1.10 | 0.18 |
| विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति | - | 640.38 |
| प्राप्त ब्याज | 8,285.61 | 8,827.97 |

| | | |
|---|---|---|
| **निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह/बहिर्वाह (ख)** | **2,558.46** | **1,940.22** |
| वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह | | |
| प्रदत्त ब्याज | (777.72) | (502.10) |
| वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह/बहिर्वाह (ग) | (777.72) | (502.10) |
| नकदी व नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग) | **14,179.70** | **17,023.18** |
| वर्ष के शुरू में नकदी व नकदी समकक्ष | **141,134.48** | **124,111.30** |
| वर्ष की समाप्ति पर नकदी व नकदी समकक्ष | **155,314.18** | **141,134.48** |

**टिप्पणी**

1) भारत के सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी किये गये नकदी प्रवाह विवरण
2) वर्ष की समाप्ति पर रोकड़ और बैंक शेष राशियों में बैंक में रखी गई नकदी तथा शेष राशियां शामिल है। ये विवरण निम्नानुसार हैः

| **विवरण** | **31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार** | **31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार** |
|---|---|---|
| **नकदी व नकदी समकक्ष** | | |
| बैंकों में शेष | 13,294.98 | 20,470.02 |
| अग्रदाय खाता | 0.07 | 0.40 |
| **अन्य बैंक में शेष राशियां** | | |
| सावधि जमा | 142,019.13 | 120,664.06 |
| | **155,314.18** | **141,134.48** |

हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार
**कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000397एन

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**
सीआईएन : यू 74899डीएल1995एनपीएल072045

ह0/–
**अजय रस्तोगी**
भागीदार
सदस्यता सं. 084897

ह0/–
**मनोज कुमार मिश्रा**
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07652553

ह0/–
**पंकज कुमार**
अध्यक्ष
डीआईएनः 08176055

ह0/–
**डॉ. गिरीश कुमार**
कंपनी सचिव
एफसीएसः 6468

ह0/–
**दीपक सक्सेना**
वित्तीय सलाहकार
व सनदी लेखकार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26–09–2018

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26–09–2018

# नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

## 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन विवरण

**क. 100/– रूपये प्रत्येक के निर्गम,अभिदत्त और प्रदत्त ईक्विटी शेयर के लिए ईक्विटी शेयर पूंजी**

₹ लाखो में

| विवरण | टिप्पणी | राशि |
|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अुनसार | 15.00 | 200.00 |
| वर्ष के दौरान परिवर्तन | | |
| 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार | 15.00 | 200.00 |
| वर्ष के दौरान परिवर्तन | | |
| 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 15.00 | 200.00 |

**ख. अन्य ईक्विटी (टिप्पणी 16 देखें)**

₹ लाखो में

| | आरक्षिति और अधिशेष प्रतिधारण उपार्जन | कुल ईक्विटी |
|---|---|---|
| **1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार** | 54,137.10 | 54,137.10 |
| वर्ष के लिए निवल आय/(हानि) | 6,441.04 | 6,441.04 |
| सामान्य आरक्षिती में अंतरण | - | - |
| **कुल व्यापक आय** | **6,441.04** | **6,441.04** |
| लाभांश | - | - |
| लाभांश वितरण कर | - | - |
| **31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार** | **60,578.14** | **60,578.14** |
| वर्ष के लिए निवल आय/(हानि) | 3,104.27 | 3,104.27 |
| सामान्य आरक्षिती में अंतरण | - | - |
| कुल व्यापक आय | 3,104.27 | 3,104.27 |
| **31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार** | **63,682.41** | **63,682.41** |

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार
**कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000397एन

ह0/–
**अजय रस्तोगी**
भागीदार
सदस्यता सं. 084897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26–09–2018

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**
सीआईएन : यू 74899डीएल1995एनपीएल072045

ह0/–
**मनोज कुमार मिश्रा**
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07652553

ह0/–
**डॉ. गिरीश कुमार**
कंपनी सचिव
एफसीएसः 6468

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26–09–2018

ह0/–
**पंकज कुमार**
अध्यक्ष
डीआईएनः 08176055

ह0/–
**दीपक सक्सेना**
वित्तीय सलाहकार
व सनदी लेखकार

# नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर सविर्सिज़ इंक

## (कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 8 के अधीन भारत सरकार का निगमित उदगम)

### 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

### 1. निगमित सूचना

नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर सविर्सिज़ इंक (निगम) को राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत दिनांक 29 अगस्त, 1995 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 (अब कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत शामिल किया गया था। निगम को सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को सकल आई टी सोल्यूशन प्रदान करने के लिए नियोजित किया गया है।

### 2. महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

### (i) वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम (अधिनियम) 2013 की परिशोधित अनुसूची–III के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों तथा अधिसूचित सीमा तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रोदभूत आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्टिंग अवधि वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए प्रथम भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनिवार्य अपेक्षाओं को 500 करोड़ रुपये की निर्धारित सीमा से अधिक निगम की कुल राशि होने के कारण उसे अनिवार्य किया गया है और वित्तीय वर्ष 2017 – 18 की रिपोर्टिंग अवधि के लिए वित्तीय विवरण को भी तदनुसार तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों में वित्तीय आंकड़ों को भारतीय रुपये में अंकित किया गया है जोकि निगम की रिपोर्टिंग मुद्रा तथा कार्यात्मक मुद्रा है।

### (ii) भारतीय लेखांकन मानक 101 – भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाने की प्रक्रिया के प्रभावी अनुप्रयोग से अनिवार्य अपवादात्मक तथा स्वैच्छिक छूट

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार निगम पर लागू नीचे उल्लिखित अनिवार्य अपवादात्मकता को नीचे संकलित किया गया है:

(क) वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को अस्वीकार करना

(ख) प्राक्कलन

(ग) वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और मापन

(घ) वित्तीय परिसम्पत्तियों की अशक्तता

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार निगम पर लागू स्वैच्छिक छूट को निम्नानुसार चुना गया है:

(क) डीम्ड लागत

(ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की लागत में देयताओं को चालू न करने का कार्य भी शामिल किया गया।

### (iii) परिसम्पत्तियों और देयताओं का गैर चालू बनाम चालू वर्गीकरण:

किसी परिसम्पत्ति को चालू परिसम्पत्ति माना जायेगा जब,

- यह अपेक्षा की जाती है कि उसको सामान्य परिचालन स्थिति में प्रस्तुत किया जाए अथवा उसको बेचने का विचार किया जाये अथवा उसकी खपत की जाये।
- व्यापार करने के उद्देश्य से उसे मुख्य रूप से रखा जाये।
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् 12 माह के भीतर उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा हो।
- नकदी अथवा नकदी के समकक्ष राशि जब तक कि उसे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माहों के लिए निपटान करने हेतु उसका इस्तेमाल न किया जाये अथवा उसका विनिमय करने पर प्रतिबंध न लगा दिया जाये।

अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर चालू परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक देयता को चालू देयता माना जाता है जबः

- यह अपेक्षा की जाती है कि उसका सामान्य परिचालन स्थिति में निपटान किया जाये।
- उसे व्यापार करने के उदेश्य से मुख्य रूप से रखा जाये।
- उसे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् 12 माह के भीतर निपटान करना जरूरी हो अथवा
- ऐसा कोई भी बिना शर्त अधिकार प्राप्त न हो जिससे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान की प्रक्रियाओं को टाला जाये।

अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर चालू परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को गैर चालू परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिचालन स्थिति नकदी और नकदी के समकक्ष राशियों को प्रस्तुत करने और उन्हे वसूल करने के उद्देश्य से परिसम्पत्तियों के अर्जन के बीच की अवधि होती है। निगम ने उसकी परिचालन की स्थिति के रूप में 12 माह की अवधि की पहचान की है।

### (iv) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) तथा मूल्यह्रास

### (क) प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को लागत पर दर्शाया गया है (अर्थात् अर्जन की लागत अथवा मालभाड़ा को शामिल करके निर्माण लागत, निर्माण अथवा उसे चालू करने के प्रभार, अवसूलनीय शुल्क अथवा कर, निर्माण अवधि के दौरान व्यय राशि, अर्जन/स्थानापन की तारीख तक उधार लेने की लागत (अहर्ता प्राप्त परिसम्पत्ति की स्थिति में), संचित निवल मूल्यह्रास, और संचित अशक्तता हानियाँ, यदि कोई है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के महत्तवपूर्ण पुर्जो (पृथक रूप से संघटक के रूप में जिनकी पहचान की गयी) को एक अंतराल पर बदलने की जरूरत होती है, तब कंपनी बदले हुये पुर्जो को पुनः देखती है और उसकी उपयोगी अवधि के अनुसार नए पुर्जे देखती है और तदनानुसार उनका मूल्यह्रास किया जाता है। जब भी मुख्य निरीक्षण / जांच/ मरम्मत की जाती है तब उसकी लागत को स्वीकृत कसौटी पूर्ण हो जाने पर संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि में प्रतिस्थापन लागत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव की लागत को आय और व्यय विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने के पश्चात् उसे स्थापित करने हेतु प्रत्याशित लागत के वर्तमान मूल्य को, प्रावधान हेतु स्वीकृत कसौटी पूर्ण हो जाने पर, उससे संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया गया है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्करों को निपटान करने पर अथवा उनका सक्रिय इस्तेमाल न होने पर वित्तीय विवरणों से निकाल दिया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर खराब हो जाने/उनका निपटान करने के कारण होने वाले लाभ/हानियों को घटित वर्ष में आय और व्यय विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

पीपीई की मदों पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची – II में निर्धारित दरों पर अथवा रिटन डाउन मूल्य पद्धति के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। निगम ने कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार पीपीई की सभी मदों की उपयोगी अवधि का निर्धारण किया गया है।

### (v) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ और परिशोधन

अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों का शुरू में लागत पर आंकलन किया गया है। अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों का तत्पश्चात संचित अशक्तता हानियों तथा संचित परिशोधन हानियों की राशि को कम करके आने वाली लागत पर आंकलन किया गया है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि सीमित अथवा असीमित हो सकती है। सीमित अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों को रिटर्न डाउन मूल पद्धति के अनुसार उनकी उपयोगी आर्थिक अवधि के संबंध में परिशोधित किया गया है। सीमित उपयोगी अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के लिए परिशोधन पद्धति तथा परिशोधन अवधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है। परिसंपत्तियों में शामिल किए गए भावी आर्थिक लाभों की खपत के प्रत्याशित पैटर्न अथवा प्रत्याशित उपयोगी अवधि में होने वाले परिवर्तनों पर यथा उपयुक्त पद्धति अथवा परिशोधन अवधि को परिशोधित करने के लिए विचार किया गया है तथा उन्हें लेखा प्राक्कलन में परिवर्तनों के रूप में माना गया है। सीमित अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर होने वाले परिशोधन व्यय की तब तक आय और व्यय विवरणों में पहचान की जाती है जब तक कि ऐसी व्यय राशि अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यों का एक अभिन्न अंग न हो।

कंपनी अधिनियम के अनुसार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्वर से संबंधित लागत को क्रमशः छह वर्षों अथवा तीन वर्षों की उनकी अनुमानित उपयोगी आर्थिक अवधि के संबंध में सीधी पद्धति के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है तथा उसको परिशोधित किया जाता है। ईआरपी सॉफ्टवेयर से संबंधित लागत को पूंजीकृत किया जाता है और उसे दस वर्षों की उनकी अनुमानित उपयोगी आर्थिक अवधि के संबंध में सीधी पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है।

### (vi) वित्तीय परिसंपत्तियाँ तथा वित्तीय देयतायें

वित्तीय परिसम्पत्तियों में गैर चालू वित्तीय उपकरण जैसे इक्विटी में निवेश, ऋण, प्रतिभूतियां और कृत्रिम और चालू परिसंपत्तियाँ जैसे नकदी और नकदी समकक्ष राशि व्यापार प्राप्ति योग्य राशियाँ, बैंक शेष राशियाँ, बैंकों में सावधि जमा, बिल प्राप्तियाँ, प्रतिभूतियां जमा शामिल है।

वित्तीय देयताओं में चुकाए गए वरीयता शेयर, नकदी क्रेडिट सुविधाएं, व्यापार प्राप्तियाँ, बिल देय राशियाँ शामिल है। बकाया सांविधिक देय राशियाँ जैसे आयकर, सेवाकर, भविष्य निधि, ईएसआई आदि वित्तीय देयतायें नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः (i) परिशोधित लागत (ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) (iii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर आंकलन किया गया।

वित्तीय देयताओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः (i) परिशोधित लागत (ii) एफवीटीपीएल पर आंकलन किया गया।

### (vii) उचित मूल्य का मापन

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर वित्तीय साधन जैसे कृत्रिम और कुछ निवेशों का आंकलन करती है।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं, जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य का आंकलन तथा प्रकटीकरण किया गया है उन्हें सम्पूर्ण उचित मूल्य आंकलन के अनुसार महत्तवपूर्ण निम्न स्तर के इनपुट पर आधारित निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य के भीतर वर्गीकृत किया गया है।

- स्तर 1 – पहचानी गयी परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उदधृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यन प्रविधियाँ जिनके लिए निम्न स्तर के इनपुट उचित मूल्य आंकलन प्रस्तुत करने के लिए महत्तवपूर्ण है, उनका सीधे ही अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।
- स्तर 3 – मूल्यन प्रविधियाँ, जिनके लिए निम्न स्तर के इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्तवपूर्णहै, उनका अवलोकन नहीं किया जाता है।

आवर्ती आधार पर तुलन पत्र में प्रस्तुत की गयी परिसंपत्तियों तथा देयताओं के लिए कंपनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर (कुल मिलकर उचित मूल्य आंकलन के लिए महत्तवपूर्ण निम्न स्तर के इनपुट पर आधारित) श्रेणीकरण का पुनः मूल्यांकन करके क्रमबद्धता में स्तरों के बीच कोई स्थानांतरण हुआ है।

उचित मूल्यों का प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से कंपनी ने प्रकृति के आधार पर, विशेषताओं तथा परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के जोखिम तथा ऊपर स्पष्ट किए गये अनुसार उचित मूल्य क्रम से संबंधित स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों तथा देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण किया है।

### (viii) राजस्व की पहचान

राजस्व की संभावित सीमा तक पहचान की जाती है जिससे निगम को आर्थिक लाभ होगा ओर राजस्व राशि को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकेगा। राजस्व को सरकार की ओर से वसूल किए गए शुल्कों अथवा करों को छोड़कर तथा भुगतान की संविदाबद्धता युक्त निश्चित शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किये गये अथवा प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर आंका जाता है।

माल/स्टॉक्स तथा बिक्री मदों की बिक्री करने के संबंध में राजस्व राशि की पहचान की जाती है जब माल की अक्सर प्रदायगी करने पर माल के स्वामित्व का श्रेय तथा महत्तवपूर्ण जोखिम खरीददार के पास चला जाता है। माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व राशि का प्राप्त किये गये अथवा प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य, निवल लाभ तथा भत्ते, व्यापार में छूट तथा भारी मात्रा में छूट के अनुसार आंकलन किया जाता है।

निगम, परियोजना की लागत पर निर्भर करते हुए समय–समय पर निर्धारित दर – श्रेणी पर परिचालन सीमांत राशि की पहचान करता है। अकसर परिचालन सीमांत राशि की दरें परियोजना लागत के अनुपात में प्रतिकूल होती है अर्थात् परियोजना की लागत ज्यादा हो जाती है, परिचालन सीमांत राशि की दरें कम हो जाती है। परियोजना की लागत में वृद्धि होने के कारण परिचालन सीमांत राशि की दरों में उत्तरवर्ती कमी हो जाती है जिसका परियोजना समाप्त होने के समय पर अथवा वर्ष की समाप्ति पर तदनुरूपी क्रेडिट टिप्पणियाँ जारी करके लेखा–जोखा रखा जाता है। इस प्रकार जारी की गयी क्रेडिट टिप्पणियों को संबंधित आय शीर्ष से प्रस्तुत किया जाता है।

बैंकों में सावधि जमा (एफडी) पर प्राप्त ब्याज आय की प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर पहचान की जाती है। ईआईआर वह दर होती है जोकि सावधि जमा की सकल राशि पर सावधि जमा की परिपक्व होने वाली अवधि पर अनुमानित

भावी प्राप्तियों पर वास्तव में छूट देती है। किसी भी प्रकार की लेनदेन लागत न होने पर सावधि जमा की बैंक ब्याज दर ही ईआईआर होती है।

### (ix) वस्तु–सूचियां

वस्तुसूचियों की लागत में वस्तुसूचियों को उनकी वर्तमान स्थिति तथा स्थान पर लाने में वहन की गई अन्य लागत, खरीद की सभी लागत, परिवर्तन लागत शामिल है। वस्तु सूची (जिसमें सॉफ्टवेयरों की वस्तु सूची भी शामिल है ) की लागत पर या निवल वसूलनीय मूल्य पर, जो भी फस्ट – इन – फस्ट आउट (एफआईएफओ) की पद्धति के आधार पर कम हो, का मूल्य निर्धारित किया गया है। उपभोज्य भण्डार को नगण्य होने के नाते खरीद वर्ष में राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है।

### (x) सेवानिवृत्ति लाभ

एन आई सी के साथ की गयी व्यवस्था के अनुसार, छुट्टी वेतन व पेंशन अंशदान राशि की भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत के आधार पर संबद्ध कर्मचारी के मूल वेतन और ग्रेड वेतन पर गणना की जाती है और उसे एन आई सी को प्रेषित किया जाता है। यह कम्पनी इन कर्मचारियों को कोई अन्य सेवानिवृतति लाभ अदा करने के लिए दायी नहीं है, जिन्हें भविष्य में पूरी तरह से एनआईसी द्वारा वहन किया जायेगा।

### (xi) पूर्वावधि मदें

पूर्वावधि मदों में सत्ता की पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों में दिये गये गलत विवरण तथा चूक शामिल होती है, जिसमें तुलन पत्र का गलत वर्गीकरण करना भी शामिल है। भारतीय लेखांकन मानक – 8 में प्रस्तुत पूर्व अवधि के लिए जिसमें गलतियाँ हुई हैं, तुलनात्मक राशियों का उल्लेख करके उनका पता लगाने के पश्चात् अनुमोदित वित्तीय विवरणों के पहले सेट में प्रभावी रूप से दर्शायी गयी पूर्वावधि त्रुटियों का परिशोधन करना अपेक्षित है। तथापि, ऐसा गलत विवरण अव्यवहार्य हो जाता है अर्थात् जब ऐसा करने का प्रत्येक उचित प्रयास करने के पश्चात् भी सत्ता उस पर लागू नहीं की जा सकती, तब भारतीय लेखांकन मानक में पूर्व अवधियों की तुलनात्मक मदों में ऐसी पूर्वावधि की मदों के बारे में पुनः विवरण देने की अपेक्षा नहीं की जाती।

### (xii) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनायें

प्रत्येक वर्ष में निगम रिपोर्टिंग अवधि के बाद रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित कुछ व्यय बीजक की प्राप्ति करता है। रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित व्यय बीजक को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् परन्तु प्रबंधन की अनुमोदित निश्चित तारीख से पहले अथवा निगम के निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षित विवरणों के अनुमोदन से पहले, निगम द्वारा प्राप्त किया जाता हैं जिनपर उनसे संबंधित रिपोर्टिंग अवधि में लेखा – जोखा रखा जाता है और रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् समायोजन के रूप में उनपर विचार किया जाता है। ऐसे व्यय राशि से संबंधित बीजकों पर तदनुरूपी आय का उसी रिपोर्टिंग अवधि में लेखा – जोखा भी रखा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित व्यय बीजक निगम द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् और यहाँ तक कि प्रबंधन की अनुमोदित निश्चित तारीख के बाद भी अथवा निगम के निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों का अनुमोदन मिलने के पश्चात् प्राप्त किये जाते हैं जिनको रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् समायोजन न की जाने वाली घटनाओं के रूप में विचार किया जाता है और उनका उस रिपोर्टिंग अवधि में लेखा – जोखा रखा जाता है जिसमें वह प्राप्त होते हैं। तदनुरूपी आय का उस रिपोर्टिंग अवधि में लेखा – जोखा भी रखा जाता है जिसमें वह बीजक प्राप्त हुए हैं और उनका लेखा – जोखा रखा गया है।

### (xiii) पट्टे (पट्टा)

पट्टे पर ली गयी परिसम्पततियों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहॉ पट्टेदाता लीज्ड शर्तो के

अनुसार स्वामित्व के लाभ तथा पर्याप्त रुप से सभी जोखिमों को लेता है। परिचालन पट्टे के भुगतान को पट्टे की शर्तों के उपयुक्त आधार पर आय और व्यय लेखा में व्यय के रुप में मान्यता दी गयी है। तथापि, भारतीय लेखांकन मानक 17 किराये पर सीधे ही लीज्ड देने की प्रक्रिया को अनिवार्य नहीं करती है यदि उसे सामान्य मुद्रास्फीति स्थितियों में सुधार लाने के लिए निर्मित किया गया है।

### (xiv) आस्थगित कर

आस्थगित कर का रिपोर्टिंग तारीख पर वित्तीय रिपोर्टिंग करने के उद्देश्य से उनकी राशि को प्रस्तुत करने तथा परिसंपत्तियों तथा देयताओं के कर आधार के बीच आने वाले अस्थायी अंतर के आधार पर देयता पद्धति का इस्तेमाल करके प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए, इस्तेमाल न की गयी कर जमा राशियों तथा किसी इस्तेमाल न की गयी कर हानियों को आगे ले जाने के लिए पहचान की गयी है। आस्थगित कर की उस संभव सीमा तक पहचान की गयी है जहाँ तक कर योग्य लाभ, कटौती करने योग्य अस्थायी अंतरों के मददे उपलब्ध होगा और इस्तेमाल न की गई कर जमा राशियों को आगे भेजने और इस्तेमाल न की गई कर जमा हानियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की उस स्थिति में पहचान नहीं की जाती है यदि वे क्रमशः देयताओं/परिसंपत्तियों की प्रारंभिक पहचान से उत्पन्न हो और लेनदेन के समय पर वे लेखा लाभ/हानि अथवा कर योग्य लाभ/हानि को प्रभावित न करें। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है और उसकी उस सीमा तक कटौती की जाती है जहाँ तक कि वह लम्बी अवधि तक संभव न हो, क्योंकि पर्याप्त कर योग्य लाभ की सुविधा सभी अथवा सभी आस्थगित कर परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध होगी। पहचान न की गयी आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर पुनः मूल्यांकन किया जाता है और उसकी संभव सीमा तक पहचान की जाती है जोकि भावी कर योग्य लाभ में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली करने की अनुमति प्रदान करेंगीं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का उन कर दरों पर आंकलन किया जाता है जो उस वर्ष में लागू करने के लिए अपेक्षित हो, जब परिसंपत्तियाँ वसूल की जाती हैं अथवा देयता का रिपोर्टिंग तारीख पर अधिनियमित करने अथवा तत्पश्चात् अधिनियमित करने पर प्राप्त कर दरों (और कर कानून) के आधार पर देयता का निपटान किया जाता है।

लाभ अथवा हानि के बाहर पहचान की गयी मदों के संबंध में आस्थगित कर की लाभ अथवा हानि के बाहर (अन्य व्यापक आय में अथवा इक्विटी में) पहचान की जाती है। आस्थगित कर मदों की ओसीआई में अथवा सीधे ही इक्विटी में लेनदेन करने के संबंध में पहचान की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ तथा आस्थगित कर देयतायें ऑफसेट होती हैं यदि चालू कर देयताओं के मददे चालू कर परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करने तथा सदृश्य कर योग्य सत्ता से संबंधित आस्थगित कर और सादृश्य कराधान प्राधिकार प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से लागू अधिकार मौजूद हो।

### (xv) परिसम्पततियों की क्षति

आन्तरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर किसी क्षति का संकेत मिलने पर परिसम्पततियों की प्राप्त हुई राशियों की तुलनपत्र की प्रत्येक तारीख पर समीक्षा की जाती है। हानि उसे माना जाता है जहॉ परिसम्पततियों की प्रापति राशि उसकी वसूलनीय राशि से अधिक हो। वसूलनीय राशि परिसम्पततियों की निवल बिक्री मूल्य और प्रचलन मूल्य से अधिक होगी। प्रचलन मूल्य का आंकलन करते हुए, निगम ने चालू मूल्यों पर आधारित अगले पॉच वर्षों के अनुमानित प्रक्षेपणों पर ध्यान न दिए गए नकदी प्रवाह के आधार पर 'प्रचलन मूल्य' को आंका है।

क्षति के बाद, परिसम्पतति की शेष अवधि पर परिशोधित प्रापति राशि पर मूल्यह्रास/परिशोधन प्रदान किया गया है।

### (xvi) वित्तीय परिसंपततियों की क्षति / अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में 5% की दर से प्रावधान किया जाता है जो कि तुलनपत्र की तारीख को तीन से अधिक वर्षों के लिए बकाया हैं।

### (xvii) प्रति शेयर उपार्जन

मूल उपार्जन प्रति शेयर की अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयर धारकों को प्रभावित करने वाली अवधि के लिए निवल अधिशेष अथवा घाटे को भाग करके आने वाली राशि से गणना की जाती है।

डिल्यूटिड उपार्जन प्रति शेयर की संभावित इक्विटी शेयर (पीईएस) के समायोजन प्रभाव के पश्चात् गणना की जाती है। पीई एस वह शेयर होते हैं जिन्हें अंतिम चरण पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जायेगा। अधिशेष/घाटा का सदृश पीईएस पर वहन किये गये व्ययों से समायोजन किया जायेगा। समायोजित अधिशेष/घाटे को भारित सामान्य औसत संख्या में संभावित इक्विटी शेयर को जोड़कर आने वाली राशि से विभाजित किया जाता है।

### (xviii) प्रावधान और आकसमिकता

तब प्रावधान किया जाता है जब किसी उद्यम के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरुप वर्तमान बाध्यता होती है और यह संभावित होता है कि संसाधनों के बहिर्वाह को उन बाध्यताओं का निपटान करना अपेक्षित होगा, जिनके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। दीर्धावधि प्रावधान को कटौती की गई दर को समायोजित करके उपयुक्त जोखिम पर उनके वर्तमान मूल्यों के अनुसार छूट दी जायेगी। अल्पावधि प्रावधानों को छूट देने की जरूरत नहीं है। प्रावधानों की तुलन पत्र की प्रत्येक तारीख को समीक्षा की जाती है और उनको चालू प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। अनिवार्य बाध्यताओं के संबंध में प्रावधानों को सृजित करने की भी जरूरत होती है। तथापि, निगम के पास रिपोर्टिंग अवधि में कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं है।

आकस्मिक देयताओं का गत घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभव बाध्यताओं के बारे में प्रकटीकरण किया जाता है और उनकी मौजूदगी की कम्पनी के नियंत्रण में पूरी तरह से न आने वाली भावी घटनाओं के घटित अथवा घटित न होने पर ही पुष्टि की जायेगी।

### (xix) नकदी और नकदी समकक्ष राशि

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समकक्ष राशि में बैंक में रहने वाली नकदी तथा हस्तगत नकदी और अल्पावधि निवेश तथा 3 माह या इससे कम की अवधि में परिपक्व होने वाली मूल नकदी शामिल है। नकदी प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाता है।

### 2.1 महत्तवपूर्ण लेखांकन अधिनिर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान

कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करते हुए प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजस्व, व्यय, परिसंपत्ति तथा देयताओं तथा संलग्न प्रकटीकरण और वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक देयताओं को प्रकटीकरण करने की स्थिति को प्रभावित करने वाली स्थितियों का अधिनिर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान का सतत् रूप से मूल्यांकन करें और वह प्रबंधन के अनुभव तथा अन्य तथ्यों पर आधारित हो जिसमें भावी घटनाओं की अपेक्षायें शामिल होती हैं जोकि परिस्थितियों के अधीन उचित मानी जाती हैं। इनका पूर्वानुमान और प्राक्कलन अनिश्चित होने के कारण भावी अवधियों में प्रभावित देयताओं अथवा परिसंपत्तियों की अग्रेणित राशियों में महत्तवपूर्ण समायोजन करने के लिए अपेक्षित परिण ाम प्राप्त होता है।

विशेष रूप से, कंपनी ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ महत्तवपूर्ण अधिनिर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान अपेक्षित है। इन प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित आगे की सूचना और वे विभिन्न लेखा नीतियों पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं ,इसकी पद्धति को नीचे तथा वित्तीय विवरणों की संबंधित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है। प्राक्कलन में परिवर्तनों का प्रत्याशित रूप से लेखा – जोखा भी रखा गया है।

**अधिनिर्णय**

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करते हुए प्रबंधन ने निम्नलिखित अधिनिर्णय दिए हैं जोकि वित्तीय विवरणों में पहचान की गयी राशियों को प्रभावित करने के लिए अत्यंत महत्तवपूर्ण हैं।

**आकस्मिकताएं**

आकस्मिक देयताएं कंपनी के विरूद्ध दावा करने तथा कानूनी, ठेकेदार, भूमि पहुंच तथा अन्य दावों से संबंधित कार्य व्यवसाय की सामान्य कार्य अवधि में उत्पन्न हो सकती है। स्वाभाविक रूप से आकस्मिकताओं को केवल तभी दूर किया जाएगा, जब एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी घटनायें उत्पन्न हों या उत्पन्न न हों। आकस्मिकताओं की मौजूदा तथा संभावित प्रमात्रा के मूल्यांकन में भावी घटनाओं के परिणाम से संबंधित प्राक्कलन का इस्तेमाल करना तथा महत्तवपूर्ण अधिनिर्णय करना शामिल है।

**प्राक्कलन और पूर्वानुमान**

रिपोर्टिंग तारीख पर अनिश्चित प्राक्कलन के भावी व अन्य मुख्य स्त्रोतों से संबंधित मुख्य पूर्वानुमान को नीचे वर्णित किया गया है, जोकि अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि को आगे ले जाने के लिए सम्पूर्ण समायोजन के कारण उत्पन्न महत्तवपूर्ण जोखिम उपलब्ध कराती हो। कंपनी तब उसके पूर्वानुमान पर आधारित होती है और उपलब्ध परिधियों के आधार पर प्राक्कलन करती है जब समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं। तथापि, भावी विकास प्रक्रियाओं के बारे में वर्तमान परिस्थितियों और पूर्वानुमान के कारण कंपनी के नियंत्रण से परे होने वाली परिस्थितियों अथवा बाजार में बदलाव आने के कारण यह परिवर्तन हो सकता है। ऐसे परिवर्तनों को उनके घटित होने पर पूर्वानुमान में दर्शाया गया है।

**(क) गैर– वित्तीय परिसंपत्तियों की अशक्तता**

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर यह मूल्यांकन करती है, चाहे इस तथ्य का यह संकेत हो कि परिसंपत्तियाँ अशक्त हो सकती हैं। यदि कोई संकेत मिल जाता है अथवा जब ऐसी परिसंपत्तियों के लिए वार्षिक अशक्तता परीक्षण करना जरूरी हो जाता है, तब कंपनी परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि परिसंपत्तियों से अधिक हो जाती है अथवा सी जी यू का उचित मूल्य उसकी निपटान लागत और उसके प्रचलित मूल्य से कम हो जाता है। इसका पृथक परिसंपत्तियों के लिए निर्धारण किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियाँ नकदी प्रवाह राशि उत्पन्न ना कर दे ; जो कि परिसंपत्तियों के वर्गों अथवा अन्य परिसंपत्तियों से बड़े पैमाने पर पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। जहाँ परिसंपत्तियों अथवा सी जी यू की अग्रेषित राशि उसकी वसूलनीय राशि से अधिक हो जाती है वहां परिसंपत्तियों को अशक्त माना जाता है और उसे उसकी वसूलनीय राशि में रिटन डाउन किया जाता है।

प्रचलित मूल्य का मूल्यांकन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह राशि में कर पूर्व कटौती दर का इस्तेमाल करके उसके वर्तमान मूल्य के अनुसार कटौती की जाती है, जिसे परिसंपत्तियों के लिए निर्दिष्ट जोखिम तथा राशि के समय मूल्य के अनुसार चालू बाजार मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रतिबिम्बित किया गया है। निपटान की कम लागत, उचित मूल्य का निर्धारण करते समय वर्तमान बाजार लेनदेनों का लेखा–जोखा रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेनों की पहचान नहीं की जाती है तो उपयुक्त मूल्यन मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। इन गणनाओं में गुणनात्मक मूल्यन, अन्य उपलब्ध उचित मूल्य के संकेत को अथवा सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली सहायक कंपनियों के लिए उद्घृत

शेयर मूल्यों को शामिल किया गया है।

### (ख) वित्तीय उपस्करों का उचित मूल्य आंकलन

जब तुलन पत्र में रिकॉर्ड की गयी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का सक्रिय बाजार में उद्घृत मूल्यों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तब डीसीआईएल मॉडल सहित मूल्यन प्रविधियों का इस्तेमाल करके उनके उचित मूल्य का आंकलन किया जाता है। इन मॉडलों इनपुट को अवलोकनीय बाज़ार से संभव होने पर लिया जाता है, परन्तु जहाँ यह व्यवहार्य नहीं हैं वहां उचित मूल्य को स्थापित करने में स्तरीय अधिनिर्णय अपेक्षित होता है। अधिनिर्णय में इनपुट का प्रतिफल जैसे लिक्विडिटी का जोखिम, जमा जोखिम और अस्थिरता शामिल हैं। इन तथ्यों के बारे में पूर्वानुमान में होने वाले परिवर्तनों से वित्तीय उपस्करों से रिपोर्ट किये गए उचित मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा।

### (ग) वित्तीय परिसंपत्तियों की अशक्तता

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अशक्तता प्रावधान चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि की दरों के बारे में पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। कंपनी अशक्तता गणना से संबंधित इनपुट का चयन करने और इन पूर्वानुमान के बारे में अधिनिर्णय का इस्तेमाल करती है जो कि कंपनी के पिछले इतिहास, वर्तमान बाजार की स्थितियों तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्राक्कलन का अवलोकन करने पर आधारित होती हैं।

### टिप्पणी सं० 3 – संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

**₹ लाखो में**

| | भवन | संयंत्र और उपस्कर | फर्नीचर और उपकरण | वाहन | कार्यालय उपस्कर | कंप्यूटर | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **लागत** | | | | | | | |
| **01 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार** | 1,985.85 | 147.36 | 554.15 | 7.01 | 1,945.08 | 3,169.80 | 7,809.25 |
| आवर्धन | - | - | 7.71 | - | 324.02 | 3,420.16 | 3,751.88 |
| निपटान | - | - | - | - | 0.20 | - | 0.20 |
| **31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार** | **1,985.85** | **147.36** | **561.86** | **7.01** | **2,268.90** | **6,589.95** | **11,560.93** |
| आवर्धन | - | 126.43 | 3.09 | - | 1,443.69 | 480.57 | 2,053.80 |
| निपटान | - | - | 1.27 | - | 9.17 | 130.11 | 140.55 |
| **31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार** | **1,985.85** | **273.79** | **563.68** | **7.01** | **3,703.42** | **6,940.42** | **13,474.17** |
| **मूल्यह्रास** | 909.94 | 112.71 | 391.75 | 5.35 | 1,283.79 | 2,921.05 | 5,624.59 |
| **01 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार** | 52.62 | 7.05 | 46.15 | 0.54 | 216.21 | 829.27 | 1,151.85 |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार | - | - | - | - | - | 151.14 | 151.14 |
| निपटान | - | - | - | - | 0.11 | | 0.11 |
| **31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार** | **962.56** | **119.76** | **437.90** | **5.89** | **1,499.89** | **3,901.46** | **6,927.47** |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार | 50.06 | 82.37 | 34.30 | 0.37 | 473.93 | 300.36 | 941.41 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अशक्तता हानि | - | - | - | - | - | - | - |
| निपटान | - | - | 1.21 | - | 8.79 | 126.19 | 136.19 |
| **31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार** | **1,012.63** | **202.13** | **470.99** | **6.26** | **1,965.03** | **4,075.63** | **7,732.68** |
| **निवल बही मूल्य** | | | | | | | |
| 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 973.23 | 71.65 | 92.69 | 0.75 | 1,738.38 | 2,864.78 | 5,741.47 |
| 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार | 1,023.29 | 27.60 | 123.96 | 1.12 | 769.01 | 2,688.49 | 4,633.46 |

**टिप्पणी सं० 4 – अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ**

**₹ लाखो में**

| | **सॉफ्टवेयर** | **योग** |
|---|---|---|
| **लागत** | | |
| **01 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार** | 287.93 | 287.93 |
| आवर्धन | 3,776.41 | 3,776.41 |
| निपटान | | - |
| **31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार** | **4,064.34** | **4,064.34** |
| आवर्धन | 3,674.45 | 3,674.45 |
| निपटान | - | - |
| **31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार** | **7,738.80** | **7,738.80** |
| परिशोधन | | |
| 01 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार | 230.45 | 230.45 |
| वर्ष के लिए परिशोधन प्रभार | 519.67 | 519.67 |
| अरात्क्तता हानि | 215.65 | 215.65 |
| निपटान | - | - |
| **31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार** | **965.77** | **965.77** |
| वर्ष के लिए परिशोधन प्रभार | 3,079.34 | 3,079.34 |
| अशक्तता हानि | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| निपटान | - | - |
| **31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार** | **4,045.12** | **4,045.12** |
| निवल बही मूल्य | | |
| 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 3,693.68 | 3,693.68 |
| 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार | 3,098.57 | 3,098.57 |

**टिप्पणी सं० 5 – ऋण**

**₹ लाखो में**

| **विवरण** | **गैर चालू** | |
|---|---|---|
| | **31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार** | **31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार** |
| **प्रतिभूति जमा** | | |
| अप्रतिभूति जिन्हें अच्छा समझा गया | 686.16 | 618.35 |
| **योग** | **686.16** | **618.35** |

टिप्पणीः गैर चालू प्रतिभूति जमा 10.85% प्रति वर्ष की कर पूर्व कटौती दर का इस्तेमाल करके उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार कटौती की गयी है।

**टिप्पणी सं० 6 – अन्य वित्तीय परिसंपत्ति**

**₹ लाखो में**

| **विवरण** | **गैर चालू** | |
|---|---|---|
| | **31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार** | **31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार** |
| **सावधि जमा** | | |
| सावधि जमा की परिवक्तता जिनकी अवधि 12 माह से अधिक की है* | 291.60 | 291.60 |
| **सावधि जमा पर प्रोदभूत ब्याज** | | |
| प्रोदभूत ब्याज | 31.02 | 28.75 |
| | **322.62** | **320.35** |

*बैंक गारंटी के मद्दे बंधक सावधि जमा

**टिप्पणी सं० 7 – आयकर**

31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर व्यय के मुख्य संघटक निम्नानुसार हैं:

**क. लाभ और हानि के विवरण**

**₹ लाखो में**

| **सं.** | **(i) लाभ और हानि अनुभाग** | | |
|---|---|---|---|
| | | **31 मार्च 2018** | **31 मार्च 2017** |
| | चालू आयकर प्रभार | 2,268.01 | 3,410.69 |
| | पूर्व वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन | 54.51 | 307.91 |
| | **आस्थगित कर:** | | |
| | अस्थायी अंतरों के प्रतिकूल और मूल के संबंध में | (361.69) | 542.35 |
| | लाभ और हानि के विवरण में सूचित किये गये आयकर व्यय | 1,960.83 | 4,260.95 |
| | | | |
| **(ii)** | **(ओसीआई) अन्य व्यापक आय अनुभाग** | | |
| | वर्ष के दौरान ओसीआई में पहचान की गयी मदों के सम्बन्ध में आस्थगित कर | - | - |
| | निश्चित लाभ योजना का पुनः आंकलन करने के संबंध में | - | - |
| | निवल हानि/(लाभ) | - | - |
| | **ओसीआई में प्रभारित आयकर** | | |

**(ख) 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत की घरेलू कर दर के द्वारा गुणा करके आने वाले लेखा लाभ और व्यय का मिलान:**

**₹ लाखो में**

| | **31 मार्च 2018** | **31 मार्च 2017** |
|---|---|---|
| सतत् परिचालन कार्यों से प्राप्त कर से पहले लेखा लाभ | 5,065.10 | 10,701.99 |
| बंद हो गए परिचालन से कर से पहले लाभ / हानि | - | - |
| **आयकर से पहले लेखा लाभ** | **5,065.10** | **10,701.99** |
| 34.608% पर भारत की सांविधिक आयकर दर (31 मार्च 2017: 34.608%) | 1,752.93 | 3,703.74 |
| पूर्व वर्षों की चालू आयकर के संबंध में समायोजन | 54.51 | 307.91 |

| | | |
|---|---|---|
| कर से छूट सरकारी अनुदान | - | - |
| आय से छूट | - | - |
| कर उद्देश्यों से कटौती न किये जाने वाले व्यय | 153.39 | 249.30 |
| **37.34% की प्रभावी आयकर दर पर (31 मार्च 2017: 39.81%)** | **1,960.83** | **4,260.95** |
| लाभ और हानि विवरण में सूचित किये गये आयकर | 1,960.83 | 4,260.95 |
| व्यय बंद किए गए परिचालन से प्राप्त आयकर | - | - |
| | **1,960.83** | **4,260.95** |

**(ग) आस्थगित कर**

**निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर** **₹ लाखो में**

| | तुलन पत्र | | आय और व्यय का विवरण | |
|---|---|---|---|---|
| | **31 मार्च 2018** | **31 मार्च 2017** | **31 मार्च 2018** | **31 मार्च 2017** |
| कर उददेश्यों से वृद्धि किया गया मूल्यह्रास | (324.90) | (679.22) | (354.32) | 547.20 |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | 104.32 | 104.95 | 0.63 | (11.00) |
| कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान | - | - | - | 15.85 |
| प्रतिभूति जमा का वर्तमान मूल्यन(परिसंपत्तियाँ) | 74.96 | 66.96 | (8.00) | (9.70) |
| | | | | |
| **आस्थगित कर व्यय / (आय)** | | | **(361.69)** | **542.35** |
| **निवल आस्थगित कर संपत्तियां/ (देयताएं)** | **(145.62)** | **(507.31)** | | |

**निम्नानुसार तुलनपत्र में दर्शाया गया :**

**₹ लाखो में**

| **विवरण** | **31 मार्च 2018** | **31 मार्च 2017** |
|---|---|---|
| आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (सतत परिचालन) | 179.28 | 171.91 |
| आस्थगित कर देयतायें (सतत परिचालन) | 324.90 | 679.22 |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देयतायें), निवल** | (145.62) | (507.31) |

## टिप्पणी सं 8 – अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| आस्थगित लीज्ड व्यय | 711.25 | 784.27 |
| पूर्तिकारों को अग्रिम | 1,828.74 | 1,498.43 |
| | **2,539.99** | **2,282.70** |

## टिप्पणी सं. 9 – व्यापार प्राप्तियाँ

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| अप्रतिभूत , जिन्हें अच्छा समझा गया | 28,835.15 | 28,130.13 |
| अप्रतिभूत, जिन्हें संदिग्ध समझा गया | 301.43 | 303.28 |
| घटायेंरू संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान* | (301.43) | (303.28) |
| **योग** | **28,835.15** | **28,130.13** |

* संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान व्यापार प्राप्तियों पर आधारित है जो तुलन पत्र की तारीख को 3 वर्ष से ज्यादा की अवधि के लिए बकाया है।

## टिप्पणी सं० 10 – नकदी व नकदी समकक्ष

₹ लाखो में

| विवरण | चालू संपत्तियाँ | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार |
| (क) बचत बैंक | | |
| खाता में शेष | 13,294.98 | 20,470.02 |
| (ख) अन्य | | |
| अग्रदाय खाता | 0.07 | 0.40 |
| **योग** | **13,295.05** | **20,470.42** |

**टिप्पणी संख्या 11 – अन्य बैंक शेष राशियां**

₹ लाखो में

| विवरण | चालू संपत्तियां | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार |
| सावधि जमा* | 139,978.35 | 119,260.15 |
| बैंक गारंटी के लिए बंधक रखी गई सावधि जमा | 1,749.18 | 1,112.31 |
| **योग** | **141,727.53** | **120,372.46** |

*स्वीप जमा खाते की बैंक शेष राशियां शामिल है।

**टिप्पणी सं० 12 – चालू कर परिसंपत्तियाँ**

₹ लाखो में

| विवरण | चालू संपत्तियां | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार |
| **सावधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज** | | |
| प्रोद्भूत ब्याज | 3,923.41 | 4,201.14 |
| **योग** | **3,923.41** | **4,201.14** |

**टिप्पणी सं० 13 – चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)**

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| प्रदत्त आयकर (निवल प्रावधान) | 11,164.64 | 6,036.78 |
| **योग** | **11,164.64** | **6,036.78** |

**टिप्पणी सं० 14 – अन्य चालू परिसंपत्तियां**

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| **कर्मचारियों को अग्रिम** | | |
| अप्रतिभूत, जिन्हें अच्छा समझा गया | 31.19 | 22.84 |
| **योग** | **31.19** | **22.84** |
| **अन्य अग्रिम** | | |
| अप्रतिभूत, जिन्हें अच्छा समझा गया | | |
| पूर्तिकारों को अग्रिम | 8,205.39 | 9,954.90 |
| अग्रिम राशियों पर जीएसटी और अन्य | 19,271.52 | 16,878.25 |
| पूर्व प्रदत्त व्यय | 318.98 | 207.69 |
| वसूलनीय कर* | 120.04 | 120.06 |
| | **27,915.93** | **27,160.90** |
| **कुल योग** | **27,947.12** | **27,183.74** |

* वसूलनीय कर का ब्यौरा

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| बिक्री कर/वसूलनीय डीवीएटी(1996–97 से 2013–14) | 117.70 | 117.70 |
| कार्य संविदा 2000–2001 पर टीडीएस | 2.34 | 2.34 |
| **योग** | **120.04** | **120.04** |

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

**टिप्पणी संख्या 15 – इक्विटी शेयर पूंजीः**

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च 2018, की संथिति के अनुसार | 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| **प्राधिकृत शेयर पूंजी** | | |
| 100/–रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर 200,000 (पूर्व वर्ष 200,000) | 200.00 | 200.00 |
| निगमित, अभिदत्त और पूर्णतया प्रदत्त शेयर | | |
| 100/– रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर 200,000 (पूर्व वर्ष 200,000) | 200.00 | 200.00 |
| | **200.00** | **200.00** |

**क) शेयरधारकों की सूचना* :**

| शेयरधारकों के नाम | संबंध | 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार | | 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | धारित इक्विटी शेयरों की संख्या | प्रतिशत (%) | धारित इक्विटी शेयरों की संख्या | प्रतिशत (%) |
| महानिदेशक, एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति | शेयरधारक | 199,995.00 | 100.00 | 199,995.00 | 100.00 |
| श्री श्याम बिहारी सिंह | शेयरधारक | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| श्री संजय सिंह गहलौत | शेयरधारक | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| डॉ. अम्बरीश कुमार | शेयरधारक | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| श्री विष्णु चन्द्र | शेयरधारक | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| श्री आर एस मणि | शेयरधारक | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| **योग** | | **200,000.00** | **100.00** | **200,000.00** | **100.00** |

* भारत सरकार की ओर से धारित

## (ख) रिपोर्टिंग वर्ष के शुरू और समाप्ति पर बकाया प्रदत्त शेयरों का मिलानः

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | | 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | रूपये | संख्या | रूपये |
| वर्ष के शुरू में बकाया शेयर | 200,000.00 | 200.00 | 200,000.00 | 200.00 |
| जोड़े :– वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर | - | - | - | - |
| वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयर | 200,000.00 | 200.00 | 200,000.00 | 200.00 |

## ग) इक्विटी शेयरों से जुड़े हुए अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध :

कंपनी के पास एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिसका समतुल्य मूल्य 100/–रूपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक मत देने का पात्र है।

## टिप्पणी संख्या 16 – अन्य इक्विटी :

₹ लाखो में

| विवरण | राशि |
|---|---|
| प्रतिधारित उपार्जन | |
| 1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार | 54,137.10 |
| वर्ष 2016–2017 के लिए लाभ | 6,441.04 |
| 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार | 60,578.14 |
| वर्ष 2017–2018 के लिए लाभ | 3,104.27 |
| 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 63,682.41 |

## टिप्पणी संख्या 17 – अन्य वित्तीय देयताएं

₹ लाखो में

| विवरण | गैर–चालू | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2018 की की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार |
| देय प्रतिभूति जमा | 40.45 | 51.46 |
| **योग** | **40.45** | **51.46** |

## टिप्पणी संख्या 18 – व्यापार प्राप्तियां

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| सूक्ष्म और लधु उदयमों के कारण | - | - |
| सूक्ष्म और लधु उदयमों के अलावा | 46,784.32 | 47,782.97 |
| **योग** | **46,784.32** | **47,782.97** |

## टिप्पणी संख्या 19 – अन्य वित्तीय देयतायें

₹ लाखो में

| विवरण | चालू | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार |
| व्यय हेतु देनदार | 407.68 | 376.89 |
| देय बयाना जमा राशि | 921.36 | 1,396.41 |
| देय कर्मचारी लाभ | 147.57 | 312.16 |
| देय व्यय | 9.87 | 103.36 |
| प्रतिधारण राशि* (निष्पादन बैंक गारंटी) | 242.37 | 296.18 |
| **योग** | **1,728.85** | **2,485.00** |

*टिप्पणी संख्या 58 देखें।

## टिप्पणी संख्या 20 – अन्य चालू देयतायें

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| सांविधिक देय राशि और कर | 1,992.35 | 1,615.74 |
| ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि | 115,804.50 | 101,363.31 |
| ग्राहकों से प्राप्त अनुदान सहायता | 9,225.79 | 2,689.64 |
| निगमित सामाजिक जिम्मेदारियां | 198.00 | - |
| **योग** | **127,220.64** | **105,668.69** |

**टिप्पणी संख्या 21 – प्रावधान**

₹ लाखो में

| विवरण | चालू | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार |
| स्टांप शुल्क हेतु प्रावधान | 74.52 | 74.52 |
| **योग** | **74.52** | **74.52** |

**टिप्पणी संख्या 22 – परिचालन से राजस्व**

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **परिचालन से प्राप्त राजस्व** | | |
| व्यापार हेतु माल की बिक्री | 38,476.45 | 51,419.03 |
| सेवा आय | 87,352.48 | 72,650.39 |
| **योग (क)** | 125,828.93 | 124,069.42 |
| प्रशासनिक प्रभार | 7.43 | 71.64 |
| **योग (ख)** | 7.43 | 71.64 |
| **परिचालनों से प्राप्त कुल राजस्व (क)+(ख)** | **125,836.36** | **124,141.06** |

**टिप्पणी संख्या 23 – अन्य आय**

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| ब्याज की आय | 8,285.60 | 8,827.96 |
| अन्य गैर परिचालन आय | 250.56 | 192.76 |
| घटाएं :– | | |
| अनुदान सहायता परियोजनाओं पर ब्याज (एनकेएन के अलावा) | 428.48 | 408.72 |
| एनकेएन परियोजनाओं पर ब्याज (अनुदान सहायता) | 349.23 | 90.38 |
| प्रतिभूति जमा राशियों पर छूट देना | 47.28 | 44.72 |
| वित्तीय परिसंपततियों की पहचान न होने पर लाभ | 0.63 | - |
| | 7,806.36 | 8,566.34 |

## टिप्पणी संख्या 24 – व्यापारगत स्टॉक की खरीद

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| खरीद– | | |
| हार्डवेयर | 34,239.03 | 41,499.00 |
| साफ्टवेयर | 2,644.47 | 7,170.21 |
| जिला अवसंरचना का फैलाव | 2,687.53 | - |
| | **39,571.03** | **48,669.21** |

## टिप्पणी संख्या 25 – कर्मचारी के हितों संबंधी व्यय

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| वेतन व प्रोत्साहन | 794.41 | 959.70 |
| स्टाफ कल्याण | 34.43 | 34.14 |
| | 828.84 | 993.84 |

## टिप्पणी संख्या 26 – अन्य व्यय

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| विज्ञापन व्यय | - | 18.90 |
| लेखा परीक्षा शुल्क | 7.22 | 7.54 |
| बैंक प्रभार | 13.14 | 3.33 |
| पुस्तकें व पत्रिकाएं | 10.05 | 24.45 |
| जीएसटी ( गैर परिवर्तनीय ) | 22.23 | - |
| कांफ्रेस सेमिनार कार्यशाला व्यय | 68.22 | 126.86 |
| उपभोज्य भंडार | 43.56 | 43.00 |
| सवारी व्यय | 4.79 | 7.19 |
| निगमित सामाजिक जिम्मेदारियां व्यय ' | 198.00 | - |

| | | |
|---|---|---|
| डीजी सेट के लिए डीजल | 4.69 | 1.39 |
| संदिग्ध ऋण | - | 31.80 |
| बिजली और जल प्रभार | 613.92 | 521.61 |
| विदेशी मुद्रा में अंतर | 0.38 | 0.55 |
| भाड़ा प्रभार | - | 4.19 |
| गृह व्यवस्था व सफाई प्रभार | 291.05 | 173.56 |
| गृह लीज़्ड प्रभार | 7.24 | 25.60 |
| आंतरिक लेखा–परीक्षा शुल्क | 0.60 | 0.75 |
| सदस्यता व अभिदान प्रभार | 1.01 | 1.18 |
| विविध व्यय | 14.17 | 32.23 |
| कार्यालय व्यय | 1,289.18 | 965.12 |
| कार्यालय किराया | 2,585.51 | 2,558.18 |
| मुद्रण व लेखन सामग्री | 9.22 | 14.65 |
| व्यावसायिक व परामर्शदायी प्रभार | 234.56 | 242.00 |
| डीटीएच के लिए किराया | 0.45 | - |
| किराया दर तथा कर | 4.27 | 4.27 |
| मरम्मत व रखरखाव | 385.88 | 387.63 |
| धारा 6 (3) नियमावली के अधीन सेवा कर | 97.94 | 259.23 |
| सेवा कर और कर ( गैर परिवर्तनीय ) | 124.77 | 390.97 |
| टैक्सी भाड़ा प्रभार | 328.60 | 308.79 |
| टेलीफोन व्यय | 52.31 | 62.16 |
| यात्रा व्यय (स्टाफ) विदेश | 9.07 | 31.23 |
| यात्रा व्यय (निदेशक) | 0.34 | 0.21 |
| यात्रा व्यय (स्टाफ) | 339.07 | 231.68 |
| वाहन – पैट्रोल | 1.45 | 1.48 |
| वाहन का रखरखाव | 0.42 | 0.31 |
| स्वच्छ भारत कर गैर व्यय | 293.01 | - |
| कृषि कल्याण उपकर व्यय | 320.73 | - |
| | **7,377.05** | **6,482.05** |
| | | |

*टिप्पणी संख्या 60 देखें।

बिजली, और जल प्रभार तथा गृह व्यवस्था तथा सफाई प्रभारों के लिए शीर्ष के अधीन आंकडों को निवल प्रतिपूर्ति के बाद दर्शाया गया है।

## टिप्पणी संख्या 27 – प्रत्येक शेयर का उपार्जन

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **प्रति शेयर उपार्जन** | | |
| इक्विटी शेयरधारकों को प्रभावित करने वाला अधिशेष | 3,104.27 | 6,441.05 |
| इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 2.00 | 2.00 |
| **मूल उपार्जन प्रति शेयर** | **1,552.14** | **3,220.52** |
| **कम उपार्जन प्रति शेयर** | **1,552.14** | **3,220.52** |
| अंकित मूल्य प्रति शेयर | 100 | 100 |

## टिप्पणी संख्या 28 – उचित मूल्य मापन

### (i) श्रेणी में वित्तीय उपकरण

₹ लाखो में

| विवरण | 31 मार्च 2018 | | 31 मार्च 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | एफवीटीपीएल | परिशोधित लागत | एफवीटीपीएल | परिशोधित लागत |
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | | | | |
| व्यापार प्राप्ति योग्य राशियाँ | - | 28,835.15 | - | 28,130.13 |
| नकदी और नकदी समकक्ष राशियाँ | - | 13,295.05 | - | 20,470.42 |
| अन्य बैंक शेष राशियां | - | 141,727.53 | - | 120,372.46 |
| प्रोदभूत ब्याज (चालू) | - | 3,923.41 | - | 4,201.14 |
| प्रतिभूति जमा | - | 686.16 | - | 618.35 |
| सावधि जमा | - | 291.60 | - | 291.60 |
| प्रोदभूत ब्याज(गैर चालू) | - | 31.02 | - | 28.75 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | **-** | **188,789.92** | **-** | **174,112.85** |
| वित्तीय देयतायें | | | | |
| व्यापार देय राशियाँ | - | 46,784.32 | - | 47,782.97 |
| अन्य वित्तीय देयतायें (चालू) | - | 1,728.85 | - | 2,485.00 |
| अन्य वित्तीय देयतायें (गैर चालू) | - | 40.45 | - | 51.46 |
| **कुल वित्तीय देयतायें** | **-** | **48,553.62** | **-** | **50,319.43** |

### (ii) उचित मूल्य की क्रमबद्धता

सभी वित्तीय साधनों जिसके लिए उचित मूल्य की पहचान की गयी है अथवा उनका प्रकटीकरण किया गया है उनको उचित मूल्य के क्रमबद्धता के भीतर वर्गीकृत किया गया है जिन्हें कुल मिलाकर उचित मूल्य मापन के अनुसार महत्तवपूर्ण निम्न स्तर पर वर्णित किया गया है :

स्तर–1: सदृश्य परिसंपत्तियाँ अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाज़ारों में मूल्य उदधृत (असमायोजित)।

स्तर–2: मूल्यन प्रविधियाँ जिसके लिए उचित मूल्य मापन के अनुसार महत्तवपूर्ण प्रभाव रखने वाले निम्न स्तर के इनपुट को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देखा गया है।

स्तर–3: मूल्यन प्रविधियाँ जिसके लिए उचित मूल्य मापन के अनुसार महत्तवपूर्ण प्रभाव रखने वाले निम्न स्तर के इनपुट अवलोकनीय बाजार डाटा पर आधारित नहीं है।

निम्नलिखित सारणी में, जिसमें उचित मूल्य का अनुमान लग जाता है, उनको छोड़कर कंपनी की परिसंपत्तियां और देयताओं की उचित मूल्य मापन की क्रमबद्धता का प्रावधान किया गया है।

**परिसंपत्ति और देयताओं जिनका उस परिशोधन लागत पर आकलन किया गया है, जिनके लिए 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्यों को दर्शाया गया है।**

**₹ लाखो में**

| | | | उचित मूल्य मापन का इस्तेमाल करके | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **मूल्यन की तारीख** | **योग** | **उदधृत सक्रिय मूल्य** | **महत्तवपूर्ण अवलोकनीय** | **महत्तवपूर्ण अवलोकन न किये जाने वाले इनपुट** |
| | | | **(स्तर–1)** | **(स्तर–2)** | **(स्तर–3)** |
| **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | | |
| दी गयी प्रतिभूति जमा | 31-03-18 | 531.22 | - | - | 531.22 |

इस अवधि के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं किया गया है।

**परिसंपत्ति और देयताओं जिनका उस परिशोधन लागत पर आकलन किया गया है, जिनके लिए 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्यों को दर्शाया गया है**

**₹ लाखो में**

| | | | उचित मूल्य मापन का इस्तेमाल करके | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **मूल्यन की तारीख** | **योग** | **उदधृत सक्रिय मूल्य** | **महत्तवपूर्ण अवलोकनीय** | **महत्तवपूर्ण अवलोकन न किये जाने वाले इनपुट** |
| | | | **(स्तर–1)** | **(स्तर–2)** | **(स्तर–3)** |
| **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | | |
| दी गयी प्रतिभूति जमा | 31-03-17 | 423.46 | - | - | 423.46 |

इस अवधि के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं किया गया है।

नकदी और नकदी समकक्ष राशियों, व्यापार प्राप्तियां , योग्य राशियां, अन्य प्राप्तियाँ, अल्पावधि उधार, व्यापार देय राशियां तथा अन्य चालू वित्तीय देयताओं के लिए प्रबंधन यह निर्धारण करता है कि इन साधनों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर आगे ले जाई गयी राशियों का उनके उचित मूल्य में अनुमान लगाया जाता है।

कंपनी की दीर्घवधि ब्याज रहित प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य का निर्धारण कटौती दर का इस्तेमाल करके कटौती की गयी नकदी प्रवाह (डीसीएफ) पद्धति को लागू करके निर्धारण किया जाता है जिसमें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की उधार दर को दर्शाया जाता है। इन्हें प्रति  पार्टी क्रेडिट जोखिम को शामिल करके अवलोकन न किये जाने वाले इनपुट को न जोड़ने के कारण उचित मूल्य की क्रमबद्धता में स्तर 3 के उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

## 29. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियाँ

कंपनी के मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार देय राशियाँ, प्रतिभूति जमा, बयाना जमा राशि तथा कर्मचारी की देयतायें शामिल हैं। कंपनी की मूल वित्तीय परिसम्पत्तियों में व्यापार प्राप्तियाँ, प्रतिभूति जमा, सावधि जमा, उनके परिचालन से सीधे ही प्राप्त होने वाली नकदी और बैंक शेष राशियाँ शामिल हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा लिक्विडिटी जोखिम के बारे में बताती है। कंपनी का प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन कार्यों को देखता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मंडल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो कंपनी के लिए वित्तीय जोखिम तथा उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन रूपरेखा बनाने के सम्बन्ध में सलाह देते हैं। बोर्ड कंपनी के प्रबंधन को यह आश्वासन देता है कि कंपनी के वित्तीय जोखिम से सम्बंधित गतिविधियों को उपयुक्त नीतियों तथा पद्धति के द्वारा शासित किया जाता है और वित्तीय जोखिमों को कंपनी की नीतियों तथा जोखिम उद्देश्यों के अनुसार पहचान की जाती है, उनका आंकलन तथा प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन नीचे संक्षेप में दिए गए इन प्रत्येक जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनपर सहमति प्रदान करता है।

### 1. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें वित्तीय साधनों के भविष्य में होने वाले नकदी प्रवाह के उचित मूल्यों में बाजार मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के कारण वृद्धि हो जाएगी। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम  हैं : ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम शामिल होते हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में सावधि जमा शामिल होती है।

### (क) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें वित्तीय साधनों के भविष्य में होने वाले नकदी प्रवाह अथवा  उचित मूल्यों में बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन होने वाले परिवर्तनों के कारण वृद्धि हो जायेगी। कंपनी बैंकों के पास रखी गयी सावधि जमा में कंपनी के निवेश से मुख्य रूप से सम्बंधित बाजार की ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों के जोखिम के बारे में बताती है। कंपनी की सावधि जमा को नियत दर पर ले जाया जाता है। अतः ब्याज दर जोखिम पर निर्भर करते हुए, जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक के 107 में परिभाषित किया गया है कि न कि आगे ले जाने वाली राशि के कारण और न ही भावी नकदी प्रवाह के कारण बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वृद्धि होगी।

### (ख) विदेशी मुद्रा की संवेदनशीलता

विदेशी मुद्रा का जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें कि भविष्य में होने वाली नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में विनिमय

दरों में परिवर्तन होने के कारण वृद्धि होगी। विदेशी मुद्रा जोखिम संवेदनशीलता का आर्थिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्यों में कर देय होने से पहले परिवर्तन हो जाने पर कंपनी के लाभ पर प्रभाव पड़ता है। कंपनी विदेशी मुद्रा के जोखिम को नहीं बताती है क्योंकि उसके पास कोई विदेशी मुद्रा आर्थिक परिसम्पत्तियाँ और देयतायें उपलब्ध नहीं होती हैं।

### II क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम होता हैं जिसमें प्रति पार्टी वित्तीय हानियों के कारण वित्तीय साधन अथवा ग्राहक संविदा के अधीन उसकी बाध्यताओं की पूर्ति नहीं करेगी। कंपनी उसकी वित्तीय गतिविधियों से (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियाँ) क्रेडिट जोखिम के बारे में बताती है।

अधिकतम क्रेडिट जोखिम में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अग्रेनीत मूल्य दवारा प्रस्तुत वित्तीय परिसंपततियों के संबंध में बताया गया है।

### (क) व्यापार प्राप्तियाँ

ग्राहक के क्रेडिट जोखिम को कम्पनी के प्रबंधन द्वारा ग्राहक के क्रेडिट जोखिम प्रबंधन से सम्बंधित स्थापित नीतियों, पद्धतियों और नियंत्रण प्रक्रियाओं के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ग्राहक की क्रेडिट गुणवत्ता का व्यापक क्रेडिट समीक्षा के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और अलग–अलग क्रेडिट सीमाओं को इस मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित किया जाता है। शेष ग्राहकों की प्राप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के पास टिप्पणी–9 में दर्शायी गयी स्थिति के अलावा डूबे गए ऋण के जोखिम के बारे में कोई महत्तवपूर्ण स्थिति मौजूद नहीं है।

अशक्तता विश्लेषण को मुख्य ग्राहकों के लिए पृथक आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर पूरा किया जाता है। यह गणना एतिहासिक डाटा पर आधारित होती है। रिपोर्टिंग तारीख पर क्रेडिट जोखिम के संबंध में अधिकतम प्रकटीकरण टिप्पणी–9 में बताये गए प्रत्येक श्रेणी की वित्तीय परिसंपत्तियों का अग्रेनीत मूल्य होता है। कंपनी प्रतिभूति के रूप में कोई राशि नहीं रखती है। कंपनी व्यापार की कम प्राप्त होने वाली प्राप्तियों के संबंध में जोखिम स्थितियों का मूल्यांकन करती है, क्योंकि उसके ग्राहकोंमें मुख्य रूप से भारत सरकार तथा उसके मंत्रालयों के ग्राहक शामिल होते है।

### (ख) वित्तीय साधन और नकदी जमा

बैंक के पास शेष राशियों से होने वाले क्रेडिट जोखिम को कंपनी की नीति के अनुसार कंपनी के कोषागार विभाग द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। अधिशेष राशियों के निवेश संबंधी लेनदेन को अनुमोदित प्रतिपार्टियों के साथ ही किया जाता है।

### III. लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम होता है जिनका कंपनी वित्तीय देयताओं से संबंधित बाध्यताओं की पूर्ति करने में आने वाली कठिनाईयों का सामना करेगी, जिनका नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के द्वारा निपटान किया जाता है। लिक्विडिटी रखने के लिए कंपनी को यथा संभव यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास उसकी देयताओं की पूर्ति करने के लिए देयतायें देय होने की स्थिति में पर्याप्त लिक्विडिटी राशि उपलब्ध है। प्रबंधन प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर नकद हुए नकदी समकक्ष राशियों तथा कंपनी की लिक्विडिटी की स्थिति के पूर्वानुमान प्रक्रिया की निगरानी करता है। कंपनी बाजार की लिक्विडिटी का लेखा जोखा रखती है जिसमें सत्ता परिचालन कार्य पूरा किया जाता है।

**सविदात्मक बतायी न गयी भुगतान राशियों के अधार पर कंपनी की वित्तिय देयताओं की परिपक्वता का सार नीचे सारणी में दिया गया है।**

**₹ लाखो में**

| | **मांगपर** | **3 से कम माह** | **3 से 12 माह** | **1 से 5 वर्ष** | **5 वर्षों से कम** | **योग** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31 मार्च 2018** | | | | | | |
| **को समाप्त वर्ष** | | | | | | |
| व्यापार प्राप्तियाँ | 46,784.32 | | | | | 46,784.32 |
| अन्य वित्तीय देयतायें(गैर चालू) | 40.45 | | | | | 40.45 |
| अन्य वित्तीय देयतायें(चालू) | 1,728.85 | | | | | 1,728.85 |
| | **48,553.62** | **-** | **-** | **-** | **-** | **48,553.62** |
| **31 मार्च 2017** | | | | | | |
| **को समाप्त वर्ष** | | | | | | |
| व्यापार प्राप्तियाँ | 47,782.97 | | | | | 47,782.97 |
| अन्य वित्तीय देयतायें(गैर चालू) | 51.45 | | | | | 51.45 |
| अन्य वित्तीय देयतायें(चालू) | 2,484.99 | | | | | 2,484.99 |
| | **50,319.41** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50,319.41** |

### IV. आधिक्य जोखिम स्थिति

यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बहुत सी प्रतिपार्टियाँ एक जैसे भौगोलिक क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों अथवा एक समान व्यवसाय की गतिविधियों में लगी हुई होती है अथवा उनकी आर्थिक विशेषताएं होती है , जिसके कारण संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता आर्थिक, राजनैतिक अथवा अन्य स्थितियों में बदलाव होने पर सदृश्य रूप से प्रभावित करती हैं। इस स्थिति में विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास कार्यों के सम्बन्ध में कंपनी की कार्य निष्पादन के बारे में संबंधित संवेदनशीलता को दर्शाया जाता है।

जोखिम की आधिक्य स्थितियों से बचने के लिए कंपनी की नीतियों तथा पद्धतियों में विविध पोर्टफोलियों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत शामिल किये गए हैं। क्रेडिट जोखिम से संबंधित पहचान की गयी स्थितियों को तदानुसार नियंत्रित और व्यवस्थित किया जाता है।

### 30. पूंजी प्रबंधन

कंपनी की पूंजी प्रंबधन की संरचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करनी है कि वचनबद्ध कार्य कार्यक्रम की अपेक्षाओं को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी के भीतर पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध हो। कंपनी लचीलापन बनाये रखने तथा उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु पूंजी संरचना में होने वाले परिवर्तनों की अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए व्यवसाय की दीर्धावधि नकद प्रवाह अपेक्षाओं की निगरानी करती है।

कंपनी आर्थिक स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उसकी पूंजी संरचना को व्यवस्थित करती है और उसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना का रखरखाव करने अथवा उसमें समायोजन करने के लिए कंपनी नकदी

हेतु नये शेयर जारी करने के लिए, शेयरहोल्डरों को प्रतिफल पूंजी, ऐसी अन्य यथा उपयुक्त पुनः संरक्षित गतिविधियों को शुरू करने अथवा उसके स्थान पर नई ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु लाभांश भुगतान का समायोजन करेगी।

**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।**

**₹ लाखो में**

| विवरण | 31 मार्च 2018 | 31 मार्च 2017 |
|---|---|---|
| उधार राशियाँ | | |
| व्यापार प्राप्तियाँ | 46,784.32 | 47,782.97 |
| अन्य प्राप्तियाँ | 129,064.46 | 108,279.67 |
| घटायें : नकदी और नकदी समकक्ष राशियाँ | (13,295.05) | (20,470.42) |
| **निवल ऋण** | **162,553.73** | **135,592.22** |
| **कुल इक्विटी** | **63,882.41** | **60,778.15** |
| **पूंजी और निवल ऋण** | **226,436.14** | **196,370.37** |
| **अनुपात (%)** | **71.79%** | **69.05%** |

## 31. आकसमिक देयतायें

तुलन पत्र की तारीख के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रयोक्ताओं को प्रदान की गई ऑफ साइट वारंटी के संदर्भ में आकसमिक देयताओं पर विचार नहीं किया गया हैं क्योंकि परियोजनाओं के तहत पूर्ति किये गये सभी उपकरणों को वारंटी अवधि के बाद समय–समय पर विक्रेताओं/पूर्तिकारों से एएमसी के तहत शामिल किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा प्रावधान न की गई आकसमिक देयतायें नीचे दिये गए अनुसार हैः

**₹ लाखो में**

| विवरण | 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार (रूपये) | 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार (रूपये) |
|---|---|---|
| कंपनी से दावे, जिनकी ऋण के रूप में सूचना नहीं दी गई है। | 69.72 | 108.47 |
| गारंटी | 1493.32 | 1359.58 |
| आयकर मांग (निर्धारण वर्ष 2010–11) | 7.91 | 7.91 |
| आयकर मांग (निर्धारण वर्ष 2012–13) | 14.90 | - |
| योग | **1585.85** | **1475.96** |

ii. 2009 से 2016 तक की अवधि के लिए स्पैक्टम प्रभारों के संबंध में 32383.09 लाख रूपये और लाइसेंस शुल्क के संबंध में 65445.02 लाख रूपये की डीओटी द्वारा जुर्माना के रूप में वसूली की गई है (संदर्भ टिप्पणी संख्या 45 देखें)। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए उपर्युक्त के संदर्भ में आगे कोई पत्राचार नहीं किया गया है (राशि का पता नहीं है)

iii. डीओटी लाइसेंस – राशि के संबंध में वी – सेट (सीएससी परियोजना और एनडीआरएफ परियोजना) से आय पर 2 प्रतिशत की दर से लगाए गए जुर्माना का पता नहीं है।

## 32. वचनबद्धता

कंपनी ने व्यापारिक माल की खरीद करने तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ किये गये करारों तथा क्रय आदेशों पर आधारित उत्तरवर्ती अवधि में इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की वचनबद्धता दी है। इन वचनबद्धताओं को स्वीकृत शर्तो के अनुसार संशोधित भी किया जा सकता है । तथापि, कंपनी की आंतरिक परियोजनाओं के संबंध में ऐसी की गयी वचनबद्धताओं की राशि 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार 21.32 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 17.98 लाख रूपये) है । इसके अतिरिक्त, आरक्षिति में से व्यय के संबंध में वचनबद्धता निम्नानुसार हैं –

**₹ लाखो में**

| क्रम संख्या | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय डाटा केंद्र, भुवनेश्वर | 9,248.00 |
| 2 | एनआईसी क्लाउड सेवाओं का संवर्धन | 12,034.00 |
| 3 | जिला 2.0 – डिजीटल इंडिया पहल कार्यों का प्रचार | 7,213.00 |
| 4 | निकसी उत्कृष्ट केंद्र | 2,650.00 |
| 5 | लक्ष्मी नगर डाटा केंद्र का उन्नयन | 816.00 |
| 6 | आई टी पार्क , शास्त्री पार्क में विकास केंद्र | 2,480.00 |
| | योग | **34,441.00** |

## 33. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में दिये गये आय व व्यय लेखा तैयार करने के सामान्य अनुदेशों के पैरा 5 (viii) के अनुसार सूचना

i. सी आई एफ आधार पर आयात का मूल्य : शून्य

ii. विदेशी मुद्रा में व्यय (प्रोद्भूत आधार पर)

**₹ लाखो में**

| विवरण | 31, मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (रूपये) | 31, मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (रूपये) |
|---|---|---|
| यात्रा–स्टाफ (विदेशी) | शून्य | 31.23 |
| **योग** | **शून्य** | **31.23** |

iii. विदेशी मुद्रा में उपार्जन (प्रोद्भूत आधार पर) शून्य रूपये (पूर्व वर्ष शून्य रूपये) है।

**34. लेखा परीक्षक पारिश्रमिक***

**₹ लाखो में**

| विवरण | 31, मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (रूपये) | 31, मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (रूपये) |
|---|---|---|
| कर लेखा शुल्क शामिल करते हुए लेखा परीक्षक शुल्क | 7.21 | 6.55 |
| व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु | 1.99 | 1.74 |
| **योग** | **9.12** | **8.29** |

* सेवाकर को शामिल करते हुए। इसके अलावा, 3.42 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 4.82 लाख रूपये ) का विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रमाणन कार्य के लिए भुगतान किया गया है जिसे सीधे ही संबंधित परियोजनाओं में डेबिट किया जाता है।

**35. लेखांकन मानक के अनुसार प्रकटीकरण–19 ''कर्मचारी लाभ''**

**(i) भविष्य निधि में अंशदान**

निकसी की कोई भविष्य निधि योजना नहीं है क्योंकि 3 मार्च,1998 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार निकसी के सभी पदाधिकारी तथा उनके पद एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं। भविष्य निधि की इस प्रयोजन हेतु निर्धारित दरों के अनुसार प्रत्येक माह उनके वेतन से कटौती की गई है तथा सरकार से मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तत्पश्चात् उसे एनआईसी को भेजा जाता है क्योंकि सम्पूर्ण लेखा का रखरखाव उनके द्वारा किया जाता है। इसलिए निकसी की कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा के भुगतान के संबंध में कोई देयता नहीं है।

**(ii) छुट्टी वेतन**

चूंकि 3 मार्च, 1998 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार रा.सू.वि.केंद्र के सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, छुट्टी वेतन अंशदान राशि की (संबंधित कर्मचारी के वेतन से निर्धारित दरों के अनुसार) निकसी द्वारा प्रत्येक माह उनके खाते में गणना की जाती है/प्रदान की जाती है तथा उसके पश्चात् उसे रा.सू.वि.केंद्र के पास भेज दिया जाता है। इस प्रकार, निकसी की छुट्टी वेतन भुगतान/छुट्टी भुनाने के संबंध में कोई देयता नहीं है ।

**(iii) पेंशन अंशदान**

चूंकि 3 मार्च, 1998 की उक्त भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, रा.सू.वि.केंद्र के सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसलिए पेंशन अंशदान राशि की (संबंधित कर्मचारी के वेतन से निर्धारित दरों के अनुसार) प्रत्येक माह उनके खाते में निकसी द्वारा गणना/प्रदान की जाती है तथा उसके पश्चात् उसे रा.सू.वि. केंद्र को भेज दिया जाता है । इस प्रकार पेंशनरी लाभ के भुगतान के लिए निकसी की कोई देयता नहीं है

**(iv) उपदान**

चूंकि 3 मार्च, 1998 की उक्त भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, रा.सू.वि. केंद्र के सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसलिए कंपनी भुगतान करने के लिए दायी नहीं है क्योंकि उसको एन आई सी द्वारा पूरी तरह से वहन किया जायेगा।

## 36. संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण

### i. संबंधित पार्टियों की सूची

| पार्टी का नाम | संबंध |
|---|---|
| श्री मनोज कुमार मिश्रा | प्रबंध निदेशक |

### ii. संबंधित पार्टियों से लेन–देन

₹ लाखो में

| पार्टी का नाम | अवधि | लेन देन की प्रकृति | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष (रूपये) | 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष रूपये) |
|---|---|---|---|---|
| श्री मनोज कुमार मिश्रा | 31–03–2018 के आगे से | पारिश्रमिक | 34.47 | 3.97 |
| डॉ (श्रीमती) रंजना नागपाल* | (27–12–2016 से 14–02–2017) | प्रबंधकीय पारिश्रमिक | शून्य | शून्य |
| श्री राजेश बहादुर | (1–4–2016 से 26–12–2016) | प्रबंधकीय पारिश्रमिक | शून्य | 22.87 |
| | **योग** | | **34.47** | **26.84** |

*प्रबंध निदेशक, निकसी का अतिरिक्त प्रभार संभाला गया और एनआईसी से वेतन लिया गया।

संबद्ध पार्टियों को 31–03–2018 की स्थिति के अनुसार देय शेष राशि : 2.37 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 2.00 लाख रूपये) थी ।

## 37. परिचालित (ऑपरेटिंग) लीज

कंपनी ने परिचालित (ऑपरेटिंग) लीज के अंतर्गत कार्यालय स्थल को भाड़े पर लिया है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 17 'लीज्ड हेतु कुल भावी न्यूनतम लीज्ड भुगतान के विवरण निम्नानुसार हैः–

₹ लाखो में

| क्रम सं. | विवरण | 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार (रूपये) | 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार (रूपये) |
|---|---|---|---|
| i. | एक वर्ष से अधिक नहीं | 1302.78 | 1322.59 |
| ii. | एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से कम नहीं | 7578.28 | 7337.06 |
| iii. | पांच वर्ष से अधिक | 13932.76 | 15807.82 |

**38. भारतीय लेखांकन मानक – 108 परिचालन खंड के अनुसार प्रकटीकरण**

निकसी दिल्ली में केंद्रीयकृत कार्यालय से केवल "सूचना प्रौद्योगिकी" खंड पर ही सेवायें प्रदान कर रही है। उस पर एक खंड के रूप में विचार करते हुए, वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखांकन मानक 108 – परिचालन खंड के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है ।

**39. शेष पुष्टि**

ऋण और अग्रिम, व्यापार प्राप्तियां, व्यापार देय राशियां, ग्राहकों से अग्रिम, आपूर्तिकर्ता के लिए अग्रिम, अनुदान सहायता परियोजानओं से प्राप्त अग्रिम राशियां, ईएमडी और प्रतिभूति जमा राशि शीर्ष के अधीन, शेष राशि को पुष्टि, मिलान और उसके परिणामात्मक समायोजन, यदि कोई है, के अनुसार दर्शाया जाता है।

**40. सवारी/हक विलेख का गैर निष्पादन**

कंपनी ने वर्ष 2003 और 2001 में क्रमशः मैसर्स एनबीसीसी लिमिटेड से हॉल संख्या 2 और 3, 6वां तल एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली खरीदा। तथापि, उसकी 931.50 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 931.50 लाख रूपये) के संबंध में सवारी विलेख/हक विलेख को एनबीसीसी द्वारा कंपनी से बहुत से अनुरोध प्राप्त होने के बावजूद भी अभी तक पंजीकृत नहीं कराया गया है। कंपनी द्वारा इन मामले में मैसर्स एनबीसीसी को नियमित रूप से याद दिलाया जा रहा है। अतः स्टैम्प ड्यूटी की राशि के संबंध में 74.51 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 74.51 लाख रू.) का प्रारंभिक प्रावधान वित्तीय विवरणों में किया गया है और अंतर राशि, यदि कोई हो, साल में प्रावधान किया जायेगा और उसे पंजीकृत किया जायेगा ।

**41. प्रबंधन के विचार में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्यविधि के दौरान वसूलनीय मूल्य होना चाहिए जोकि उललिखित राशि के कम–से–कम समतुल्य हो।**

**42. एमएसएमईडी अधिनियम, 2016 की धारा 22 के अधीन प्रकटीकरण**

| क्रम सं | विवरण | वित्तीय वर्ष 2017–18 | वित्तीय वर्ष 2016–17 |
|---|---|---|---|
| 1 | किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया भुगतान के लिए देय प्रधान राशि और ब्याज | शून्य | शून्य |
| 2 | पूर्तिकार को की गई भुगतान की राशि तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा प्रदान की गई ब्याज की राशि | शून्य | शून्य |
| 3 | भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज और देय राशि, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना | शून्य | शून्य |
| 4 | प्रोदभूत ब्याज तथा शेष भुगतान न की गई राशि | शून्य | शून्य |
| 5 | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती करने वाले व्यय को न देने के प्रयोजन से, उस तारीख से जब उपर्युक्त देय ब्याज राशि का लधु उद्यम को वास्तव में भुगतान किया जाता है, यहां तक कि उत्तरवर्ती वर्षों में आगे की ब्याज राशि देय रह गई हो और देय हो । | शून्य | शून्य |

वित्तीय वर्ष 2017–18 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अधीन कोई पार्टी शामिल नहीं है ।

### 43. व्यापारगत स्टॉक से संबंधित सूचना

चूंकि कंपनी की कोई विनिर्माण यूनिट या अपनी कोई सुविधा नहीं है इसलिए लाइसेंस प्राप्त/प्रतिस्थापित क्षमता के संबंध में ऐसी कोई सूचनाएं लागू नहीं होती हैं । व्यापारगत स्टॉक की सूचना नीचे दिये गये अनुसार है :–

**₹ लाखो में**

| **विवरण** | **वित्तीय वर्ष 2017–2018** | | **वित्तीय वर्ष 2016–2017** | |
|---|---|---|---|---|
| | **मात्रा** | **मूल्य** | **मात्रा** | **मूल्य** |
| | **(नग)** | **(रूपये)** | **(नग)** | **(रूपये)** |
| प्रारंभिक स्टॉक | | | | |
| हार्डवेयर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| सॉफ्टवेयर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| **योग** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** |
| खरीद | | | | |
| हार्डवेयर | 1611390 | 34239.03 | 3414096 | 41498.99 |
| सॉफ्टवेयर | 53195 | 2644.47 | 278201 | 7170.21 |
| **योग** | **1664585** | **36883.50** | **3692297** | **48669.20** |
| बिक्रियां | | | | |
| हार्डवेयर | 1611390 | 35698.66 | 3414096 | 43768.25 |
| सॉफ्टवेयर | 53195 | 2777.79 | 278201 | 7650.78 |
| **योग** | **1664585** | **38476.45** | **3692297** | **51419.03** |
| अंतः स्टॉक | | | | |
| हार्डवेयर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| सॉफ्टवेयर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| **योग** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** |

### 44. भारतीय लेखा मानक–36 ''परिसंपततियों की अशक्तता'' के अनुसार प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक–36 ''परिसंपततियों की अशक्तता'' के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान शास्त्री पार्क स्थान में स्थित राष्ट्रीय डाटा केन्द्र और लक्ष्मी नगर में डॉटा केन्द्र के संबंध में एनआईसी क्लाउड सेवाओं के संवर्धन और शास्त्री पार्क स्थानों में विकास केंद्रों पर निवेश करने के संबंध में परिसंपततियों की अशक्तता का निर्धारण किया गया है

जो कि कम्पनी की नकदी प्रस्तुत करने वाली यूनिटें हैं और इस संबंध में किसी अशक्तता हानि का पता नहीं चला है।

**45. (क) दिनांक 20.11.2009 की डीओपी लाइसेंस सं0 815–100/निकसी/2009–डीएस के मद्दे वी–सैट परियोजनाओं में राजस्व उत्पादन (जी आर/ए जी आर) और उस पर डीओटी को लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभारों का भुगतान**

निकसी ने दिनांक 25.11.2009 को दूरसंचार विभाग के साथ एक वाणिजयिक वीसैट लाइसेंस समझौता किया था और दूरसंचार विभाग को तद्नुसार लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष के दौरान इस लाइसेंस के मद्दे दो परियोजनायें यथा सीएससी और एनडीआरएफ कार्यान्वित की गयी है। अक्तूबर, 2015 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह इंगित किया था कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 11.10.2011 के आदेश में कहा था कि समायोजित सकल राजस्व की विस्तृत परिभाषा, जिसमें लाइसेंस से परे राजस्व शामिल है, अगर किसी तरह से लाइसेंसधारक को प्रभावित करती है तो लाइसेंसधारकों को छूट है कि वे टेलीग्राफ अधिनियम के खंड (4) के तहत लाइसेंस की आवश्यकता न होने वाले कार्यकलाप न करें तथा ऐसे कार्यकलापों को किसी अन्य व्यक्ति या फर्म या कम्पनी को स्थानांतरित कर दें । निकसी, उसके बाद एमईआईटीवाई के माध्यम से दूरसंचार विभाग से इस मामले पर कारवाई करेगी कि दूरसंचार विभाग निकसी के संबंध में केवल उन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व पर ही वसूली करेगा, न कि प्रारंभिक स्वीकृत शर्तों के अनुसार कम्पनी के पूरे राजस्व पर वसूली करेगा। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10.5.2016 के अर्धशासकीय सं0 32–4/सीसीए–दिल्ली/2015–एलएफपी (के डब्ल्यू–2) द्वारा सूचित किया कि एजीआर मामला फिलहाल माननीय उच्चतम न्यायालय में ''अपील'' के अधीन है और 29.02.2016 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भारत संघ अपनी समझ के अनुसार मांगें उठाती रहेगी, हालांकि इस कोर्ट द्वारा विवाद के अंतिम निर्णय होने तक इसे लागू नहीं किया जायेगा । दूरसंचार विभाग ने आगे कहा कि मूल्यांकन कार्य, प्रासंगिक लाइसेंस करारों की निबंधन व शर्तों और समय–समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों/अनुदेशों/स्पष्टीकरणों के अनुसार, अगले आदेशों तक जारी रखा जायेगा।

तथापि, डीओटी ने दिनांक 09.02.2017 की पत्र सं. 7–16/2009–एलएफ/वी सेट 2015–16/107 तथा दिनांक 09.02.2017 की सं. डब्ल्यूपी एफ–1000/निकसी/वाणिज्य वी सेट/2010–11/107 के द्वारा निकसी को 2009 से 2016 तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के संबंध में 65445.02 लाख रुपये तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों के संबंध में 32383.09 लाख रुपये निकसी को अंतरिम मूल्यांकन भेजा । इस मांग के लिए निकसी ने एमईआईटीवाई के साथ इस मामले पर कारवाई शुरू की और सचिव, एमईआईटीवाई ने दिनांक 14.03.2017 को अर्ध शासकीय पत्र सं. 80752/सामान्य/नई दिल्ली, सचिव डीओटी को भेजा जिसमें उन्होंने दिनांक 25.11.2009 के पत्र के द्वारा दिये गए उनके मूल स्पष्टीकरण के अनुसार केवल वी–सैट सेवाओं से निकसी की राजस्व राशि के अनुसार उक्त मांग को परिशोधित करने के लिए कहा और माननीय भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम निर्णय होने तक मूल्यांकन के संबंध में दिनांक 29.02.2016 को अंतरिम सूचना भेजने को कहा । डीओटी से अभी उत्तर प्राप्त होना है ।

निकसी ने इसलिए दूरसंचार विभाग को वर्ष के दौरान तदनुसार पहले अपनाई गई पद्धति के अनुसार प्रभारों का भुगतान प्रदान किया है।

**(ख) सीएससी परियोजनाओं के लिए वीसैट**

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान दिनांक 20.11.2009 की डीओटी लाइसेंस संख्या 815–100/निकसी/2009–डीएस के मद्दे पूर्वोत्तर परियोजना में सीएससी हेतु वी सेट राजस्व के रुप में शून्य रूपये (पूर्व वर्ष 296.56 लाख रुपये) की राशि प्राप्त की गयी है । इनके विवरण निम्नानुसार है –

₹ लाखो में

| क्र.सं. | विवरण | वित्तीय वर्ष 2017–2018 (रुपये) | वित्तीय वर्ष 2016–2017 (रुपये) |
|---|---|---|---|
| (क) | कंपनी के आय और व्यय लेखा के अनुसार कुल राजस्व | 133642.72 | 132707.40 |
| (ख) | उपर्युक्त डी.ओ.टी लाइसेंस से संबंधित वीसैट सेवाओं (सीएससी परियोजना) से आय | NIL | 296.56 |
| (ग) | (ख) के अलावा परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व | 133642.72 | 132410.84 |

निकसी राजस्व पर इस परियोजना के संबंध में उपर्युक्त लाइसेंस के मद्दे डीओटी के शुल्क को परियोजना संख्या 80752/जीईएन/एनडी में प्रभारित किया गया है।

इस परियोजना में डी ओ टी द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने, यदि कोई है, का उस वर्ष में लेखा – जोखा रखा जाएगा, जिसमें उसकी वसूली की जाएगी। तथापि, निकसी ने दिनांक 31–3–2017 को डीओटी को उक्त लाइसेंस सुपुर्द किया है और तत्पश्चात कंपनी दवारा कोई गतिविधि शुरू नहीं की गई है।

## (ग) एनडीआरएफ परियोजना हेतु वीसैट

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान दिनांक 20.11.2009 की डीओटी लाइसेंस संख्या 815–100/निकसी/2009–डीएस के मद्दे पूर्वोत्तर परियोजना के लिए वीसैट से संबंधित राजस्व के रुप में शून्य रूपये ( पूर्व वर्ष 343.54 लाख रुपये ) की राशि प्राप्त की गयी है । इनके विवरण निम्नानुसार है –

₹ लाखो में

| क्र.सं. | विवरण | वित्तीय वर्ष 2017–2018 (रुपये) | वित्तीय वर्ष 2016–2017 (रुपये) |
|---|---|---|---|
| (क) | कंपनी के आय और व्यय लेखा के अनुसार कुल राजस्व | 133642.72 | 132707.40 |
| (ख) | उपर्युक्त डी.ओ.टी लाइसेंस से संबंधित वीसैट सेवाओं (एनडीआरएफ परियोजना) से आय | NIL | 343.54 |
| (ग) | (ख) के अलावा परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व | 133642.72 | 132363.86 |

निकसी राजस्व पर इस परियोजना के संबंध में उपर्युक्त लाइसेंस के मद्दे डीओटी के शुल्क को परियोजना संख्या 111116/जीईएन/एनडी में प्रभारित किया गया है ।

इस परियोजना में डीओटी द्वारा लगाए गए जुर्माने, यदि कोई है, का उस वर्ष में लेखा–जोखा रखा जायेगा, जिसमें उसकी वसूली की गई है।

- तथापि , निकसी ने दिनांक 31– 3– 2017 को डीओटीको उक्त लाइसेंस सुपुर्द किया है और तत्पश्चात कंपनी दवारा कोई गतिविधि शुरू नहीं की गई है।

## 46. एनकेएन परियोजना पर परिचालन सीमान्त राशि (प्रशासनिक प्रभार)

एनकेएन परियोजना पर दिनांक 19.7.2011 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, एन के एन परियोजना के अधीन व्यय पर 1% दर से परिचालन सीमान्त राशि वसूल करने के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग, प्रभाग (आईएफडी) से विशेष अनुमोदन प्राप्त होने की प्रतीक्षा है । तथापि, निदेशक मण्डल से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक एतद्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अनुमोदन मिलने के अनुसार व्यय के 1% की दर से अपनी परिचालन सीमान्त राशि की प्रविष्टि कर रही है ।

## 47. अनुदान सहायता परियोजनाएं

अनुदान सहायता परियोजनाओं के संबंध में मंजूरियों में निर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अनुसार, कंपनी सीए फर्म से लेखा परीक्षा की गई सभी ऐसी परियोजनाओं के लेखा प्राप्त कर रही है। चालू वर्ष के लिए, एनकेएन परियोजना को छोड़कर, सभी जीआईए परियोजनाओं के खातों का लेखा परीक्षा किया जाता है, जिस पर कारवाई चल रही है।

## 48 अग्रिम पर सेवा कर

389.02/– करोड़ रुपये का सेवा कर और 13.94/–करोड़ रुपये की ब्याज राशि जमा करने के संबंध में सेवा कर आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली से निकसी में दिनांक 24.06.2014 की मांग व कारण बताओ सूचना संख्या 38/परीक्षा/2014–15/13266–71 प्राप्त हुई है। उपर्युक्त सूचना के मद्दे अंतिम उत्तर प्रस्तुत करने और निजी सुनवाई दिनांक 10.3.2015 को आयोजित की गयी। दिनांक 16.6.2015 के मूल आदेश सं0 16/एसटी/एसवीएस/डीएल–।।।/2015 सेवा कर मुख्य आयुक्त (दिल्ली–।।। आयुक्त कार्यालय) से प्राप्त की गयी जिसके अनुसार,

वर्ष 2008–2009 से 2012–2013 की अवधि के लिए एस सी एन में प्रस्तावित शिक्षा कर तथा एस और एच ई उपकर सहित 389,02,36,342/– रूपये (केवल तीन सौ नवासी करोड़, दो लाख, छत्तीस हजार,तीन सौ तथा बयालीस रूपये) के संपूर्ण सेवा कर की मांग को निकाल दिया गया।

तथापि सर्विस टैक्स विभाग ने दिनांक 16.10.2015 की अपील सं. एसटी/अपील सं. 53521 ऑफ 2015 एसटी (डीबी) द्वारा माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीई एसटीएटी) के समक्ष 3,89,02,36,342/–रु. के कथित सेवा कर मांग को छोड़ने के लिए ''अपील'' दायर की है और अपील पर निर्णय आने तक ''स्टे'' के लिए भी एक आवेदन किया है। सीईएसटीएटी ने 10.5.2016 को ''स्टे'' के लिए दिए गए आवेदन पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया। सीईएसटीएटी के समक्ष अपील पर सुनवाई की प्रतीक्षा है। कम्पनी ने तद्नुसार दिनांक 15.06.2016 को 30,29,27,240/–रुपयों की वापसी के लिए सेवा कर कार्यालय में एक स्वच्छ आवेदन दायर किया है। सेवा कर विभाग ने दिनांक 30.11.2016 के आदेश के द्वारा निकसी को 30,29,27,240/– रुपये की वापिस राशि स्वीकृत की, जो दिनांक 08–05–2017 को प्राप्त हो गई है। सीईएसटीएटी दवारा दिनांक 26.07.2018 को "अपील" की सुनवाई की गई और दिनांक 16.08.2018 के आदेश दवारा सेवा कर विभाग की अपील को रद्द कर दिया गया है।

## 49. परिचालन सीमान्त राशि की पहचान

कंपनी सरकारी विभागों तथा संगठनों की ओर से कंप्यूटर हार्डवेयर की सुविधा प्रदान कर रही है जिसके लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित प्रशासनिक प्रभारों की बिल प्रापति पर तथा ग्राहकों को सुपुर्दगी किए जाने पर पावती सूचना प्राप्त होने पर वसूली की जा रही है ।

बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान परिचालन सीमान्त राशि की दरें निम्नानुसार है –

| परियोजना लागत | परियोजना लागत के प्रतिशत की दर |
|---|---|
| 50 करोड़ रूपये तक | 7% |
| 50 करोड़ रूपये से अधिक | 5% |

उपर्युक्त दरें 15.01.2015 से लागू हैं और उससे पहले अलग–अलग स्लैब दरें परियोजना की लागत के 3 से 8% के बीच लागू थी।

तथापि, एमईआईटीवाई के अनुमोदन के अनुसार, कम्पनी अपनी आंतरिक परियोजनाओं के संबंध में प्राप्ति पर एन आई सी से किसी परिचालन सीमान्त राशि की वसूली नहीं कर रही है और इसके आगे, डिजीटल हस्ताक्षर परियोजना के संबंध में, कंपनी परियोजना लागत पर ध्यान दिए बिना 5% की दर से एकरुप परिचालन सीमान्त राशि ले रही है।

## 50. राष्ट्रीय डॉटा केन्द्र परियोजना, शास्त्री पार्क, दिल्ली पर खर्च होने वाली आय/व्यय राशि

एमईआईटीवाई ने यह अनुमोदित किया कि दिनांक 1.4.2014 के आगे से, निकसी राष्ट्रीय डाटा केन्द्र, शास्त्री पार्क, दिल्ली पर किराया व रखरखाव/बुनियादी ढ़ांचे के रखरखाव/बुनियादी अवसंरचना ओ एण्ड एम जनशक्ति शीर्षों पर केवल 8 करोड़ रुपये तक परिचालनात्मक व्यय शीर्षवार खर्च करेगी और एनआईसी विद्युत और डीजल प्रभारों/प्रत्यक्ष सुरक्षा व गृहव्यवस्था प्रभारों/जल प्रभारों/लोजिस्टिक सहायता/आकस्मिकता प्रभारों के संबंध में निकसी द्वारा प्रारंभ में ये व्यय वहन करने के पश्चात् अपने बजटीय प्रावधान में से इन सभी प्रभारों के 3% तक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी। 8 करोड़ रुपये की व्यय राशि में से निकसी अन्य संगठनों को प्रभार योग्य आधार पर दिये गये सर्वरों के जरिये आय को प्रस्तुत करेगी। यदि आय व्यय से कम होती है तो शेष राशि को निकसी उद्देश्यों के बारे में संवर्धनात्मक व्यय राशि माना जायेगा। वर्ष के दौरान 800.00 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 570.95 लाख रुपये ) के व्यय राशि में से निकसी की आय 1736.89 लाख रुपये है (पूर्व वर्ष 1235.20 लाख रुपये है)

## 51 एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर निकसी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये निकसी के कर्मचारियों को निकसी की सेवा नियमों के आधार पर छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में 1.89 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की है । निदेशक मण्डल की दिनांक 17.5.2006 को आयोजित उनकी 49वीं बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित सेवा नियमों के आधार पर कंपनी द्वारा इस राशि की प्रतिपूर्ति की गई है और उसे दिनांक 24.9.2010 को आयोजित 69वीं बैठक में संशोधित किया गया था, जोकि डीपीई/डीओटीपी के दिशानिर्देशों और सीसीएस के छुट्टी यात्रा रियायत नियमों के अनुसार नहीं है। उसके बाद इन सेवा नियमों को निकसी द्वारा 11.11.2014 को परिशोधन हेतु एनआईसी/डीईओटीवाई को भेजा गया है। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार वसूली किस्तों में की जायेगी । निकसी ने मई, 2015 में कर्मचारियों के वेतन से राशि की वसूली की है। इसके लिए कर्मचारियों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में वसूली के लिए याचिका दायर की है और इस मामले में न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय देने तक दिनांक – 9.6.2015 के ''आदेश'' द्वारा कर्मचारियों से राशि की वसूली करने के संबंध में ''रोक'' लगा दी गयी है। अंत में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.3.2016 के अपने फैसले में निर्णय लिया कि सेवा शर्तें, जो अपीलकर्ता को निकसी में प्रतिनियुक्ति पर आवेदन करने के लिए प्रेरित करती है और एलटीसी के उदारीकरण विकल्प को चुनने की सुविधा प्रदान करती है, उसे रोका जाये। पर उस सुविधा का सतत् रुप से लाभ उठाया गया। उसके बाद एलटीसी के नियमों में संशोधन किया गया–जिस पर कोई विवाद नही था कि निकसी के मूल विनियम तथा उसमें किये गये संशोधन लागू रहेंगे । इन परिस्थितियों में सेवा की शर्तों में बदलाव किये बिना की जाने वाली वसूली को रोका नहीं जा सका। तदनुसार

प्रतिवादी अर्थात् निकसी को 2010 से पूर्व प्रतिनियुक्ति की शतों के अनुसार अधिक भुगतान की गयी राशि ही वसूल करने की अनुमति दी गयी है क्योंकि मौजूदा कुछ कर्मचारियों ने संगठन में अभी कार्यग्रहण किया अथवा जो 2010 के संशोधन के प्रतिकूल है। इस अपील को उस सीमा तक माना जाता है।

एमईआईटीवाई ने दिनांक 14.07.2016 के पत्र के द्वारा निकसी को यह निदेश दिया कि जो कर्मचारी अनियमित रूप से छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा ले रहे थे उन्हे आधिक्य भुगतान की वसूली करना जारी रखें । निकसी ने दिनांक 29.07.2016 के पत्र के द्वारा एमईआईटीवाई को यह सूचित किया कि चालू निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निकसी ने छुट्टी यात्रा रियायत के कारण कर्मचारियों को किए गए आधिक्य भुगतान की वसूली प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी है और उन्हें इसके संबंध में 29.07.2016 को कार्यालय ज्ञापन जारी भी किया जिसमें उन्हें यह सूचित किया गया है कि यह वसूली अगस्त 2016 माह के वेतन से शुरू की जाएगी। इसके साथ – साथ दिनांक 16.08.2016 को निकसी द्वारा एमईआईटीवाई को यह मामला प्रस्तुत किया गया।

प्रभावित कर्मचारी दिनांक 29.07.2016 के निकसी के उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वसूली पुनः शुरू की गयी प्रक्रिया के विरोध में अवमानना याचिका दायर करके माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय में चले गए जिसमें निकसी तथा एमईआईटीवाई दोनों को प्रतिवादी बनाया गया। एमईआईटीवाई ने इस मामले पर पुनः विचार किया और निकसी को दिनांक 17.03.2017 की टिप्पणी द्वारा यह सलाह दी कि वह इस मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय से प्राप्त दिनांक 18.03.2016 के उक्त निर्णय का अनुपालन करें। एमईआईटीवाई के निर्देशों के आधार पर निकसी ने दिनांक 21.03.2017 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि एनआईसी/निकसी के कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत की दावा की गई राशि की वसूली न की जाये और इसके अलावा उचित समय पर संबंधित अधिकारियों को पहले से वसूली की गई राशि की पुनः वापसी की जाये। प्रतिवादियों ने तदानुसार दिनांक 21.03.2017 के कार्यालय ज्ञापन की फोटोकॉपी को सुपुर्द करके, दिनांक 23.03.2017 को अपनी सुनवाई में माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय को इस निर्णय की सूचना दी । अवमानना याचिका को इस प्रकार संतुष्ट हो जाने पर निपटान किया गया माना गया और प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया गया कि वे दिनांक 21.03.2017 के कार्यालय ज्ञापन को तत्काल लागू करें। निकसी ने तदनुसार कारवाई की और प्रत्येक संबद्ध व्यक्तियों को वसूल की गई राशि की वापिसी की ।

इस बीच, इस मामले को नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई – मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट – केंद्र सरकार ( संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) – 2015 की संख्या 55 में शामिल किया गया। इस समय यह मामला संसद में लोक लेखा समिति (पीएसी) के पास है।

उक्त माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को शामिल करते हुए एमईआईटीवाई ने उपर्युक्त के अनुसार नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक कार्यालय को सूचित किया। उसके बाद, नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक कार्यालय ने माननीय न्यायालय के फैसले की प्रति और निकसी के सेवा नियमों के परिशोधन के लिए सरकार के अनुमोदन की प्रति की भी इच्छा व्यक्त की। जबकि माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक कार्यालय को प्रदान की गई थी, यह सूचित किया गया कि निकसी के सेवा नियमों के परिशोधन की दिशा में यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन था। इस प्रकार यह पैरा, सरकार से निकसी के सेवा नियमों के परिशोधन न होने के कारण अभी भी पीएसी के विचाराधीन है।

## 52. एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले निकसी के कर्मचारियों को परियोजना प्रोत्साहन

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2007–2008 से 2013–2014 तक के लिए एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले निकसी के कर्मचारियों को परियोजना, प्रोत्साहन के संबंध में 2.11 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, इसके संबंध में वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए लेखाओं में 44.84 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए 45.80 लाख रुपये की राशि प्रदान की गयी है, जो निदेशक मंडल की दिनांक 22.12.2008 को आयोजित 60वीं बैठक

में उनके द्वारा अनुमोदित नियमों पर आधारित है, जोकि डीपीई के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नहीं है । मार्गदर्शी सिद्धांतों पर अनुमोदन लेने के लिए निकसी द्वारा इस मामले को एनआईसी/एमईआईटीवाई को प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रोत्साहन पर टी डी एस की कटौती वास्तविक भुगतान के समय की जायेगी । चूंकि इस मामले में अभी तक कोई फीडबैक नहीं मिले हैं इसलिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में परियोजना प्रोत्साहन राशि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

## 53. अनुदान सहायता परियोजना की उपयोग न की गयी निधि पर ब्याज

वित्तीय वर्ष 2011–2012 तक, कम्पनी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए गारंटीकर्ता संस्थान से प्राप्त की गयी राशि को अनुदान सहायता प्रापति के रुप में उसे मानने के बदले ''ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि'' मान रही है और तदनुसार गारंटीकर्ता संस्थान को प्रयोग न की गयी निधि पर कोई ब्याज नहीं दिया गया ।

निदेशक मण्डल ने दिनांक 21.12.2011 को आयोजित बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचत बैंक खाता में लागू ब्याज दर के अनुसार समय–समय पर अनुदान सहायता परियोजनाओं में उपलब्ध प्रयोग न की गयी निधि पर उपार्जित ब्याज राशि की गणना करने और उसकी वापसी करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है । तदनुसार कम्पनी ने गारंटीकर्ता संस्थानों को ब्याज राशि अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचत बैंक खातों में लागू ब्याज की दर की गणना कर उसकी वापसी की है जबकि गारंटीकर्ता संस्थानों द्वारा निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुसार अनुदान सहायता परियोजनाओं की प्रयोग न की गयी शेष राशि पर उपार्जित वास्तविक ब्याज राशि की वापसी करनी होगी। गांरटीकर्त्ता विभागों ने वित्तीय वर्ष 2016 – 2017 तक संबद्ध परियोजना में क्रेडिट किए गए ब्याज को स्वीकार किया है और इनमें से अधिकतर परियोजनाएं अभी पूरी हो गई हैं और उनके खातों का निपटान कर दिया गया हैं। हालांकि, कंपनी द्वारा सरकार को जीआईए परियोजनाओं में ब्याज की वापसी राशि को कम करने के संबंध में नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक कार्यालय से एक पैरा प्राप्त होना जारी है। निकसी ने इस पैरा पर उततर प्रदान किया था और यह अभी भी नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक कार्यालय के विचाराधीन है।

इसी बीच, निदेशक मंडल ने दिनांक 28.03.2017 को आयोजित अपनी 100वीं बैठक में, इस मामले पर पुनः विचार किया है और निकसी को यह सलाह दी कि वे प्रोदभूत आधार पर अनुदान सहायता पर ब्याज की वापसी करें। तदनुसार, चालू वर्ष में,निकसी ने उस वर्ष में बैंक द्वारा सूचित ब्याज दरों के अनुसार जीआईए परियोजनाओं के संबंध में वास्तविक आधार पर ब्याज राशि को तैयार किया है और संबंधित परियोजना के प्रत्येक खाते में उसे उपलब्ध कराया। इसके अलावा, प्रत्येक जीआईए की चल रही परियोजना के लिए कंपनी द्वारा नए बैंक खाते खोले गए हैं और भविष्य में इस पर उपार्जित संपूर्ण ब्याज राशि को गांरटीकर्त्ता विभाग को वास्तविक आधार पर वापस किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए अनुदान सहायता परियोजनाओं ( जिसमें एनकेएन परियोजना शामिल है) पर इस्तेमाल न की गई निधि पर ब्याज 777.72 लाख रूपये ( पूर्व वर्ष 499.10 लाख रूपये जिसमें एनकेएन परियोजना भी शामिल है) की राशि को वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज आय से कम किया गया है।

## 54 एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले निकसी के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता और मकान किराया भत्ता

कंपनी ने दिनांक 1.7.2007 से 31.3.2014 तक की अवधि के दौरान एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले निकसी कर्मचारियों को गृह किराया भत्ता के संबंध में 0.17 करोड़ रुपये और परिवहन भत्ता के संबंध में 0.49 करोड़ की आधिक्य राशि का भुगतान किया है । कम्पनी द्वारा निदेशक मण्डल की दिनांक 17.5.2006 को आयोजित 49वीं बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित सेवा नियमों के आधार पर इस राशि का भुगतान किया गया है जोकि भारत सरकार के नियमों के अनुसार नहीं है । निकसी द्वारा एनआईसी/एमईआईटीवाई को दिनांक 11.11.2014 को सेवा नियम परिशोधन हेतु भेजे गये हैं। इसके अलावा, इस मामले में फीडबैक मिलना शेष है । निकसी के सेवा नियमों में वर्तमान प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2014–15, से 2017–18 के दौरान, कम्पनी द्वारा भुगतान भी किया गया है।

## 55 प्राप्ति योग्य व्यापार

निकसी एतद्द्वारा प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा राज्यों/संघ शासित राज्य क्षेत्रों से बहुत–सी नई परियोजनाएं कार्यान्वित करती हैं । सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, निकसी को 40 प्रतिशत तक अथवा इसी प्रकार की दी गई अग्रिम राशि को जारी करने के लिए उसे प्रतिबंधित करती है, जबकि बहुत से मामलों में मुख्य रुप से आई सी टी हार्डवेयर की प्राप्ति करने से संबंधित मामलों में निकसी को उन मदों की प्रदायगी/प्रतिस्थापन करने के पश्चात् और उसकी पूरी सीमा तक कार्य आदेश जारी करने होंगे। निकसी को कार्य आदेशों में दी गयी भुगतान शर्तों के अनुसार विक्रेताओं को भुगतान जारी करना होगा। इसके परिणामस्वरुप, बहुत से अवसरों पर, व्यापार प्राप्ति योग्य राशि को वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 9 में दर्शाया गया, जिसमें 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार 28835.15 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 28130.13 लाख रुपये) की व्यापार प्राप्ति योग्य राशि शामिल है, जिस पर निकसी द्वारा उसे वसूल करने के लिए संबद्ध विभाग/संगठन से समय–समय पर कार्रवाई की जाती है ।

## 56 आईटीएटी के पास आयकर छूट अपील

कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए(क) के अधीन उसके पंजीकरण हेतु दिनांक 13.6.2013 को आयकर आयुक्त के पास आवेदन प्रस्तुत किया। तथापि, दिनांक 17.12.2013 के ''आदेश'' के द्वारा सक्षम प्राधिकारी ने इस अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया। निकसी ने तत्पश्चात् इस मामले में दिनांक 17.12.2013 के आदेश के मद्दे दिनांक 20. 2.2014 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) नई दिल्ली के पास अपील दायर की। दिनांक 17.04.2017 के आदेश के अनुसार माननीय आईटीएटी ने निकसी हेतु धारा 12 ए के अधीन पंजीकरण प्रदान करने के लिए अनुदान देने का आयकर प्राधिकारियों को निर्देश दिया है। कंपनी ने आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आयकर विभाग के पास एक आवेदन दायर किया है।

## 57. चालू तथा गैर–चालू परिसंपतियों तथा देयताओं का वर्गीकरण

कंपनी परिचालन श्रेणी के भीतर वसूलनीय क्षमता/भुगतान के अनुमान के आधार पर वित्तीय विवरणों में परिसंपतियों और देयताओं का ''चालू तथा गैर–चालू'' के अंतर्गत द्विविभाजन की सुविधा प्रदान करती है ।

## 58. प्रतिधारण राशि

कुछ विक्रेताओं ने नामिकाबद्धता की निबंधन और शर्तों के अनुसार निष्पादन बैंक गारंटियां प्रस्तुत नहीं कीं है, बल्कि कंपनी से अनुरोध किया कि वह अपनी भुगतान राशि से निष्पादन बैंक गारंटी के समतुल्य राशि को बरकरार रखे। तदनुसार 242.38 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 296.18 लाख रूपये) को बनाए रखा गया है और एक प्रतिधारण राशि नामक नये शीर्ष में उसे स्थानांतरित किया गया है।

## 59. विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से सरकारी अनुदान

निकसी आईसीटी परियोजनाओं के लिए सत्ता के सामान्य व्यापार लेनदेन के लिए समय–समय पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सरकारी अनुदान प्राप्त करती है, जिसकी पहचान नहीं की जा सकती है। हालांकि, निकसी को अपनी अपेक्षाओं/खपत के लिए कोई सरकारी अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है।

वित्तीय विवरणों में एक प्रकटीकरण 'ग्राहकों से प्राप्त अनुदान सहायता के रूप में 'अन्य चालू देयताओं' के तहत अलग से किया गया है, क्योंकि ये सामान्य व्यापार लेनदेन हैं। इन अनुदानों का उपयोग संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए किया जाता है और यदि संबंधित परियोजना की समाप्ति पर निकसी के पास शेष राशि उपलब्ध है, तो उसे ब्याज सहित गारंटीकर्त्ता संस्थान को वापस किया जाता है। सभी अनुदान सहायता राशियों

को केवल परियोजनाओं के लिए ही प्राप्त किया जाता हैं।

निकसी सरकारी विभागों/संगठनों से हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खरीद करने और जनशक्ति प्रदान करने के लिए विभिन्न आदेश लागू करती है। यह निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर अनुमोदित दरों के अनुसार, प्रत्येक आदेश की कुल लागत पर परिचालन सीमांत राशि लेती है। निकसी विभागों/संगठनों से उन आदेशों के लिए अग्रिम के रूप में राशि प्राप्त करती है। निकसी द्वारा किसी अन्य रूप में कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं की जाती है, जिससे इसे सीधे लाभ होता है। निकसी को रियायती दर पर या निशुल्क आर्थिक या गैर–आर्थिक संपत्ति की कोई अनुदान राशि नहीं दी जाती है।

निकसी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुदान सहायता जारी करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन/मंजूरियों से जुड़ी हुई सभी निबंधन और शर्तों को पूरा करती है।

## 60. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का खर्च (सीएसआर)

निकसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 26–12–2016 को आयोजित अपनी 99वीं बैठक में, सीएसआर समिति की स्थापना की थी। सीएसआर समिति दिनांक 04.12.2017 को मिली थी और निम्नलिखित की सिफारिश कीः –

## निकसी की सीएसआर नीति।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर निकसी द्वारा वहन किए जाने वाले 1.98 करोड़ रुपये।

इसके बाद, निदेशक मंडल ने दिनांक 22.12.2017 को आयोजित अपनी 104 वीं बैठक में सीएसआर समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी, जिसमें उसके लिए नीति भी शामिल थी। तदनुसार, निकसी ने अगले वित्तीय वर्ष में व्यय को आगे ले जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2017–2018 के खातों में 1.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

## 61 निकसी में ईआरपी अनुप्रयोग का कार्यान्वयन।

निकसी ने दिनांक 22.03.2013 को मैसर्स रोल्टा इंडिया लिमिटेड को कार्य आदेश दिया था जिससे कि निकसी ईआरपी अनुप्रयोग को निकसी में खरीदने, प्रस्तुत करने, उसे कार्यान्वित करने और उसका रखरखाव कर सकें। उसे प्रस्तुत करते समय, फर्म ने वित्तीय वर्ष .2015–16 और 2016–17 के लिए कुछ वित्तीय डेटा को प्रवासित कर दिया था। नवंबर, 2016 में निकसी ने प्राप्ति योग्य डेटा को भी स्वीकार कर लिया था, जैसा कि कार्य आदेश में निर्दिष्ट किया गया था। उसके बाद, निकसी ने परीक्षण आधार पर ईआरपी को भी अपनाया था। चूंकि इसने संतोषजनक रूप से काम किया, इसलिए निकसी ने 30.06.2017 से टैली पैकेज पर खातों का काम करना बंद कर दिया और 01.07.2017 से नए विकसित ईआरपी को पूरी तरह से अपनाया। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निकसी द्वारा खातों को टैली पैकेज में शुरुआती 3 महीनों के लिए तैयार किया गया है और बाद में, इसे नए विकसित ईआरपी में स्थानांतरित कर दिया गया है और 01.07.2017 से यह केवल ईआरपी में पूरी तरह से काम कर रहा है। अंतिम खातों को तदनुसार तैयार किया गया है।

## 62. एमईआईटीवाई से निकसी परियोजना सं. डी–150084, डी–150085, डी–150086 और डी–150087 में नियत परिचालन सीमान्त राशि

एमईआईटीवाई ने दिनांक 29.03.2015 के अपनी प्रशासनिक अनुमोदन सं0 3(64)/2014– ईजी–।। द्वारा ''पंचायतों का परिसंपतति मानचित्रण'' निकसी को प्रदान किया, जिसकी कुल लागत 32.39 करोड़ रुपये है। जिसमें यह उल्लेख किया गया कि निकसी की परिचालन सीमान्त राशि 1.00 करोड़ रुपये होगी। निकसी ने मामले को एमईआईटीवाई के समक्ष रखते हुए सूचित किया कि परियोजना की लागत पर परिचालन सीमान्त राशि की दर 7% है और तदनुसार

प्रशासनिक अनुमोदन को संशोधित किया जाये। एमईआईटीवाई से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। हालांकि निकसी ने वर्ष के दौरान परियोजना में अपनी आय 7% की दर से वसूल की है।

एमईआईटीवाई में परियोजना समीक्षा और स्टिरिंग दल (पीआरएसजी) ने दिनांक 20–9–2017 को आयोजित अपनी बैठक में इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और यह सिफारिश की कि एमईआईटीवाई की साइट से इसे समाप्त कर दिया जाये क्योंकि पंचायती राज मंत्रालय ने यह सुझाव दिया कि इस परियोजना के स्वामित्व को पूरी तरह से ले लिया जाये।

### 63. जिला 2.0 – डिजिटल इंडिया पहल को पूरा करने के लिए जिला अवसंरचना का विस्तार "

निदेशक मंडल ने दिनांक 28.03.2017 को आयोजित अपनी 100 वीं बैठक में इस परियोजना पर विचार किया और चरण –1 के लिए 99.00 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के लिए अनुमोदन दिया जिसकी निकसी द्वारा नकदी आरक्षिति में से पूरी तरह से पूर्ति की जायेगी ।

तथापि , परियोजना में कोई "राजस्व" आय नहीं होगी, क्योंकि इसमें एनआईसी के कुछ जिला केंद्रों में केवल आईसीटी अवसंरचना का विस्तार करना शामिल है। चूंकि, परियोजना से कोई आय नहीं होती है और संपत्तियां न तो निकसी से संबंधित हैं और न ही उसके कब्जे में है, इसलिए निकसी ने आय और व्यय लेखा में व्यय के रूप में वर्ष के दौरान उससे संबंधित 2687.54 लाख रूपये की सम्पूर्ण व्यय राशि को सीधे ही भेज दिया है।

### 64. आयकर

आयकर का भुगतान (अनुसूची 13–वर्तमान कर परिसंपत्तियों) में वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्त वर्ष 2014–15 तक की वापसी के लिए टीडीएस/अग्रिम कर की कुछ शेष राशियां शामिल हैं। कंपनी ने वापिसी राशि/समायोजन के लिए आयकर विभाग के पास आवश्यक आवेदन दायर किया है। अंतिम प्रवेश, यदि कोई हो, वापिसी राशि/समायोजन के वर्ष में किया जाएगा।

### 65. अप्रचलित मदें

कम्पनी के पास दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार अचल सम्पतति की कुछ अप्रचलित मदें हैं उन मदों का निपटारा करने की प्रक्रिया पर कारवाई चल रही है । उनके निपटान करने के समय तक, ऐसी परिसंपततियों के आगे ले गए मूल्य को अचल परिसंपत्ति में दर्शाया गया है और मूल्यह्रास को कम्पनी की लेखा नीतियों के अनुसार वसूल किया जा रहा है।

### 66 पूर्व अवधि की मदें

कंपनी ने पूर्व अवधि के रूप में एकमात्र त्रुटि और चूक को ही माना है। चालू वर्ष में, कोई त्रुटि और चूक नहीं हुई है और इसलिए कोई पूर्व अवधि व्यय अथवा आय नहीं है।

### 67. डीएवीपी के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में निकसी द्वारा प्रकाशित "सूचना निविदाएं आमंत्रित (एन आई टी) करना"

दिनांक 1.4.2017 की स्थिति के अनुसार, डीएवीपी के पास प्रकाशनों के संबंध में निकसी की बकाया राशि में से 27.41 लाख रूपये की अग्रिम राशि मौजूद थी। वर्ष के दौरान, निकसी ने डीएवीपी को 12.73 लाख रुपये की ओर अग्रिम राशि जारी की। वर्ष के दौरान समायोजन की गई राशि 00.20 लाख रुपये थी ।

**68 पूर्व वर्ष के आंकडे का पुनः वर्गीकरण**

कंपनी ने चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पूर्व वर्ष के आंकडों का पुनः वर्गीकरण किया है।

हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार
**कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000397एन

ह0/–
**अजय रस्तोगी**
भागीदार
सदस्यता सं. 084897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26–09–2018

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के**
**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**
सीआईएन : यू 74899डीएल1995एनपीएल072045

ह0/–
**मनोज कुमार मिश्रा**
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07652553

ह0/–
**पंकज कुमार**
अध्यक्ष
डीआईएनः 08176055

ह0/–
**डॉ. गिरीश कुमार**
कंपनी सचिव
एफसीएसः 6468

ह0/–
**दीपक सक्सेना**
वित्तीय सलाहकार
व सनदी लेखकार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26–09–2018

# स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

## नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के सदस्यों हेतु

### भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक (कंपनी) के संलग्न किए गए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें तत्कालीन समाप्त होने वाले वर्ष हेतु तुलन पत्र में आय व व्यय लेखा, नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां व अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल है।

### भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उललिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कि इस अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों तथा भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी में नकदी प्रवाह और परिवर्तन, कार्य स्थिति, आय और व्यय (जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है ), के बारे में एक सही और उचित विचार प्रस्तुत करे।

इन जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपततियों की सुरक्षा करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों का रखरखाव करना तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनको रोकने की प्रक्रिया, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना, अधिनिर्णय लेना, उचित और विवेक पूर्ण प्राक्कलन करना शामिल है तथा इसमें पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रखरखाव करना, उसका डिजाइन बनाना और उसका कार्यान्वयन करना शामिल है जोकि भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसको प्रस्तुत करने के संबंध में लेखा–रिकार्डों की यथार्थता और पूर्णता को सुनिशचित करने के लिए प्रभावशाली रुप से कार्य कर सके और जो एक सही और उचित विचार प्रस्तुत करें तथा जो सामग्री का गलत विवरण न दे, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण हो।

### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

हमने इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इस अधिनियम की धारा 143 (11) के अधीन आदेशों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किये जाने के लिए अपेक्षित मानकों तथा मामलों की लेखा–परीक्षा तथा लेखा–नीति, इस अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा है।

हमने इस अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की हैं। हम नीति विषयक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और उनकी योजना बनाते हैं तथा इस तथ्य कि क्या भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण गलत वक्तव्यों से रहित है, के संबंध में उचित आश्वासन देने के लिए लेखा परीक्षा करवाते हैं जो कि इन मानकों में अपेक्षित है।

लेखा–परीक्षा में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण तथा राशियों के संबंध में लेखा–परीक्षा

साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को निष्पादित करना शामिल है। चयनित प्रक्रियां लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है जिसमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के जोखिमों का निर्धारण करना शामिल है, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो। जोखिम निर्धारण करते हुए लेखा परीक्षक कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने पर विचार करता है, जोकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा–परीक्षा पद्धतियों को प्रस्तुत करने के संबंध में एक सही और उचित विचार प्रस्तुत करें, न कि इस विचार को व्यक्त करने के उद्देश्य से कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशाली परिचालन प्रक्रिया मौजूद है। लेखा परीक्षा में प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना तथा कंपनी के निदेशक द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखा प्राक्कलनों की उपयुक्तता तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखा–परीक्षा साक्ष्य भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारे योग्य लेखा–परीक्षा के विचार का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

**अर्हता प्राप्त विचार का आधार**

**1. अनुदान सहायता के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 47 और 53 देखें।**

(क) एन के एन परियोजनाओं के अलेखा परीक्षित लेखाओं को कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान, गारंटीकर्त्ता संस्थान द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार अनुदान सहायता परियोजनाओं की इस्तेमाल न की गयी निधियों पर उपार्जित वास्तविक ब्याज राशि के बदले प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये सावधी जमां खाते (पूर्व वर्ष बचत बैंक खाता) पर ब्याज दर के अनुसार वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज आय में से अनुदान सहायता परियोजनाओं पर आने वाली 777. 72 लाख रुपये की राशि (पूर्व वर्ष 499.10लाख रुपये) को कम किया गया है। पूर्व वर्षों पर उसके प्रभाव को कार्यान्वित नहीं किया गया है और उसकी राशि का पता नहीं है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2014–15 तक, कंपनी ने अनुदान सहायता परियोजनाओं में प्रदान किये गये बिक्री कर पर विचार किये बिना अनुदान सहायता परियोजनाओं की खर्च न की गई राशि पर ब्याज का भुगतान किया। वित्तीय वर्ष 2015–16 से कंपनी ने अपनी गणना की पद्धति में परिवर्तन किया है और ब्याज की गणना करते समय अनुदान सहायता परियोजनाओं में भुगतान किये गये बिक्री कर पर विचार किया है।

पूर्व वर्ष की ब्याज भुगतान राशि पर उसके प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पूर्ववर्ती पैरा के संदर्भ में मामले के संपूर्ण प्रभाव का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।

**2. परिचालन सीमांत राशि की पहचान करने के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 46 और 49 देखें।**

(i) एमईआईटीवाई और निकसी के बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी अपनी आंतरिक परियोजना के संबंध में प्राप्ति पर एनआईसी से कोई परिचालन सीमांत राशि वसूल नहीं कर रही है।

(ii) कंपनी परियोजना की लागत पर ध्यान दिये बिना डिजीटल हस्ताक्षर परियोजना पर 5% की दर से एकरुप परिचालन सीमांत राशि ले रही है।

(iii) परिचालन से प्राप्त राजस्व राशि में एनकेएन परियोजनाओँ पर खर्च किये गये व्यय के प्रशासनिक प्रभारों के रूप में पहचान की गई 1% की दर से आय शामिल है। इस पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का अनुमोदन मिलने पर कार्रवाई की जायेगी।

विवरण और प्रलेखन न होने के कारण, वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पूर्ववर्ती पैरा में दिये गये मामले का संपूर्ण प्रभाव का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।

3. "पंचायतों की परिसम्पत्ति मापन" के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की परियोजना के बारे में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 62 देखें जिसकी कुल लागत 3238.99/–लाख रू. है। प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार निकसी की परिचालन सीमांत राशि 100.00 लाख रू. नियत की गई है। तथापि निकसी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन सीमांत राशि की दर के अनुसार वर्ष के दौरान परियोजना हेतु खर्च की गई व्यय राशि की 7% की दर पर अपनी आय प्रस्तुत की है। एमईआईटीवाई से फीडबैक प्राप्त नहीं हुये हैं।

4. हमारे विचार में परियोजना प्रबंधन, बुक कीपिंग, बीजक, प्राप्ति, भंडार, वस्तु–सूची, अचल संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन और कंपनी की निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में आंतरिक लेखा–परीक्षा प्रणालियों/आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया उसके प्रचालन संबंधी कार्यों के आकार व प्रकृति के अनुरुप नहीं है।

5. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39 देखें। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशि के लिए ग्राहकों से प्राप्त अनुदान सहायता राशि और व्यापार देय राशि, व्यापार प्राप्ति योग्य राशि, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि, बयाना जमा राशि, प्रतिभूति जमा राशि और पूर्तिकारों को दी जाने वाली अग्रिम राशि के संबंध में शेष पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। पुष्टियॉ न मिलने के कारण, हम शेष राशि की यथार्थता और उसकी समायोजन क्षमता तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है।

6. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 9 और संख्या 2 (xvii) के संबंध में लेखा नीति देखें। तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों हेतु दीर्घावधि व्यापार प्राप्ति योग्य राशि के मद्दे 301.43 लाख रुपये की राशि (पूर्व वर्ष 303.28 लाख रुपये) की राशि का प्रावधान किया गया है। शेष पुष्टियॉ और उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण, हम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव, यदि कोई है, और ऐसे प्रावधान की यथार्थता पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है

7. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 57 देखें। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में चालू और गैर चालू के अंतर्गत परिसंपतियों और देयताओं का वर्गीकरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गयी ऐसे द्विविभाजन हेतु उचित आधार उपलब्ध न होने के कारण हम ऐसे प्रकटीकरण की यथार्थता पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम हैं।

8. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 14 देखें। तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार वसूलनीय कर राशि में वित्तीय वर्ष 1996–97 से 2013–14 के संबंध में 117.70 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 117.70 लाख रूपये) तथा वित्तीय वर्ष 2000–2001 के लिए कार्य संविदा पर स्रोत पर कटौती किये गये कर के 2.34 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 2.34 लाख रूपये) शामिल है। उपर्युक्त वसूलनीय क्षमता के बारे में पर्याप्त दस्तावेज़ न होने

तथा उचित कारण का पता न होने के कारण, हम इन शेष राशियों की यथार्थता और मौजूदगी तथा वित्तीय विवरणी पर उसके परिणामात्मकता संबंधी प्रभाव, यदि कोई है पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है।

9. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 64 देखें। 11,129.73 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 6036.78 लाख रूपये) की चालू कर परिसम्पतियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2014–15 तक स्त्रोत पर कटौती की गयी कर राशि/अग्रिम कर वसूली की कुछ शेष राशियां शामिल हैं। उपर्युक्त की वसूली करने के संबंध में आय कर विभाग से उचित फीडबैक न मिलने के कारण हम इन शेष राशियों की शुद्धता और मौजूदगी तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, यदि कोई है, पर पड़ने वाले परिणामात्मक प्रभाव पर, यदि कोई है, टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

10. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 52 देखें। कंपनी द्वारा वर्ष से 2007–2008 से 2015–2016 तक की अवधि के दौरान प्रदत्त/प्रदान की गई परियोजना प्रोत्साहन राशि एमईआईटीवाई/एन आई सी के अनुमोदन के बिना 301.64 लाख रुपये है। मामले पर अनुमोदन/उसे अंतिम रूप देने तक हम कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है।

11. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 54 देखें। कंपनी द्वारा दिनांक 1.7.2007 से 31.3. 2018 तक की अवधि के लिए परिवहन और गृह किराया भत्ता की भुगतान राशि, एमआईईटीवाई के अनुमोदन/ परिशोधन के बिना, प्रदान की गई/प्रदान की जा रही है। मामले पर अनुमोदन मिलने/उसको अंतिम रुप देने तक, हम कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है।

12. अप्रचलित परिसंपत्तियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 65 देखें। कंपनी द्वारा आयोजित की गई अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान कुछ परिसंपत्तियों की अप्रचलित/कार्य न करने के रूप में पहचान की गई है। उसके प्रभाव को भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में यह नहीं बताया गया है। दस्तावेज तथा विवरण प्राप्त न होने के कारण वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले परिणामात्मक प्रभाव व पता नही है और वह अनिश्चित है।

13. लाइसेंस शुल्क तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों की गणना करने की पद्धति और डीओटी द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस शुल्क के बारे में 65445.02 लाख रुपये की तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों के संबंध में 32383.09 लाख रुपये की मांग के संबंध में टिप्पणी सं. 45 देखें। कंपनी ने वर्ष के दौरान पिछली पद्धति के अनुसार डीओटी को लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभारों के लिए भुगतान किया है/भुगतान प्रदान किया है, क्योंकि भारत के माननीय सुप्रीम न्यायालय में यह मामला लंबित है। परिणामस्वरूप, भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।

14. अन्य वित्तीय देयताओं की टिप्पणी संख्या 19 देखें जिसमें 921.36 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 1396.41/– लाख रुपये) बयाना जमा राशि की देयता शामिल है। पर्याप्त और उचित दस्तावेज/साक्ष्य न मिलने के कारण हम इस राशि की शुद्धता और पूर्णतया पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले उसके परिणामात्मक प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।

15. अन्य वित्तीय देयताओं की टिप्पणी संख्या 17 और 19 देखें जिसमें 40.45 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 51.46/– लाख रुपये) देय प्रतिभूति जमा और 921.36 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 1396.41 लाख रूपये) की देय बयाना जमा राशि शामिल है जिसे वित्तीय देयताओं को प्रस्तुत करने के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 2(vii) तथा (viii) के

अनुसार उचित मूल्य पर तथा प्रस्तुत लागत पर आँका नहीं गया है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसका परिणामात्मक प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।

16. टिप्पणी संख्या 61 का संदर्भ देखे जो कि लेखा पुस्तकों का रखरखाव करने और उसको तैयार करने के लिए 1 जुलाई 2017 से ई आर पी सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित करने से संबंधित है। ई आर पी सॉप्टवेयर को किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा कोई वैधीकरण किये बिना कार्यन्वित किया गया है। पहले तीन माह के लिए ई आर पी प्रणाली में रखरखाव की गई समांतर लेखा प्रणाली टेली लेखा सॉफ्टवेयर के पूरी तरह से अनुरूप नहीं है वेधीकरण दस्तावेज और विवरण न होने के कारण वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर पडने वाले उसके परिणामात्मक प्रभाव का पता नही है और यह अनिश्चित है।

17. कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखा–विधि मानक) नियमावली 2015 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित भारतीय लेखा विधि मानक (भारतीय लेखांकन मानक) का अनुपालन नहीं किया है –

(i) कंपनी ने भारतीय लेखा मानक–10 रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटित होने वाली घटनाओं और आकसमिकताओं" की अपेक्षाओं के प्रकटीकरण का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने कुछ परियोजनाएं कार्यानवित करने के लिए तीसरे दल की ओर से सेवा तथा सामग्री प्राप्त की है। हमें दी गयी सूचना के अनुसार, ऐसी व्यय और अर्जन राशि से संबंधित सूचना कई बार समाप्ति तारीख के पश्चात् प्राप्त होती है और भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में उसकी पहचान नहीं की जाती है। इसके अलावा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 66, देखें। जो कि पूर्व अवधि के व्यय/आय के संबंध में है, कंपनी ने पूर्व अवधि के रूप में केवल त्रुटि और चूक को लिया है।

(ii) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2(viii) देखें, कंपनी की नीति के अनुसार बीजक तैयार करते समय माल की बिक्री पर राजस्व की पहचान की जा रही है, जबकि माल की स्वीकृति पर जोखिम और प्रतिफल ग्राहकों को अंतरित किये जाते हैं। यह भारतीय लेखा मानक–18 ''राजस्व की पहचान'' का अनुपालन न करने के कारण हुआ है।

**उपयुक्त राय**

हमारे विचार में और हमारी बेहतर सूचना के अनुसार तथा उपयुक्त पैराग्राफ ''उपयुक्त विचार हेतु आधार'' में वर्णित मामलों के संभव प्रभाव को छोड़कर, हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति के बारे में और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसकी अधिशेष राशि (जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है) तथा उसकी नकदी प्रवाह राशि के बारे में भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और उपर्युक्त विचार प्रदान करते हैं।

**अन्य मामले**

हमारे विचारों में कोई बदलाव किये बिना हम इस तथ्य पर बल देते हैं कि –

(क) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 55 देखें, कंपनी ने कुछ परियोजनाओं की स्थिति में प्रयोक्ता विभागों से प्राप्त की गयी अग्रिम राशियों में से अतिरिक्त व्यय राशि खर्च की है उसने निकसी को 40% अथवा जी एफ आर के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम राशि जारी करने पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 9 देखें। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 28,835.15/–लाख रुपये (पूर्व वर्ष 28,130.13/–लाख रुपये) की व्यापार प्राप्ति योग्य राशि कंपनी द्वारा वहन की गई ऐसी आधिक्य

परियोजना व्यय राशि के कारण है।

(ख) कंपनी अलग परियोजनाओं के लिए प्राप्त की गई राशि हेतु अलग से किसी बैंक खाता का रखरखाव नहीं कर रही है। इस प्रकार कंपनी लेखा सॉफ्टवेयर में प्रत्येक परियोजना हेतु अलग से परियोजना लेखा का रखरखाव कर रही है।

(ग) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 40 देखें: भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के संबंध में 931.50 लाख रुपये का वाहन/हक विलेख एतद्वारा निष्पादन/पंजीकरण हेतु लंबित है।

(घ) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 56 देखें। कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अधीन पंजीकरण हेतु 13.6.2013 को ''आयकर आयुक्त'' के पास आवेदन प्रस्तुत किया, तथापि ''आयकर आयुक्त'' द्वारा उस आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। सीआईटी आदेश के मददे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के पास कंपनी की अपील पर उसके पक्ष में निर्णय लिया गया है। अभी अपील आयकर विभाग के पास लंबित है।

(ङ) ई आर पी प्रणाली द्वारा सृजित स्टॉक सार का लेखा पुस्तकों से मिलान नहीं हो रहा है।

## अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन परिचालित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है इसलिए इस अधिनियम की धारा 143 (II) की शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनियाँ (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

2. इस अधिनियम की धारा 143(3) के द्वारा जैसा कि अपेक्षित है कि :

   (क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे है और प्राप्त किये हैं जोकि उपर्युक्त अर्हता प्राप्त विचार के उपर्युक्त पैराग्राफ के आधार पर यथा उल्लिखित को छोड़कर हमारी लेखा परीक्षा के उदेश्य से आवश्यक थे।

   (ख) हमारे विचार में, कानून द्वारा तथा अपेक्षित उपयुक्त लेखा पुस्तकों को कंपनी द्वारा रखा जायेगें, जहां तक यह इन बहियों की हमारी परीक्षा से दिखाई देता है।

   (ग) तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा और नकदी प्रवाह विवरण तथा इस रिपोर्ट से संबंधित इक्विटी में परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तक के अनुरूप है।

   (घ) हमारे विचार में अर्हता प्राप्त विचार के आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर, पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण इस अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप है।

   (ङ) उपर्युक्त विचार में ऊपर दिये गये अर्हता प्राप्त विचार के आधार के अधीन उप पैरा 6 में वर्णित आंतरिक नियंत्रण का कम्पनी की कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

   (च) चूंकि यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है इसलिए निदेशक की अयोग्यता के संबंध में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जी एस आर – 463 (ई) की शर्तो के अनुसार कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

   (छ) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की पर्याप्तता ऐसे नियंत्रणों की परिचालन संबंधी प्रभावशीलता के संबंध में "अनुबंध क " में हमारी अलग से दी गयी रिपोर्ट को देखें। हमारी रिपोर्ट

में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की पर्याप्तता और परिचालन संबंधी प्रभावशीलता के बारे में अर्हता प्राप्त विचार प्रस्तुत किये गये।

(ज) कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार में और हमको दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी बेहतर सूचना के अनुसारः

(i) कम्पनी ने (भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 33 देखें) अपनी भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में दर्शायी गयी अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित वादों के प्रभाव के बारे मे बताया है।

(ii) कम्पनी ने किसी दीर्घावधि संविदाओं को प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें गौण संविदायें शामिल है जिसके लिए किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्व देखी गई हानियाँ भी शामिल थी।

(iii) किसी भी प्रकार की ऐसी राशियाँ नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को आंतरिक करना अपेक्षित था।

3. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों से संबंधित हमारी अलग से दी गयी रिपोर्ट अनुबंध बी में संलग्न है।

**कृते गोयल गर्ग एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 000397एन)

**(अजय रस्तोगी)**
भागीदार
(सदस्यता संख्या. 084897)

तारीख : 26.09.2018
स्थान : नई दिल्ली

# नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के वित्तीय विवरणों पर सम तारीख की स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

## कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143/(5) के अधीन भारत के नियंत्रण व महालेखा परिक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देशो पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक कंपनी के वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा के सहयोजन से 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक. (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की लेखा–परीक्षा की है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने से संबंधित लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आतंरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण रखने के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रखरखाव करने और उसकी स्थापना करने का जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में उसके कार्य व्यापार को प्रभावी रूप से चलाने तथा उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया का डिजाइन, कार्यान्वयन करना तथा उसका रखरखाव करना शामिल है तथा इसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, उसकी परिसंपत्तियों का बचाव करना, धोखा–धड़ी तथा त्रुटियों को रोकना तथा उनका पता लगाना और लेखा रिकार्डों की यथार्थता तथा उनकी पूर्णता प्रस्तुत करना तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल है।

### लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार प्रस्तुत करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी की गई लेखा–परीक्षा से संबंधित मानकों तथा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन टिप्पणी) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से संबंधित मार्गदर्शन टिप्पणियों के अनुसार अपनी लेखा–परीक्षा आयोजित की और भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा करने के लिए दोनों पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा करने के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित किये जाने के लिए डीम्ड माना जायेगा। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणियों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं उनकी योजना बनाते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा–परीक्षा करते हैं और उसको प्रमाणित तथा उसका रखरखाव किया जाता है मानो कि ऐसे नियंत्रणों को सभी पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किया गया हो।

हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की यथार्थता से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने तथा उनको प्रभावी रूप से लागू करने की पद्धतियों को प्रस्तुत करना भी शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना और समग्र कमजोरी होने के जोखिम को निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण रखने के प्रभावशीलता को शीघ्रता लागू करना, उसका परीक्षण करना, उसके डिजाइन का मूल्यांकन

करना शामिल है। लेखा–परीक्षक के अधिनिर्णय पर निर्भर करते हुए चुनी गई पद्धतियों में वित्तीय विवरणों के गलत वक्तव्य, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अर्हता प्राप्त करने के विचार का आधार उपलब्ध करवाने हेतु उपयुक्त है।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतया स्वीकृत लेखा–सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों से वित्तीय विवरण तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया में उसकी नीतियां तथा पद्धतियां शामिल है। (1) रिकार्डों का रखरखाव करना, कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना तथा उसके लेन–देनों के उचित विवरण प्रदान करना, यथार्थ रूप से तथा स्पष्ट रूप से उनको प्रतिबिम्बित करना; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना जिससे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक लेन–देनों को रिकार्ड किया जा सके और कि कंपनी की प्राप्ति और व्यय राशियों को कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार प्रस्तुत भी किया जा रहा है। और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रबंधन करने अथवा उसके अप्राधिकृत अर्जन करने तथा उसका इस्तेमाल करने के संबंध में समय पर उसका पता लगाने अथवा उसकी रोकथाम करने के संबंध में उचित आश्वासन देना जिसका भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर भरसक प्रभाव पड़ सकता है।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाओं के कारण तथा नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अथवा उसको प्रस्तुत करने की संभावनाओं के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से गलत वक्तव्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उनका पता नहीं चलता है इसके साथ ही भावी अवधि के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय प्रक्रिया का कोई मूल्यांकन किया जा सकता है, बशर्ते कि कोई जोखिम न हो, कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया परिस्थित वश कोई बदलाव आने के कारण अथवा नीतियां अथवा पद्धतियों का अनुपालन होने के कारण, अपर्याप्त हो सकती है।

## अर्हता प्राप्त विचार

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियों की पहचान की गई है।

(क) कंपनी के पास विक्रेताओं की शेष राशियों का मिलान करने/पुष्टि करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी जिसके कारण कंपनी की देय व्यापार राशियों में गलत वक्तव्य प्रस्तुत होने की संभावना पैदा हो गई।

(ख) कम्पनी के पास ग्राहक विभाग द्वारा कम्पनी के बैंक में इलेक्ट्रानिकी के रूप से स्थानांतरित की गयी/सीधे जमा की गयी राशि के संबंध में उचित लेखा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप निधियों का ठीक से उपयोग नहीं हो पाता तथा वह निधि बैंक में बेकार पड़ी रहती है ।

(ग) कंपनी वर्ष के दौरान वैधीकरण के बाद तथा संविदा की नीतियों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ईआरपी प्रणाली को कार्यान्वित नहीं करती है।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के संबंध में 'महत्वपूर्ण कमजोरी' एक ऐसी कमी है अथवा कमियों का एक ऐसा संयोजन है जैसे कि वहां एक उचित संभावना बनी रहती है कि कंपनी के वार्षिक वित्त विवरणों के गलत वक्तव्यों को समय पर रोका अथवा उनका पता नहीं लगाया जायेगा।

हमारे विचार में नियंत्रण कसौटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरियों के प्रभाव/संभव प्रभाव को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुसार रखरखाव किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से चल रही थी। भारत के सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की लेखा–परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण रखने के महत्वपूर्ण संघटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण रखने के आधार पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली परिचालित थी।

हमने कंपनी के 31.03.2018 के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा करते हुए लागू लेखा–परीक्षा जांच की सीमा और उसकी प्रकृति व समय का निर्धारण करते हुए ऊपर बताई गई तथा पहचान की गई महत्वपूर्ण कमियों पर विचार किया है और इन कमियों का कंपनी के वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

**कृते गोयल गर्ग एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 000397एन)

**(अजय रस्तोगी)**
भागीदार
(सदस्यता संख्या. 084897)

तारीख : 26.09.2018
स्थान : नई दिल्ली

# नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'बी'

**कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143/(5) के अधीन भारत के नियंत्रण व महालेखा परिक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देशो पर रिपोर्ट**

1. **क्या कम्पनी के पास क्रमशः फ्री होल्ड और लीज्ड होल्ड के लिए स्पष्ट हक/ लीज्ड विलेख उपलब्ध है, यदि नहीं, तो कृपया उस फ्री होल्ड और लीज्ड होल्ड भूमि का क्षेत्र बतायें, जिसके लिए हक/लीज्ड विलेख उपलब्ध नहीं है ।**

   हमें दी गयी सूचना के अनुसार कम्पनी के स्वामित्व में सभी परिसंपतियों की हक विलेख को लेखा परीक्षित विवरणों की टिप्पणी संख्या 40 में उल्लेखित को छोड़कर पंजीकृत किया गया है ।

2. **कृपया बतायें कि क्या छोड़ने/बट्टे खाते में डालने/ऋण/लोन/ब्याज आदि का कोई मामला है, यदि हाँ तो, उसका कारण बतायें और उसमें शामिल राशि भी बतायें ।**

   हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान छोड़े गये/बट्टे खाते में डाले गये ऋण/लोन/ब्याज आदि का कोई मामला नहीं है।

3. **क्या तीसरी पार्टियों के पास रखी गयी वस्तु सूचियों के लिए उचित रिकार्ड बनाये गये है और सरकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान (अनुदानों) के रूप में परिसंपतियाँ प्राप्त की गयी ?**

   हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी से संबंधित कोई भी वस्तु सूचियाँ तीसरी पार्टियों के पास नहीं पड़ी हुई है और सरकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों से कोई भी उपहार/ अनुदान (अनुदानों) के रूप में हमें दी गयी सूचना के अनुसार कोई भी परिसंपति प्राप्त नहीं की गयी है। तथापि, अनुदान सहायता के अधीन प्रयोक्ताओं के लिए प्राप्त की गयी परिसंपतियाँ संबंधित प्रयोक्ता विभागों से संबंधित है, न कि कम्पनी से।

**कृते गोयल गर्ग एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 000397एन)

**(अजय रस्तोगी)**
भागीदार
(सदस्यता संख्या. 084897)

तारीख : 26 सितम्बर, 2018
स्थान : नई दिल्ली

# 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक. के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)ख के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट की रुपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक. के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा–परीक्षक/लेखा–परीक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखा–परीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अधीन उनके वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करें। इसे दिनांक 26 सितम्बर , 2018 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक. के वित्तीय विवरणों की इस अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के तहत अनुपूरक लेखा–परीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखा परीक्षा को सांविधिक लेखा–परीक्षकों के कार्यगत कागजात के बिना स्वतंत्र रुप से कार्यान्वित किया गया है और जिसे प्रारंभिक रुप से कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनात्मक परीक्षा करने तथा कंपनी के कार्मिकों और सांविधिक लेखा–परीक्षकों से पूछताछ करने के लिए सीमित किया गया है ।

अनुपूरक लेखा–परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आए है जिस पर कोई टिप्पणी की जाये अथवा इस अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के अनुपूरक हो।

**भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक**
**के लिए और उनकी और से**

**ह0/–**

**(संगीता चौरे)**

लेखा परीक्षा के महानिदेशक
(डाक व दूरसंचार)

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 07.12.2018

# BOARD OF DIRECTORS

(As on 31-03-2018)

| | | |
|---|---|---|
| **Chairman** | : | Shri Sanjay Goel<br>Joint Secretary, MeitY |
| **Director** | : | Ms. Anuradha Mitra<br>Additional Secretary & FA, MeitY |
| | | Shri Sanjay Kumar Rakesh<br>Joint Secretary, MeitY |
| | | Dr. B. K. Murthy<br>Scientist - G, MeitY |
| | | Dr. Neena Pahuja<br>Director General, ERNET India |
| | | Shri Sanjay Singh Gahlout<br>Deputy Director General, NIC |
| | | Shri Deepak Chandra Misra<br>Deputy Director General, NIC |
| | | Dr. Ranjna Nagpal<br>Deputy Director General, NIC |
| | | Shri Vishnu Chandra<br>Deputy Director General, NIC & FA/CA, NICSI |
| | | Shri P. V. Bhat, STD, NIC, Karnataka |
| | | Smt. Shalini Mathrani, STD, NIC |
| | | Shri Manoj Kumar Mishra, MD, NICSI |
| **Company Secretary** | : | Dr. Girish Kumar |
| **Auditors** | : | Goel Garg & Co., Chartered Accountants<br>18 Ground Floor, National Park, Lajpat Nagar - IV.<br>New Delhi, Delhi-110024 |
| **Registered Office** | : | Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th,<br>Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 |
| **Bankers** | : | Corporation Bank & Bank of India, CGO Complex, Lodhi Road, Corporation Bank, Punjab National Bank & State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd., Safdarjung Enclave, New Delhi. |

# BOARD OF DIRECTORS
(As on 30-09-2018)

| | | |
|---|---|---|
| **Chairman** | : | Shri Pankaj Kumar<br>Additional Secretary, MeitY |
| **Director** | : | Ms. Anuradha Mitra<br>Additional Secretary & FA, MeitY |
| | | Shri Sanjay Kumar Rakesh<br>Joint Secretary, MeitY |
| | | Dr. B. K. Murthy<br>Scientist G, MeitY |
| | | Dr. Neena Pahuja<br>Director General, ERNET India |
| | | Shri Deepak Chandra Misra<br>Deputy Director General, NIC |
| | | Dr. Ranjna Nagpal<br>Deputy Director General, NIC |
| | | Shri Nagesh Shastry<br>Deputy Director General, NIC |
| | | Shri Vishnu Chandra<br>Deputy Director General, NIC & FA/CA, NICSI |
| | | Shri P. V. Bhat<br>Deputy Director General, NIC, Karnataka |
| | | Smt. Shalini Mathrani<br>Deputy Director General, NIC |
| | | Shri Manoj Kumar Mishra, MD, NICSI |
| **Company Secretary** | : | Dr. Girish Kumar |
| **Auditors** | : | Goel Garg & Co., Chartered Accountants,<br>18 Ground Floor, National Park, Lajpat Nagar - IV.<br>New Delhi, Delhi-110024 |
| **Registered Office** | : | Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th,<br>Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 |
| **Bankers** | : | Corporation Bank & Bank of India, CGO Complex, Lodhi Road, Corporation Bank, Punjab National Bank & State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd., Safdarjung Enclave, New Delhi. |

# NOTICE
# 23rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members of National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) that its 23rd Annual General Meeting is scheduled to be held on Tuesday 18th September, 2018 at 04:30 PM at Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003, to carry out the following business:

**ORDINARY BUSINESS**

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2018, the Income and Expenditure Account of the Company for the year ended 31st March 2018, the Directors' Report along with the Auditor's Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
2. To Fix the Remuneration of Statutory Auditors for Financial Year 2017-18 appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 142 of the Companies Act, 2013.

**For and on behalf of the Board of Directors**
**National Informatics Centre Services Inc.**

**Sd/-**

**(Dr. Girish Kumar)**
**Company Secretary**

**Place: New-Delhi**
**Date: 12.09.2018**

**NOTE:**

1. A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself.
2. As per rule 19(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a member of a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (erstwhile section 25 of the Companies Act, 1956) shall not be entitled to appoint any other person as his/her proxy unless such other person is also a member of such company.
3. This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the company, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

**For and on behalf of the Board of Directors**
**National Informatics Centre Services Inc.**

**Sd/-**

**(Dr. Girish Kumar)**
**Company Secretary**

**Place: New-Delhi**
**Date: 12.09.2018**

## NICSI-CS/23rd AGM/300

# NOTICE

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) will now be held on Wednesday 26th September, 2018 at 12:30 PM at Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, instead of on 18th September, 2018. All the Shareholders and Directors are requested to kindly note the change and make it convenient to attend in the meeting.

**National Informatics Centre Services Inc.**

**Sd/-**
**(Dr. Girish Kumar)**
**Company Secretary**

**Place: New-Delhi**
**Dated: 18.09.2018**

**NICSI-CS/23rd AGM/300** **Dated: 11.12.2018**

# NOTICE

Notice is hereby given that the adjourned 23rd Annual General Meeting of National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) will be held on Thursday 27th December, 2018 at 12:30 P.M. at Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

**National Informatics Centre Services Inc.**

**Sd/-**
**(Dr. Girish Kumar)**
**Company Secretary**

To:

The Chairman, NICSI
All the Shareholders of NICSI
All the Members of the Board

# Directors' Report

Dear Shareholders,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Twenty Third Annual Report on the business and operations of the Company with the Audited Statement of Accounts and the Auditors' Report thereon for the Financial Year ended 31st March 2018.

The Summarized Financial Results for the year ended 31st March 2018, as compared with the earlier year 2016-17, is as under:

## (1) Financial Highlights

**(Rupees in Crores)**

| S. No. | Description | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|---|
| **(A)** | **Receipts:** | | |
| 1 | Stock & Sales | 384.76 | 514.19 |
| 2 | Services & Support | 873.52 | 726.50 |
| 3 | Operating Margin* | 0.07 | 0.72 |
| 4 | Interest / Other Income<br>Less: Interest paid on Grant in Aid and NKN Projects amounting to Rs. 7.77 Crores (P.Y. Rs. 4.99 Crores) | 78.08 | 85.66 |
| | **Total (A)** | **1336.43** | **1327.07** |
| **(B)** | **Payments:** | | |
| 1 | Cost of Goods Sold | 395.71 | 486.69 |
| 2 | Services & Support | 767.20 | 638.22 |
| 3 | Employees Remuneration and Benefits | 8.29 | 9.94 |
| 4 | Other Expenses | 74.37 | 64.82 |
| 5 | Depreciation | 40.21 | 16.71 |
| | **Total (B)** | **1285.78** | **1216.38** |
| | **Gross Surplus (A) – (B)** | **50.65** | **110.69** |
| 6 | Less: Impairment of Property, Plant & Equipment. | - | 1.51 |
| 7 | Less: Impairment of Other Intangible Assets. | - | 2.16 |
| 8 | Provision for Tax | 19.61 | 42.61 |
| 9 | **Net Surplus** | **31.04** | **64.41** |
| 10 | **Reserves and Surplus as per last year Balance Sheet** | **605.78** | **541.37** |
| | **Total Reserves and Surplus (9+10)** | **636.82** | **605.78** |

* The above income is through Operating Margin (earlier known as administrative charges) on Projects from supply of Hardware Items other than Stock & Sales. The Operating Margin of NICSI w.e.f. 15.01.2015 is 5% or 7% depending upon the Value of Project.

## (1) Operating Margin

The Board of Directors in its 103rd meeting held on 29.09.2017 has approved the modification in the rates of NICSI's Operating Margin (Earlier known as "Administrative Charges") for all types of Projects / Services i.e. hardware/ software/manpower etc. as under:

| Project Value | % of Project Value |
|---|---|
| Up to Rs. 50 Crore | 7 %<br>[While implementation of the project, if value of the project decreases or equivalent to Rs. 50 Crore, NICSI will charge Operating Margin with prospective effect @ 7% only] |
| Above Rs. 50 Crore | 5 %<br>[While implementation of the project, if value of the project increases Rs. 50 Crore, NICSI will charge Operating Margin with prospective effect @ 5% only on the value in excess of Rs. 50 Crore] |

Above rates are effective with immediate effect. However, all existing MoUs/Agreements, Proforma Invoices (PIs) issued up to 31.10.2017 would be honored as per existing slab rates of Operating Margin.

The Office Order dated 01.11.2017 supersedes the NICSI Office Order No. 129/05-06/NICSI-CS dated 15.01.2015.

## (2) Dividend

The company is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956, (Now Section 8 of the Companies Act, 2013) and as per the provisions of the Section, the Company is prohibited to pay any dividend to its members.

## (3) Transfer to reserves

The Company has not transferred any amount to reserves.

## (4) Grading By DPE

### (i) Process for Evaluation

- DPE issues Guidelines every year to enter into MoUs with Administrative Ministry i.e. Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
- DPE set up Inter-Ministerial Committee (IMC) on MoU consisting following:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Secretary, DPE | Chairman |
| 2 | Secretary of concerned administrative Ministry / Department or his representative not below the rank of Joint Secretary | Member |
| 3 | Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation or his representative not below the rank of Joint Secretary | Member |
| 4 | Additional Secretary, NITI Aayog or his representative not below the rank of Joint Secretary | Member |
| 5 | Secretary DPE may co-opt any officer who is a Finance Expert in case the need is felt. | |
| 6 | Joint Secretary / Adviser (MoU), DPE would provide secretarial support to the committee | |

- Draft MoU, consisting of Financial and Non-Financial Parameters, is submitted by NICSI to its Board for approval before forwarding through MeitY to DPE.
- IMC negotiates the Parameters and fix the targets in the MoU in the meetings, in which JS Level Officer from MeitY/NIC and NICSI officials are present.
- MoU is signed between NICSI and MeitY.
- After closure of Financial Year, the Audited Accounts, duly approved by the Board, are submitted to DPE along with the details in the prescribed proforma.
- Based on above, DPE evaluates actual performance of NICSI against targets in the MOU and declare grading.

**(ii) Grading of NICSI by DPE**

| Financial Year | MoU Composite Score based on Audited Data |
|---|---|
| 2016-17 | Excellent |
| 2015-16 | Excellent |
| 2014-15 | Excellent |
| 2013-14 | Very Good |
| 2012-13 | Very Good |
| 2011-12 | Very Good |

**((iii) Actual Performance against targets - MoU for F.Y. 2017-18**

- Number of Projects in difficult states like N/E, J & K, Uttarakhand, HP (Nos.) (10 Marks): 226
- Introduction of New products and Services (Nos.) (10 Marks): 18
- % age increase in Number of e-Governance Projects from Central / State / UT Governments / Organisations over previous year (%) : (4 Marks) : (1080)
- Completion of Client Orders (of Rs. 10 Crores or more) without time overrun (%) (10 Marks): 100%
- Trade receivables (Net) as number of days of Revenue from Operations (Gross) (No. of Days) (5 Marks): 83
- Application for Scheduling of the CPSE to Administrative Ministry completed in all respect with copy to DPE (Date) (5 Marks): The Board in ts meeting held on 22.12.2017 decided to defer the item.
- Online submission of ACR/APAR in respect of all executives (E0 and above) along with compliance of prescribed timelines w.r.t. writing of ACR/APAR (% age of number of executives): 100
- Online Quarterly Vigilance Clearance updation for Senior Executives (AGM and above) (% age of number of Senior Executives):100

- Talent Management and career progression by imparting at least one week training in Centre of Excellence e.g. IITs, IIMs, NITs, ICAI etc. (No. of executives): 2
- NICSI has complied with the additional eligibility criteria as mentioned in para 14.2 & 14.3 of the MoU Guidelines FY 2017-18, to the extent applicable.

**(5) Ongoing Projects in F.Y.2017-18**

**National Knowledge Network (NKN Project)**

Initiated in 2009-10, NKN Project is approved by the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) for a period of 10 years at a cost of around Rs.5990 crore. NIC is the Implementing Agency for this project, while NICSI assisting in procurement and providing IT Support. The Project is to establish high speed data communication network which would inter-connect institutions of higher learning and research to enable creation, acquisition and establishing of knowledge resources amongst them. It would also facilitate collaborative research, countrywide classrooms etc by commissioning links to the institutions connectivity to NIC District Centres, setting up Centres in the States/UTs.

**KV 'Shaala Darpan' – Kendriya Vidyalaya Sanganthan Ministry of HRD, Government of India.**

Under Digital India Vision, NICSI continued the activities in the project in around 1200 Kendriya Vidyalayas PAN India, with the objective of improving the quality of learning through efficiency of administration and their Governance, improve service delivery of school education department with the stake holders i.e. students, their parents, teachers and schools and provided access to near real-time for better quality data in decision making.

**NICSI Data Centre (NDC) at Shastri Park**

NDC at Shastri Park, Delhi has been providing the services with disaster management facility to the Government Departments and their Organisations with State-of-art tier-III facility. The activities continued to function smoothly and successfully during the year.

**DATA CENTRE at Laxmi Nagar**

NICSI has its own Data Centre at Laxmi Nagar. It is providing services to various government Ministries / Departments and their organisations in maintaining their data.

**NICSI Development Centre**

The Development Centre on the 2nd floor at DMRC's IT Park, Shastri Park, Delhi with around 400 workstations continued to provide services to the Users in the Projects smoothly and satisfactorily.

**(6) (I) Other Projects from MeitY**

During the year, NICSI continued the activities under various projects from MeitY, as under:

| Project Name | Project in brief |
|---|---|
| Aadhar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) | Aadhar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS for Government of India Offices in Delhi |
| Development of Common Minimum Framework (CMF) | Development of Common Minimum Framework (CMF) for Government Websites |
| Security Enhancement of NICNET | Undertaking the projects - Security Enhancement of NICNET |
| Establishing Security Evaluation Research & Exploratory Testing Centre | Undertaking Project titled - Establishing Security Evaluation Research & Exploratory Testing Centre against Grants-in-aid |
| Augmentation of facilities for Cyber Security Product Assurance | Undertaking project titled - Augmentation of facilities for Cyber Security Product Assurance for Phase-I against Grants-in aid |
| Website Quality Evaluation to support e- Gevernance Implementation in India | Website Quality Evaluation to support e-Gevernance Implementation in India (Phase-III)" STQC through NICSI |

**(II) Other Key Projects:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Department of Rural Development, Ministry of Rural Development Government of India and NIC and NICSI | NIC – DRD IT Infrastructure/ Manpower proposal |
| 2 | MoU signed between Ministry of Health and Family Welfare, NIC and NICSI | Application for Integrated RCH Register |
| 3 | Transport Department, Government of Andman and Nicobar Islands, NIC and NICSI | To provide services for issuance of Smart Card base Driving Licenses on Sarathi Software in all Motor Vehicles Departments offices of Andaman and Nicobar Islands |
| 4 | The Rajasthan State Co- Operative Bank Ltd. Jaipur With NIC and NICSI | For Implementation of Co- Operative Core Banking Solution (CCBS)at all primary Agriculture Cooperative Societies in the state of Rajasthan. |
| 5 | LNJN National Institute of Criminology and Forensic Science Ministry of Home Affairs and NIC and NICSI | Memorandum of Understanding for Development and Hosting of Registration System for forensic Aptitude and Caliber Test (FACT) |
| 6 | Council of Architecture, NIC and NICSI | Memorandum of Understanding for the Development and Hosting of Registration System for National Aptitude Test in Architecture (NATA) 2017 |
| 7 | Inspector General, Registration and Stamps Department Government of Rajasthan, NIC and NICSI | For Computerization of registration of stamps project in Sub-Registrar office of registration and stamps Departments Government of Rajasthan |
| 8 | All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) and NIC and NICSI | Application Software Maintenance & Technical Support |
| 9 | Finance Department Govt. of Jammu and Kashmir, Jammu Hereafter referred to as (FD-GOJK) & NIC and NICSI | Towards the Execution of the Integrated Finance Management System (IFMS) |
| 10 | Terms of Agreement for State Wide Roll Out of E-District MMP in Sikkim (SDA) Government of Sikkim With NIC And NICSI | State Wide Roll Out of e-district MMP in Government of Sikkim, Tripura, Gujarat, Kerala, Chandigarh, Meghalaya, Jharkhand, Tamilnadu |
| 11 | Central Board of Secondary Education Autonomous Organization under Ministry of Human Resource Development, NIC and NICSI | For the development and hosting of online registration system for examinations |

## 7. Highlights for F.Y. 2017-18

| | | April 2017 to March' 2018 | April 2016 to March' 2017 |
|---|---|---|---|
| a) Segment - wise breakup of new projects received: | Hardware Items | 126 | 670 |
| | Software Items | 13 | 108 |
| | Manpower | 1547 | 1710 |
| | Web/Soft Dev | 119 | 162 |
| | Training | NIL | NIL |
| | Network | 111 | 382 |
| | General Projects | 545 | 382 |
| | Other items | 423 | 550 |
| | **Total** | **2884** | **3964** |
| | | **April 2017 to March' 2018** | **April 2016 to March' 2017** |
| b) Segment-wise number of Work Orders issued: | Hardware Items | 1457 | 2209 |
| | Software Items | 132 | 205 |
| | Manpower | 8107 | 5354 |
| | Network & Misc. | 1158 | 1802 |
| | **Total** | **10854** | **9570** |
| | **No. of PI Issued** | **April 2017 to March' 2018** | **April 2016 to March' 2017** |
| c) Proforma Invoice Issued | Hardware | 1002 | 4268 |
| | Software | 31 | 690 |
| | Manpower | 7299 | 7123 |
| | Network | 703 | 2451 |
| | Miscellaneous | 2035 | 2796 |
| | **Total** | **11070** | **17328** |
| d) Tenders Floated | | **April 2017 to March' 2018** | **April 2016 to March' 2017** |
| | No. of Open Tenders | 12 | 26 |
| | No. of Limited Tenders (EOI) | 01 | 08 |
| | No. of Strategic Alliances | - | 25 |
| | **Total** | **13** | **59** |

## (8) Manpower

As per the manpower profile approved by the government through notification in the Gazette of India, deputation of manpower in NICSI will be on temporary rotational deputation basis along with their posts from NIC.

The total staff strength of NICSI as on 31st March 2018 was 28.

**(9) Particulars of Employees**

None of the employees of the Company was in receipt of remuneration in excess of limits prescribed under rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

**(10) Corporate Social Responsibility**

National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) is a Section 8 Company (Erstwhile Section 25 Company). NICSI's objective is to promote ICT Solutions and Technology and to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects and prohibited to pay any dividend to its members.

The Board in its 99th Meeting held on 26th December, 2016 had constituted the CSR Committee comprising the following:

| Sr. No. | Name & designation | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Shri R. K. Sudhanshu, Joint Secretary, MeitY | Chairman |
| 2 | Shri Sanjay Singh Gahlout, DDG, NIC | Member |
| 3 | Shri D.C. Misra, DDG, NIC | Member |
| 4 | Dr. (Mrs.) Ranjna Nagpal, DDG, NIC | Member |

The terms of reference of CSR Committee shall, inter-alia, include the following:

- To formulate and recommend to the Board, a CSR policy which shall indicate the activities to be undertaken by NICSI as per the Companies Act, 2013;
- To review and recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities to be undertaken by the company;
- To monitor the CSR policy of the Company from time to time;
- Any other matter as the CSR Committee may deem appropriate after approval of the Board of Directors or as may be directed by the Board of Directors from time to time.

The quorum for the CSR Committee Meeting shall be one-third of its total strength (any fraction contained in that one third be rounded off as one) or two members, whichever is higher.

The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the CSR Committee."

The Board in its 102nd Meeting held on 8th September, 2017 had re-constituted the CSR Committee comprising the following:

| Sr. No. | Name & designation | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Shri Sanjay Kumar Rakesh, Joint Secretary, MeitY | Chairman |
| 2 | Shri Sanjay Singh Gahlout, DDG, NIC | Member |
| 3 | Shri D.C. Misra, DDG, NIC | Member |
| 4 | Dr. (Mrs.) Ranjna Nagpal, DDG, NIC | Member |

The Board in its 104th Meeting held on 22nd December, 2017 was apprised that the CSR Committee in its 1st meeting held on 4th December, 2017 recommended the expenditure of Rs. 1.98 Crore on CSR activities for Financial Year 2017-18 and CSR Policy of NICSI. The Board after considering the recommendations in detail approved the expenditure of Rs. 1.98 Crore on CSR activities for Financial Year 2017-18 along with the CSR Policy of NICSI.

The Board in its 105th Meeting held on 26th March, 2018 was apprised that the CSR Committee in its 2nd meeting held on 23.03.2018 considered three proposals, out of which Proposal 1 and 2 are not complete in all aspects. However, the CSR Committee was agreed in principle and recommended that NICSI may contribute Rs. 48.50 Lakh to the "Swachh Bharat Kosh" as part of CSR activities for F.Y. 2017-18.

The Board discussed the above in detail and after deliberations suggested the following:

**Proposal 1 & 2:** As the proposal 1 & 2 were not complete in all aspects, therefore it was advised to put up suitable proposals complete in all aspects through CSR Committee in the coming Board Meeting.

Further, the Board after discussions and deliberations approved the following:

**Proposal 3:**

- NICSI may contribute Rs. 48.50 Lakh to the "Swachh Bharat Kosh" as part of CSR activities for F.Y. 2017-18.
- As per CSR Policy of NICSI, "Any unutilised CSR Allocation Fund of a particular year will be carried forward to the next financial year".

### (11) Corporate Governance

Corporate Governance is an ethically driven business process that is committed to values aimed at enhancing an organisation's brand and reputation. This is ensured by taking ethical business decisions and conducting business with a firm commitment to values. At NICSI, it is imperative that our company affairs are managed in a fair and transparent manner. This is vital to gain and retain the trust of our stakeholders.

**(i) Number of Board Meetings and General Meetings Convened in Financial Year 2017-18**

| S. No. | FY 2017-18 | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| 1 | 101st | 22.06.2017 | Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003 |
| 2 | Extraordinary General Meeting | 09.08.2017 | National Informatics Centre, A-Block, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003. |
| 3 | 102nd | 08.09.2017 | Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003 |
| 4 | 103rd | 29.09.2017 | Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003 |
| 5 | 22nd Annual General Meeting | 29.09.2017 | Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003 |
| 6 | Adjourned 22nd Annual General Meeting | 30.11.2017 | Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003 |
| 7 | 104th | 22.12.2017 | Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003 |
| 8 | Extraordinary General Meeting | 28.02.2018 | National Informatics Centre, A-Block, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003 |
| 9 | 105th | 26.03.2018 | Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003 |

**(12) Audit Committee**

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute an Audit Committee under Section 177 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014. However, the Board of Directors in its 99th meeting held on 26th December, 2016, keeping in view of good governance practices, advised to constitute the Audit Committee comprising the following:

1. Shri R. K. Sudhanshu, IAS, Joint Secretary, MeitY — Chairman
2. Shri S.S. Gahlout, DDG, NIC — Member
3. Shri Vishnu Chandra, DDG & AFA, NIC & FA, NICSI — Member

The Audit Committee to review NICSI Financial and Audit matters and ensure that NICSI follow prescribed financial rules and regulations; and

The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the Audit Committee."

Subsequently, the Board in its 103rd meeting held on 29th September, 2017 has re-constituted the Audit Committee towards strengthening the Internal Control System with the following composition to review NICSI Financial and Audit Matters and ensure that NICSI follow prescribed Financial Rules and Regulations:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ms. Anuradha Mitra, AS & FA, MeitY | - | Chairperson |
| 2. | Shri Sanjay Kumar Rakesh, JS, MeitY | - | Member |
| 3. | Shri sanjay Singh Gahlout, DDG, NIC | - | Member |
| 4. | Shri Vishnu Chandra, DDG & AFA, NIC | - | Member |

The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the Audit Committee."

**(13) Declaration by Independent Directors**

The Company was not required to appoint Independent Directors under Section 149(4) and Rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 hence no declaration has been obtained.

**(14) Company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of section 178**

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute a Nomination and Remuneration Committee under Section 178(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and Stakeholders Relationship Committee under Section 178(5) of the Companies Act, 2013.

**(15) Extract of the Annual Return in Form MGT-9**

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. Form MGT 9 i.e. Extract of Annual Return is placed at Annexure.

**(16) Material Changes and Commitments affecting financial position between the end of financial year and date of the Board report**

There have been no material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year of the Company to which the financial statements relate and the date of the report.

**(17) Change in the nature of business**

There is no change in the nature of business of the company.

**(18) Annual Accounts for the Financial Year 2017-18 as per Ind AS**

Annual Accounts for the Financial Year 2017-18 has been prepared as per Ind AS. In this regard, a Certificate dated 11th September, 2017 for FY 2016-17 has also been received from M/s K M G S & Associates, Chartered Accountants, Basement, 18, National Park, Lajpat Nagar- IV, New Delhi – 110024.

**(19) The Conservation of Energy, Technological Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo**

The information on Conservation of Energy and Technological Absorption is NIL. Foreign Exchange earnings was NIL and outgo of the company during the year was Rs. 31.23 Lakh (On accrual basis).

**(20) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186 of the Companies Act, 2013**

During the year under review, the Company has not advanced any loans/ given guarantees/ made investments.

**(21) Related Party Transactions**

Particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the form AOC-2 of the Companies (Accounts) Rules, 2014

Related party transactions that were entered into during the financial year were on an arm's length basis and were in the ordinary course of business.

Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014:

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis: Nil
2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis: Nil

**(22) Significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future**

During the year under review there has been no such significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

**(23) Subsidiary Company**

As on March 31, 2018, the Company does not have any subsidiary.

**(24) Auditors**

M/s. Goel Garg & Co., Chartered Accountants, 18, Ground Floor, National Park, Lajpat Nagar-IV, New Delhi – 110024 were appointed by the Comptroller and Auditor General of India as Statutory Auditors of the Company u/s 139 of the Companies Act, 2013, to audit the accounts for the year ended 31st March 2018.

**(25) Directors' Responsibility Statement**

Pursuant to the requirement under section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the company hereby state that:

a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) the Directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

**(26) Acknowledgement**

The Board places on record its gratitude to acknowledge the cooperation, assistance and guidance extended to the Company by Central and State Government Ministries/Departments / Organizations and PSUs etc. including NIC and MeitY. The Directors are also grateful to the Comptroller and Auditor General of India and Auditors for their cooperation. The Board expresses its sincere gratitude to the members, bankers and clients for their continued support. The Board also wholeheartedly acknowledges with thanks the dedicated efforts of all the staff and employees of the Company.

**For and on behalf of the Board of Directors**
**of National Informatics Centre Services Inc.**

**Sd/-**
**Chairman**

**Place: New Delhi**
**Date: 26th September, 2018**

## Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on the financial year ended on 31.03.2018

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

### I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

| | | |
|---|---|---|
| i) | CIN | U74899DL1995NPL072045 |
| ii) | Registration Date | 29.08.1995 |
| iii) | Name of the Company | National Informatics Centre Services Incorporated |
| iv) | Category / Sub-Category of the Company | Private Limited Section 8 (Erstwhile Section 25) Company under National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India |
| v) | Address of the Registered office and contact details | Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066<br>Tel.: 91-11-26105054, 26105193<br>Fax: 91-11-26105212 |
| vi) | Whether listed company Yes / No | No |
| vii) | Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any | Nil |

### II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be Stated:

| Sl.No. | Name and Description of main products / services | NIC Code of the Product/Service | % to total turnover of the company |
|---|---|---|---|
| 1 | ICT Solutions – Hardware and Software | - | 30.52 |
| 2 | Manpower, Network and Others | - | 69.48 |

### III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

| S. No. | NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY | CIN/GLN | HOLDING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATES | % of shares held | Applicable Section |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIL | | | | |

## IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

### (i) Category-wise Share Holding

| Category of Shareholders | No. of Shares held at the beginning of the year | | | | No. of Shares held at the end of the year | | | | % Change during the year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Demat | Physical | Total | % of Total Shares | Demat | Physical | Total | % of Total Shares | |
| **A. Promoters** | | | | | | | | | |
| (1) **Indian** | | | | | | | | | |
| a) Individual/HUF | | | | | | | | | |
| **b) Central Govt** | NIL | 200000 | 200000 | 100 | NIL | 200000 | 200000 | 100 | NIL |
| c) State Govt (s) | | | | | | | | | |
| d) Bodies Corp. | | | | | | | | | |
| e) Banks / FI | | | | | | | | | |
| f) Any Other.... | | | | | | | | | |
| **Sub-total (A) (1)** | | | | | | | | | |
| (2) **Foreign** | | | | | | | | | |
| a) NRIs -Individuals | | | | | | | | | |
| b) Other Individuals | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| c) Bodies Corp. | | | | | | | | | |
| d) Banks / FI | | | | | | | | | |
| e) Any Other.... | | | | | | | | | |
| **Sub-total (A) (2)** | | | | | | | | | |
| **Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)** | NIL | 200000 | 200000 | 100 | NIL | 200000 | 200000 | 100 | NIL |
| **B. Public Shareholding** | Not Applicable | | | | | | | | |
| **1. Institutions** | | | | | | | | | |
| a) Mutual Funds | | | | | | | | | |
| b) Banks / FI | | | | | | | | | |
| c) Central Govt | | | | | | | | | |
| d) State Govt(s) | | | | | | | | | |
| e) Venture Capital Funds | Not Applicable | | | | | | | | |
| f) Insurance Companies | | | | | | | | | |
| g) FIIs | | | | | | | | | |
| h) Foreign Venture Capital Funds | | | | | | | | | |
| i) Others (specify) | | | | | | | | | |
| **Sub-total (B)(1)** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 .Non-Institutions**<br>a) Bodies Corp.<br>i) Indian<br>ii) Overseas<br>b) Individuals<br>i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh<br>ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh<br>c) Others (specify)<br>**Sub-total (B)(2)** | Not Applicable | | | | | | | | |
| Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2) | Not Applicable | | | | | | | | |
| C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs | Not Applicable | | | | | | | | |
| **Grand Total (A+B+C)** | NIL | 200000 | 200000 | 100 | NIL | 200000 | 200000 | 100 | NIL |

### (ii) Shareholding of Promoters

| Sl. No. | Shareholder's Name | Shareholding at the beginning of the year | | | Share holding at the end of the year | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of Shares | % of total Shares of the company | %of Shares Pledged / encumbered to total shares | No. of Shares | % of total Shares of the company | %of Shares Pledged / encumbered to total shares | % Change in share holding during the year |
| 1 | President of India through NIC | 200000 | 100 | NIL | 200000 | 100 | NIL | NIL |
| | **Total** | **200000** | **100** | **NIL** | **200000** | **100** | **NIL** | **NIL** |

### (iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

| Sl. No. | | Shareholding at the beginning of the year | | Cumulative Shareholding during the year | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **No. of shares** | **% of total shares of the company** | **No. of shares** | **% of total shares of the company** |
| 2 | At the beginning of the year | No Change | | | |
| 3 | Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc): | | | | |
| 4 | At the end of the year | | | | |

### (iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

| Sl. No. | For Each of the Top 10 Shareholders | Shareholding at the beginning of the year | | Cumulative Shareholding during the year | |
|---|---|---|---|---|---|
| | At the begining of the year | No. of shares | % of total shares of the company | No. of shares | % of total shares of the company |
| | Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc): | Not Applicable | | | |
| | At the End of the year ( or on the date of separation, if separated during the year) | | | | |

### (v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

| Sl. No. | | Shareholding at the Beginning of the year | | Cumulative Shareholding during the Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| | For Each of the Directors and KMP | No. of shares | % of total shares of the company | No. of shares | % of total shares of the company |
| | At the beginning of the year | NIL | | | |
| | Date wise Increase /Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc): | | | | |
| | At the End of the year | | | | |

## V. INDEBTEDNESS

### Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

| | Secured Loans excluding deposits | Unsecured Loans | Deposits | Total Indebtedness |
|---|---|---|---|---|
| **Indebtedness at the beginning of ASQthe financial year**<br>i) Principal Amount<br>ii) Interest due but not paid<br>iii) Interest accrued but not due | Not Applicable | | | |
| **Total (i+ii+iii)** | | | | |
| **Change in Indebtedness during the financial year**<br>• Addition<br>• Reduction | | | | |
| Net Change | | | | |
| **Indebtedness at the end of the financial year**<br>i) Principal Amount<br>ii) Interest due but not paid<br>iii) Interest accrued but not due | | | | |
| **Total (i+ii+iii)** | | | | |

## VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

### A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager

| Sl. No. | Particulars of Remuneration | Name of MD/WTD/Manager | Total Amount |
|---|---|---|---|
| | | (ii) Shri Manoj Kumar Mishra (01.04.2017 to 31.03.2018)<br>(ii) Shri Manoj Kumar Mishra (15.02.2017 to 31.03.2017) | (i) Rs. 34.74 Lakh p.a.<br>(ii) Rs. 3.97 Lakh (P.Y.) |
| 1 | Gross salary<br>(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961<br>(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961<br>(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961 | NICSI is promoted by Government of India through National Informatics Centre (NIC), as a Private Limited Section 25 Company (Now Section 8 Company). As per Article 59(i) of the Articles of Association of the company, the Managing Director shall be appointed by the Director General, NIC on behalf of the President of India by deputing suitable officer of NIC.<br><br>The Managerial Remuneration for Financial Year 2017-18 to Shri Manoj Kumar Mishra, Managing Director (01.04.2017 to 31.03.2018) of the Company was Rs. 34.74 Lakh (P.Y. Rs. 3.97 Lakh) only. | |
| 2 | Stock Option | Not Applicable | |
| 3 | Sweat Equity | | |
| 4 | Commission<br>- as % of profit<br>- others, specify... | | |
| 5 | Others, please specify<br>Total (A)<br>Ceiling as per the Act | | |
| | **Total (A)** | | |
| | Ceiling as per the Act | | |

### B. Remuneration to other directors

| Sl. No. | Particulars of Remuneration | Name of Directors | | | Total Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. Independent Directors<br>...Fee for attending board / committee meetings<br>...Commission<br>...Others, please specify | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | **Total (1)** | Not Applicable | | | | |
| | 4. Other Non-Executive Directors<br>...Fee for attending board / committee Meetings<br>...Commission<br>...Others, please specify | | | | | |
| | **Total (2)** | | | | | |
| | **Total (B)=(1+2)** | | | | | |
| | **Total Managerial Remuneration** | | | | | |
| | **Overall Ceiling as per the Act** | | | | | |

## C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

| Sl. No. | Particulars of Remuneration | Key Managerial Personnel | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CEO | Company Secretary | CFO | Total |
| 1 | Gross salary<br>(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961<br>(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961<br>(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961 (In Rs.) | The Remuneration for Financial Year 2017-18 to Company Secretary of the Company is Rs. 9,17,000/- only. | | Not Applicable | 9,17,000/- |
| 2 | Stock Option | Not Applicable | | | |
| 3 | Sweat Equity | | | | |
| 4 | Commission<br>- as % of profit<br>- others, specify... | | | | |
| 5 | Others, please specify | | | | |
| | **Total** | | | | **9,17,000/-** |

## VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES

| Type | Section of the Companies Act | Brief Description | Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed | Authority [RD / NCLT/ COURT] | Appeal made, if any (give Details) |
|---|---|---|---|---|---|
| Penalty | NIL | | | | |
| Punishment | | | | | |
| Compounding | | | | | |
| **C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT** | | | | | |
| Penalty | NIL | | | | |
| Punishment | | | | | |
| Compounding | | | | | |

**For and on behalf of the Board of Directors**
**of National Informatics Centre Services Inc.**

**Sd/-**
**Chairman**

**Place: New Delhi**
**Date: 26th September, 2018**

# National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI)

## Addendum to the Directors Report for Financial Year 2017-18

## Replies to the Observations of the Statutory Auditors Report dated 26.09.2018 from M/s. Goel Garg & Company, Chartered Accountants on the Accounts of NICSI for F.Y.2017-18

| | AUDIT OBSERVATION | NICSI REPLY |
|---|---|---|
| | Reference is invited to the note no. 47 and 53 of the Ind AS financial statements, regarding Grants-in-aid, | |
| | a) The unaudited accounts of NKN projects have been incorporated in the Ind AS financial statements of the Company. | M/s. Goel Garg & Co., Chartered Accountants had been assigned the work by NICSI to audit the accounts of GIA Projects for F.Y.2017-18. Out of 17 GIA Projects with NICSI in F.Y.2017-18, the Audit of 16 GIA Projects is complete. The firm is also to undertake the audit of NKN Project, which is due since 2010-11 & onwards. |
| | b) During the current year, the interest on Grant-in-Aid projects amounting to Rs. 777.72 Lakhs (Previous year Rs. 499.10 Lakhs) has been reduced from interest income earned during the year as per the interest rate on fixed deposits (Previous year saving bank account) given by the public sector banks based on the management estimation instead of actual interest earned on unutilized funds of Grant –in – aid projects as per the terms & conditions laid down by grantor institution. The impact of the same on the previous years has not been worked out, amount unascertained. | NICSI Board of Directors, in its 100th meeting held on 28.03.2017 had approved to refund the interest on grants in aid projects on "Actual Basis". Accordingly, during the current year, NICSI has provided the interest in GIA Projects as per the interest rates informed by the bank as applicable on fixed deposits from time to time during the year. Action to refund the difference of interest for previous years is in process. |
| | c) Till FY 2014-15, the Company paid interest on unutilized amount of Grants-in-Aid projects without considering service tax paid in Grants-in-Aid projects. From the FY 2015-16 Company has changed its method of calculation and considered Service tax paid in Grants-in-Aid projects while calculating interest.<br><br>The effect of same on previous year's interest payment has not been worked out. | From F.Y.2015-16 and onwards, the Service Tax paid on Advances has been treated as expenditure and interest paid on net unutilised amount (i.e. advance received Less Service Tax paid). Till F.Y. 2014-15, NICSI had not deducted the Service Tax Paid amount out of the advance received while calculating the interest, since the Service Tax paid was adjusted at the time of raising of bills to the Users/ Customers.<br><br>NICSI has thus, refunded some excess amount towards interest till F.Y. 2014-15 to the grantor departments. Action is in process to revise the calculations of interest and the adjustment would be made out of the additional |

| | | |
|---|---|---|
| | The overall impact of matters referred to in the preceding para on the Ind AS financial statements for the year is unascertainable and unquantifiable. | interest to be paid by NICSI as per b) above. However, most of these GIA Projects are already completed and their accounts closed. |
| 2. | Reference is invited to note no. 46 and 49 of Ind AS financial statements on recognition of operating margin | |
| | i) As per MeitY and NICSI's Board approval, The Company has not been charging any operating margin from NIC on the procurement towards their internal project. | This is as per Secretary, MeitY's decision in the meeting held on 26.05.2014 towards role clarity between NIC & NICSI and circular issued by NIC, vide No. G-30012/02/2014/ IFS dated 18.06.2014 towards the same. Subsequently, it was also ratified by the NICSI Board of Directors, in its 87th meeting held on 25th July, 2014. |
| | ii) The Company has been taking a uniform operating margin @ 5% on digital signature project irrespective of project cost. | This has been recognised during the year as per Note 49 of the Financial Statements. However, the empanelment of vendors by NICSI towards the same was up to September, 2017 only and thereafter, no such project has been implemented. |
| | iii) Revenue from operation includes income recognized @ 1% as administrative charges of expenditure incurred on NKN Project. The same is subject to Ministry of Electronics & Information Technology ('MeitY') approval.<br><br>In the absence of documentation and details, the overall impact of matters referred to in the preceding paras on the Ind AS financial statements for the year is unascertainable and unquantifiable. | NKN High Level Committee, in its 11th meeting held on 19.07.2011, had agreed to in-principle for Administrative Charges at 1% to NICSI with the view that NIC to send a proposal in this regard to be examined by IFD, MeitY within the overall approvals by the CCI. NIC had accordingly, sent the proposal to IFD, MetiY for examination and concurrence. It is still in process. The proposal is being further followed-up. However, NICSI Board of Directors, in its 69th meeting held on 24.09.2010, had approved charging of 1% administrative charges in the project and NICSI has been taking it accordingly since F.Y.2010-11 itself. |
| 3. | Reference is invited to note no. 62 of Ind AS financial statements regarding MeitY project of "Asset Mapping of Panchayats" having total cost of Rs. 3238.99 Lakhs and the Operating Margin of NICSI, as per Administrative Approval is fixed at Rs.100.00 Lakhs. The Company has taken its income at 7% of expenses incurred for the project during the year as per the rate of operating margin approved by the Board. Feedback from MeitY is not received. | NICSI had taken up the matter with MeitY, vide letter dated 10.09.2015, to amend the Administrative Approval to the extent that NICSI would be charging its Operating Margin @ 7% in the project as per the rate approved by its Board of Directors. Reminders to the same had also been issued by NICSI to MeitY on 28.07.2016 and 27.07.2017. However, feedback in the matter is awaited. In the meantime, the Project Review & Steering Group (PRSG) for this project in MeitY, in its meeting held on 20.09.2017, had recommended for fore-closure of the project from MeitY side, as its implementation in future was agreed to by the Ministry of Panchyati Raj (MoPR) by taking ownership of the same. |

| | | |
|---|---|---|
| | | In the above circumstances, NICSI is now in the process of working out proportionate Operating Margin only in the project, as per the provisions in the Administrative Approval towards this project from MeitY, vide no. 3(64)/2014-EG-II dated 29.03.2015, instead of 7% actually taken. The excess amount taken would be refunded by NICSI to MeitY in F.Y.2018-19. |
| 4. | In our opinion, internal controls/internal audit systems in relation to, project management, book keeping, invoicing, procurement, stores, inventory, physical verification of fixed assets and tendering process of the company are not commensurate with the size and nature of its operations. | NICSI has internal control system through Delegation of Powers and other guidelines from the Board of Directors from time to time. All the activities of NICSI are got performed within those approved guidelines.<br><br>Further, NICSI has been empanelling a CA firm as its Internal Auditors through tender process from time to time. The CA firm has been regularly conducting the audit on NICSI Accounts on quarterly basis, as per the "scope of work" given in the empanelment letter and issuing Reports. Proper accounting and other procedures are being followed towards purchase of goods, stores, inventory, fixed assets, book keeping etc. However, in this Report, the shortcomings have not specifically been pointed out and these are general comments only. |
| 5. | Reference is invited to note no.39 of the Ind AS financial statements, balance confirmations have not been received from Trade Payables, Trade Receivables, Advances received from customers, Earnest Money Deposits, Security deposits, advance to suppliers and Grants-in-aid received for balance outstanding as at March 31, 2018. In the absence of confirmations, we are unable to comment on the accuracy of the balances and adjustment thereof, along with impact, if any, on Ind AS financial statements. | NICSI issues balance confirmation letters to all the users towards trade payables and trade receivables every year on financial closing and also, during the year from time to time. It is a regular feature that the Users / Customers of NICSI, all being Government Ministries / Departments / Organisations, are issued such letters but very negligible response is received against the same. NICSI has also issued such letters during F.Y. 2017-18 and the same position exists. Action to issue such letters for other heads would also be taken in future. |
| 6. | Reference is invited to Note 9 to the Ind AS financial statements and accounting policy No. 2(xvi), Provision for bad and doubtful debts as on balance sheet date amounting to Rs.301.43 Lakhs (Previous Year Rs.303.28 Lakhs) created against trade receivables. In the absence of balance confirmations and proper documentation, we are unable to comment on the adequacy of such provision and impact thereof, if any, on Ind AS financial statements. | The "Provision towards Bad & Doubtful Debts" has been made by the Company during the year, based on its 'Policy'. This policy is approved by the Board of Directors in its 81st meeting held on 20.03.2013. In this report, the adequacy of such provision is not specified and these are general comments only. |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Reference is invited to note no. 57 of the Ind AS financial statements, Companies Act, 2013 require classification of Assets and Liabilities into current and non-current. In absence of reasonable basis for such bifurcation disclosed in the Ind AS financial statements, we are unable to comment on accuracy of such disclosure. | The classification of Assets & Liabilities into current and non-current has been done based on the contractual terms & conditions as envisaged in the corresponding PO's & supporting documents and fully in conformity with the applicable norms, as per Ind AS and Companies Act, 2013. |
| 8. | Reference is invited to note no. 14 of the Ind AS financial statements, Taxes Recoverable as on balance sheet date includes Sales tax recoverable balance of Rs. 117.70 Lakhs (Previous Year Rs. 117.70 Lakhs) which pertains to financial year 1996-97 to 2013-14 and TDS on works contract Rs. 2.34 Lakhs (Previous Year Rs. 2.34 Lakhs) for FY 2000-01. In the absence of reasonable and sufficient documentation in relation to recoverability of above, we are unable to comment on the accuracy and existence of these balances and consequential impact on the Ind AS financial statements, if any. | The long outstanding Sales Tax cases / TDS on works contracts cases are fully corroborated with Sales Tax / Vat returns. NICSI has vigorously followed up with the concerned Tax Authorities regularly. However, the Tax Authorities are yet to take final decisions in the matter. NICSI would be following up the matter further with the concerned Tax Authorities and in case, the refund is not forth-coming, NICSI would be taking up the matter to its Board of Directors for consideration to write-off the same. |
| 9. | Reference is invited to note no. 64 of the Ind AS financial statements regarding current tax assets of Rs.11,129.73 Lakhs (Previous Year Rs. 6036.78 Lakhs) which includes certain balances of TDS/Advance tax refundable from FY 2007-08 to 2014-15. In the absence of reasonable feedback from income tax department regarding recoverability of above, we are unable to comment on the accuracy and existence of these balances and consequential impact on the Ind AS financial statements, if any. | The current tax assets of Rs. 11129.73 Lakhs including TDS/Advance Tax are duly & fully supported by corresponding records i.e. Income Tax Returns & computation of Income, TDS deducted by users and financial statements. NICSI has been continuously following-up with the concerned Tax Authorities for early refund of the same. However, out of Rs.11129.73 Lakhs, the amount of Rs.2281.00 Lakhs pertain to upto F.Y.2014-15 and Rs. 8848.73 Lakhs for the current period from F.Y.2015-16 to 2017-18. |
| 10. | Reference is invited to note no. 52 of the Ind AS financial statements regarding project incentive paid/provided by the Company for the period 2007-08 to 2015-16 amounting to Rs. 301.64 lakhs without approval of MietY/ NIC. Pending approval/finalization of matter, we are unable to comment on the impact, if any, on the Ind AS financial statements of the Company. | It relates to para no. 5.6 (i) in the Report no. 55 of 2015 of the C&AG of India for the year ended March, 2014 that NICSI had paid Project Incentive of Rs. 211.00 Lakh to its officers on deputation from NIC for the period from 2007-08 to 2013-14, which was not covered in the guidelines of the Department of Public Enterprises (DPE) and hence was not admissible. |

| | | |
|---|---|---|
| | | The matter was considered internally in NICSI and with the approval of its Board of Directors, the matter was referred by NICSI to NIC in November, 2014 towards ratification of its Service Rules. The matter towards ratification is still under consideration with NIC/MeitY till then and NICSI has been continuously following-up.<br><br>In view of the said audit observations, NICSI had not paid any amount to its employees towards Project Incentive from F.Y.2014-15 & onwards. However, for F.Y.2014-15 & 2015-16, NICSI had made provision in Accounts of Rs.44.84 Lakh & Rs.45.80 Lakh respectively towards Project Incentive. In the absence of Government approval so far towards ratification of NICSI Service Rules, even the provision has not been made in accounts towards the same from F.Y.2016-17 & onwards. |
| 11. | Reference is invited to note no. 54 of the Ind AS financial statements regarding payment of Transport and House Rent Allowance being paid / provided by the Company from 01.07.2007 to 31.03.2018 without approval / rectification by MeitY. Pending finalization of matter, we are unable to comment on the impact, if any, on the Ind AS financial statements of the Company. | It relates to para no. 5.6 (ii) & (iii) in the Report no. 55 of 2015 of the C&AG of India for the year ended March, 2014 that NICSI had paid Transport Allowance (Rs. 48.87 Lakhs) for the period from January, 2011 to March, 2014 and House Rent Allowance (Rs.16.58 Lakhs) for the period from March, 2010 to March, 2014, beyond Central Government rates, which was not admissible<br><br>The matter was considered internally in NICSI and with the approval of its Board of Directors, the matter was referred by NICSI to NIC in November, 2014 towards ratification of its Service Rules. The matter towards ratification is still under consideration with NIC/MeitY till then and NICSI has been continuously following-up.<br><br>In view of the said audit observations, the Board of Directors of NICSI, in its 103rd meeting held on 29.09.2017, had considered and approved that the Transport Allowance and House Rent Allowance to NICSI employees be paid as per 7th CPC and hence, NICSI has been paying these allowances as per Central Government rates only since July, 2017 & onwards. |
| 12. | Reference is invited to note no. 65 of the Ind AS financial statements regarding Obsolete Assets, during the physical verification of fixed assets conducted by the Company, some assets are identified as obsolete / non-working. Effect of the same has not been provided for the Ind AS financial statements. In the absence of details, consequential impact | The physical verification of assets has been carried out in April, 2018 & onwards by the respective Committee at NICSI HQ and its units as on 31.03.2018. For the items identified therein as obsolete / unserviceable, action is in process for their disposal as per prescribed guidelines and would be completed in F.Y.2018-19. |

| | | |
|---|---|---|
| | on the Ind AS financial statement for year is not ascertainable and quantifiable. | |
| 13. | Reference is invited to note no. 45 regarding method of calculating License Fee and Spectrum Charges and demand of Rs.65445.02 lakhs towards License Fee and Rs. 32383.09 Lakhs towards Spectrum Charges raised by DOT, the Company has paid / provided for the License Fee and Spectrum Charges to DOT. As the matter is pending in Hon'ble Supreme Court of India consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is not ascertainable and quantifiable. | Hon'ble Supreme Court of India, in its interim judgement dated 29.02.2016, had decided as under:<br>"The Union of India will continue to raise demands as per its understanding. However, the same will not be enforced till the final decision of the controversy by this Court".<br>As per said judgement, DoT, vide its DO dated 10.05.2016, had informed NICSI that Assessment shall continue to be made in accordance with the terms and conditions of the relevant Licence Agreement, the Department's guidelines / inspections / clarifications issued from time to time, as is being done hither to, until further orders.<br>Accordingly, NICSI had calculated and remitted the Licence Fee and Spectrum Charges to DoT as per the Agreement dated 20.11.2009 with it and clarifications related thereto.<br>Further to above, NICSI had received 2 letters both dated 09.02.2017 from the O/o the Principal Chief Controller of Accounts (Pr.CCA), DoT to deposit the amounts of around Rs.654.45 crore towards outstanding Licence Fee and Rs.323.83 crores towards Spectrum charges for the period from F.Y.2009-10 to 2015-16.<br>NICSI had taken up the matter with MeitY, based on which Secretary, MeitY had informed the details to Secretary, DoT vide D.O. dated 14.03.2017, with the request to revise the said demand. Secretary, MeitY has again taken up the matter with Secretary, DoT vide D.O. dated 18.09.2017. Further feedback in the matter was awaited.<br>In the meantime, NICSI had surrendered the said Licence to DoT on 31.03.2017 and thereafter, no activity had been there in the project from NICSI side. |
| 14. | Reference is invited to note no. 19 other Financial Liabilities which includes liability of Earnest money Deposit of Rs.921.36 Lakhs (Previous Year Rs. 1396.41 Lakhs). In the absence of sufficient and reasonable documentary evidence, we are unable to comment on completeness and accuracy of this amount. Consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is not ascertainable and quantifiable. | The financial liabilities in respect of Earnest money deposit of Rs. 921.36 Lakhs are as per corresponding tender/bid documents and corresponding banking receipts of respective EMD. However, the position is being examined from the relevant documents, since various amounts therein relate to the period from 1996-97 & onwards. It would be ensured that all the long outstanding amounts are settled in F.Y.2018-19 and if, any amount beyond 3 years remain un-linked, it would be taken as company's income. |

| | | |
|---|---|---|
| 15. | Reference is invited to note no. 17 and 19 other financial liabilities include securities deposit payable Rs.40.45 Lakhs (Previous Year Rs. 51.46 Lakhs) and Earnest Money Deposit of Rs.921.36 Lakhs (Previous Year Rs. 1396.41 Lakhs) which are not measured at amortized costs or at fair value as per Significant Accounting Policy 2(vii) and (viii) regarding measurement of financial liabilities. Consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is not ascertainable and quantifiable. | The financial liabilities including security deposit payable of Rs. 40.45 Lakhs & EMD of Rs. 921.36 Lakhs have been duly measured at fair value, which in the absence of any transaction cost is equivalent to carrying amount as per IndAS requirement. |
| 16. | Reference is invited to note no 61 regarding implementation of ERP software w.e.f 1st July 2017 to prepare and maintain books of accounts. ERP software is implemented without any validation by any external independent agency.<br><br>Parallel accounting maintained in ERP system for the first three months is not fully on consensus with the Tally Accounting Software. In the absence of validation documentation and details, consequential impact on the Ind AS financial statement for year is not ascertainable and quantifiable. | NICSI had given a Work Order to M/s. Rolta India Ltd. on 22.03.2013 to procure, customize, implement and maintain the ERP Application at NICSI. While customizing the same, the firm had migrated Trial Balance as on 31.03.2016 and some outstanding transactions as on 31.03.2016 from Tally to ERP.<br><br>NICSI had also accepted the deliverables. Thereafter, NICSI had also adopted the ERP on trial basis and parallel run were going on more than one year. As it had functioned satisfactorily and after the concurrence of NICSI accounts, it had disbanded the working of Accounts on Tally Package from 30.06.2017 and completely adopted newly developed ERP from 01.07.2017. Thus, the Accounts for F.Y.2017-18 have been prepared by NICSI for initial 3 months in Tally package and subsequently, transferred the same to the newly developed ERP and from 01.07.2017 completely in the ERP only. It is also certified by the CA firm maintaining NICSI accounts, vide Certificate dated 11.09.2018. Also, there had been many module-wise validation under NICSI ERP and some of these are mentioned below:<br><br>ERP Oracle is a worldwide accepted Software.<br><br>During the Customization Process, NICSI Management had incorporated various validations/checks in the ERP. Some of these validations are listed below.<br><br>**AP module validation:**<br>❖ Without any provision of Invoice ERP does not allow making payment of such invoice. |

| | | |
|---|---|---|
| | | ❖ Each payment from ERP is related to the concerned project number from where such payment is debited against corresponding income bill<br>❖ If Project is having Debit balance/Negative balance, then ERP restricts to make payment from the concerned project.<br>❖ ERP does not allows back dated payment without Proper approval from management<br>**AR module validation:**<br>❖ All the funds received from user is directly credited in concerned project which are opened by project opening division and the project number allotted by ERP is unique.<br>❖ ERP does not allow duplicate billing for the same period under the same project.<br>❖ If PO/Work order, project number and billing period are same then ERP restricts to book such income bill.<br>**GL Module validation:**<br>❖ If Project is having Debit balance/ Negative balance then fund transfer is neither allowed on project opening page nor on GL Module.<br>❖ However, the Company would be reviewing on getting it validated from an external independent agency. |
| 17. | The Company has not complied with the following Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. - | |
| | i. The company has not complied with disclosure requirements Ind AS 10 "Events after the Reporting Period", as the Company receives service and material on behalf of third party to carry out certain projects. Sometimes, as informed to us, information related to such expense and acquisition comes after closing date and the same has not been recognized in the Ind AS financial statements. Further, reference is invited to Note no. 66 of Ind AS financial statements, in relation to prior period expenses / income, the Company has treated only errors or omissions as prior period. | NICSI continues to receive the bills from the vendors after 31st March every year and based on that, the entries are made in the accounts for the bills received after 31st March till the closure of the financial statements for that year. The company has duly complied with all the provisions & requirements of applicable Ind AS, while preparing financials for F.Y. 2017-18. Further, the Company has treated errors & omission only as prior period in the Ind AS Financial Statements. However, there is no prior period during the year. |

| | | |
|---|---|---|
| | ii. Reference is invited to the note no. 2(viii) of the Ind AS financial statements; as per the Company's policy, revenue on sales of goods is being recognized at the time of generation of invoice, whereas, the risk and reward are transferred to customers on acceptance of goods.<br><br>This is resulting in non-compliance of Ind AS 18 Revenue Recognition. | As per NICSI policy, it has been recognising its revenue at the time of generation of invoice towards sale of goods. The company has duly complied with all the provisions & requirements of applicable Ind AS, while preparing financials for F.Y. 2017-18 and as per matching concept described by IndAS-18 on Revenue recognition. |
| **Qualified Opinion**<br>In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matters described in the 'Basis for Qualified Opinion' paragraph above, the aforesaid Ind AS financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Ind AS, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2018 and its surplus (including other comprehensive income) and its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date. | | |
| **Other Matters -** Without qualifying our opinion, we lay emphasis that- | | |
| a. Reference is invited to note no. 55 of the Ind AS financial statements, the company has incurred extra expenditure than the advances received from user departments in case of some projects, as they restrict the release of advances to NICSI to 40% or so as per GFR provisions. Reference is also invited to note no. 9 of the Ind AS financial statements, amount of trade receivables of Rs.28,835.15 Lakhs (PYRs.28,130.13 Lakhs) as at March 31, 2018 is on account of such excess project expenditure incurred by the Company. | As per the provisions in the General Finance Rules, 2017, various Ministries / Departments / Organisations have been restricting to the release of advances upto 40% of the project value, whereas NICSI has to issue the work orders to the empanelled vendors to the total cost of project. After the order is executed, the vendors submit the bills to NICSI for payment and based on that, NICSI raises bill/income bill to User corresponding to vendor bills and subsequently, NICSI requests the User Organisations to release the balance payments. Due to delay in receipt of balance funds from the User Departments/Organisations, the balance in the projects results in negative, as NICSI has to make provision in the accounts or to release the payments to the vendors, as per the terms and conditions of empanelment / work orders. |
| b. The Company is not maintaining separate bank accounts for money received for Grant-in-aid projects. Though, the company is maintaining a separate project account for each project in the accounting software. | NICSI receives a large number of new projects every year. During F.Y.2017-18 itself, NICSI has received 2884 new projects for implementation from various Ministries/ Departments/ Organisations of the Government of India / States / UTs. It is neither a requirement to have separate bank account for each project nor it is feasible.<br><br>However, NICSI had maintained separate Accounts Ledger for each project in the Tally and the same is being maintained in ERP also. The Board of Directors of NICSI, |

| | |
|---|---|
| | in its 100th meeting held on 28.03.2017, has decided to open separate Bank Accounts for each grants in aid project and accordingly, each GIA Project has separate Bank Account at present. |
| c. Reference is invited to the note no. 40 of the Ind AS financial statements, conveyance/title deeds in respect of office building at Bhikaji Cama Place, New Delhi of Rs. 931.50 Lakhs are pending for execution/registration. | NICSI has taken up the matter with NBCC, as well as with Land & Development Office under Ministry of Urban Development (GoI) from time to time but the registration of the Deed is yet to be done. NICSI would be following up the matter further with the concerned authorities to get the deeds registered at the earliest. |
| d. Reference is invited to note no. 56 of the Ind AS financial statements, the Company had filed an application with the commissioner of income tax on 13/06/2013 for its registration under section 12A of the Income Tax Act, 1961. However the same application was rejected by the commissioner of income tax. The company's appeal with the Income Tax Appellate Tribunal, New Delhi against CIT order has been decided in favour. Appeal effect is still pending with income tax Department. | The company had filed the application with Income Tax Department to give "Appeal" effect. Feedback from the department is awaited. |
| e. Stock summary generated by the ERP system is not matching with the books of accounts. | Books of Accounts as maintained in ERP System are in agreement with the Financial Statements. Some additional reports have been designed in the ERP as an additional reference to only for MIS purpose. |

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

1. The Company is licensed to operate under section 8 of the Companies Act, 2013, therefore, the disclosure required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act is not applicable.

2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except as mentioned in basis of qualified opinion paragraph above.

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c) The Balance Sheet, the Income and Expenditure Account, and the Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this report are in agreement with the books of account.

d) Except for the matters described in basis of qualified opinion, in our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.

e) The internal controls described in sub paragraph 6 under the basis for qualified opinion above, in above opinion, may have adverse effect on the functioning of the company;

f) Since the company is a Government company, sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 regarding director's disqualification, is not applicable to the Company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;

g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses qualified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements(Refer Note no. 31 to the Ind AS financial statements);

   ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

   iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

3. Our separate report on directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 is attached as **Annexure B**.

# ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

## Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act").

**Management's Responsibility for Internal Financial Controls**

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

**Auditors' Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

**Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting**

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Ind AS financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable details, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Ind AS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Ind AS financial statements.

**Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

Because of the Inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changed in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

**Qualified Opinion**

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified as at March 31, 2018;

| | |
|---|---|
| The Company did not have an appropriate internal control system for reconciliation / confirmation of vendor balances. These could potentially result in material misstatements in the Company's trade payables. | NICSI Accounts sends Balances Confirmation Letters to all the Users Departments / Organisations with the request to confirm the balances. These are also followed-up by the concerned Project Coordinators through correspondence and personal discussions. It is not correct to say that it may potentially result in material misstatement. |

| | |
|---|---|
| The Company did not have an appropriate internal control system on investment of excess funds in fixed deposits. These could potentially result in loss of interest income. | NICSI continuously takes stock of its surplus funds viz.a.viz its requirements and after taking internal approvals, invest the same in the Fixed Deposits (FDs). These FDs are so prepared that premature encashments are not occurred, which may result in effective maintenance of FD of Company. Further, the FDs on maturity are also renewed on immediate basis, so that no loss is there to the Company. Proper records of all the FDs made / renewed /encashed / matured is kept both in the CS Branch and Accounts Branch, so that there is no discrepancy in the record related to the FDs and it also tallies with the figures of the Banks. It is not correct to say that it may potentially result in loss of interest income. |
| The Company did not implement the ERP System as per the policies and guidelines of the contract & post validation during the year. | Position is clarified in reply to observation no. 16 above. NICSI had simultaneously performed its parallel run for more than one year on the Tally system and the new ERP. After generating Trial Balance, Balance Sheet and P&L Account as on 31.03.2017 from Tally System and also from ERP System, comparison was done by the NICSI Accounts. It was observed that all the Reports either generated from Tally or from ERP were matching.<br><br>NICSI Accounts had given its concurrence to completely disband the Tally System and exclusively used the ERP system for all the related activities from 01.07.2017 onwards. Further, 3 month parallel run from 01.04.2017 to 30.06.2017 was also there and the Reports were matching completely both in Tally and ERP. Thus, this is not correct to say that the company did not implement the ERP system as per the policies and guidelines of the contract. It could potentially result in a differences in accounting balances and material misstatement in the Company's Financials. |

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual Ind AS financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects / possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2018 Ind AS financial statements of the Company.

# ANNEXURE 'B' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE IND AS FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

## REPORT ON DIRECTIONS ISSUED BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013

**(1) Whether the company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/ lease deeds are not available.**

As per the information provided to us, the title deeds of all the assets owned by the company are registered except those mentioned in note no. 42 of audited statements.

**(2) Please report whether there are any cases of waiver/write off debts/loans/interest etc., if yes, the reasons therefore and the amount involved.**

As per the information and explanation provided to us, there is no case of waiver/write off the debts/ loans/interest, etc. during the year.

**(3) Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/grant(s) from Govt. or other authorities?**

As per the information and explanation provided to us, no inventories which belong to the company are lying with third parties and no assets have been reported to us as gifts /grant(s) received from government or other authorities. However assets procured for the users under Grant in Aid belong to respective user departments and not to the company

**For and on behalf of the Board of Directors**
**of National Informatics Centre Services Inc.**

**Sd/-**
**Chairman**

**Place: New Delhi**
**Date: 26th September, 2018**

# National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated
Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

**Balance Sheet as at 31.03.2018**

**₹ in lakhs**

| Sl. No. | Particulars | Note No | As on 31-03-2018 | As on 31-03-2017 |
|---|---|---|---|---|
| | **ASSETS** | | | |
| 1 | **Non-current assets** | | | |
| | Property, Plant and Equipment | 3 | 5,741.46 | 4,633.46 |
| | Capital work-in-progress | | - | - |
| | Other Intangible assets | 4 | 3,693.68 | 3,098.57 |
| | Financial assets: | | | |
| | (a) Loans | 5 | 686.16 | 618.35 |
| | (b) Others Financial Assets | 6 | 322.62 | 320.35 |
| | Deferred tax assets (net) | 7 | - | - |
| | Other non-current assets | 8 | 2,539.99 | 2,282.70 |
| 2 | **Current assets** | | | |
| | Financial assets: | | | |
| | (a) Trade receivables | 9 | 28,835.15 | 28,130.13 |
| | (b) Cash and cash equivalents | 10 | 13,295.05 | 20,470.42 |
| | (c) Bank balances other than '(b)' above | 11 | 141,727.53 | 120,372.46 |
| | (d) Others Financial Assets | 12 | 3,923.41 | 4,201.14 |
| | Current Tax Assets (Net) | 13 | 11,164.64 | 6,036.78 |
| | Other current assets | 14 | 27,947.12 | 27,183.74 |
| | **Total Assets** | | **239,876.81** | **217,348.10** |
| | **EQUITY AND LIABILITIES** | | | |
| | **Equity** | | | |
| | Equity Share capital | 15 | 200.00 | 200.00 |
| | Other Equity | 16 | 63,682.41 | 60,578.15 |
| | **LIABILITIES** | | | |

₹ in lakhs

| Sl. No. | Particulars | Note No | As on 31-03-2018 | As on 31-03-2017 |
|---|---|---|---|---|
| | **Non-current liabilities** | | | |
| | Financial Liabilities | | | |
| | (a) Other financial liabilities | 17 | 40.45 | 51.46 |
| | Provisions | | | |
| | Deferred tax liabilities (Net) | 7 | 145.62 | 507.31 |
| | **Current liabilities** | | | |
| | Financial liabilities: | | | |
| | (a) Trade payables | 18 | 46,784.32 | 47,782.97 |
| | (b) Other financial liabilities | 19 | 1,728.85 | 2,485.00 |
| | Other current liabilities | 20 | 127,220.64 | 105,668.69 |
| | Provisions | 21 | 74.52 | 74.52 |
| | **Total Equity and Liabilities** | | **239,876.81** | **217,348.10** |
| Significant accounting policies | | 2 | | |

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date
**For Goel Garg & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000397N

**Sd/-**
**Ajay Rastogi**
Partner
Membership No.084897

Place: New Delhi
Date: 26.09.2018

**For and an behalf of the Board of Directors of**
**National Informatics Centre Services Inc.**
CIN: U74899DL1995NPL072045

**Sd/-**
**Manoj Kumar Mishra**
Managing Director
DIN: 07652553

**Sd/-**
**Pankaj Kumar**
Chairman
DIN:08176055

**Sd/-**
**Dr. Girish Kumar**
Company Secretary
FCS: 6468

**Sd/-**
**Deepak Saxena**
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 26.09.2018

# National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated
Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

**Statement of Income and Expenditure for the period ended 31.03.2018**

**₹ in lakhs**

| Sl. No. | Particulars | Note No. | Year ended 31-03-2018 | Year ended 31-03-2017 |
|---|---|---|---|---|
| **I** | Revenue From Operations | 22 | 125,836.36 | 124,141.06 |
| **II** | Other Income | 23 | 7,806.36 | 8,566.34 |
| **III** | **III Total Income (I+II)** | | **133,642.72** | **132,707.40** |
| **IV** | **EXPENSES** | | | |
| | Purchases of Stock-in-Trade | 24 | 39,571.03 | 48,669.21 |
| | Services Support Expenses | | 76,779.95 | 63,821.94 |
| | Employee benefits expense | 25 | 828.84 | 993.84 |
| | Depreciation and amortization expense | 3 | 4,020.75 | 1,671.56 |
| | Other expenses | 26 | 7,377.05 | 6,482.05 |
| | **Total expenses (IV)** | | **128,577.62** | **121,638.60** |
| **V** | Profit/(loss) before exceptional items and tax (III- IV) | | 5,065.10 | 11,068.80 |
| **VI** | **Exceptional Items** | | | |
| | Impairment of Property, Plant and Equipment | 3 | - | 151.15 |
| | Impairment of Other Intangible assets | 4 | - | 215.65 |
| **VII** | Profit/(loss) before tax (V-VI) | | 5,065.10 | 10,702.00 |
| **VIII** | Tax expense: | | **1,960.83** | **4,260.95** |
| | (1) Current tax | | 2,268.01 | 3,410.69 |
| | (2) Deferred tax | | (361.69) | 542.35 |
| | (3) Tax for Earlier Years adjusted/(Written back) | | 54.51 | 307.91 |

₹ in lakhs

| Sl. No. | Particulars | Note No. | Year ended 31-03-2018 | Year ended 31-03-2017 |
|---|---|---|---|---|
| **IX** | Profit (Loss) for the year from continuing operations (VII-VIII) | | **3,104.27** | **6,441.05** |
| **X** | **Earnings per equity share (for continuing operation):** | | | |
| | (1) Basic | 27 | 1,552.13 | 3,220.52 |
| | (2) Diluted | 27 | 1,552.13 | 3,220.52 |

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date
**For Goel Garg & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000397N

**Sd/-**
**Ajay Rastogi**
Partner
Membership No.084897

Place: New Delhi
Date: 26.09.2018

**For and an behalf of the Board of Directors of**
**National Informatics Centre Services Inc.**
CIN: U74899DL1995NPL072045

**Sd/-**
**Manoj Kumar Mishra**
Managing Director
DIN: 07652553

**Sd/-**
**Pankaj Kumar**
Chairman
DIN:08176055

**Sd/-**
**Dr. Girish Kumar**
Company Secretary
FCS: 6468

**Sd/-**
**Deepak Saxena**
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 26.09.2018

# National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated
Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

## Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2018

₹ in lakhs

| Particulars | Year ended March 31, 2018 | Year ended March 31, 2017 |
|---|---|---|
| **Cash Flow from Operating Activities** | | |
| **Surplus /(Deficit) before tax and extraordinary items** | **5,065.10** | **11,068.80** |
| Interest on Service Tax | - | - |
| Surplus /(Deficit) before tax | 5,065.10 | 11,068.80 |
| Adjustments for: | | |
| Depreciation on fixed assets | 4,020.75 | 1,671.56 |
| Profit/(Loss) on sale of fixed assets | 3.06 | (0.09) |
| Interest expense | 777.72 | 502.10 |
| Deduct: | | |
| Interest income | 8,285.61 | 8,827.97 |
| **Operating Surplus /(Deficit) before Working Capital changes** | **1,581.02** | **4,414.39** |
| Adjustments for : | | |
| (Increase) /Decrease in inventories | - | - |
| (Increase) /Decrease in trade receivables | (705.02) | (9,355.88) |
| (Increase) /Decrease in loans and advances and other assets | (5,940.70) | (13,741.75) |
| Increase/(Decrease) in trade payable & other liabilities | 19,786.19 | 37,986.89 |
| Increase/(Decrease) in provisions | - | - |
| **Cash Generated from Operations** | **14,721.49** | **19,303.66** |
| Income tax Paid | (2,268.01) | (3,410.69) |
| Income tax for Previous Years | (54.51) | (307.91) |
| **Net Cash inflow/(outflow) from Operating activities (A)** | **12,398.97** | **15,585.05** |
| **Cash Flow from Investing Activities** | | |
| Purchase of fixed assets | (5,728.25) | (7,528.31) |
| Sale of fixed assets | 1.10 | 0.18 |
| Intangible Asset under Development | - | 640.38 |
| Interest received | 8,285.61 | 8,827.97 |
| **Net Cash inflow/(outflow) from Investing activities (B)** | **2,558.46** | **1,940.22** |

| | | |
|---|---|---|
| **Cash Flow from Financing Activities** | | |
| Interest paid | (777.72) | (502.10) |
| **Net Cash inflow/(outflow) from Financing activities (C)** | (777.72) | (502.10) |
| **Net increase /(decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)** | **14,179.70** | **17,023.18** |
| **Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year** | **141,134.48** | **124,111.30** |
| **Cash and Cash Equivalents at the closing of the year** | **155,314.18** | **141,134.48** |

**Notes**

Flow/Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

2) Cash and Bank Balances at the end of the year consist of Cash and Balances with Banks. The detail of these is as follows:

| **Particulars** | **As at March 31, 2018** | **As at March 31, 2017** |
|---|---|---|
| **Cash and Cash Equivalents** | | |
| Balances with Banks | 13,294.98 | 20,470.02 |
| Imprest Account | 0.07 | 0.40 |
| **Other Bank Balances** | | |
| Fixed Deposits | 142,019.13 | 120,664.06 |
| | **155,314.18** | **141,134.48** |

As per our report of even date
**For Goel Garg & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000397N

**Sd/-**
**Ajay Rastogi**
Partner
Membership No.084897

Place: New Delhi
Date: 26.09.2018

**For and an behalf of the Board of Directors of**
**National Informatics Centre Services Inc.**
CIN: U74899DL1995NPL072045

**Sd/-**
**Manoj Kumar Mishra**
Managing Director
DIN: 07652553

**Sd/-**
**Pankaj Kumar**
Chairman
DIN:08176055

**Sd/-**
**Dr. Girish Kumar**
Company Secretary
FCS: 6468

**Sd/-**
**Deepak Saxena**
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 26.09.2018

# National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated
Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

## Statement of changes in equity for the year ended 31 March 2018

**A. Equity share capital for issued, subscribed and paid up equity share of Re. 100/- each**

**₹ in lakhs**

| Particulars | Note | Amount |
|---|---|---|
| As at 1 April 2016 | 15.00 | 200.00 |
| Changes during the year | | |
| As at 31 March 2017 | 15.00 | 200.00 |
| Changes during the year | | |
| As at 31 March 2018 | 15.00 | 200.00 |

**B. Other equity (Refer note 16)**

**₹ in lakhs**

| | Reserves and Surplus Retained earnings | Total equity |
|---|---|---|
| **As at 1 April 2016** | 54,137.10 | 54,137.10 |
| Net income / (loss) for the year | 6,441.04 | 6,441.04 |
| Transfer to general reserve | - | - |
| **Total comprehensive income** | **6,441.04** | **6,441.04** |
| Dividend | - | - |
| Dividend distribution tax | - | - |
| **At 31 March 2017** | **60,578.14** | **60,578.14** |
| Net income / (loss) for the year | 3,104.27 | 3,104.27 |
| Transfer to general reserve | - | - |
| Total comprehensive income | 3,104.27 | 3,104.27 |
| **At 31 March 2018** | **63,682.41** | **63,682.41** |

Significant accounting policies

As per our report of even date
**For Goel Garg & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000397N

**Sd/-**
**Ajay Rastogi**
Partner
Membership No.084897

Place: New Delhi
Date: 26.09.2018

**For and an behalf of the Board of Directors of**
**National Informatics Centre Services Inc.**
CIN: U74899DL1995NPL072045

**Sd/-**
**Manoj Kumar Mishra**
Managing Director
DIN: 07652553

**Sd/-**
**Pankaj Kumar**
Chairman
DIN:08176055

**Sd/-**
**Dr. Girish Kumar**
Company Secretary
FCS: 6468

**Sd/-**
**Deepak Saxena**
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 26.09.2018

# National Informatics Centre Services Inc.

## (A Government of India Enterprise Incorporated Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

**Significant Accounting Policies & Notes to the financial statements for the year ended March 31, 2018**

### 1. Corporate information

National Informatics Centre Services Inc. ('The Corporation') was incorporated on August 29, 1995 under Section-25 of the Companies Act, 1956 (now section 8 of Companies Act, 2013 ) under National Informatics Centre ('NIC'), Ministry of Communications & Information Technology, Government of India. The Corporation is engaged to provide total IT Solutions to the Government Ministries/Departments/Organizations.

### 2. Significant Accounting Policies

### i. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared on accrual basis in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, read with Revised Schedule III of the Companies Act ('the Act'), 2013, and the provisions of the Act to the extent notified. The mandatory requirement of preparation of the first Ind AS compliant Financial Statements for FY 2016-17, has been necessitated on account of the networth of the Corporation exceeding the stipulated threshold limit of Rs. 500 crores and the Financial Statements for the Reporting Period FY 2017-18 are also prepared accordingly.

The financials in the financial statements have been denominated in Indian Rupees, which is the functional as well as the reporting currency of the Corporation.

### ii. Mandatory Exceptions and Voluntary Exemptions from Retrospective Application of Ind AS as per Ind AS 101- First Time Adoption of Ind As

In preparing the Financial Statements, the under-mentioned Mandatory Exceptions, as applicable to the Corporation, as per Ind AS 101, have been complied with:

(a) Derecognition of Financial Assets & Financial Liabilities;

(b) Estimates;

(c) Classification & Measurement of Financial Assets;

(d) Impairment of Financial Assets.

In preparing the Financial Statements, the under-mentioned Voluntary Exemptions, as applicable to the Corporation, as per Ind AS 101, have been opted:

(a) Deemed Cost;

b) Decommissioning Liabilities included in the cost of Property, Plant & Equipment.

### iii. Current vs Non Current Classification of Assets & Liabilities:

An Asset is treated as Current when it is:

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle;
- Held primarily for the purpose of trading;
- Expected to be realized within 12 months after the reporting period;
- Cash or Cash Equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for atleast twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as Non-Current.

A Liability is treated as Current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle;
- It is held primarily for the purpose of trading;
- It is due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as Non-Current.

Deferred Tax Assets & Liabilities are classified as Non Current Assets & Liabilities.

The Operating Cycle is the time between the acquisition of assets for processing & their realization in cash & cash equivalents. The Corporation has identified 12 months as its operating cycle.

### iv. Property Plant & Equipment (PPE) & Depreciation

(a) Tangible assets

Property, plant and equipment are stated at cost [i.e., cost of acquisition or construction inclusive of freight, erection and commissioning charges, non-refundable duties and taxes, expenditure during construction period, borrowing costs (in case of a qualifying asset) upto the date of acquisition/ installation], net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

When significant parts of property, plant and equipment (identified individually as component) are required to be replaced at intervals, the Company derecognizes the replaced part, and recognizes the new part with its own associated useful life and it is depreciated accordingly. Whenever major inspection/overhaul/repair is performed, its cost is recognized in the carrying amount of respective assets as a replacement, if the recognition criteria are satisfied. All other repair and maintenance costs are recognized in the statement of Income and Expenditure.

The present value of the expected cost for the decommissioning of an asset after its use is included in the cost of the respective asset if the recognition criteria for a provision are met.

Property, plant and equipments are eliminated from financial statements, either on disposal or when retired from active use. Losses/gains arising in case retirement/disposals of property, plant and equipment are recognized in the statement of Income and Expenditure in the year of occurrence.

Depreciation on the items of PPE has been provided on the Written Down Value Method & at the rates as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013. The Corporation has determined the useful life of all the items of PPE in alignment with Schedule II of the Companies Act, 2013.

**v. Intangible Assets and Amortization**

The intangible assets have been initially measured at costs. The intangibles assets have been subsequently measured at costs less accumulated amortisation & accumulated impairment losses. The useful life of the intangible assets may be finite or infinite. Intangible assets with finite lives have been amortised over their useful economic life as per the Written Down Value Method. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the statement of Income and Expenditure unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

As per companies act, costs relating to computer software and server are capitalized and amortized on straight line method over their estimated useful economic life of three years and six years respectively. Costs relating to ERP software are capitalized and amortized on straight line method over its estimated useful economic life of ten years.

**vi. Financial Assets & Financial Liabilities**

Financial Assets include Non Current Financial Instruments like Investments in Equity, Debt Securities & Derivatives, & Current Assets like Cash & Cash Equivalents, Trade Receivables, Bank Balances, Fixed Deposits with Banks, Bills Receivables, Security Deposits.

Financial Liabilities include Redeemable Preference Shares, Cash Credit Facilities, Trade Payables, Bills Payables. Outstanding Statutory Dues like Income Tax, Service Tax, PF, ESI etc are not financial liabilities.

Financial Assets are classified into three categories: measured at (i) Amortized costs; (ii) Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI); (iii) Fair Value Through Profit & Loss (FVTPL).

Financial Liabilities are classified into two categories: measured at (i) amortized costs; (ii) FVTPL.

**vii. Fair value measurement**

The Company measures financial instruments such as derivatives and certain investments, at fair value at each balance sheet date.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For assets and liabilities that are recognized in the balance sheet on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

**viii. Revenue Recognition**

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation & the revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account the contractually defined terms of payment & excluding taxes or duties collected on behalf of the government.

Revenue in respect of sale of goods/stock & sale items is recognized when the significant risks & rewards of ownership of the goods have passed to the buyers, usually on delivery of the goods. Revenue from the sale of goods is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns & allowances, trade discounts & volume rebates.

The Corporation recognizes operating margin at the slab rates prescribed from time to time depending upon the project costs. Usually the operating margin rates are inversely proportionate to the project costs i.e. higher the project costs, lower the operating margin rate. Any subsequent decrease in operating margin rate on account of an increase in project costs is accounted for by issuing corresponding credit notes at the yearend or at the time of project closing. The Credit Notes so issued are netted off from the respective heads of income.

Interest Income on Fixed Deposits (FDs) with Banks is recognized on Effective Interest Rate (EIR). EIR is the rate that exactly discounts the estimated future receipts over the maturity tenure of the FDs to the gross carrying amount of the FDs. In the absence of any transactions costs, the bank interest rate of the FDs is itself the EIR.

**ix. Inventories**

The Cost of Inventories comprises all cost of purchase, cost of conversion and other cost incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Inventories (including inventory of software's) have been valued at cost or net realizable value, whichever is lower on the First-In-First-Out (FIFO) method. Consumable stores have been charged to revenue in the year of purchase, being negligible.

### x. Retirement Benefits

As per arrangement with NIC, the amount towards leave salary and pension contribution are calculated on basic pay and grade pay of the respective employee based on the percentage prescribed by Government of India and passed on to NIC. The Company is not liable to pay any other retirement benefits to employees, which shall entirely be borne by NIC in future.

### xi. Prior Period Items

Prior Period items are omissions/misstatements in an entity's earlier period financial statements, including balance sheet misclassifications. Ind AS 8 requires the rectification of prior period errors retrospectively in the first set of financial statements approved, after their discovery, by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred. However, if such restatement is impracticable i.e. when an entity can't apply it after making every reasonable effort to do so, then Ind AS doesn't require restatement of such prior period items in comparatives of earlier periods.

### xii. Events after the Reporting Period

The Corporation, in each year, is in receipt of a few expenditure invoices pertaining to the reporting period, after the reporting period. The expenditure invoices, pertaining to a reporting period, which are received by the Corporation after the reporting period but before the management approved cut-off date or the approval of audited financial statements by the Corporation's Board of Directors are considered as adjusting events after the reporting period & are accounted for in the reporting period to which they pertain. The corresponding income on such expenditure invoices is also accounted for in the same reporting period. The expenditure invoices, pertaining to a reporting period, which are received by the Corporation after the reporting period & even after the management approved cut-off date or the approval of audited financial statements by the Corporation's Board of Directors, are considered as non adjusting events after the reporting period & are accounted for in the reporting period in which they are received. The corresponding income is also accounted for in the reporting period in which the expenditure invoices are received & accounted for.

### xiii. Leases

Assets taken under lease, where the lesser effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Income & Expenditure Account on a straight-line basis over the lease term. However, Ind AS 17 doesn't mandate straight lining of lease rentals if these are structured to increase in line with general inflationary conditions.

### xiv. Deferred Taxes

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits

and unused tax losses can be utilised. Deferred Tax Assets/Liabilities are not recognised if they arise from initial recognition of liabilities/assets respectively & at the time of transactions they don't affect either the accounting profit/loss or the taxable profit/loss. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

### xv. Impairment of Assets

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price and value in use. In assessing value in use, the Corporation has measured its 'value in use' on the basis of discounted cash flows of next five years projections estimated based on current prices.

After impairment, depreciation/amortization is provided on the revised carrying amount of the asset over its remaining useful life.

### xvi. Impairment of Financial Assets/Provision for Bad & Doubtful Debts

A provision @5% is recognized towards Trade Receivables which are outstanding for more than three years at Balance Sheet date.

### xvii. Earnings per Share

Basic earnings per share are calculated by dividing the net surplus or deficit for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share are calculated after adjusting effects of potential equity shares (PES). PES are those shares which will convert into equity shares at a later stage. Surplus/deficit is adjusted by the expenses incurred on such PES. Adjusted surplus/deficit is divided by the weighted average number of ordinary plus potential equity shares.

**xviii. Provisions and Contingencies**

A provision is recognized when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Long term provisions may be discounted to their present values at an appropriate risk adjusted discounted rate. Short term provisions are not required to be discounted. The provisions are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. Provisions are also required to be created in respect of constructive obligations. However, the Corporation was not having any constructive obligations in the reporting period.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have arisen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the Company.

**xix. Cash and Cash Equivalents**

Cash and cash equivalent for the purpose of cash flow statement comprise cash at bank and cash in hand and short term investment with the original maturity of three months or less. Cash Flow statement is prepared using the indirect method.

**2.1 Significant accounting judgements, estimates and assumptions**

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements. Estimates and assumptions are continuously evaluated and are based on management's experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future periods.

In particular, the Company has identified the following areas where significant judgements, estimates and assumptions are required. Further information on each of these areas and how they impact the various accounting policies are described below and also in the relevant notes to the financial statements. Changes in estimates are accounted for prospectively.

**Judgements**

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgements, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

**Contingencies**

Contingent liabilities may arise from the ordinary course of business in relation to claims against the Company, including legal, contractor, land access and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence, and potential

quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgments and the use of estimates regarding the outcome of future events.

**Estimates and assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market change or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**(a) Impairment of non-financial assets**

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs of disposal and its value in use. It is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded subsidiaries or other available fair value indicators.

**(b) Fair value measurement of financial instruments**

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the DCF model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

**(c) Impairment of financial assets**

The impairment provisions for financial assets are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The Company uses judgments in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation, based on Company's past history, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

## Note No. 3. Property, plant and equipment

**₹ in Lakhs**

| | Buildings | Plant and equipment | Furniture and Fixtures | Vehicles | Office Equipments | Computers | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cost** | | | | | | | |
| **As at April 1, 2016** | 1,985.85 | 147.36 | 554.15 | 7.01 | 1,945.08 | 3,169.80 | 7,809.25 |
| Additions | - | - | 7.71 | - | 324.02 | 3,420.16 | 3,751.88 |
| Disposals | - | - | - | - | 0.20 | - | 0.20 |
| **As at March 31, 2017** | **1,985.85** | **147.36** | **561.86** | **7.01** | **2,268.90** | **6,589.95** | **11,560.93** |
| | | | | | | | |
| Additions | - | 126.43 | 3.09 | - | 1,443.69 | 480.57 | 2,053.80 |
| Disposals | - | - | 1.27 | - | 9.17 | 130.11 | 140.55 |
| **As at March 31, 2018** | **1,985.85** | **273.79** | **563.68** | **7.01** | **3,703.42** | **6,940.42** | **13,474.17** |
| | | | | | | | |
| **Depreciation** | | | | | | | |
| **As at April 1, 2016** | 909.94 | 112.71 | 391.75 | 5.35 | 1,283.79 | 2,921.05 | 5,624.59 |
| Depreciation charge for the year | 52.62 | 7.05 | 46.15 | 0.54 | 216.21 | 829.27 | 1,151.85 |
| Impairment Loss | - | - | - | - | - | 151.14 | 151.14 |
| **Disposals** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0.11** | | **0.11** |
| **As at March 31, 2017** | **962.56** | **119.76** | **437.90** | **5.89** | **1,499.89** | **3,901.46** | **6,927.47** |
| | | | | | | | |
| Depreciation charge for the year | 50.06 | 82.37 | 34.30 | 0.37 | 473.93 | 300.36 | 941.41 |
| Impairment Loss | - | - | - | - | - | - | - |
| **Disposals** | **-** | **-** | **1.21** | **-** | **8.79** | **126.19** | **136.19** |
| **As at March 31, 2018** | **1,012.63** | **202.13** | **470.99** | **6.26** | **1,965.03** | **4,075.63** | **7,732.68** |
| | | | | | | | |
| **Net book value :** | | | | | | | |
| As at March 31, 2018 | 973.23 | 71.65 | 92.69 | 0.75 | 1,738.38 | 2,864.78 | 5,741.47 |
| As at March 31, 2017 | 1,023.29 | 27.60 | 123.96 | 1.12 | 769.01 | 2,688.49 | 4,633.46 |

**Note No. 4. Intangible assets**

**₹ in Lakhs**

| | Software | Total |
|---|---|---|
| **Cost** | | |
| **As at April 1, 2016** | 287.93 | 287.93 |
| Additions | 3,776.41 | 3,776.41 |
| Disposals | | - |
| **As at March 31, 2017** | **4,064.34** | **4,064.34** |
| Additions | 3,674.45 | 3,674.45 |
| Disposals | - | - |
| **As at March 31, 2018** | **7,738.80** | **7,738.80** |
| Amortisation | | |
| As at April 1, 2016 | 230.45 | 230.45 |
| Amortisation charge for the year | 519.67 | 519.67 |
| Impairment Loss | 215.65 | 215.65 |
| Disposals | - | - |
| **As at March 31, 2017** | **965.77** | **965.77** |
| Amortisation charge for the year | 3,079.34 | 3,079.34 |
| Impairment Loss | - | - |
| Disposals | - | - |
| **As at March 31, 2018** | **4,045.12** | **4,045.12** |
| Net book value : | | |
| As at March 31, 2018 | 3,693.68 | 3,693.68 |
| As at March 31, 2017 | 3,098.57 | 3,098.57 |

**Note No. - 5 - Loans**

**₹ in Lakhs**

| **Particulars** | **Non-current** | |
|---|---|---|
| | **As at March 31, 2018** | **As at March 31, 2017** |
| **Security deposits** | | |
| Unsecured, considered good | 686.16 | 618.35 |
| **TOTAL** | **686.16** | **618.35** |

Note: - Non-current Security Deposit have been discounted to their present value using a pre-tax discount rate of 10.85% per annum.

**Note No. - 6 - Other Financial Assets**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | Non-current | |
|---|---|---|
| | As at March 31, 2018 | As at March 31, 2017 |
| **Fixed Deposits** | | |
| Fixed Deposit having maturity more than 12 months* | 291.60 | 291.60 |
| **Interest Accrued on Fixed Deposits** | | |
| Interest Accured | 31.02 | 28.75 |
| | **322.62** | **320.35** |

* Fixed Deposit mortgaged against Bank Guarantee.

**Note No. 7 - Income Taxes**

The major components of income tax expense for the year ended 31 March 2018 and 31 March 2017 are:

**A. Statement of profit and loss:**

**₹ in Lakhs**

| (i) | **Profit & loss section** | | |
|---|---|---|---|
| | | **31 March 2018** | **31 March 2017** |
| | Current income tax charge | 2,268.01 | 3,410.69 |
| | Adjustments in respect of current income tax of previous year | 54.51 | 307.91 |
| | Deferred tax: | | |
| | Relating to origination and reversal of temporary differences | (361.69) | 542.35 |
| | Income tax expense reported in the statement of Profit & loss | 1,960.83 | 4,260.95 |
| | | | |
| **(ii)** | **Other Comprehensive Income (OCI) Section** | | |
| | Deferred tax related to items recognised in OCI during the year: | - | - |
| | Net loss/(gain) on remeasurements of defined benefit plans | **-** | **-** |
| | Income tax charged to OCI | - | - |

**B. Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by India's domestic tax rate for FY ended 31 March 2017 and 31 March 2018:**

**₹ in Lakhs**

| | 31 March 2018 | 31 March 2017 |
|---|---|---|
| Accounting profit before tax from continuing operations | 5,065.10 | 10,701.99 |
| Profit/(loss) before tax from a discontinued operation | - | - |
| **Accounting profit before income tax** | **5,065.10** | **10,701.99** |
| At India's statutory income tax rate of 34.608% (31 March 2017: 34.608%) | 1,752.93 | 3,703.74 |
| Adjustments in respect of current income tax of previous years | 54.51 | 307.91 |
| Government grants exempted from tax | - | - |
| Exempt income | - | - |
| Non-deductible expenses for tax purposes | 153.39 | 249.30 |
| **At the effective income tax rate of 37.34% (31 March 2017: 39.81%)** | **1,960.83** | **4,260.95** |
| Income tax expense reported in the statement of profit and loss | 1,960.83 | 4,260.95 |
| Income tax attributable to a discontinued operation | - | - |
| | **1,960.83** | **4,260.95** |

**C. Deferred tax :**

**Deferred tax relates to the following:** **₹ in Lakhs**

| | Balance sheet | | Statement of Income & Expenditure | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 March 2018 | 31 March 2017 | 31 March 2018 | 31 March 2017 |
| Accelerated depreciation for tax purposes | (324.90) | (679.22) | (354.32) | 547.20 |
| Provision for Doubtful Debts | 104.32 | 104.95 | 0.63 | (11.00) |
| Provision for Employee benefits | - | - | - | 15.85 |
| Present valuation of Security Deposits (assets) | 74.96 | 66.96 | (8.00) | (9.70) |
| | | | | |
| **Deferred tax expense/(income)** | | | **(361.69)** | **542.35** |
| **Net deferred tax assets/(liabilities)** | **(145.62)** | **(507.31)** | | |

**Reflected in the balance sheet as follows:** **₹ in Lakhs**

| | 31 March 2018 | 31 March 2017 |
|---|---|---|
| Deferred tax assets (continuing operations) | 179.28 | 171.91 |
| Deferred tax liabilities (continuing operations) | 324.90 | 679.22 |
| **Deferred tax Assets/(liabilities), net** | (145.62) | (507.31) |

**Note No. - 8 - Other Non-Current Assets**

**₹ in Lakhs**

| **Particulars** | **As at March 31, 2018** | **As at March 31, 2017** |
|---|---|---|
| Deferred Lease Expense | 711.25 | 784.27 |
| Advances to Suppliers | 1,828.74 | 1,498.43 |
| | **2,539.99** | **2,282.70** |

**Note No. - 9 - Trade Receivables**

**₹ in Lakhs**

| **Particulars** | **As at March 31, 2018** | **As at March 31, 2017** |
|---|---|---|
| Unsecured, considered good | 28,835.15 | 28,130.13 |
| Unsecured, considered doubtful | 301.43 | 303.28 |
| Less: Provision for doubtful debts * | (301.43) | (303.28) |
| **Total** | **28,835.15** | **28,130.13** |

* Provision for Doubtful Debts is based on the Trade Receivable which are outstanding for more than 3 years at Balance Sheet date.

**Note No. - 10 - Cash and Cash Equivalents**

**₹ in Lakhs**

| **Particulars** | **Current Assets** | |
|---|---|---|
| | **As at March 31, 2018** | **As at March 31, 2017** |
| a. Balances with banks | | |
| Saving Account | 13,294.98 | 20,470.02 |
| b. Others | | |
| Imprest Account | 0.07 | 0.40 |
| **Total** | **13,295.05** | **20,470.42** |

**Note No. - 11 - Other Bank Balances**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | Current Assets | |
|---|---|---|
| | As at March 31, 2018 | As at March 31, 2017 |
| Fixed Deposit* | 139,978.35 | 119,260.15 |
| Fixed Deposit mortgaged against Bank Guarantee | 1,749.18 | 1,112.31 |
| **Total** | **141,727.53** | **120,372.46** |

* Includes Bank Balances of Sweep Deposit Accounts.

**Note No. - 12 - Other Financial Assets**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | Current | |
|---|---|---|
| | As at March 31, 2018 | As at March 31, 2017 |
| **Interest Accrued on Fixed Deposits** | | |
| Interest Accured | 3,923.41 | 4,201.14 |
| **Total** | **3,923.41** | **4,201.14** |

**Note No. - 13 - Current Tax Assets (Net)**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | As at March 31, 2018 | As at March 31, 2017 |
|---|---|---|
| Income tax paid (Net of provision) | 11,164.64 | 6,036.78 |
| **Total** | **11,164.64** | **6,036.78** |

**Note No. - 14 - Other Current Assets**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | As at March 31, 2018 | As at March 31, 2017 |
|---|---|---|
| **Advances to Employees** | | |
| Unsecured, considered good | 31.19 | 22.84 |
| **Total** | **31.19** | **22.84** |
| **Other advances** | | |
| Unsecured, considered good | | |
| Advances to Suppliers | 8,205.39 | 9,954.90 |
| GST on Advances and Others | 19,271.52 | 16,878.25 |
| Prepaid expenses | 318.98 | 207.69 |
| Taxes Recoverable* | 120.04 | 120.06 |
| Total | **27,915.93** | **27,160.90** |
| **GRAND TOTAL** | **27,947.12** | **27,183.74** |

* Break-up of Taxes Recoverable

**₹ in Lakhs**

| Particulars | As at March 31, 2018 | As at March 31, 2017 |
|---|---|---|
| Sales Tax/DVAT Recoverable (1996-97 to 2013-14) | 117.70 | 117.70 |
| TDS On Works Contract 2000-2001 | 2.34 | 2.34 |
| **Total** | **120.04** | **120.04** |

**Note No. - 15 - Equity Share Capital**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | As at March 31, 2018 | As at March 31, 2017 |
|---|---|---|
| **Authorised** | | |
| 200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each | 200.00 | 200.00 |
| | | |
| Issued, subscribed and fully paid-up | | |
| 200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each | 200.00 | 200.00 |
| | **200.00** | **200.00** |

**a. Information on shareholders***

| Name of Shareholder | Relationship | As at March 31, 2018 | | As at March 31, 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of Equity shares held | Percentage (%) | No. of Equity shares held | Percentage (%) |
| President of India through DG, NIC | Shareholder | 199,995.00 | 100.00 | 199,995.00 | 100.00 |
| Sh. Shyam Bihari Singh | Shareholder | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Sh. Sanjay Singh Gahlout | Shareholder | 1.00 | 0.00 | - | - |
| Dr. Ambreesh Kumar | Shareholder | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Sh. Vishnu Chandra | Shareholder | - | - | 1.00 | 0.00 |
| Sh. R S Mani | Shareholder | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| **Total** | | **200,000.00** | **100.00** | **200,000.00** | **100.00** |

* Held on behalf of Government of India

**b. Reconciliation of the paid up shares outstanding at the beginning and end of the reporting year**

**₹ in Lakhs**

| Particluars | As at March 31, 2018 | | As at March 31, 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | Number | Rs. | Number | Rs. |
| Shares outstanding at the beginning of the year | 200,000.00 | 200.00 | 200,000.00 | 200.00 |
| Add: - Shares Issued during the year | - | - | - | - |
| Shares outstanding at the end of the year | 200,000.00 | 200.00 | 200,000.00 | 200.00 |

**c. Rights, Preference and Restriction attached to equity shares**

The Company has one class of equity shares having a par value of Rs. 100 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

**Note No. - 16 - Other Equity**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | Amount |
|---|---|
| Retained Earnings | |
| As at 1 April 2016 | 54,137.10 |
| Profit for the year 2016-17 | 6,441.04 |
| As at 31 March 2017 | 60,578.14 |
| Profit for the year 2017-18 | 3,104.27 |
| As at 31 March 2018 | 63,682.41 |

**Note No. - 17 - Other Financial Liabilities**

| Particulars | Non-current | |
|---|---|---|
| | As at March 31, 2018 | As at March 31, 2017 |
| Security Deposits Payable | 40.45 | 51.46 |
| **Total** | **40.45** | **51.46** |

**Note No. -18 - Trade Payables**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | As at March 31, 2018 | As at March 31, 2017 |
|---|---|---|
| Trade Payables | | |
| - Due to Micro and Small Enterprises | - | - |
| - Other than Micro and Small Enterprises | 46,784.32 | 47,782.97 |
| **Total** | **46,784.32** | **47,782.97** |

**Note No. - 19 - Other Financial Liabilities**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | Current | |
|---|---|---|
| | As at March 31, 2018 | As at March 31, 2017 |
| Creditors for Expenses | 407.68 | 376.89 |
| Earnest Money Deposit Payable | 921.36 | 1,396.41 |
| Employee Benefits Payable | 147.57 | 312.16 |
| Expenses Payable | 9.87 | 103.36 |
| | 242.37 | 296.18 |
| **Total** | **1,728.85** | **2,485.00** |

* Refer Note No.58

**Note No. - 20 - Other Current Liabilities**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | As at March 31, 2018 | As at March 31, 2017 |
|---|---|---|
| Statutory Dues and Taxes | 1,992.35 | 1,615.74 |
| Advances received from customers | 115,804.50 | 101,363.31 |
| Grants-in-Aid received from customers | 9,225.79 | 2,689.64 |
| Corporate Social Responsibilities | 198.00 | - |
| **Total** | **127,220.64** | **105,668.69** |

**Note No. - 21 - Provisions**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | Current | |
|---|---|---|
| | As at March 31, 2018 | As at March 31, 2017 |
| Provision for Stamp Duty | 74.52 | 74.52 |
| **Total** | **74.52** | **74.52** |

**Note No. : 22 Revenue From Operations**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | Year ended March 31, 2018 | Year ended March 31, 2017 |
|---|---|---|
| **Revenue from operations** | | |
| Sale of Traded Goods | 38,476.45 | 51,419.03 |
| Service Income | 87,352.48 | 72,650.39 |
| **Total (A)** | 125,828.93 | 124,069.42 |
| Administrative Charges | 7.43 | 71.64 |
| **Total (B)** | 7.43 | 71.64 |
| **Total Revenue from operations (A)+(B)** | **125,836.36** | **124,141.06** |

**Note No. - 23 Other Income**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | Year ended March 31, 2018 | Year ended March 31, 2017 |
|---|---|---|
| Interest Income | 8,285.60 | 8,827.96 |
| Other non-operating income | 250.56 | 192.76 |
| Less: - | | |
| Interest on Grants-in-Aid Projects (other than NKN) | 428.48 | 408.72 |
| Interest on NKN Projects (Grants-in-Aid) | 349.23 | 90.38 |
| Unwinding of discount on security deposits | 47.28 | 44.72 |
| Gain on de-recognition of financial assets | 0.63 | - |
| | 7,806.36 | 8,566.34 |

**Note No. - 24 Purchases of Stock-in-Trade**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | Year Ended March 31, 2018 | Year Ended March 31, 2017 |
|---|---|---|
| Purchases: - | | |
| Hardware | 34,239.03 | 41,499.00 |
| Software | 2,644.47 | 7,170.21 |
| Augmentation of District Infrastructure | 2,687.53 | - |
| | 39,571.03 | 48,669.21 |

**Note No. - 25 Employee Benefits Expense**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | Year Ended March 31, 2018 | Year Ended March 31, 2017 |
|---|---|---|
| Salaries and incentives | 794.41 | 959.70 |
| Staff Welfare | 34.43 | 34.14 |
| | **828.84** | **993.84** |

## Note No. - 26 Other Expenses

**₹ in Lakhs**

| Particulars | Year Ended March 31, 2018 | Year Ended March 31, 2017 |
|---|---|---|
| Advertisement Expenses | - | 18.90 |
| Audit Fee ( 2017 - 2018 ) | 7.22 | 7.54 |
| Bank Charges | 13.14 | 3.33 |
| Books & Periodicals | 10.05 | 24.45 |
| GST (Non-Cenvatable) | 22.23 | - |
| Conference Seminar W/Shop Expenses | 68.22 | 126.86 |
| Consumable Stores | 43.56 | 43.00 |
| Conveyance Expenses | 4.79 | 7.19 |
| Corporate Social Responsibilities Expenses* | 198.00 | - |
| Diesel for D.G. Set | 4.69 | 1.39 |
| Doubtful Debts | - | 31.80 |
| Electricity & Water Charges | 613.92 | 521.61 |
| Foreign Exchange Variation | 0.38 | 0.55 |
| Hire Charges | - | 4.19 |
| House Keeping & Cleaning Charges | 291.05 | 173.56 |
| House Lease Charges | 7.24 | 25.60 |
| Internal Audit Fee | 0.60 | 0.75 |
| Membership & Subscription Charges | 1.01 | 1.18 |
| Miscelleneous Expenses | 14.17 | 32.23 |
| Office Expenses | 1,289.18 | 965.12 |
| Office Rent | 2,585.51 | 2,558.18 |
| Printing & Stationery | 9.22 | 14.65 |
| Professional & Consultancy Charges | 234.56 | 242.00 |
| Rent for DTH | 0.45 | - |
| Rent Rates & Taxes | 4.27 | 4.27 |
| Repairs & Maintenance | 385.88 | 387.63 |
| Service Tax U/s 6(3) Rule | 97.94 | 259.23 |
| Service Tax & Cess (Non-Cenvatable) | 124.77 | 390.97 |
| Taxi Hire Charges | 328.60 | 308.79 |
| Telephone Expenses | 52.31 | 62.16 |
| Travelling Expenses ( Staff ) Foreign | 9.07 | 31.23 |
| Travelling Expenses (Director ) | 0.34 | 0.21 |
| Travelling Expenses( Staff ) | 339.07 | 231.68 |
| Vehicle - Petrol | 1.45 | 1.48 |
| Vehicle Maintenance | 0.42 | 0.31 |
| Swachch Bharat Cess Expenses | 293.01 | - |
| Krishi Kalyan Cess Expenses | 320.73 | - |
| | **7,377.05** | **6,482.05** |

* Refer Note No.60.

The figures under the head Electricity & Water Charges and Housekeeping & Cleaning Charges are shown after net of reimbursement.

## 27 - Earning per Share

₹ in Lakhs

| Particulars | Year Ended March 31, 2018 | Year Ended March 31, 2017 |
|---|---|---|
| **Earning per share** | | |
| Surplus attributable to Equity shareholders | 3,104.27 | 6,441.05 |
| Weighted average number of equity shares | 2.00 | 2.00 |
| **Basic earning per share** | **1,552.14** | **3,220.52** |
| **Diluted earning per share** | **1,552.14** | **3,220.52** |
| Face value per share | 100 | 100 |

## 28. Fair values measurements

### (i) Financial instruments by category

₹ in Lakhs

| Particulars | 31 March 2018 | | 31 March 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | FVTPL | Amortised cost | FVTPL | Amortised cost |
| Financial assets | | | | |
| Trade receivables | - | 28,835.15 | - | 28,130.13 |
| Cash and cash equivalents | - | 13,295.05 | - | 20,470.42 |
| Other bank balances | - | 141,727.53 | - | 120,372.46 |
| Interest Accrued (current) | - | 3,923.41 | - | 4,201.14 |
| Security deposits | - | 686.16 | - | 618.35 |
| Fixed deposits | - | 291.60 | - | 291.60 |
| Interest Accrued (non-current) | - | 31.02 | - | 28.75 |
| **Total financial assets** | **-** | **188,789.92** | **-** | **174,112.85** |
| Financial liabilities | | | | |
| Trade payables | - | 46,784.32 | - | 47,782.97 |
| Other financial liabilities (current) | - | 1,728.85 | - | 2,485.00 |
| Other financial liabilities (non-current) | - | 40.45 | - | 51.46 |
| **Total financial liabilities** | **-** | **48,553.62** | **-** | **50,319.43** |

**(ii) Fair value hierarchy**

All financial instruments for which fair value is recognised or disclosed are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is insignificant to the fair value measurements as a whole.

Level 1 : quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 : valuation techniques for which the lowest level inputs that has a significant effect on the fair value measurement are observable, either directly or indirectly.

Level 3 : valuation techniques for which the lowest level input which has a significant effect on fair value measurement is not based on observable market data.

The following table provides the fair value measurement hierarchy of the Company's assets and liabilities, other than those whose fair values are close approximations of their carrying values.

**Assets and liabilities which are measured at amortised cost for which fair values are disclosed at 31 March 2018:**

**₹ in Lakhs**

| | | | Fair value measurement using | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Date of valuation** | **Total** | **Quoted prices in active markets** | **Significant observable inputs** | **Significant unobservable inputs** |
| | | | **(Level 1)** | **(Level 2)** | **(Level 3)** |
| **Financial assets** | | | | | |
| Security deposits given | 31-Mar-18 | 531.22 | - | - | 531.22 |

There have been no transfers between Level 1 and Level 2 during the period.

**Assets and liabilities which are measured at amortised cost for which fair values are disclosed at 31 March 2017:**

**₹ in Lakhs**

| | | | Fair value measurement using | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Date of valuation** | **Total** | **Quoted prices in active markets** | **Significant observable inputs** | **Significant unobservable inputs** |
| | | | **(Level 1)** | **(Level 2)** | **(Level 3)** |
| **Financial assets** | | | | | |
| Security deposits given | 31-Mar-17 | 423.46 | - | - | 423.46 |

There have been no transfers between Level 1 and Level 2 during the period.

For cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, short term borrowing, trade payables and other current financial liabilities the management assessed that their fair value is approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

The fair values of the Company's long-term interest free security deposits are determined by applying discounted cash flows ('DCF') method, using discount rate that reflects the market borrowing rate as at the end of the reporting period. They are classified as level 3 fair values in the fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

## 29. Financial risk management objectives and policies

The Company's principal financial liabilities comprise trade payables, security deposits, earnest money deposits and employee liabilities. The Company's principal financial assets include trade receivables, security deposits, fixed deposits, cash and bank balances that derive directly from its operations.

The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's management oversees the management of these risks. The Company's senior management is supported by the Board of Directors that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Company. The board provides assurance to the Company's management that the Company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with the Company's policies and risk objectives. The management reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are summarised below.

### I. Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, currency risk and other price risk. Financial instruments affected by market risk include fixed deposits.

### A. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's investment in fixed deposits with banks. The company's fixed deposits are carried at fixed rate. Therefore not subject to interest rate risk as defined in Ind AS 107, since neither the carrying amount nor the future cash flows will fluctuate because of a change in market interest rates.

### B. Foreign currency sensitivity

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in exchange rates. Foreign currency risk senstivity is the impact on the Company's profit before tax is due to changes in the fair value of monetary assets and liabilities. The company is not exposed to foreign currency risk as it does not have any foreign currency monetary assets and liabilities.

## II. Credit risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables) and from its financing activities.

The maximum credit risk exposure relating to financial assets is represented by the carrying value as at the Balance Sheet date.

### A. Trade receivables

Customer credit risk is managed by the Company's management subject to the established policies, procedures and control relating to customer credit risk management. Credit quality of a customer is assessed based on an extensive credit review and individual credit limits are defined in accordance with this assessment. Outstanding customer receivables are regularly monitored.

At the year end the Company does not have any significant concentrations of bad debt risk other than that disclosed in note 9.

An impairment analysis is performed at each reporting date on an individual basis for major clients. The calculation is based on historical data. The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying value of each class of financial assets disclosed in Note 9. The Company does not hold collateral as security. The Company evaluates the concentration of risk with respect to trade receivables as low, as its customers mainly include the Government of India and its ministries.

### B. Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks is managed by the Company's treasury department in accordance with the Company's policy. Investments of surplus funds are made only with approved counterparties.

## III. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. The Company's approach to managing liquidity is to ensure as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet its liabilities when they are due. Management monitors rolling forecasts of the Company's liquidity position and cash and cash equivalents on the basis of expected cash flows. The Company takes into account the liquidity of the market in which the entity operates.

**The table below summarises the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments.**

₹ in Lakhs

| | On demand | Less than 3 months | 3 to 12 months | 1 to 5 years | > 5 years | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Year ended** | | | | | | |
| **31-Mar-18** | | | | | | |
| Trade payables | 46,784.32 | | | | | 46,784.32 |
| Other financial liabilities (non-current) | 40.45 | | | | | 40.45 |
| Other financial liabilities (current) | 1,728.85 | | | | | 1,728.85 |
| Total | **48,553.62** | - | - | - | - | **48,553.62** |
| **Year ended** | | | | | | |
| **31-Mar-17** | | | | | | |
| Trade payables | 47,782.97 | | | | | 47,782.97 |
| Other financial liabilities (non-current) | 51.45 | | | | | 51.45 |
| Other financial liabilities (current) | 2,484.99 | | | | | 2,484.99 |
| Total | **50,319.41** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50,319.41** |

### IV. Excessive risk concentration

Concentrations arise when a number of counterparties are engaged in similar business activities, or activities in the same geographical region, or have economic features that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic, political or other conditions. Concentrations indicate the relative sensitivity of the Company's performance to developments affecting a particular industry.

In order to avoid excessive concentrations of risk, the Company's policies and procedures include specific guidelines to focus on the maintenance of a diversified portfolio. Identified concentrations of credit risks are controlled and managed accordingly.

### 30 . Capital Management

The objective of the Company's capital management structure is to ensure that there remains sufficient liquidity within the Company to carry out committed work programme requirements. The Company monitors the long term cash flow requirements of the business in order to assess the requirement for changes to the capital structure to meet that objective and to maintain flexibility.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes to economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital, issue new shares for cash, repay debt, put in place new debt facilities or undertake other such restructuring activities as appropriate.

**No changes were made in the objectives, policies or processes during the year ended 31 March 2018.**

**₹ in Lakhs**

| Particulars | 31 March 2018 | 31 March 2017 |
|---|---|---|
| **Borrowings** | | |
| Trade payables | 46,784.32 | 47,782.97 |
| Other payables | 129,064.46 | 108,279.67 |
| Less: Cash & cash equivalents | (13,295.05) | (20,470.42) |
| **Net Debt** | **162,553.73** | **135,592.22** |
| **Total equity** | **63,882.41** | **60,778.15** |
| **Capital and Net debt** | **226,436.14** | **196,370.37** |
| **Gearing ratio (%)** | **71.79%** | **69.05%** |

**31. Contingent Liabilities**

As at Balance Sheet date, the contingent liability in respect of off site warranty provided by the company to the users is not considered since all the equipments supplied towards projects are covered under AMC from the vendors/suppliers from time to time, after warranty period.

Contingent liabilities, other than the above, not provided for are as under: -

**₹ in Lakhs**

i.

| Particulars | As at March 31, 2018 (Rs.) | As at March 31, 2017 (Rs.) |
|---|---|---|
| Claim against the Company not acknowledged as debts. | 69.72 | 108.47 |
| Guarantees | 1493.32 | 1359.58 |
| Income Tax Demand (Assessment Year 2010-11) | 7.91 | 7.91 |
| Income Tax Demand (Assessment Year 2012-13) | 14.90 | - |
| Total | 1585.85 | 1475.96 |

i Rs.65,445.02 Lakhs towards License Fee and Rs. 32,383.09 Lakhs towards Spectrum Charges for the period 2009 to 2016 has been levied by DOT as penalty (Refer Note No.45). No further communication is respect of above for FY 2016-17 (Amount unascertained).

iii Penalty @ 2% on Income from V-sat Services (CSC Project and NDRF Project) towards DOT license – Amount unascertained.

## 32. Commitments

The Company has made commitment to procure the trading goods and to avail the services in the subsequent period based on the purchase orders and agreements made with suppliers. Those commitments can be amended as per the agreed terms. However, the amount of such commitments towards internal projects of the company is Rs.21.32 Lakhs (PY Rs.17.98 Lakhs) as at March 31 2018. In addition, Commitment towards expenditure out of "Reserves" is as follows:-

**₹ in Lakhs**

| Sl. No. | Particulars | Amount |
|---|---|---|
| 1 | National Data Centre, Bhubaneswar | 9,248.00 |
| 2 | Enhancement of NIC Cloud Services | 12,034.00 |
| 3 | District 2.0-Augmentation of Digital India Initiative | 7,213.00 |
| 4 | NICSI Centre of Excellence | 2,650.00 |
| 5 | Up-gradation of Laxmi Nagar Data Centre | 816.00 |
| 6 | Development Centre at IT Park, Shastri Park | 2,480.00 |
| | **Total** | **34,441.00** |

## 33. Information pursuant to Para 5(viii) of the General Instructions for preparation to the Income & Expenditure Account given under schedule III of Companies Act, 2013.

i. Value of Imports on C.I.F Basis: NIL (PY Rs. NIL)

ii. Expenditure in foreign currency (on accrual basis):

**₹ in Lakhs**

| Particulars | Year Ended March 31, 2018 (Rs.) | Year Ended March 31, 2017 (Rs.) |
|---|---|---|
| Travelling - Staff (Foreign) | NIL | 31.23 |
| Total | **NIL** | **31.23** |

iii. Earnings in foreign currency (on accrual basis): Rs. Nil (PY Rs. Nil)

## 34. Auditor Remuneration*

**₹ in Lakhs**

| Particulars | Year Ended March 31, 2018 (Rs.) | Year Ended March 31, 2017 (Rs.) |
|---|---|---|
| Auditor Fee including Tax Audit Fee | 7.21 | 6.55 |
| For Reimbursement of expenses | 1.99 | 1.74 |
| Total | **9.12** | **8.29** |

* Exclusive of applicable taxes. Further, Rs. 3.42 Lakhs (PY Rs. 4.82 Lakhs) are paid for certification work for various projects which are directly debited in the respective projects.

## 35. Disclosure pursuant to Ind-As 19 - 'Employee Benefits'

### i. Contribution to Provident Fund

The company is not having any Provident Fund scheme as the employees of the company are on deputation from NIC, along-with their posts, as per the Government of India Notification dated 3rd March, 1998. The Provident Fund is deducted from their salary every month as per the rates prescribed for the purpose and government guidelines thereon subsequently, passed on to NIC as its entire account is maintained by them. There is thus, no liability of the company towards any payment to the employees on Provident Fund Account.

### ii. Leave Salary

Since the employees are on deputation from NIC as per the Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the leave salary contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of leave salary/encashment.

### iii. Pension Contribution

Since the employee are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the pension contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of Pensionery benefits.

### iv. Gratuity

Since the employees are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the company is not liable to pay any Gratuity, as the same shall entirely be borne by NIC.

## 36. Related Party disclosures

### I List of related parties

| Name of the Party | Relationship |
|---|---|
| Sh. Manoj Kumar Mishra | Managing Director |

**ii Transactions with Related Parties :**

**₹ in Lakhs**

| Name of Party | Period | Nature of Transaction | Year ended March 31, 2018 (Rs.) | Year ended March 31, 2017 (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Sh. Manoj Kumar Mishra | 01-04-2017 to 31-03-2018 | Managerial Remuneration | 34.47 | 3.97 |
| Dr. (Mrs.) Ranjana Nagpal* | 27-12-2016 to 14-02-2017 | Managerial Remuneration | Nil | Nil |
| Sh. Rajesh Bahadur | 01-04-2016 to 26-12-2016 | Managerial Remuneration | Nil | 22.87 |
| | **Total** | | **34.47** | **26.84** |

* Held additional charge of MD, NICSI and salary drawn from NIC.

iii. Balance payable as on 31-03-2018 to Related Parties: Rs. 2.37 Lakhs/- (PY Rs.2.00 Lakhs )

## 37. Operating Lease

The Company has hired office space under operating lease. Further, as per IND AS-17 ' Leases' the details of total future minimum lease payments is as under: -

**₹ in Lakhs**

| Sl. No. | Particulars | As at March 31, 2018 (Rs.) | As at March 31, 2017 (Rs.) |
|---|---|---|---|
| i. | Not Later than one year | 1302.78 | 1322.59 |
| ii. | Later than one year and not later than five years | 7578.28 | 7337.06 |
| iii. | Later than five years | 13932.76 | 15807.82 |

## 38. Disclosure pursuant to IND AS– 108 'Operating Segments'

The company is providing services in 'Information Technology' segment only from a centralized office in Delhi. Considering the same as one segment only, no disclosure according to IND AS– 108 'Operating Segments' have been made in the financial statements.

## 39. Balance Confirmation

The balances shown under the head loans & advances, trade receivables, trade payables, advance from customers, Advance to supplier, Advances received under Grant-in-Aid Projects, EMDs and security deposits are subject to confirmation, reconciliation and consequential adjustments thereof, if any.

**40. Non-execution of Conveyance/Title Deed**

The Company had purchased Hall No's 2&3 at 6th Floor, NBCC Towers, Bhikaiji Cama Place, New Delhi from M/s. NBCC Limited in the year 2003 and 2001 respectively. However, the Conveyance Deed / Title Deeds towards the same amounting to Rs. 931.50 lakhs (PY 931.50 lakhs) have not yet been got registered by NBCC despite several requests from the company. M/s. NBCC is being reminded regularly in the matter by the company. Hence, the initial provision of Rs 74.51 lakhs (PY Rs 74.51 lakhs) towards amount of Stamp Duty has been kept in the financial statements and the differential amount, if any, shall be provided for in year the same got registered.

**41. In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated.**

**42. Disclosure u/s 22 of the MSMED Act, 2006**

| Sl. No. | Particulars | F. Y. 2017-18 | F. Y. 2016-17 |
|---|---|---|---|
| 1 | The Principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier. | NIL | NIL |
| 2 | The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier. | NIL | NIL |
| 3 | The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. | NIL | NIL |
| 4 | The amount of interest accrued and remaining unpaid. | NIL | NIL |
| 5 | The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. | NIL | NIL |

There is no party covered under Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006 in F. Y. 2017-18.

**43. Information on Stock-in-Trade**

The company does not have any manufacturing unit or facility; as such information regarding licensed/installed capacity are not applicable. The information of stock-in-trade is given below-

₹ in Lakhs

| Particulars | FY 2017-2018 | | FY 2016-2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | Qty. (Nos.) | Value (Rs.) | Qty. (Nos.) | Value (Rs.) |
| **OPENING STOCK** | | | | |
| Hardware | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Software | Nil | Nil | Nil | Nil |
| **Total** | **Nil** | **Nil** | **Nil** | **Nil** |
| **PURCHASE** | | | | |
| Hardware | 1611390 | 34239.03 | 3414096 | 41498.99 |
| Software | 53195 | 2644.47 | 278201 | 7170.21 |
| **Total** | **1664585** | **36883.50** | **3692297** | **48669.20** |
| **SALES** | | | | |
| Hardware | 1611390 | 35698.66 | 3414096 | 43768.25 |
| Software | 53195 | 2777.79 | 278201 | 7650.78 |
| **Total** | **1664585** | **38476.45** | **3692297** | **51419.03** |
| **CLOSING STOCK** | | | | |
| Hardware | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Software | Nil | Nil | Nil | Nil |
| **Total** | **Nil** | **Nil** | **Nil** | **Nil** |

**44. Disclosure pursuant to IND AS – 36 'Impairment of Assets'**

As per IND AS – 36 'Impairment of Assets' the assessment of impairment of Assets has been carried out during the FY 2017-18 in respect of Data Centre at Laxmi Nagar, National Data Centre at Shastri Park towards investment on "Enhancement of NIC Cloud Services" and Development Centre at Shastri Park locations, which are cash generating units of the company and no impairment loss has been identified thereon.

**45. (a) Revenue Generation (GR/ AGR) towards VSAT Projects against DOP License No. 815-100/ NICSI/2009-DS dated 20.11.2009 and payment of License Fee and Spectrum Charges to DOT thereon**

NICSI had entered into a commercial VSAT License Agreement with DOT on 25.11.2009 and had been paying the License Fee and Spectrum Charges to DOT accordingly. During the year, two projects i.e. CSC and NDRF have been implemented against this License. C&AG Audit in October, 2015 had pointed out that Hon'ble Supreme Court of India, in its Order dated 11.10.2011, had stated that "If the wide definition of Adjusted Gross Revenue so as to include revenue beyond the License was in any way going to affect the Licensee, it was open for the Licensees not to undertake activities for which they do not require License under clause (4) of the Telegraph Act and transfer these activities to any other person or firm or company". NICSI thereafter, took up the matter with

DOT through MeitY that the DOT charges in respect of NICSI should be levied on the revenue generated through these projects only and not on whole revenue of the Company, as per the initial agreed terms. DOT, vide DO No. 32-4/ CCA-Delhi/2015-LFP (KW-2) dated 10.05.2016, has informed that the AGR matter is presently under "Appeal" in Hon'ble Supreme Court and in the hearing on 29.02.2016, the Court has stated that "The Union of India will continue to raise demands as per its understanding, however, the same will not be enforced till the final decision of the controversy by this Court". DOT has further stated that the assessment shall continue to be made in accordance with the terms & condition of the relevant License Agreements and the guidelines/ instructions/ clarifications issued from time to time, as is being done hitherto, until further orders. However, DoT, vide its letters No. 7-16/ 2009-LF/ VSAT 2015-16/ 107 dated 09.02.2017 and No. WPF-1000/ NICSI/ Comm. VSAT/ 2010-11/ 107 dated 09.02.2017, had sent a provisional assessment to NICSI at Rs.65445.02 Lakhs towards License Fee and Rs. 32383.09 Lakhs towards Spectrum Charges

for the period 2009 to 2016. Against this demand, NICSI had taken-up the matter with MeitY and Secretary, MeitY had sent a D.O. letter No. 80752/GEN/ND dated 14.03.2017 to Secretary, DoT to revise the said demand as per NICSI revenue from VSAT services only, as per their original clarification vide letter dated 25.11.2009 and Hon'ble Supreme Court of India's said interim advice dated 29.02.2016 on assessment, till final decision in the matter is taken. Response from DoT is awaited. NICSI has therefore, paid/provided the charges to DOT during the year as per past practice accordingly.

**(b) VSAT for CSC Project**

During FY 2017-18, an amount of Rs. NIL (P.Y. Rs.296.56 Lakhs) has been generated as revenue towards V-Sat for CSC in North East Project against DOT License No. 815-100/NICSI/2009-DS dated 20/11/2009. The details are as follows: -

**₹ in Lakhs**

| S. No. | Particulars | FY 2017-18 (Rs.) | FY 2016-17 (Rs.) |
|---|---|---|---|
| (a) | Total Revenue as per Income and Expenditure A/c of the Company | 133642.72 | 132707.40 |
| (b) | Income from V-sat Services (CSC Project) towards said DOT license* | NIL | 296.56 |
| (c) | Revenue from Projects other than at (b) | 133642.72 | 132410.84 |

The fee of DOT against the above license towards this project on NICSI's revenue has been charged to the project No.80752/GEN/ND.

Penalty, if any, to be imposed by DOT in the project would be accounted for in the year in which it would be levied. However, NICSI had surrendered the said licence to DoT on 31.03.2017 and thereafter, no activity had been undertaken by the company.

**(c) VSAT for NDRF Project**

During FY 2017-18, an amount of Rs. NIL (P.Y. 343.54 Lakhs has been generated as revenue towards V-Sat for NDRF Project against DOT License No. 815-100/NICSI/2009-DS dated 20/11/2009. The details are as follows: -

₹ in Lakhs

| S. No. | Particulars | FY 2017-18 (Rs.) | FY 2016-17 (Rs.) |
|---|---|---|---|
| (a) | Total Revenue as per Income and Expenditure A/c of the Company | 133642.72 | 132707.40 |
| (b) | Income from V-sat Services (NDRF Project) towards said DOT license* | NIL | 343.54 |
| (c) | Revenue from Projects other than at (b) | 133642.72 | 132363.86 |

The fee of DOT against the above license towards this project on NICSI's revenue has been charged to the project No. 111116/GEN/ND.

Penalty, if any, to be imposed by DOT in the project would be accounted for in the year in which it would be levied.

*However, NICSI had surrendered the said licence to DoT on 31.03.2017 and thereafter, no activity had been undertaken by the company.

**46. Operating Margin (Administrative Charges) on NKN Project**

As per the minutes of the High Level Committee meeting held on 19/07/2011 towards NKN Project, specific approval from Integrated Finance Division (IFD) of Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) towards levying 1% Operating Margin on the expenditure under NKN Project is awaited. However, as per the approval from the Board of Directors, the company has been booking its Operating Margin @1% of expenditure, subject to Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY's) approval.

**47. Grants-in-Aid Projects**

As per the terms & conditions stipulated in the sanctions towards grants in aid projects, the Company is getting the accounts of all such projects audited from a CA firm. For the current year, the accounts of all the GIA Projects are since audited, except for NKN project, which is in process.

**48. Service Tax on Advance**

A Demand-cum-Show Cause Notice No. 38 / Audit /2014-15 / 13266 – 71 dated 24.06.2014 had been received in NICSI from the O/o the Commissioner of Service Tax, New Delhi, towards depositing the Service Tax of Rs.389.02 crores and interest of Rs.13.94 crores. A personal hearing and submission of final reply against the said notice was made on 10-03-2015. The "Order-in-Original" No. 16/ST/SVS/DL-III/2015 dated 16.06.2015 was received from the Principal Commissioner of Service Tax (Delhi-III Commissionerate), according to which, the decision was to drop the entire service tax demand of Rs.389,02,36,342/- (Rupees: Three hundred and eighty nine crore two lakhs thirty six thousand three hundred and forty two only) including Education Cess and S&HE Cess proposed in the SCN's for the period 2008-09 to 2012-13. However, the Service Tax Department had filed an "Appeal" before Hon'ble Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) vide Appeal No. ST/APPEAL No.53521 OF 2015 ST(DB) dated 16-10-2015 against the dropping of the said Service Tax demand of Rs.3,89,02,36,342/- and also, an Application for "Stay" in the matter till the decision on the Appeal. CESTAT, heard the Application for "Stay" on 10.05.2016 and dismissed the same. The Company had accordingly, filed a fresh Application with

the Service Tax Office for refund of Rs. 30,29,27,240/- on 15.06.2016. The Service Tax Department, vide Order dated 30.11.2016, sanctioned the refund of Rs. 30,29,27,240/- to NICSI which was received on 08.05.2017. The hearing on the "Appeal" was done by CESTAT on 26.07.2018 and it has dismissed the Service Tax Department's Appeal, vide order dated 16.08.2018.

**49. Recognition of Operating Margin**

The company is facilitating computer hardware on behalf of Government Departments and organizations for which administrative charges as approved by Board are being levied on receipt of bills, along with acknowledgment towards deliveries to the customers are completed.

As per Board approval, the rates of Operating Margin during F.Y. 2017-18 have been as under:

| Project Cost | Rate in percentage of Project cost |
|---|---|
| Upto Rs.50 crore | 7% |
| Above Rs.50 crore | 5% |

(The above rates are applicable since 15.01.2015 and prior to that, different slab rates were applicable between 3 to 8% of the cost of project).

However, as per MeitY approval, the company has not been charging any Operating Margin from NIC on the procurement towards their internal projects and further, towards Digital Signature Project, the company has been taking a uniform Operating Margin @ 5% irrespective of project cost.

**50. Income/Expenditure on National Data Centre Project, Shastri Park, Delhi**

MeitY had approved that from 01-04-2014 onwards, NICSI would be incurring operational expenditure headwise on the National Data Centre, Shastri Park, Delhi upto Rs.8.00 crores on the heads Rent & Maintenance/ Basic Infrastructure Maintenance/ Basic Infrastructure O & M Manpower and NIC would reimburse the expenditure from its Budgetary Provision to NICSI towards Electricity & Diesel Charges/ Physical Security & Housekeeping Charges/ Water Charges/ Logistics Support/ Contingency Charges upto 3% of all these charges, after these expenditure are initially incurred by NICSI. Against the expenditure of Rs.8.00 crores, NICSI would generate income through servers given to other organizations on chargeable basis. In case the income is less than the expenditure, the balance amount would be treated as Promotional Expenses towards NICSI objectives. During the year the income for NICSI has been Rs.1736.89 Lakhs (P. Y. Rs. 1235.20 Lakhs ) as against the expenditure of Rs. 800.00 Lakhs (P.Y. Rs. 570.95 Lakhs).

**51. LTC to NICSI employees on deputation from NIC**

The company had reimbursed an amount of Rs. 1.89 crore towards LTC, based on the Service Rules of NICSI to the NICSI employees deputed from NIC during the Financial Years 2010-11 to 2013-14. This amount had been reimbursed by the Company based on the Service Rules approved by the Board of Directors in its 49th meeting held on 17.05.2006 and amended in 69th meeting held on 24.09.2010, which were not in line with DPE/ DOPT guidelines & CCS LTC Rules. These Service Rules had thereafter, been sent by NICSI to NIC/MeitY on 11.11.2014

for ratification. As per Board approval that the recovery be made in installments, NICSI had recovered the amount from the salary of employees in May, 2015. Against the same, the employees had filed a Writ Petition in the Hon'ble Delhi High Court against the recovery and the Court, vide **"Order"** dated 09.06.2015, had granted the **"Stay"** on the recovery of amount from the employees, pending the final decision by the Court in the matter. Finally, the Hon'ble Delhi High Court, in its judgment dated 18.03.2016, had decided that **"Service conditions which induce the present appellants to apply for NICSI for deputation and continue there held out a liberalized LTC option. That option was availed of continuously. The LTC regulations were amended further-it is not in dispute that the original regulations of NICSI and the amendments continue in force. In these circumstances, the recovery sought to be made without altering the conditions of service could not have been upheld. Accordingly, the respondents are permitted to recover only amounts paid in excess of the deputation terms either pre-2010 as existing with some of the employees joined the organization or those which are contrary to the 2010 amendments. The Appeal is allowed to that extent".**

MeitY, vide letter dated 14.07.2016, had directed NICSI to continue recovery of over-payment to the employees who had irregularly drawn LTC. NICSI, vide letter dated 29.07.2016, informed MeitY that in view of the current directives, NICSI has re-started the process of recovery of over-payment made to the employees on account of LTC and an Office Memorandum was also issued towards the same on 29.07.2016 itself, informing that the recovery would start from the salary for the month of August, 2016. The matter was simultaneously submitted by NICSI to MeitY on 16.08.2016.

The affected employees had then gone to Hon'ble Delhi High Court by filing a contempt petition against the re-started process of recovery as per the said NICSI O.M. dated 29.07.2016, in which NICSI and MeitY were both made Respondents. MeitY had re-considered the matter and advised NICSI, vide note dated 17.03.2017, to adhere to the said decision dated 18.03.2016 from Hon'ble Delhi High Court in the matter. Based on MeitY directive, NICSI issued O.M. dated 21.03.2017 mentioning "not to effect recovery of LTC claims by NIC/ NICSI employees and further, the recovery of amounts already made to be paid back to concerned officers in due course. The Respondents accordingly, informed the decision to Hon'ble Delhi High Court in its hearing on 23.03.2017 by handing over a photocopy of the O.M. dated 21.03.2017. The contempt petition was thus treated as disposed off as satisfied and the respondents were directed to forthwith give effect to the O.M. dated 21.03.2017. NICSI had accordingly taken action and refunded the recovered amount to each individual.

In the meantime, the matter was included by the C&AG Office in its "Report for the year ended March, 2014 – Union Government (Communications & IT Sector) – No. 55 of 2015" presented to Parliament. It is currently with Public Accounts Committee (PAC) of Parliament.

MeitY had informed the C&AG Office as per above, including the said Hon'ble Delhi High Court decision. The C&AG Office had thereafter, desired the copy of the Hon'ble Court decision and also, the Government approval towards ratification of NICSI Service Rules. While the copy of Hon'ble Court decision was provided to the C&AG Office, it was informed that the matter towards ratification of NICSI Service Rules was still under consideration of the Government. The para is thus, still under consideration of the PAC for want of ratification of NICSI Service Rules from the Government.

## 52. Project Incentive to NICSI employees on deputation from NIC

The Company had paid an amount of Rs. 2.11 crores towards Project Incentive to the NICSI employees deputed from NIC for the Financial Years 2007-08 to 2013-14. In addition, an amount of Rs. 44.84 Lakhs had been provided in the Accounts for F.Y. 2014-15, Rs. 45.80 Lakhs for F. Y. 2015-16 towards the same, based on the guidelines approved by the Board of Directors in its 60th meeting held on 22.12.2008 which are not in line with DPE guidelines. Matter had been taken up by NICSI with NIC/ MeitY to approve the guidelines. TDS on Project Incentive will be deducted at the time actual payment. Since no feedback in the matter is yet received, no provision towards Project Incentive has been made during financial year 2017-18.

## 53. Interest on Un-utilized fund of Grant in Aid projects

Till F.Y. 2011-2012, the Company was treating the amount received from Grantor Institution for execution of projects as 'Advances received from customer' instead of treating them as Grant in Aid receipt and accordingly, no interest was provided on un-utilized fund to Grantor Institution.

Board of Directors, vide meeting dated 21-12-2011, had approved to calculate and refund the interest earned on un-utilized fund available in Grant in Aid Projects from time to time as per the rate of interest applicable in the Saving Bank Accounts in the Public Sector Banks. Accordingly, the Company had calculated and refunded the amount of interest to the Grantor institution i.e. rate of interest applicable in the Saving Bank Accounts in the Public Sector Banks, whereas as per terms and conditions laid down by the Grantor Institution, the actual interest earned on un-utilized balance of Grant in Aid projects is to be refunded. The grantor departments have accepted the interest as credited to the individual project till F.Y.2016-17 and most of these projects are since completed and their accounts settled. However, a para is continuing from the C&AG Office towards less refund of interest in GIA Projects by the company to the Government. NICSI had provided the reply on the para and it is still under consideration of the C&AG Office.

In the meantime, the Board of Directors, in its 100th meeting held on 28.03.2017, had re-considered the matter and advised NICSI to refund the interest on Grants-in-Aid Projects on actual basis. Accordingly, in the current year, NICSI has worked out the interest in GIA Projects on actual basis as per the interest rates informed by the bank for that year and provided in each ledger of the respective project. Further, new bank accounts have since been got opened by the Company for each GIA on-going project and the entire interest earned therein would be refunded to the grantor department on actual basis in future.

The interest on unutilized fund on Grant-in-Aid projects (including NKN Project) for the F. Y. 2017-18 amounting to Rs.777.72 Lakhs (P. Y. Rs.499.10 Lakhs including NKN Project) has been reduced from interest income for the year.

## 54. Transport Allowance and House Rent Allowance to NICSI employees on deputation from NIC

The Company has paid an excess amount of Rs. 0.49 crore towards Transport Allowance and Rs. 0.17 crore towards House Rent Allowance to the NICSI employees deputed from NIC during the period from 01.07.2007 to 31.03.2014. This amount has been paid by the Company based on the Service Rules approved by the Board of Directors in its 49th meeting held on 17.05.2006 which is not in line with GOI Rules. These Service Rules have been

sent by NICSI to NIC/ MeitY on 11.11.2014 for ratification. Further feedback in the matter is awaited. Payments have also been made by the company during the year 2014-15 to 2017-18 as per the existing provisions in NICSI Service Rules.

**55. Trade Receivables**

NICSI implements a large number of new projects every year from various Ministries/ Departments / Organizations of the Government of India and States / UTs. As per the provisions in the General Financial Rules (GFRs), they restrict the release of advances to NICSI to 40% or so, whereas in many cases mainly related to procurement of ICT Hardware, NICSI has to release the work orders to full extent and after delivery / installation of those items, NICSI has to release the payments to the vendors as per the payment terms in the work orders. This, on many occasions, result in Trade Receivables, disclosed in note no. 9 of the financial statements, amount of trade receivables of Rs. 28835.15 Lakhs (PY Rs. 28130.13 Lakhs) as at March 31, 2018, which is followed up by NICSI from time to time with the concerned Departments /Organizations to recover the same.

**56. Income Tax Exemption Appeal with ITAT**

The company had filed an application with the Commissioner of Income Tax on 13.06.2013 for its Registration u/s 12A (a) of the Income Tax Act, 1961. However, the request was rejected by the Competent Authority, vide "Order" dated 17.12.2013. NICSI had thereafter filed an Appeal with the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), New Delhi on 20.02.2014 in the matter, against the order of dated 17.12.2013. The Hon'ble ITAT vide Order dated 17.04.2017 has directed the Income Tax Authorities to grant the registration u/s 12A to NICSI. The company had filed an application with Income Tax Department for further necessary action.

**57. Classification of Assets and Liabilities into current and non-current**

The company provides the bifurcations of Assets & Liabilities into 'Current' and 'Non-Current' in the financial statements on the basis of estimation of recoverability/payment within operating cycle.

**58. Retention Money**

Some vendors have not submitted the performance bank guarantees as per the terms & conditions of empanelment but rather requested to the company to retain the amount equivalent to performance bank Guarantee from his payment. Accordingly Rs. 242.38 Lakhs (P. Y. Rs.296.18 Lakhs) has been retained and transferred to a new head naming Retention Money.

**59. Government Grant from different Ministries/Departments.**

NICSI receives government grant from different Ministries/ Departments for the ICT Projects only from time to time for normal trading transaction of the entity, which cannot be distinguished. No government grant is however, received by NICSI for its own requirement/ consumption.

A disclosure in the financial statements has been made separately under the head 'Other Current Liabilities' as 'Grant in Aid received from Customers', as these are normal trading transactions. These grants are utilized for the purposes of execution of respective projects and if there is balance available with NICSI at the close of the

respective Project, the same is refunded to the Grantor Institution alongwith the interest. All the grant in aid amounts are received for the Projects only.

NICSI implements various orders from the government departments/ organizations towards procurement of hardware/ software and providing manpower. It takes Operating Margin on the total cost of each order, as per the rates approved by its Board of Directors from time to time. NICSI receives fund against those orders from the departments/ organizations as advances. No other form of government assistance is received by NICSI, from which it is directly benefited. There is no grant of monetary or non-monetary asset given to NICSI at concessional rate or free of cost.

NICSI fulfils all the terms & conditions attached to the administrative approvals/ sanctions towards release of grants-in-aid by the Ministries/ Departments.

**60. Expenditure of Corporate Social Responsibility (CSR)**

NICSI Board of Directors, in its meeting 99th held on 26.12.2016, had set up a CSR Committee. The CSR Committee had met on 04.12.2017 and recommended the following:-

- ❖ CSR Policy of NICSI.
- ❖ Rs.1.98 crore to be incurred by NICSI on CSR activities during F.Y.2017-18.

Subsequently, the Board of Directors in its 104th meeting held on 22.12.2017, had approved the said recommendations of the CSR Committee, including the Policy for the same. Accordingly, NICSI has made a provision of Rs.1.98 crore in the Accounts for F.Y.2017-18 to be carried forward for expenditure in the next financial year.

**61. Implementation of ERP Application in NICSI.**

NICSI had given a Work Order to M/s. Rolta India Ltd. on 22.03.2013 to procure, customize, implement and maintain the ERP Application at NICSI. While customizing the same, the firm had migrated some financial data for F.Y.2015-16 and 2016-17. NICSI had also accepted the deliverables in November, 2016, as were specified in the said Work Order. Thereafter, NICSI had also adopted the ERP on trial basis. As it had functioned satisfactory, NICSI had disbanded the working of Accounts on Tally Package from 30.06.2017 and completely adopted newly developed ERP from 01.07.2017. Thus, the Accounts for F.Y.2017-18 have been prepared by NICSI for initial 3 months in Tally package and subsequently, transferred the same to the newly developed ERP and from 01.07.2017 completely in the ERP only. The Final Accounts have been accordingly prepared.

**62. Fixed Operating Margin in NICSI Project Nos. D150084, D150085, D150086 and D150087 from MeitY.**

MeitY, vide its Administrative Approval No. 3 (64)/ 2014-EG-II dated 29.03.2015, had given "Asset Mapping of Panchayats" to NICSI at a total cost of Rs. 32.39 Crore, mentioning therein that the Operating Margin of NICSI would be Rs. 1.00 crore. NICSI had taken up the matter with MeitY informing that the rate of Operating Margin on the cost of project is 7% and the Administrative Approval be accordingly revised. Feedback from MeitY was

awaited. However, NICSI had taken its income at 7% in the project during the year. The "Project Review and Steering Group" (PRSG) in MeitY had reviewed the progress of the project, in its meeting held on 20.09.20917 and recommended its closure from MeitY site, as Ministry of Panchyati Raj (MoPR) had suggested to completely take over the owner-ship of the project.

**63. District 2.0 – Augmentation of District Infrastructure to cater to Digital India Initiative"**

The Board of Directors, in its 100th meeting held on 28.03.2017, had considered the project and approve at a total outlay of Rs.99.00 crore for Phase-I to be met entirely by NICSI out of its "Cash Reserves". However, there would be no "Revenue" income in the project, as it involves augmentation only of ICT Infrastructure at NIC's some District Centres. Since, no income is there in the project and the assets created neither belong to NICSI nor in its possession, NICSI has directly routed the entire expenditure of Rs. 2687.54 Lakhs towards it during the year to Income & Expenditure Account as an expense.

**64. Income Tax**

Income Tax paid (Note No. 13 – Current Tax Assets) includes certain balances of TDS/Advance Tax refundable from FY 2007-08 to FY 2014-15. The Company has filed necessary applications with Income Tax Department for refund/adjustment. The final entry, if any, shall be made in the year of refund/adjustment.

**65. Obsolete Items**

The Company has certain obsolete items of Fixed Assets as on 31-03-2018. Action is in process to dispose off these items. Till the time the same being disposed off, the carrying value of such assets is appearing in Fixed Assets and depreciation as per companies accounting policy is being charged.

**66. Prior Period Items**

The company has treated only errors and omissions as prior period. In current year no error or omission is there and hence, no prior period expenses or income.

**67. Publishing of "Notice Inviting Tenders" (NIT) in the Dailies by NICSI through DAVP**

As on 01-04-2017, DAVP was having advances of Rs. 27.41 Lakhs outstanding from NICSI towards publications. During the year, NICSI has released further advances of Rs.12.73 Lakhs to DAVP. Adjustments made during the year were of Rs.00.20 Lakhs.

**68. Previous year figure reclassification**

The company has reclassified previous year figures to confirm current year classification.

AAs per our report of even date
**For Goel Garg & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000397N

**Sd/-**
**Ajay Rastogi**
Partner
Membership No.084897

Place: New Delhi
Date: 26.09.2018

**For and an behalf of the Board of Directors of**
**National Informatics Centre Services Inc.**
CIN: U74899DL1995NPL072045

**Sd/-**
**Manoj Kumar Mishra**
Managing Director
DIN: 07652553

**Sd/-**
**Pankaj Kumar**
Chairman
DIN:08176055

**Sd/-**
**Dr. Girish Kumar**
Company Secretary
FCS: 6468

**Sd/-**
**Deepak Saxena**
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 26.09.2018

# INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**TO THE MEMBERS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.**

**Report on theInd AS financial statements**

We have audited the accompanying Ind AS financial statements of **NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.**("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2018, the Income &Expenditure Account, the Cash Flow Statement, statement of changes in equity for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

**Management's Responsibility for the Ind AS financial statements**

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of the state of affairs, income and expenditure (including other comprehensive income), cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Auditor's Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on these Ind AS financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under and the order under section 143(11) of the Act.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the Ind AS financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the Ind AS financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the Ind AS financial statements.

**Basis of qualified opinion**

1. Reference is invited to the note no. 47 and 53 of the Ind AS financial statements, regarding Grants-in-aid,

   a) The unaudited accounts of NKN project have been incorporated in the Ind AS financial statements of the Company.

   b) During the current year, the interest on Grant-in-Aid projects amounting to Rs. 777.72 Lakhs/- (Previous year Rs. 499.10 Lakhs) has been reduced from interest income earned during the year as per the interest rate on fixed deposits (Previous year saving bank account) given by the public sector banks based on the management estimation instead of actual interest earned on unutilized funds of Grant –in – aid projects as per the terms & conditions laid down by grantor institution. The impact of the same on the previous years has not been worked out, amount unascertained.

   c) Till FY 2014-15, the Company paid interest on unutilized amount of Grants-in-Aid projects without considering service tax paid in Grants-in-Aid projects. From the FY 2015-16 Company has changed its method of calculation and considered Service tax paid in Grants-in-Aid projects while calculating interest. The effect of same on previous year's interest payment has not been worked out.

   The overall impact of matters referred to in the preceding para on the Ind AS financial statements for the year is unascertainable and unquantifiable.

2. Reference is invited to note no. 46 and 49 of Ind AS financial statements on recognition of operating margin

   i) As per MeitY and NICSI's Board approval, The Company has not been charging any operating margin from NIC on the procurement towards their internal project.

   ii) The Company, has been taking a uniform operating margin @5% on digital signature project irrespective of project cost.

   iii) Revenue from operation includes income recognized @ 1% as administrative charges of expenditure incurred on NKN Project. The same is subject to Ministry of Electronics & Information Technology ('MeitY') approval.

   In the absence of approval and details, the overall impact of matters referred to in the preceding paras on the Ind AS financial statements for the year is unascertainable and unquantifiable.

3. Reference is invited to note no. 62 of Ind AS financial statements regarding MeitY project of "Asset Mapping of Panchayats" having total cost of Rs. 3238.99 Lakhs and the Operating Margin of NICSI, as per Administrative Approval is fixed at Rs. 100.00 Lakhs. The Company has taken its income at 7% of expenses incurred for the project during the year as per the rate of operating margin approved by the Board. Feedback from MeitY is not received.

4. In our opinion, internal controls/internal audit systems in relation to, project management, book keeping, invoicing, procurement, stores, inventory, physical verification of fixed assets and tendering process of the

company are not commensurate with the size and nature of its operations.

5. Reference is invited to note no. 39 of the Ind AS financial statements, balance confirmations have not been received from Trade Payables, Trade Receivables, Advances received from customers, Earnest Money Deposits, Security deposits, advance to suppliers and Grants-in-aid received for balance outstanding as at March 31, 2018. In the absence of confirmations, we are unable to comment on the accuracy of the balances and adjustment thereof, along with impact, if any, on Ind AS financial statements.

6. Reference is invited to Note 9 to the Ind AS financial statements and accounting policy No. 2(xvi), Provision for bad and doubtful debts as on balance sheet date amounting to Rs. 301.43 Lakhs (Previous Year Rs. 303.28 Lakhs) created against trade receivables. In the absence of balance confirmations and proper documentation, we are unable to comment on the adequacy of such provision and impact thereof, if any, on Ind AS financial statements.

7. Reference is invited to note no. 57 of the Ind AS financial statements, Companies Act, 2013 requires classification of Assets and Liabilities into current and non-current. In absence of reasonable basis for such bifurcation disclosed in the Ind AS financial statements, we are unable to comment on accuracy of such disclosure.

8. Reference is invited to note no. 14 of the Ind AS financial statements, Taxes Recoverable as on balance sheet date includes Sales tax recoverable balance of Rs. 117.70 Lakhs (Previous Year Rs. 117.70 Lakhs) which pertains to financial year 1996-97 to 2013-14 and TDS on works contract Rs. 2.34 Lakhs (Previous Year Rs. 2.34 Lakhs) for FY 2000-01. In the absence of reasonable and sufficient documentation in relation to recoverability of above, we are unable to comment on the accuracy and existence of these balances and consequential impact on the Ind AS financial statements, if any.

9. Reference is invited to note no. 64 of the Ind AS financial statements regarding current tax assets of Rs.11,129.73 Lakhs (Previous Year Rs. 6036.78 Lakhs) which includes certain balances of TDS/Advance tax refundable from FY 2007-08 to 2014-15. In the absence of reasonable feedback form income tax department regarding recoverability of above, we are unable to comment on the accuracy and existence of these balances and consequential impact on the Ind AS financial statements, if any

10. Reference is invited to note no. 52 of the Ind AS financial statements regarding project incentive paid/ provided by the Company for the period 2007-08 to 2015-16 amounting to Rs. 301.64 lakhs without approval of MietY/NIC. Pending approval/finalization of matter, we are unable to comment on the impact, if any, on the Ind AS financial statements of the Company.

11. Reference is invited to note no. 54 of the Ind AS financial statements regarding payment of Transport and House Rent Allowance being paid/provided by the Company from 01.07.2007 to 31.03.2018 without approval/rectification by MeitY. Pending finalization of matter, we are unable to comment on the impact, if any, on the Ind AS financial statements of the Company.

12. Reference is invited to note no. 65 of the Ind AS financial statements regarding Obsolete Assets, during the

physical verification of fixed assets conducted by the Company, some assets are identified as obsolete/ non-working. Effect of the same has not been provided for the Ind AS financial statements. In the absence of details, consequential impact on the Ind AS financial statement for year is not ascertainable and quantifiable.

13. Reference is invited to note no. 45 regarding method of calculating License Fee and Spectrum Charges and demand of Rs. 65445.02 lakhs towards License Fee and Rs. 32383.09 Lakhs towards Spectrum Charges raised by DOT, the Company has paid/provided for the License Fee and Spectrum Charges to DOT. As the matter is pending in Hon'ble Supreme Court of India consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is not ascertainable and quantifiable.

14. Reference is invited to note no. 19 Other Financial Liabilities which includes liability of Earnest money Deposit of Rs. 921.36 Lakhs (Previous Year Rs. 1396.41 Lakhs) . In the absence of sufficient and reasonable documentary evidence, we are unable to comment on completeness and accuracy of this amount. Consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is not ascertainable and quantifiable.

15. Reference is invited to note no. 17 and 19 other financial liabilities include securities deposit payable Rs. 40.45 Lakhs (Previous Year Rs. 51.46 Lakhs) and Earnest Money Deposit of Rs. 921.36 Lakhs (Previous Year Rs. 1396.41 Lakhs) which are not measured at amortized costs or at fair value as per Significant Accounting Policy 2(vii) and (viii) regarding measurement of financial liabilities. Consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is not ascertainable and quantifiable.

16. Reference is invited to note no 61 regarding implementation of ERP software w.e.f 1st July 2017 to prepare and maintain books of accounts, ERP software is implemented without any validation by any external independent agency. Parallel accounting maintained in ERP system for the first three months is not fully in consensus with the Tally Accounting Software. In the absence of validation documentation and details, consequential impact on the Ind AS financial statement for year is not ascertainable and quantifiable.

17. The Company has not complied with the following Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. -

    i. The company has not complied with disclosure requirements Ind AS 10 "Events after the Reporting Period", as the Company receives service and material on behalf of third party to carry out certain projects. Sometimes, as informed to us, information related to such expense and acquisition comes after closing date and the same has not been recognized in the Ind AS financial statements. Further, reference is invited to Note no. 66 of Ind AS financial statements, in relation to prior period expenses/ income, the Company has treated only errors or omissions as prior period.

    ii. Reference is invited to the note no. 2(viii) of the Ind AS financial statements; as per the Company's policy, revenue on sales of goods is being recognized at the time of generation of invoice, whereas, the risk and reward are transferred to customers on acceptance of goods. This is resulting in non-compliance of Ind AS 18 Revenue Recognition.

**Qualified Opinion**

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matters described in the 'Basis for Qualified Opinion' paragraph above, the aforesaid Ind AS financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Ind AS, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2018, and its surplus (including other comprehensive income) and its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

**Other Matters**

Without qualifying our opinion, we lay emphasis that-

a. Reference is invited to note no. 55 of the Ind AS financial statements, the company has incurred extra expenditure than the advances received from user departments in case of some projects, as they restrict the release of advances to NICSI to 40% or so as per GFR provisions. Reference is also invited to note no. 9 of the Ind AS financial statements, amount of trade receivables of Rs. 28,835.15 Lakhs (PY Rs. 28,130.13 Lakhs) as at March 31, 2018 is on account of such excess project expenditure incurred by the Company.

b. The Company is not maintaining separate bank accounts for money received for Grant-in-aid projects. Though, the company is maintaining a separate project account for each project in the accounting software.

c. Reference is invited to the note no. 40 of the Ind AS financial statements, conveyance/title deeds in respect of office building at Bhikaji Cama Place, New Delhi of Rs. 931.50 Lakhs are pending for execution/ registration.

d. Reference is invited to note no. 56 of the Ind AS financial statements, the Company had filed an application with the commissioner of income tax on 13/06/2013 for its registration under section 12A of the Income Tax Act,1961. However the same application was rejected by the commissioner of income tax. The company's appeal with the Income Tax Appellate Tribunal, New Delhi against CIT order has been decided in favour. Appeal effect is still pending with income tax Department.

e. Stock summary generated by the ERP system is not matching with the books of accounts.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

1. The Company is licensed to operate under section 8 of the Companies Act, 2013, therefore, the disclosure required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act is not applicable.

2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

    a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except as mentioned in basis of qualified opinion paragraph above.

    b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c) The Balance Sheet, the Income and Expenditure Account, and the Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this report are in agreement with the books of account.

d) Except for the matters described in basis of qualified opinion, in our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.

e) The internal controls described in sub paragraph 6 under the basis for qualified opinion above, in above opinion, may have adverse effect on the functioning of the company;

f) Since the company is a Government company, sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 regarding director's disqualification, is not applicable to the Company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;

g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses qualified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements (Refer Note no. 31 to the Ind AS financial statements);

   ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

   iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

3. Our separate report on directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 is attached as Annexure B.

For **Goel Garg & Co.**
Chartered Accountants
(FRN. 000397N)

**(Ajay Rastogi)**
Partner
(M. No. 084897)

Place: New Delhi
Date: 26th September 2018

# ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

## Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.** ("the Company") as of March 31, 2018 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's

judgment including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

**Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting**

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Ind AS financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable details, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Ind AS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Ind AS financial statements.

**Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

Because of the Inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changed in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

**Qualified Opinion**

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified as at March 31, 2018;

a) The Company did not have an appropriate internal control system for reconciliation/confirmation of vendor balances. These could potentially result in material misstatements in the Company's trade payables.

b) The Company did not have an appropriate internal control system on investment of excess funds in fixed deposits. These could potentially result in loss of interest income.

c) The Company did not implement the ERP System as per the policies and guidelines of the contract and post validation during the year.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual Ind AS

financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2018 Ind AS financial statements of the Company, and these material weaknesses do not affect our opinion on the Ind AS financial statements of the Company.

**For Goel Garg & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000397N

**Ajay Rastogi**
Partner
Membership No. 084897

Date: 26th September 2018
Place: New Delhi

# ANNEXURE 'B' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE IND AS FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

## REPORT ON DIRECTIONS ISSUED BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013

(1) Whether the company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/ lease deeds are not available.

**As per the information provided to us, the title deeds of all the assets owned by the company are registered except those mentioned in note no. 42 of audited statements.**

(2) Please report whether there are any cases of waiver/write off debts/loans/interest etc., if yes, the reasons therefore and the amount involved. –

**As per the information and explanation provided to us, there is no case of waiver/write off the debts/loans/ interest, etc. during the year.**

(3) Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/ grant(s) from Govt. or other authorities?

**As per the information and explanation provided to us, no inventories which belong to the company are lying with third parties and no assets have been reported to us as gifts /grant(s) received from government or other authorities. However assets procured for the users under Grant in Aid belong to respective user departments and not to the company.**

**For Goel Garg & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000397N

**Sd/-**
**(Ajay Rastogi)**
Partner
M. No. 084897

Place: New Delhi
Date: 26th September 2018

## COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC. (NICSI) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

The preparation of financial statement of NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC. (NICSI) for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditor/Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26th September 2018.

I, on the behalf of Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of NICSI for the year ended 31 March 2018 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the act.

For and on the behalf of the
**Comptroller & Auditor General of India**

**Sd/-**
**(Sangita Choure)**
**Director General of Audit**
**(Post and Telecommunication)**

Place: New Delhi
Date: 07-12-2018

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INCORPORATED

CIN : U74899DL1995NPL072045

*Design & Printed by:* VIBA PRESS PVT. LTD. - 9810049515